

मध्यप्रदेश शासन श्रम विभाग



वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन 2016—17



रूपांकन
श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश, इन्दौर
2017

भोपाल
शासकीय केंद्रीय मुद्रणालय, भोपाल
2017

मध्यप्रदेश शासन श्रम विभाग



वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन 2016-17



श्रमायुक्त संगठन
कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं
श्रम न्यायपालिका
मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल
मध्यप्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण मण्डल
मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2016–17

विभाग	. श्रम विभाग
मंत्री	. माननीय श्री ओमप्रकाश धुर्वे
अपर मुख्य सचिव	. श्री बी.आर. नायडू
श्रम आयुक्त	. श्री शोभित जैन
अध्यक्ष, औद्योगिक न्यायालय	. न्यायमूर्ति श्री जी.एस. सोलंकी
संचालक, कर्मचारी राज्य बीमा सेवार्ये	. श्री बी.एल. बंगेरिया
उप सचिव	. श्री अमर पाल सिंह
अवर सचिव	. श्री मिलिंद गणवीर

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2016—17

विषय सूची

अध्याय	खंड	शीर्षक	पृष्ठ
		वर्ष 2016—17 में श्रम विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धियां	1-3
1		श्रम विभाग की भूमिका	4-7
	1.1	प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या	4
	1.2	संविधान के सुसंगत प्रावधान	4-5
	1.3	महत्वपूर्ण श्रम कानून	5-6
	1.4	विभागीय संरचना तथा सामान्य जानकारी	7
	1.5	प्रदेश में पंजीकृत कारखानों एवं स्थापनाओं की जानकारी	7
2.		विभागीय संरचना एवं बजट — एक विहंगावलोकन	8-18
	2.1	श्रमायुक्त संगठन	8-13
	2.2	औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	14
	2.3	कर्मचारी राज्य बीमा (क.रा.बी.) सेवार्ये	14
	2.4	औद्योगिक न्यायालय	15
	2.5	संविधिक मण्डल	15
	2.5.1	मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल	15
	2.5.2	मध्यप्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण, मंडल	16
	2.5.3	मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल	16
	2.5.4	मध्यप्रदेश शहरी/ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल	16
	2.6	ग्राम सभाओं को सौंपे गए कृत्य	16
	2.7	कम्प्यूटरीकरण	17-18
	2.8	बजट प्रावधान	18
3.		औद्योगिक संबंध	19-26

अध्याय	खंड	शीर्षक	पृष्ठ
	3.1	सामान्य	19
	3.2	औद्योगिक विवाद की स्थिति में सुलह कार्रवाई	19
	3.3	ले-आफ, छंटनी और बन्दीकरण हेतु अनुमति	20
	3.4	मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का कार्यान्वयन	20-21
	3.5	मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आज़ायें) अधिनियम, 1961 का कार्यान्वयन	21-22
	3.6	व्यावसायिक संघ अधिनियम, 1926 का कार्यान्वयन	22-23
	3.7	म.प्र राज्य श्रम कानूनों में सुधार और इज ऑफ डुईंग बिजनेस	24-26
4.		औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	27-36
	4.1	सामान्य	27
	4.2	कारखाना अधिनियम, 1948	27-31
	4.3	कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 का कार्यान्वयन	31
	4.4	“अति खतरनाक” स्थापनाओं संबंधी प्रावधान : पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बने नियमों का कार्यान्वयन	32
	4.4.1	संक्षिप्त विवरण	32
	4.4.2	“अति खतरनाक” श्रेणी के कारखाने	33
	4.4.3	ऑन साईट आपात योजनाएं	33
	4.4.4	ऑफ साईट आपात योजनाएं	33
	4.4.5	सुरक्षा आडिट	34
	4.5	औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशाला, इन्दौर	34-36
5.		मजदूरी, उपादान और बोनस संबंधी अधिनियमों का कार्यान्वयन	37-40
	5.1	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948	37-39
	5.2	मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936	39
	5.3	उपदान भुगतान अधिनियम, 1972	39-40
	5.4	बोनस भुगतान अधिनियम, 1965	40

अध्याय	खंड	शीर्षक	पृष्ठ
6.		बाल श्रमिक	41-46
	6.1	बाल श्रमिक	41-43
	6.2	बाल श्रम संबंधी कानून का प्रवर्तन	44
	6.3	राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना	45
7.		बीड़ी श्रमिक	47-49
	7.1	प्रारंभिक	47
	7.2	बीड़ी एवं सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 का कार्यान्वयन	47
	7.3	बीड़ी श्रमिक कल्याण	47
	7.3.1	बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976	47
	7.3.2	बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976	47-48
	7.4	बीड़ी श्रमिकों के लिये आवास संबंधी योजना	48
	7.5	घरखाता श्रमिकों को बीड़ी निर्माण हेतु दिए जाने वाले कच्चे माल की वाजिब मात्रा का निर्धारण	48-49
	7.6	बीड़ी श्रमिकों को वेतन पर्ची	49
8.		असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक	50-53
	8.1	प्रारंभिक	50
	8.2	असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कार्यदल	50-51
	8.3	भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यों में कार्यरत श्रमिक	51-53
	8.4	हम्माल आवास योजना	53
9.		बंधक श्रमिक	54-58
	9.1	प्रारंभिक	54
	9.2	बंधक श्रम प्रथा की दृष्टि से संवेदनशील जिले	54-55
	9.3	जिला एवं उपखंड-स्तरीय निगरानी समितियां	55-56
	9.4	विमुक्त बंधक श्रमिकों का पुनर्वास	56-58

अध्याय	खंड	शीर्षक	पृष्ठ
10.		कतिपय अन्य महत्वपूर्ण श्रम कानूनों का कार्यान्वयन	59-62
	10.1	मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961	59
	10.2	श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955	59
	10.3	मध्यप्रदेश दूकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958	59-61
	10.4	ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970	61
	10.5	अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवाशर्तें) अधिनियम, 1979	62
11.		कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें	63-83
	11.1	प्रारंभिक	63
	11.2	कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत मिलने वाले हितलाभ और योजना के कार्यान्वयन का पैटर्न	63-64
	11.3	कर्मचारी राज्य बीमा योजना का प्रदेश में विस्तार एवं बीमित व्यक्तियों की संख्या	65-66
	11.4	चिकित्सा हितलाभ	66-67
	11.5	परिवार कल्याण एवं अन्य सेवाएं	67-68
	11.6	श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार संबंधी कार्य-योजना	68
	11.7	एच.आई.वी./एड्स प्रकोष्ठ	68
	11.8	विभागीय अमले की स्थिति	68-69
	11.9	विभागीय पदोन्नतियों की स्थिति	69
	11.10	विभागीय जांच की स्थिति	69
	11.11	नियुक्तियों की स्थिति	69
	11.12	स्थानांतरण की स्थिति	69
	11.13	न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति	69-83
12.		श्रम न्यायपालिका	84-86
	12.1	संवैधानिक व्यवस्था	84

अध्याय	खंड	शीर्षक	पृष्ठ
	12.2	औद्योगिक न्यायालयों की खंडपीठ व प्रशासन	84-86
13.		राज्य-स्तरीय त्रिपक्षीय सलाहकार समितियां	87-89
	13.1	प्रारंभिक	87
	13.2	राज्य श्रम सलाहकार परिषद	87
	13.2.1	राज्य श्रम सलाहकार परिषद द्वारा द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट पर विचार	87-89
	13.3	न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड	89
	13.4	राज्य सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड	89
	13.5	समान पारिश्रमिक अधिनियम के अंतर्गत सलाहकार समिति	89
	13.6	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की क्षेत्रीय समिति	89
	13.7	कर्मचारी राज्य बीमा निगम का क्षेत्रीय परिषद	89
14.		संवैधिक मंडल	90-102
	14.1	मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल	90-97
	14.2	मध्यप्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण मण्डल	97-99
	14.3	मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल	99-102
	14.4	मध्यप्रदेश शहरी/ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल	102
15.		महिला श्रमिक	103-108
	15.1	महिलाओं की संख्या और कार्यशील महिलाएं	103
	15.2	महिलाओं के लिये विशेष अधिनियम	104-105
	15.3	महिला नीति एवं उनके हितों की सुरक्षा	105-107
	15.4	यौन उत्पीड़न के लिये विशेष सुरक्षा	107-108
	15.5	अन्य सुविधाएं	108

* * *

परिशिष्ट

क्रमांक

शीर्षक

पृष्ठ

1.1	भारत के संविधान के भाग 3 (“मूल अधिकार”) और भाग 4 (“राज्य की नीति के निदेशक तत्व”) के “श्रम” संबंधी प्रावधान	109-110
1.2	महत्वपूर्ण श्रम कानूनों के कार्यान्वयन का दायित्व	111
2.1	प्रदेश में कार्यरत श्रम कार्यालय तथा उनसे संबद्ध जिले	112—113
2.2	संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के अधीन स्थापित कार्यालय एवं उनके कार्य क्षेत्र	114-115
2.3	कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत संभाग एवं जिले-वार कार्यरत केन्द्र, उनसे संबद्ध बीमित व्यक्ति, और कार्यरत संस्थाएं	116-118
2.4	श्रम न्यायालय तथा उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले जिले	119
2.5	गत तीन वर्षों के बजट प्रावधान एवं व्यय	120-121
3.1	म.प्र. औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 1(3) के अंतर्गत अनुसूचित उद्योग	122
3.2	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत प्रस्तुत विवादों पर की गई कार्रवाई	123
3.3	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 34 के अंतर्गत स्वीकृत अभियोजन	124
3.4	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33-सी(1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों पर जारी किए वसूली प्रमाण पत्र एवं उनमें निहित वसूली योग्य राशि	124
3.5	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25-एम, 25-एन तथा 25-ओ के अंतर्गत क्रमशः ले-ऑफ, छंटनी एवं बंदीकरण की अनुमति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर की गई कार्रवाई	125-126
3.6	म.प्र. औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 के अंतर्गत प्रस्तुत विवादों पर की गई कार्रवाई	127
3.7	म.प्र. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आज़ाए) अधिनियम, 1961 के अंतर्गत संपादित निरीक्षण/अभियोजन	128
3.8	औद्योगिक स्थापनाओं से स्थाई आदेशों और उनमें संशोधनों के प्रमाणीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर की गई कार्रवाई	128
3.9	व्यावसायिक संघ अधिनियम, 1926 के अंतर्गत श्रम संगठनों के पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदन, उनका निराकरण तथा पंजीयन निरस्ती हेतु की गई कार्रवाई	129
3.10	म.प्र. औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयन हेतु प्राप्त ठहराव/समझौते	129

4.1	कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत कारखानों की संभाग एवं जिले-वार जानकारी	130
4.2	कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 88 के अंतर्गत आने वाली दुर्घटनाओं की जानकारी	131
4.3	मध्यप्रदेश में स्थित अति खतरनाक स्थापनाओं की संभाग एवं जिले-वार सूची	132-134
4.4	ऑफ साइट आपात योजना की तैयारी एवं पूर्वाम्यास	135
4.5	अति खतरनाक स्थापनाओं, जिनका सुरक्षा आडिट एम.एस.आई.एच.सी. नियम, 1989 के तहत अनिवार्य है, के सुरक्षा आडिट की स्थिति	136
4.6	औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशाला, इन्दौर द्वारा किए गए कार्य का विवरण भाग –एक: हानिकारक पदार्थों की जांच	137
4.7	स्थल पर उपकरणों की सहायता से की गई जांच एवं उनका परिणाम	137
4.8	औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशाला, इन्दौर द्वारा किए गए कार्य का विवरण भाग –दो: स्थल पर उपकरणों की सहायता से प्रकाश व ध्वनि संबंधी जांच	138
5.1	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अनुसूचित नियोजन	139-140
5.2	न्यूनतम मजदूरी की दरें	141-142
6.1	उपजीविकाएं (व्यवसाय) और प्रक्रियाएं जिनमें बाल श्रम अधिनियम के धारा 3 के अन्तर्गत बाल श्रम को प्रतिषिद्ध किया गया है	143-145
7.1	बीड़ी एवं सिगार अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्थानों तथा श्रमिकों की संभाग एवं जिले-वार संख्या	146-147
7.2	बीड़ी श्रमिकों हेतु आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2006-07 से स्वीकृत आवास	147-148
7.3	परिपत्र दिनांक 05.10.2002 के अनुसरण में घरखाता बीड़ी श्रमिकों के लिये कच्चे माल की जिले-वार निर्धारित वाजिब मात्रा	148-149
7.4	बीड़ी श्रमिकों को वेतन पर्ची वितरण की जानकारी	150-151
8.1	भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नि. एवं सेवाशर्तों का वि.) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थाओं की कार्यालय-वार जानकारी	152-153
9.1	बंधक श्रमिकों का पुनर्वास	154-158
10.1	मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 के अंतर्गत पंजीकृत उपक्रमों की श्रम कार्यालय-वार जानकारी	159-160
10.2	नगर / कस्बे जहां म. प्र. दूकान एवं स्थापना अधिनियम प्रभावशील है	161-169

10.3	दूकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के अंतर्गत पंजीकृत स्थापनाओं की जिले-वार जानकारी	170-171
10.4	ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत पंजीकृत स्थापनाओं की श्रम कार्यालय-वार जानकारी	172-173
10.5	अंतर्राज्य प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत पंजीकृत स्थापनाओं की श्रम कार्यालय-वार जानकारी	173-174
11.1	कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों / औषधालयों में उपचारित मरीज	175
11.2	परिवार कल्याण कार्यक्रम	175
11.3	टीकाकरण	176
11.4	कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों में किये गये ऑपरेशनों का विवरण	177
12.1	वर्ष 2014 में औद्योगिक न्यायालय द्वारा प्रकरणों का निराकरण	178
12.2	विभिन्न श्रम न्यायालयों में वर्ष 2014 के आरंभ में लंबित, वर्ष में दायर तथा वर्ष में निराकृत सिविल तथा फौजदारी प्रकरण	179

टीप : इस प्रतिवेदन में कतिपय श्रम कानूनों, नियमों, अधिसूचनाओं आदि के महत्वपूर्ण प्रावधानों एवं सांख्यिकी के बारे में सामान्य जानकारी दी गई है। परंतु विशिष्ट, पूर्ण और अद्यतन जानकारी के लिए मूल अधिनियमों, नियमों, अधिसूचनाओं एवं जानकारी आदि को ही देखा जाना चाहिए।

वर्ष 2016-17 में श्रम विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

राज्य की श्रम नीति

राज्य में श्रमिकों एवं विशेष रूप से असंगठित क्षेत्रों के हित संरक्षण तथा उद्योगों के विकास को दृष्टिगत रखते हुए नवीन श्रम नीति तैयार की गई, जिसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा किये जाने के उपरांत राज्य की श्रम नीति का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र में दिनांक 29.06.07 को किया गया है। लगभग 25 वर्ष के अंतराल के बाद निर्मित श्रम नीति में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा, कल्याणकारी गतिविधियों तथा संगठित क्षेत्र में औद्योगिक शांति बनाए रखते हुए नवीन उद्योगों की स्थापना और श्रम विभाग के सुदृढीकरण पर विशेष जोर दिया गया है। इस नीति के अनुरूप विभाग द्वारा क्रियान्वयन की कार्यवाही की जा रही है।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिक

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तों का विनियमन), अधिनियम, 1996 एवं भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत निर्माण श्रमिकों के लिए वर्ष 2003 में गठित मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल को 31 दिसंबर 2016 तक रुपये 1943.08 करोड़ की राशि उपकर के रूप में प्राप्त हुई है।

निर्माण श्रमिकों के लिए गठित भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा 31 दिसंबर 2016 तक कुल 25.04 लाख हितग्राही निर्माण श्रमिकों का पंजीयन किया जाकर उन्हें परिचय पत्र वितरित किये गए तथा 32.53 लाख हितग्राहियों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में 621.56 करोड़ रुपये से अधिक के हितलाभ वितरित किये गए।

वर्ष 2016-17 में 31 दिसम्बर 2016 तक 1,03,788 निर्माण श्रमिकों का पंजीयन किया जाकर 2.54 लाख हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं में रुपये 143.33 करोड़ के हितलाभ दिये गये। प्रदेश में पंजीकृत किये गये निर्माण श्रमिकों की पात्रता के संबंध में भी जांच की जा रही है। दिसम्बर 2016 तक कुल 3.22 लाख पंजीयन निरस्त किये गये हैं।

बाल श्रम

राज्य शासन द्वारा बाल श्रम प्रथा को प्रतिबंधित किये जाने संबंधी विषय को प्राथमिकता के अंतर्गत लिया गया है। बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत 10 अक्टूबर 2006 से होटल, ढाबों, खान-पान व चाय की दुकानों और घरेलू कार्यों में बाल श्रमिकों पर प्रतिबंधित किया गया है। वर्ष 2016-17 में माह दिसम्बर 2016 तक विभाग द्वारा 128 निरीक्षण किये गये एवं उल्लंघनकर्ता नियोजकों के विरुद्ध निरंक अभियोजन दायर किये गये हैं।

औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा

औद्योगिक सुरक्षा के क्षेत्र में हुए प्रयासों के फलस्वरूप कारखानों में दुर्घटनाओं की दर, जो वर्ष 2013 में 0.62 प्रति हजार श्रमिक थी, वर्ष 2016 में घटकर 0.48 प्रति हजार श्रमिक रही।

कारखाना के कार्यवातावरण में हानिकारक पदार्थों, शोर और प्रकाश आदि के स्तर की जाँच की क्षमता, जो अभी केवल औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशाला, इंदौर में केन्द्रित थी। इस संबंध में विकेन्द्रीकरण की योजना के अंतर्गत सभी संभागीय कार्यालयों को निरीक्षण कीट उपलब्ध कराये गये हैं।

प्रदेश में स्थित संचालनालय की इण्डस्ट्रीयल हायजिन लेब स्वयं के भवन में संचालित है। वर्तमान में लेब में कारखाना श्रमिकों हेतु ट्रेनिंग सेन्टर भी संचालित है। पंच वर्षीय योजना (2012-17) में लेब के आधुनिकीकरण के लिये वर्ष 2016-17 में दिसम्बर तक रुपये 222471 के हायजिन लेब हेतु उपकरण क्रय किये गये। इन उपकरणों से कारखानों में कार्य वातावरण की जाँच जिसमें मुख्यतः ध्वनि स्तर, प्रकाश का स्तर, सल्फरडाई आक्साइड एवं कार्बनमोनोआक्साइड की कार्य वातावरण में विद्यमान मात्रा की जाँच की जा सकेगी।

वर्ष 2016-17 (31 दिसम्बर 16 तक) में कारखाना अधिनियम के अंतर्गत 178 नये कारखानों का पंजीयन कराया गया।

संचालनालय के अधिकारियों द्वारा प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराये गये। इसी प्रकार 3 दिसम्बर 2016 को प्रदेश में स्थित विभिन्न कारखानों में औद्योगिक सुरक्षा दिवस/सप्ताह का आयोजन किया गया जिसके अंतर्गत सुरक्षा संबंधी पोस्टर का प्रदर्शन, स्लोगन प्रतियोगिता, सुरक्षा संबंधी वर्कशॉप, ऑन साइट आपात योजना की रिहर्सल की गई जिससे सेकड़ों श्रमिक लाभान्वित हुए।

वर्ष 2015-16 से कारखानों का नवीन पंजीयन, नक्श अनुमोदन एवं कारखाना लायसेन्स नवीनीकरण का कार्य पूर्णतः ऑन लाईन कर दिया गया एवं मोबाइल, एप्स पर भी ये सुविधा उपलब्ध कराई गई हैं। ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से वर्ष 2016-17 में दिनांक 31.12.2016 तक कुल 328 आवेदन नवीन कारखानों की अनुज्ञप्ति तथा 5208 आवेदन अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु प्राप्त हुये हैं। जिसमें से 215 नवीन अनुज्ञप्ति जारी की गई तथा 5172 अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण किया गया। महिलाओं को रात्रि पाली में कार्य करने की छूट प्रदान की गई एवं रात्रि पाली में कार्यरत महिलाओं की सुरक्षा हेतु शासन द्वारा सुरक्षा शर्तें निर्धारित की गई हैं जो निरन्तर जारी हैं।

बीड़ी श्रमिक

प्रदेश के जिन बीड़ी श्रमिकों के परिचय पत्र बनने से रह गये थे, उनके परिचय पत्र बनाने के लिए केन्द्रीय कल्याण आयुक्त, जबलपुर के समन्वय से तथा श्रम विभाग की प्राथमिकताओं के अन्तर्गत पूर्व वर्षों में विशेष शिविर आयोजित कर परिचय पत्र वितरण के निर्देश जारी किये गये थे। माह दिसम्बर 2016 की स्थिति में प्रदेश में 18,51,91 परिचय पत्र धारी बीड़ी श्रमिक हो गये हैं। कल्याण आयुक्त की जानकारी अनुसार अब होलोग्राम युक्त परिचय पत्र जारी किये जा रहे हैं।

घरखाता बीड़ी श्रमिकों को दिए जाने वाले कच्चे माल की वाजिब मात्रा के लिए जिला-स्तर पर आवश्यकतानुसार निर्धारण की व्यवस्था लागू है।

बीड़ी श्रमिकों के कल्याण के लिए राज्य शासन ने केन्द्र सरकार के साथ अनेक मुद्दों पर सशक्त पहल की है, जिनमें बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि के प्रशासन का विकेन्द्रीकरण, प्रदेश से इस निधि में जमा होने वाली राशि का प्रदेश में ही अधिकतम उपयोग, खुली बीड़ी और मिनी सिगरेट पर केन्द्रीय उत्पाद कर में दी गई छूट की समाप्ति, सागर में बीड़ी श्रमिकों के लिए चिकित्सालय शीघ्र आरंभ किया जाना और कतिपय जिलों में नए औषधालयों की स्थापना जैसे मुद्दे शामिल हैं। बीड़ी श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह हेतु रुपये 25000 की आर्थिक सहायता देने के संबंध में राज्य शासन द्वारा को भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

बीडी श्रमिकों को वेतनपच्ची वितरण करने का कार्य प्रारंभ किया गया है। साथ ही बीडी श्रमिकों को श्रम कानूनों का लाभ सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न श्रम अधिनियमों में नियमित निरीक्षण किये जाते हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें, मध्य प्रदेश

1. कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें के चिकित्सालयों में विभिन्न प्रकार के 830 आप्रेशन्स किये गये हैं ।
2. चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिये जुलाई 2001 से स्थापित रिवाल्विंग कॉरपस फण्ड व्यवस्था कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दिनांक 31.3.2015 से समाप्त करते हुए, एसिक ऑपरेशन मेन्युअल 2015 द्वारा भुगतान रहित व्यवस्था दिनांक 1.4.2015 से प्रारम्भ की गई है । जिसके अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न अनुबंधित चिकित्सालयों में हितग्राहियों के सैकेण्डरी केयर उपचार अन्तर्गत 4,504 प्रकरणों में रुपये 4,15,19,387/- एवं सुपर स्पेशियलिटी उपचार अन्तर्गत 443 प्रकरणों में रुपये 1,01,66,466/- के भुगतान की स्वीकृति जारी की गई ।
3. सरकार के घोषणा पत्र के अनुसार संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के 0-18 वर्ष आयु के बच्चों का विभागीय औषधालय एवं चिकित्सालय के माध्यम से 190 शिविर आयोजित कर 37,517 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है ।
4. कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें के हितग्राहियों को सुपरस्पेशियलिटी उपचार हेतु निगम द्वारा सीलिंग से बाहर व्यय के अन्तर्गत केश लेस सुविधा दिनांक 1.9.2015 से पुनः उपलब्ध कराना प्रारंभ किया गया है, जो निरन्तर है ।
5. कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें द्वारा 7,917 मरीजों को अंतरंग एवं 13,29,803 मरीजों को बाह्य उपचार उपलब्ध कराया गया ।
6. हिपेटाइटिस "बी" से बचाव के लिये बीमितों तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिये हिपेटाइटिस-बी का विशेष सत्र औद्योगिक इकाइयों में आयोजित किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत 445 हितग्राहियों को टीके लगाये गये हैं । श्रमिक वर्ग की किशोरी लड़कियों को रूबेला टीकाकरण के विशेष सत्र आयोजित कर 1163 लड़कियों को टीके लगाये गये ।
7. परिवार कल्याण व टीकाकरण कार्यक्रम अन्तर्गत 516 नसबन्दी शल्य क्रियाएँ सम्पन्न की गई व 18,379 लाभार्थियों को विभिन्न रोगों के रोग निरोधक टीके लगाये गये । वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के पुरस्कारों की घोषणा शेष है ।
8. प्रदेश के सभी जिलों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के विस्तार हेतु राज्य शासन द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम को स्वयं प्रारम्भिक चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु अनुमति प्रदान कर दी गई है, जिसके प्रकाश में भारत शासन की अधिसूचना दिनांक 9.8.2016 द्वारा 22 क्षेत्रों में योजना व्याप्त करते हुए निगम द्वारा 30 स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा प्रदाताओं की नियुक्ति कर दी गई है एवं अन्य अव्याप्त 29 जिला मुख्यालयों हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिये रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण विज्ञापित किये जा चुके हैं ।

* * *

अध्याय—1 श्रम विभाग की भूमिका

1.1. प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश में मुख्य कार्यशील जनसंख्या, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक तथा कुल श्रमिकों में उनका प्रतिशत, आदि आंकड़े इस प्रकार हैं।

तालिका 1.1

म.प्र. की मुख्य कार्यशील जनसंख्या एवं श्रमिकों में वर्ग विशेष का प्रतिशत आदि (लाखों में)

श्रमिकों में वर्ग	नियोजित व्यक्तियों की संख्या	कुल जनसंख्या में प्रतिशत	कुल श्रमिकों में वर्ग विशेष का प्रतिशत
कुल जनसंख्या	726.27	100.00	230.02
कुल कर्मी	315.74	43.47	100.00
दीर्घकालिक कर्मी	227.02	31.26	71.90
काश्तकार	82.15	11.31	26.02
खेतीहर मजदूर	66.31	9.13	21.00
पारिवारिक उद्योग कर्मी	6.48	0.89	2.05
अन्य कर्मी	72.09	9.93	22.83
अल्पकालिक कर्मी	88.72	12.22	28.10
काश्तकार	16.29	2.24	5.16
खेतीहर मजदूर	55.61	7.66	17.61
पारिवारिक उद्योग कर्मी	3.12	0.43	0.99
अन्य कर्मी	13.69	1.88	4.34
गैर कर्मी	410.53	56.53	130.02

1.2. संविधान के सुसंगत प्रावधान

भारत के संविधान के “मूल अधिकार” और “राज्य की नीति के निदेशक तत्व” संबंधी अध्यायों में वे सिद्धांत विहित हैं, जिन पर राज्य की श्रम नीति आधारित होगी। तत्संबंधी उद्धरण परिशिष्ट—1.1 पर संलग्न है, जिसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं :—

- संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, जिसमें निर्बाध परंतु शांतिपूर्ण ढंग से सामूहिक सौदेबाजी (collective bargaining) की स्वतंत्रता शामिल है
- बलात् श्रम का और कारखानों, खदानों तथा जोखिम-युक्त नियोजनों में बाल श्रम का निषेध,
- पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिये समान वेतन,
- कामगारों के स्वास्थ्य और शक्ति की तथा बच्चों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से रक्षा,
- काम की न्याय-संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता हेतु उपबंध,
- सभी कामगारों के लिये निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन-स्तर, आदि सुनिश्चित किया जाना, और

- उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की भागीदारी।

“श्रम” संबंधी अधिकांश महत्वपूर्ण विषय संविधान की समवर्ती सूची में हैं, जिसकी सुसंगत प्रविष्टियों का उद्धरण निम्नानुसार है :-

22. व्यापार संघ; औद्योगिक और श्रम विवाद
23. सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा; नियोजन और बेकारी
24. श्रमिकों का कल्याण जिसके अंतर्गत कार्य की दशाये, भविष्य निधि, नियोजक का दायित्व, कर्मकार प्रतिकर, अशक्तता और वार्धक्य पेंशन तथा प्रसूति सुविधाएं हैं।

समवर्ती सूची के उक्त विषयों पर कानून बनाने के लिये संसद और राज्य के विधान-मंडल दोनों सक्षम हैं।

1.3. महत्वपूर्ण श्रम कानून

संविधान के उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसरण में अनेक श्रम कानून बनाये गये हैं। इनमें से मध्य प्रदेश के लिये प्रासंगिक महत्वपूर्ण श्रम कानूनों की एक सूची निम्नानुसार है (इस सूची में उल्लिखित जिन कानूनों के नाम “मध्य प्रदेश” से आरंभ होते हैं, वे राज्य अधिनियम हैं, तथा शेष केंद्रीय अधिनियम हैं) :-

1. औद्योगिक संबंध विषयक कानून
 1. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
 2. मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960
 3. व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926
 4. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946
 5. मध्य प्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आज्ञाएं) अधिनियम, 1961
2. मजदूरी (पारिश्रमिक) संबंधी कानून
 6. मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936
 7. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
 8. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965
3. औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी सामान्य कानून
 9. कारखाना अधिनियम, 1948
 10. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986—विशेषतः उसके अंतर्गत बनाये गये निम्नलिखित नियम :
 - (क) परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भंडारण एवं आयात नियम, 1989
 - (ख) रासायनिक दुर्घटना (आपात योजना, तैयारी और अनुक्रिया) नियम, 1996
 11. खतरनाक मशीन (विनियमन) अधिनियम, 1983
4. कतिपय विशिष्ट प्रकार के नियोजनों में कार्यदशाओं के विनियमन संबंधी कानून
 12. मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958
 13. बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966
 14. ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970
 15. मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961
 16. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996
 17. अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979
 18. विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1976
 19. श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955
 20. सिने कर्मकार तथा सिनेमागृह कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1981

5. महिला समानता एवं सशक्तिकरण संबंधी कानून
 22. मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961
 23. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
6. श्रमिकों के कमजोर वर्गों से संबंधित कानून
 24. बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976
 25. बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986
 26. बाल (श्रम-गिरवीकरण) अधिनियम, 1933
 27. मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम, 2003
7. सामाजिक सुरक्षा संबंधी कानून
 28. कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923
 29. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
 30. कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952
 31. उपादान भुगतान अधिनियम, 1972
8. श्रम कल्याण निधियों संबंधी कानून
 32. भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996
 33. बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 } तथा संबंधित
 34. लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क तथा क्रोम अयस्क खान } उपकर
 - कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 } अधिनियम
 35. चूना पत्थर एवं डोलोमाइट खान कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1972
 36. मध्य प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982
 37. मध्य प्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1982
9. विविध
 38. श्रम विधि (विवरणी देने तथा रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनाओं को छूट) अधिनियम, 1988

उपर्युक्त में से कुछ अधिनियमों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी पूरी तरह केन्द्र सरकार की और कुछ की पूरी तरह राज्य सरकार की है, जबकि कतिपय अधिनियमों के कार्यान्वयन में केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों की भूमिका है। इस संबंध में अधिनियम-वार जानकारी परिशिष्ट-1.2 में दी गई है।

1.4. विभागीय संरचना तथा सामान्य जानकारी :-

राज्य के श्रम विभाग का मुख्य दायित्व विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से श्रमिकों के शारीरिक एवं सामाजिक हितों का संरक्षण करना है। इसके आधार पर प्रदेश को एक सक्षम श्रम शक्ति प्राप्त होती है जो कि औद्योगिक विकास में अपना प्रभावी योगदान देती है।

विभाग श्रमायुक्त संगठन के माध्यम से विभिन्न अधिनियमों का प्रवर्तन कर श्रमिकों की सेवा-शर्तों का विनियमन करता है जिससे श्रमिकों के वेतन एवं कार्यदशाएं समुचित रहती हैं तथा औद्योगिक विवाद का निराकरण कर औद्योगिक शांति स्थापित करता है। इसके साथ ही औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है जिससे आकस्मिक रूप से श्रमिक दुर्घटना के शिकार न हों, एवं उन्हें समुचित कार्यदशा कार्य करने के लिये उपलब्ध हो सके।

श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिये विभाग कर्मचारी राज्य बीमा सेवाओं के माध्यम से श्रमिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराता है। असंतोष एवं अनिर्णय की स्थिति में अध्यक्ष, औद्योगिक न्यायालय के अंतर्गत श्रम न्यायपालिका के माध्यम से श्रमिकों को सुलभ न्याय प्राप्त होता है।

1.5. प्रदेश में पंजीकृत कारखानों एवं स्थापनाओं की जानकारी

प्रदेश में कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत कारखानों तथा श्रमिकों की नियोजन क्षमता की जानकारी की जानकारी निम्नानुसार है:-

तालिका 1.2

क्र.	अधिनियम का नाम	पंजीकृत संस्थानों की संख्या	ठेका श्रम अधिनियम के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त ठेकेदारों की संख्या	श्रमिकों / कर्मचारियों की संख्या, जो अनुज्ञप्ति / पंजीयन प्रमाण-पत्र में उल्लिखित है	जानकारी की संदर्भ तिथि
1.	कारखाना अधिनियम, 1948	15636	—	868208	31.12.2016
2.	म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958	1033550	—	487799	31.12.2016
3.	ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन अधिनियम, 1970)	2731	9400	1116728	31.12.2016
4.	मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961	4307	—	31718	31.12.2016
5.	बीड़ी एवं सिगार कर्मकार अधिनियम, 1966	240	—	186191	31.12.2016
6.	भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों विनियमन) अधिनियम, 1996	5595	—	257241	31.12.2016
7.	अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों), 1979	110	232	14506	31.12.2016

(उपर्युक्त आंकड़ों का संभाग एवं जिले-वार विवरण परिशिष्ट- 4.1, 7.1, 8.1, 10.1, 10.3 एवं 10.4, 10.5 में देखा जा सकता है।)

* * *

अध्याय-2

विभागीय संरचना एवं बजट – एक विहंगावलोकन

श्रम विभाग के अंतर्गत निम्नानुसार तीन विभागाध्यक्ष संगठन और पांच संविधिक मंडल कार्यरत हैं :-

विभागाध्यक्ष

1. श्रमायुक्त (संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सहित)
 2. संचालक, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें
 3. पंजीयक, औद्योगिक न्यायालय
- उपर्युक्त तीनों विभागाध्यक्षों का मुख्यालय, इंदौर में है।

संविधिक मंडल

1. मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मंडल, भोपाल
 2. मध्य प्रदेश स्लेट एवं पेंसिल कर्मकार कल्याण मंडल, मंदसौर
 3. मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल
 4. म.प्र.शहरी असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल
 5. म.प्र.ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल
- उक्त विभागाध्यक्ष संगठनों और संविधिक मंडलों के बारे में संक्षिप्त विवरण आगे दिया जा रहा है।

2.1 श्रमायुक्त संगठन

मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 3 और 6 में प्रावधान है कि राज्य शासन प्रदेश के लिये एक श्रमायुक्त नियुक्त करेगा तथा उनकी सहायता के लिये आवश्यक संख्या में उपश्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त, श्रम पदाधिकारी आदि नियुक्त करेगा। तदनुसार प्रदेश में श्रमायुक्त संगठन कार्यरत है। राज्य शासन ने श्रमायुक्त को उक्त अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत "मुख्य संराधक" भी नियुक्त किया है। श्रमायुक्त संगठन, जिसका मुख्यालय इन्दौर में है, के अधीन मुख्य रूप से दो शाखायें कार्यरत हैं एक शाखा श्रम कानूनों का प्रवर्तन, श्रमिक हित संरक्षण एवं औद्योगिक संबंध विषयक कार्य करती है, तथा दूसरी शाखा औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी कार्य संपादित करती है।

मुख्यालय में उक्त प्रथम शाखा के अंतर्गत वर्तमान में एक अपर श्रमायुक्त, एक उपश्रमायुक्त, दो श्रम पदाधिकारी एवं अन्य अधिकारी पदस्थ हैं तथा एक उपश्रमायुक्त जो पंजीयक, ट्रेड यूनियन भी हैं, भोपाल में तथा एक उपश्रमायुक्त प्रतिनियुक्ति पर म. प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में सचिव पद पर पदस्थ हैं।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये अपर श्रमायुक्त का एक पद श्रम विभागीय आदेश दिनांक 15.6.2011 द्वारा सृजित किया गया है, जिसका मुख्यालय यद्यपि प्रदेश की राजधानी भोपाल में रखा गया है, किन्तु प्रशासकीय कार्य व्यवस्था की दृष्टि से वर्तमान में दोनों अपर श्रमायुक्त मुख्यालय में पदस्थ हैं।

प्रदेश के सभी जिलों में अब श्रम कार्यालय स्थापित हैं। सभी कार्यालयों में श्रम पदाधिकारी अथवा सहायक श्रमायुक्त की पदस्थापना होने तक इन जिलों का प्रभार

समीपस्थ जिले अथवा सहायक श्रम पदाधिकारी स्तर के पदस्थ अधिकारी द्वारा देखा जाता है। दो जिलों (धार एवं भिण्ड) में दो-दो कार्यालय स्थापित हैं, जिनमें एक-एक जिला मुख्यालय पर तथा दूसरा प्रमुख औद्योगिक केन्द्र (क्रमशः पीथमपुर एवं मालनपुर) पर स्थित है। प्रदेश के कुल 51 जिलों में से 10 संभागीय कार्यालयों (इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, सतना, सागर, नर्मदापुरम संभाग-होशंगाबाद, शहडोल एवं चंबल संभाग-मुरैना) एवं 01 जिला सिंगरोली में सहायक श्रमायुक्त स्तर के तथा शेष 42 कार्यालय श्रम पदाधिकारी स्तर के हैं। वर्तमान में संभागीय व्यवस्था पुनर्जीवित होने से संभाग स्तर पर पदस्थ सहायक श्रमायुक्त संभागीय स्तर का कार्य भी देख रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों के श्रम कार्यालयों की जानकारी **परिशिष्ट 2.1** में देखी जा सकती है।

2.1.1 श्रमायुक्त संगठन के अंतर्गत विभागीय पदोन्नति, स्थानांतर, विभागीय जांच, सेवानिवृत्ति के साथ ही न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति दर्शाने वाली तालिका के साथ जानकारी निम्नानुसार है:-

1- पदोन्नति -

वर्ष 2016 में तृतीय श्रेणी में 27 एवं चतुर्थ श्रेणी में 05, इस प्रकार कुल 32 शासकीय सेवकों को पदोन्नति प्रदान की गई।

2- स्थानांतरण -

वर्ष 2016 में प्रशासकीय/स्वैच्छिक/निलंबन से बहाली एवं स्थानीय कार्यव्यवस्था के आधार पर द्वितीय श्रेणी में 01, तृतीय श्रेणी में 20 एवं चतुर्थ श्रेणी में 01, इस प्रकार कुल 22 शासकीय सेवकों के स्थानांतरण किये गये।

3- विभागीय जांच -

दिनांक 31.12.2016 की स्थिति में कुल लंबित विभागीय जांच प्रकरणों की संख्या 14 है।

4- सेवानिवृत्ति -

वर्ष 2016 में श्रमायुक्त संगठन के अंतर्गत प्रथम श्रेणी में 05 अधिकारी, द्वितीय श्रेणी में 07 अधिकारी सेवानिवृत्त हुए एवं 01 को पदच्युत किया गया। तृतीय श्रेणी में 32 तथा चतुर्थ श्रेणी में 01 शासकीय सेवक अधिवार्षिकी/स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हुए हैं, जबकि तृतीय श्रेणी में 01 एवं चतुर्थ श्रेणी में 02 शासकीय सेवकों का असामयिक निधन हुआ है। इस प्रकार कुल 49 शासकीय सेवक सेवानिवृत्ति/मृत्यु/पदच्युति के फलस्वरूप विभागीय अमले से कम हुए हैं।

5- न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति :-

शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा शासन के विरुद्ध दायर न्यायालयीन प्रकरणों के अंतर्गत जानकारी तालिका 2.1 में है।

तालिका 2.1

विभिन्न न्यायालयों में कर्मचारी/अधिकारियों द्वारा दायर लंबित प्रकरणों का विवरण
माह दिसंबर 2016

क	प्रकरण क.	पक्षकारों के नाम	न्यायालय का नाम	प्रकरण की वर्तमान स्थिति / प्रभारी अधिकारी	प्रकरण का संक्षिप्त विवरण	नियत पेशी में हुई कार्यवाही	आगामी पेशी का दिनांक	कैफियत कोई विशेष बात जो उल्लेख करना हो
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	15516/03	श्री धर्मेन्द्र चौबे सहा. संचा.	मा. उच्च न्या.जबल.	सहा.श्रमा. जबलपुर	सहा.संचालक के पद पर नियुक्ति बाबद	प्रत्यावर्तन दायर किया गया दि.10.8.10	—	
2	4130/05	श्री हरिबाबू खत्री,, लिपिक	मा. उ.न्या. ग्वालियर	विचाराधीन/ सहा.श्रमा. ग्वालियर	वेतन निर्धारण बकाया ब्याज राशि ब्याज बाबद	—	—	
3	276/06	श्री रविन्द्र फणसे, उप संचा.	मा.उ.न्या. इन्दौर	विचाराधीन/ सहा.श्रमा.इंदौर	संयुक्त संचालक के पदोन्नति आदेश के विरुद्ध	प्रत्यावर्तन दायर किया गया, 10.10.06	—	प्रकरण निराकृत
4	5356/06	श्री रमेश जोशी, लिपिक	मा.उ.न्या. इन्दौर	विचाराधीन/ उप संचा.इंदौर	वेतनवृद्धि का लाभ न मिलने बाबद।	प्रत्यावर्तन दायर किया गया, 9.11.06	—	
5	1443/07	श्रीमती सरितासिंह पत्नि श्री प्रतापसिंह उप संचालक	मा.उ.न्या. इन्दौर	विचाराधीन/ उप संचा.इंदौर	परिवार पेंशन पर मंहगाई राहत पाने बाबद।	प्रत्यावर्तन दायर किया गया, 21.3.07	—	
6	13792/07	श्री भानूप्रतापसिंह श्रम पदा.	मा. उ.न्या. जबलपुर	विचाराधीन/ सहा.श्रमा. जबलपुर	वेतनवृद्धि रोकने के विरोध में	प्रत्यावर्तन दायर किया गया 2.1.08	—	
7	7232/07	श्री बी.एल.गौतम श्रम पदाधिकारी	मा.उ.न्या. इन्दौर	विचाराधीन	सहायक श्रमायुक्त के पद पर पदोन्नति हेतु	प्रत्यावर्तन दायर किया जाना प्रस्तावित 25.11.07	—	
8	2290/08	श्री तेजसिंह सिसोदिया सहा. वर्ग-2	मा.उ.न्या. इन्दौर	विचाराधीन/ श्रम पदा. मुख्यालय	क्रमोन्नति आदेश निरस्त करने के विरोध में	प्रत्यावर्तन दायर किया गया 28.2.09	—	
9	3849/08	श्री नागेश्वरदास गुप्ता श्रम निरी..	मा.उ.न्या. इन्दौर	विचाराधीन/ श्रम पदा. मुख्यालय	विधि अधिकारी के पद पर अन्य की नियुक्ति के विरोध में	प्रत्यावर्तन दि.19.1. 10 को दायर किया गया	—	
10	8500/08	श्री रामलाल चर्मकार श्रम निरी.	मा. उ.न्या. जबलपुर	विचाराधीन/ सहा.श्रमा. जबलपुर	स्थानान्तर आदेश के विरोध में	प्रत्यावर्तन दायर किया गया 6.11.08	स्थानान्तर पर स्थगन आदेश जारी	
11	1079/09	श्री जितेन्द्र व्यास सहा. संचालक	मा.उ.न्या. इन्दौर	विचाराधीन/ उप श्रमा.इंदौर	वरिष्ठता दी जाने बाबद	2-8-2011	—	
12	2184/09	श्री इन्दरसिंह चौहान, भृत्य	मा.उ.न्या. इन्दौर	विचाराधीन/ उप श्रमा.इंदौर	वेतन निर्धारण के लिए	13-1-2011	—	
13	5426/09	श्री ए.पी.एस.चौहान श्रम निरी.	मा. उ.न्या. ग्वालियर	विचाराधीन/ सहा.श्रमा. ग्वालियर	निलम्बन आदेश के विरोध में।	—	—	
14	1583/10	श्री हरिमोहन सिंह तोमर श्रम निरी.	मा. उ.न्या. ग्वालियर	विचाराधीन/ सहा.श्रमा. ग्वालियर	विभागीय जांच प्रक्रिया रोके जाने बाबद	प्रत्यावर्तन दायर किया गया 9.5.11		

	प्रकरण क.	पक्षकारों के नाम	न्यायालय का नाम	प्रकरण की वर्तमान स्थिति / प्रभारी अधिकारी	प्रकरण का संक्षिप्त विवरण	नियत पेशी में हुई कार्यवाही	आगामी पेशी का दिनांक	कैफियत कोई विशेष बात जो उल्लेख करना हो
15	9693 / 10	श्री इन्देशबाबू कुशवाह सहा. वर्ग-3	मा. उ.न्या. जबलपुर	विचाराधीन / सहा.श्रमा. जबलपुर	पदोन्नति के योग्य न पाये जाने वाले आदेश के विरोध में	प्रत्यावर्तन दायर किया गया 11.02.13		
16	1713 / 11	श्री आनंदराय सरदार, सहायक संचालक	मा. उ.न्या. जबलपुर	विचाराधीन / सहा.श्रमा. जबलपुर	वरिष्ठ एवं पदोन्नति बाबत	प्रत्यावर्तन दायर किया गया 11.02.13		
17	14342 / 11	श्रीमती सुशीला सिंह चंदेल	मा.उ.न्या. जबलपुर	विचाराधीन / सहा.श्रमा. जबलपुर	उप श्रमायुक्त पद पर पदोन्नति बाबत	—		
18	912 / 12	श्री प्रकाशचंद्र गुप्ता, श्रम निरी	मा.उ.न्या. इन्दौर	विचाराधीन / सहा.श्रमा. इन्दौर	पदोन्नति बाबत	प्रत्यावर्तन दायर किया गया 27.06.16		
19	710 / 12	श्री हरिनारायण शर्मा, श्रम निरी.	मा.उ.न्या. इन्दौर	विचाराधीन / सहा.श्रमा. इन्दौर	पदोन्नति बाबत	प्रत्यावर्तन दायर किया गया 27.06.16		
20	4320 / 12	श्री आनंदराय सरदार, सहायक संचालक	मा.उ.न्या. इन्दौर	विचाराधीन / सहा.श्रमा. इन्दौर	गोपनीय प्रतिवेदन में प्रतिकूल टिप्पणी	प्रत्यावर्तन दायर किया गया		
21	3010 / 12	श्री रोहनसिंह यादव, सहायक श्रमायुक्त	मा.उ.न्या. ग्वालियर	विचाराधीन / सहा.श्रमा. ग्वालियर	गोपनीय प्रतिवेदन में श्रेणीकरण	प्रत्यावर्तन दायर किया गया 01.02.14		
22	5359 / 12	श्री देवीलाल बडगुजर एवं अन्य श्रमनिरीक्षक	मा.उ.न्या. इन्दौर	विचाराधीन / सहा.श्रमा. इन्दौर	समयमान वेतनमान निरस्त करने के कारण	प्रत्यावर्तन दायर किया गया		
23	8614 / 12	श्री एस.एस. मण्डलोई, श्रम पदा	मा.उ.न्या. जबलपुर	विचाराधीन / सहा.श्रमा. जबलपुर	पदावनति के विरोध में	प्रत्यावर्तन दायर किया गया 26.04.13		
24	8155 / 12	श्री डी.के. कुडानेकर कार्या. अधीक्षक	मा.उ.न्या. इन्दौर	विचाराधीन / उपसंचालक इन्दौर	पदोन्नति हेतु	प्रत्यावर्तन दायर किया गया 14.07.16		
25	9109 / 12	मो.शेख इब्राहिम शीघ्रलेखक	मा.उ.न्या. इन्दौर	विचाराधीन / उपसंचालक इन्दौर	आरोप पत्र विरुद्ध	प्रत्यावर्तन दायर किया गया 25.09.13		
26	742 / 13	श्री रमेश जोशी सहायक वर्ग-3	मा.उ.न्या. इन्दौर	विचाराधीन / श्रम पदा. देवास	निलंबन से बहाली पर पदस्थापना के विरोध में	प्रत्यावर्तन दायर किया गया 18.04.13		
27	9453 / 13	श्री रोहनसिंह यादव सहायक श्रमायुक्त	मा.उ.न्या. ग्वालियर	विचाराधीन / सहा.श्रमा. भोपाल	श्रम विभागीय आदेश दिनांक 19.06.12 के विरोध में	प्रत्यावर्तन दायर किया गया 01.02.14		
28	2971 / 13	श्री शुभकरणसिंह चौहान, श्रम निरी	मा.उ.न्या. इन्दौर	विचाराधीन / श्रम पदा. झाबुआ	श्रमायुक्त म.प्र. के शास्ति आदेश विरुद्ध	प्रत्यावर्तन दायर किया गया 9.7.13		
29	13935 / 13	श्री भानुप्रतापसिंह श्रम पदाधिकारी	मा.उ.न्या. जबलपुर	विचाराधीन / सश्रमा. जबलपुर	म.प्र.भर्ती नियम (राजपत्रित) में संशोधन विरुद्ध	प्रत्यावर्तन दायर किया गया 24.01.14		

क	प्रकरण क.	पक्षकारों के नाम	न्यायालय का नाम	प्रकरण की वर्तमान स्थिति / प्रभारी अधिकारी	प्रकरण का संक्षिप्त विवरण	नियत पेशी में हुई कार्यवाही	आगामी पेशी का दिनांक	कैफियत कोई विशेष बात जो उल्लेख करना हो
30	3814 / 13	श्री आनंद रायसरदार	मा.उ.न्या. इन्दौर	विचाराधीन / सश्रआ इन्दौर	वरिष्ठता बाबद्	प्रत्यावर्तन दायर किया गया		
31	8613 / 13	श्री कैलाशनारायण कुशवाह	मा.उ.न्या. ग्वालियर 08.01.14	विचाराधीन / उपसंचा. ग्वालियर	सेवा समाप्ति के विरोध में	प्रत्यावर्तन दायर किया गया 19.03.14		
32	256 / 13	श्री राकेश नापित	मा.उ.न्या. जबलपुर	विचाराधीन / श्रम पदा छतरपुर	सेवा समाप्ति के विरोध में	प्रत्यावर्तन दायर किया गया 26.02.14		
33	3317 / 14	श्री भानुप्रतापसिंह श्रम पदा	मा.उ.न्या. जबलपुर 27.03.14	विचाराधीन / सश्रआ जबलपुर		—		
34	1602 / 14	श्री संजय पाटिल	मा.उ.न्या. इन्दौर 05.04.14	विचाराधीन / सश्रआ इन्दौर		प्रत्यावर्तन दायर किया गया 02.02.16		
35	4660 / 14	श्री भानुप्रतापसिंह श्रम पदा	मा.उ.न्या. जबलपुर 17.04.14	विचाराधीन / सश्रआ जबलपुर	पदोन्नति बाबद्	—		
36	1381 / 14	श्री घनश्याम जोशी	मा.उ.न्या. इन्दौर 07.05.14	विचाराधीन / सश्रआ इन्दौर	एरियर की राशि बाबद्	प्रत्यावर्तन दायर किया गया 01.12.15		
37	2329 / 14	श्री एस.आर.यादव	मा.उ.न्या. जबलपुर 07.05.14	विचाराधीन / सश्रआ जबलपुर		—		
38	3781 / 14	श्री एल.पी.पाठक	मा.उ.न्या. इन्दौर 16.05.14	विचाराधीन / सश्रआ इन्दौर	पदोन्नति बाबद् ।	प्रत्यावर्तन दायर किया 23.02.15		
39	2305 / 14	श्री हरीश झा	मा.उ.न्या. इन्दौर 29.05.14	विचाराधीन / सश्रआ इन्दौर	वरिष्ठता बाबद्	प्रत्यावर्तन दायर किया 05.07.16		
40	3455 / 14	श्री मनीष भागवत	मा.उ.न्या. इन्दौर	विचाराधीन / सश्रआ इन्दौर	निलंबन अवधि के वेतन भत्तों बाबद्	प्रत्यावर्तन दायर किया गया 01.09. 14		
41	10773 / 14	डॉ.बासुदेव सरकार	मा.उ.न्या. जबलपुर	विचाराधीन / सश्रआ जबलपुर		—		
42	749 / 14	मो.शेख इब्राहिम	मा.उ.न्या. इन्दौर	विचाराधीन / उपसंचालक इन्दौर		—		
43	7601 / 14	श्री मोतीलाल बनावला	मा.उ.न्या. इन्दौर	विचाराधीन / सश्रआ इन्दौर	पदोन्नति बाबद्	प्रत्यावर्तन दायर किया गया 8.09.16		
44	7327 / 14	श्री शेरसिंह ठाकुर	मा.उ.न्या. इन्दौर	विचाराधीन / सश्रआ उज्जैन	अनुकंपा नियुक्ति बाबद् ।	प्रत्यावर्तन दायर किया गया 4.07.15		
45	10526 / 14	श्री के.के.गुप्ता	मा.उ.न्या. जबलपुर	विचाराधीन / सश्रआजबलपुर				
46	1789 / 15	श्री मोहनसिंह सूर्यवंशी	मा.उ.न्या. इन्दौर	विचाराधीन / सश्रआ इन्दौर	स्थानांतरण आदेश के विरोध में	—		निराकृत दि. 5.8. 15
क	प्रकरण क.	पक्षकारों के नाम	न्यायालय का नाम	प्रकरण की वर्तमान स्थिति / प्रभारी अधिकारी	प्रकरण का संक्षिप्त विवरण	नियत पेशी में हुई कार्यवाही	आगामी पेशी का दिनांक	कैफियत कोई विशेष बात जो उल्लेख करना हो

47	1591 / 15	श्री डी.एल.सूर्यवंशी	मा.उ.न्या. इन्दौर	विचाराधीन / सश्रआ भोपाल	विभागीय जाँच विरुद्ध	प्रत्यावर्तन दायर किया गया		
48	2001 / 15	अर्जुन जमरा	मा.उ.न्या. इन्दौर	विचाराधीन / सश्रआ इन्दौर	पदोन्नति निरस्त करने के विरोध में	प्रत्यावर्तन दायर किया गया 02.02.16		
49	1745 / 15	श्री बी.आर. मण्डलोई	मा.उ.न्या. इन्दौर	विचाराधीन / सश्रआ इन्दौर	विभागीय जाँच विरुद्ध	प्रत्यावर्तन दायर किया गया 08.09.16		
50	1760 / 15	श्री शिवकुमार मिश्रा	मा.उ.न्या. इन्दौर	विचाराधीन / सश्रआ उज्जैन	विभागीय जाँच विरुद्ध	प्रत्यावर्तन दायर किया गया 19.12.16		
51	1845 / 15	श्री आर.सी.बेनवाल	मा.उ.न्या. इन्दौर	विचाराधीन / सश्रआ उज्जैन		—		
52	2873 / 15	श्री मुकेश मिमरोट	मा.उ.न्या. इन्दौर	विचाराधीन / श्री मुकेश जैन, उपसंचा.औस्वासु, इन्दौर	पदोन्नति बाबद्	—		
53	10624 / 15	श्री के.के.गुप्ता	मा.उ.न्या. जबलपुर	विचाराधीन / श्री एस.एस.दीक्षित, सचिव,म.प्र.भ.स. क.क. मण्डल,भोपाल		प्रत्यावर्तन दायर किया गया		
54	4509 / 15	श्री राजेन्द्र मिश्रा	मा.उ.न्या. इन्दौर	विचाराधीन / श्री मुकेश जैन उपसंचा.औस्वासु, इन्दौर	संलग्नीकरण के विरोध में	—		
55	5209 / 15	श्री कन्हैयालाल जैतपुरिया	मा.उ.न्या. इन्दौर	विचाराधीन / श्रम पदाधिकारी रतलाम	वसूली के विरोध में	—		मान.न्या. निर्णय पारित 21. 6.16
55	11034 / 15	कु.शिखा पाण्डेय	मा.उ.न्या. जबलपुर	विचाराधीन / सश्रआ जबलपुर	भर्ती प्रक्रिया के संबंध में	—		
56	6982 / 15	श्री चंद्रशेखर शर्मा	मा.उ.न्या. ग्वालियर	विचाराधीन / सश्रआ ग्वालियर	भर्ती प्रक्रिया के संबंध में	—		
57	16276 / 16	श्री हिमांशु नाग	मा.उ.न्या. जबलपुर	विचाराधीन / सश्रआ सतना	अनुकंपा नियुक्ति बाबद्	प्रत्यावर्तन दायर किया गया 22.10.16		
58	7946 / 15	श्री विवेकानंद अंबेगाँवकर	मा.उ.न्या. जबलपुर	विचाराधीन / सश्रआ भोपाल	वरिष्ठता बाबद्	प्रत्यावर्तन दायर किया गया 06.02.16		
59	21449 / 15	श्री विक्रमसिंह मण्डलोई	मा.उ.न्या. जबलपुर	विचाराधीन / सश्रआ सागर	पदोन्नति बाबद्	—		
60	17818 / 15	श्रीमती संध्यासिंह	मा.उ.न्या. जबलपुर	विचाराधीन / सश्रआ भोपाल		—		मान.न्या. द्वारा दि.29. 09.16 को निर्णय पारित
61	8047 / 16	श्री अरूण कुमार पाण्डेय	मा.उ.न्या. जबलपुर	विचाराधीन / सश्र आ सतना		प्रत्यावर्तन दायर किया गया 15.07. 16		
62	3592 / 16	श्री महेशचंद्र मिश्रा	मा.उ.न्या. इन्दौर	विचाराधीन / सश्रआ उज्जैन		—		
63	17885 / 16	श्री नागेन्द्रसिंह बघेल	म.उ.न्या. जबलपुर	विचाराधीन / सश्रआ जबलपुर	तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ देने बाबद्	—		

2.2 औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा

औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा शाखा संचालक के प्रभार में है। उनके अधीन मुख्यालय में एक संयुक्त संचालक, एक उप संचालक तथा सहायक संचालक के दो पद स्वीकृत हैं। ये सभी तकनीकी पद हैं। इंदौर में औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित हैं। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के अधिकारी अभियांत्रिकी स्नातक होते हैं। इनके निम्नानुसार पद स्वीकृत हैं:—

1. संचालक	01	2. संयुक्त संचालक	03
3. उप संचालक	12	4. सहायक संचालक	25
(टिप्पणी:— वर्तमान में 10 सहा.संचालक कार्यरत है।)			

औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्य के लिए तीन झोनल संयुक्त संचालक (1. भोपाल, 2 इंदौर तथा मुख्यालय इंदौर में) तथा ग्यारह (स्वतंत्र) संभागीय उपसंचालक के कार्यालय निम्नलिखित स्थानों पर स्थापित हैं —

1. इंदौर, 2. उज्जैन, 3. देवास, 4. खण्डवा, 5. भोपाल, 6. जबलपुर, 7. सतना, 8. ग्वालियर, 9. मुख्यालय, इंदौर 10. बीना (जिला सागर), 11. सिंगरौली।

इसके अतिरिक्त औद्योगिक स्वास्थ्य एवं विज्ञान प्रयोगशाला इंदौर में स्थित हैं, जिसके प्रभारी उप संचालक है। मन्दसौर में एक उप क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थापित है, जिसके प्रभारी सहायक संचालक हैं। विस्तृत जानकारी परिशिष्ट 2.2 में देखी जा सकती है।

2.3 कर्मचारी राज्य बीमा (क.रा.बी.) सेवायें

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत बीमित व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें संचालित हैं, जिसका संचालनालय इन्दौर में है तथा संचालक इसके विभागाध्यक्ष है। मुख्यालय में उनके अधीन दो उप संचालक तथा एक सहायक संचालक के पद स्वीकृत हैं। कर्मचारी राज्य बीमा योजना वर्तमान में प्रदेश के 20 केन्द्रों पर संचालित है, जो पाँच क्षेत्रीय उप संचालकों के अन्तर्गत कार्य करते हैं। प्रदेश के 20 जिलों में 20 केन्द्रों पर 42 कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, 3 पैनल क्लिनिक, 5 सामान्य चिकित्सालय (उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल देवास एवं नागदा) 1 क्षय चिकित्सालय (इन्दौर) तथा 1 एनेक्सी वार्ड (मन्दसौर) स्थापित है। कार्यरत क.रा.बी.संस्थाओं की संभाग, जिलें एवं केन्द्र-वार सूची परिशिष्ट-2.3 में दी गई है। प्रदेश में जिन केन्द्रों पर विभाग के चिकित्सालय कार्यरत नहीं है वहाँ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के 16 चिकित्सालयों में 96 सामान्य तथा 46 क्षय, शैय्याओं का आरक्षण कर अंतरंग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

एसिक ऑपरेशन मेन्युअल 2015 द्वारा भुगतान रहित द्वितीयक व सुपरस्पेशलिटी चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। जिसके अन्तर्गत हितग्राहियों के द्वितीयक उपचार एवं जॉच हेतु संचालक, कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएँ द्वारा निजी क्षेत्र के 40 निजी संस्थानों को अनुबंधित किया गया है। सुपरस्पेशलिटी उपचार व जॉच हेतु अनुबंध की कार्रवाई वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम म0प्र0 द्वारा की गई है।

2.4. औद्योगिक न्यायालय

मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 9 के अंतर्गत प्रदेश में औद्योगिक न्यायालय स्थापित है। इसका मुख्यालय इन्दौर में है तथा 4 खंडपीठें क्रमशः जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल एवं रीवा में स्थापित हैं। औद्योगिक न्यायालय में अध्यक्ष के अलावा 6 सदस्य न्यायाधीशों के पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 2 मुख्यालय इन्दौर में, एवं 4 खंडपीठों के लिए हैं। औद्योगिक न्यायालय के अध्यक्ष, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7-क के अंतर्गत औद्योगिक न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में भी नियुक्त हैं।

मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 8, सहपठित औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7 के अंतर्गत प्रदेश में 25 श्रम न्यायालय गठित हैं इनके नाम और कार्यक्षेत्र परिशिष्ट 2.4 में देखे जा सकते हैं जिनमें से 23 श्रम न्यायालय नियमित रूप से कार्यरत हैं। जिन श्रम न्यायालयों में पीठासीन अधिकारी के पद रिक्त हैं, वहां का प्रभार अन्य निकटस्थ श्रम न्यायालय में कार्यरत पीठासीन अधिकारी को अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है। मुख्यालय पर प्रशासकीय व कार्यपालक कार्य के लिए एक पंजीयक है, जो न्यायिक कार्य के लिए कराधान अधिकारी भी है। खंडपीठों में संयुक्त पंजीयक, प्रशासकीय अधिकारी हैं।

2.5. संविधिक मण्डल

श्रम विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में निम्नलिखित पांच संविधिक मण्डल कार्यरत हैं :-

1. मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मण्डल, भोपाल
2. मध्य प्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण मंडल, मंदसौर
3. मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल
4. म.प्र. शहरी असंगठित कर्मकार मण्डल
5. म.प्र. ग्रामीण असंगठित कर्मकार मण्डल

2.5.1. मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मण्डल

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मंडल मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982, के अंतर्गत गठित है। इसका मुख्य उद्देश्य कारखानों तथा दस या इससे अधिक कर्मचारी संख्या वाली वाणिज्यिक स्थापनाओं में नियोजित श्रमिकों तथा उनके परिजनों के कल्याण हेतु कल्याण योजनायें/गतिविधियाँ संचालित करना है। इसके लिये अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत निधि की स्थापना का प्रावधान किया गया है। उक्त निधि में एकत्र राशि से मंडल विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन करता है। मंडल के संचालक मंडल में धारा 4 तथा नियम 5 के अनुसार नियोजकों के 6 प्रतिनिधि, श्रमिकों के 6 प्रतिनिधि तथा 7 स्वतंत्र सदस्य जिनमें कम से कम 1 महिला सदस्य रखे जाने का प्रावधान है। सदस्यों का कार्यकाल धारा 4 की उपधारा 4 के अनुसार 3 वर्ष होगा। वर्तमान में शासन द्वारा माननीय श्रम मंत्री श्री ओमप्रकाश धुर्वे मण्डल के अध्यक्ष हैं।

2.5.2. मध्य प्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण मंडल

मध्य प्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1982, के अंतर्गत मंदसौर जिले में स्लेट पेंसिल उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण के लिये एक निधि की स्थापना की गई है। इसके संचालन के लिये एक मंडल गठित है, जिसका कार्यकाल तीन वर्ष होता है। मंडल में अध्यक्ष तथा सचिव के अलावा नियोजकों एवं कर्मकारों के तीन-तीन प्रतिनिधि तथा तीन स्वतंत्र सदस्य होते हैं। वर्तमान में माननीय श्रम मंत्री श्री ओमप्रकाश धुर्वे मंडल के अध्यक्ष हैं।

2.5.3. मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 की धारा 18 सहपठित म0प्र0 नियम 2002 के नियम 251 के अंतर्गत मण्डल का गठन प्रथम बार राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 09 अप्रैल 2003 द्वारा किया गया था। तदुपरांत मण्डल का कार्यकाल (3 वर्ष) पूर्ण होने पर अधिसूचना द्वारा समय समय पर पुनर्गठन किया गया है। मण्डल में प्रमुख सचिव, श्रम कल्याण आयुक्त, (भारत सरकार) जबलपुर तथा मुख्य निरीक्षक एवं श्रमायुक्त पदेन सदस्य के अलावा मण्डल में राज्य शासन के विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले चार सदस्य, भवन कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्य तथा भवन कर्मकारों के नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। वर्तमान में माननीय श्रम मंत्री श्री ओमप्रकाश धुर्वे मण्डल के माननीय अध्यक्ष हैं।

2.5.4 म.प्र. शहरी/ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों (शहरी/ग्रामीण) के कल्याण हेतु मण्डल का गठन म.प्र. राजपत्र दिनांक 26 सितम्बर 2008 द्वारा किया गया, राज्य शासन द्वारा श्री सुल्तान सिंह शेखावत को म.प्र. शहरी/ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है श्री शेखावत द्वारा दिनांक 25.01.2016 को मंडल अध्यक्ष का पद भार ग्रहण किया है, परन्तु मंडलों की विधिवत कार्यप्रणाली अभी आरंभ नहीं हो पाई है, मंडल का गठन एवं मंडल हेतु स्टाफ तथा मंडल के संचालन के लिये निधि/वजट की व्यवस्था की जाना है। मंडल के सचिव पद पर उप श्रमायुक्त की नियुक्ति की गई है।

2.6. ग्राम सभाओं को सौंपे गए कृत्य

2.6.1 ग्राम स्वराज प्रणाली के अंतर्गत ग्राम-स्तर पर श्रम विभाग से संबंधित कृत्य ग्राम सभा की "ग्राम विकास समिति" नामक स्थायी समिति को सौंपे गए हैं। ये कृत्य मुख्यतः निम्नलिखित से संबंधित हैं:-

1. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,
2. बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम,
3. समान पारिश्रमिक अधिनियम,
4. अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, और इस संबंध में अधिक विवरण अध्याय 5, 6 एवं 8 में दिया गया है।

2.7 कम्प्यूटरीकरण

श्रम विभाग को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से तथा विभागीय गतिविधियों को कम्प्यूटरीकृत करने हेतु 13 वीं पंचवर्षीय योजना में कुल 50.00 लाख का आउट-ले रखा गया है।

श्रम विभाग के समस्त मैदानी कार्यालयों में कम्प्यूटर स्थापित कर स्वान तथा अन्य सुविधाओं के माध्यम से कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई हैं। मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के कार्यों की अधिकता को दृष्टिगत रखते हुए समस्त मैदानी कार्यालयों को मण्डल की ओर से भी एक-एक नवीन कम्प्यूटर, प्रिन्टर, स्कैनर एवं वेब कैमरा उपलब्ध कराया गया है। विभागीय कार्योंकलापों हेतु ऑन लाइन साफ्टवेयर विकसित किया जाकर समस्त पंजीयन, मैदानी कार्यालयों द्वारा संविधिक पत्रकों का सम्प्रेषण, उपकर संग्रहण इत्यादि कार्यों के कम्प्यूटरीकरण की कार्यवाही की जा रही है। श्रम विभाग की निम्नलिखित कार्यप्रणालियों को पूर्ण रूप से ऑन-लाईन किया जा चुका है:-

- (1) म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हिताधिकारियों का पंजीयन, उन्हें प्रदत्त समस्त हितलाभ।
- (2) मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के अंतर्गत दुकान एवं अन्य वाणिज्यिक संस्थानों का पंजीयन, नवीनीकरण एवं संशोधन।
- (3) एम.पी.ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नक्शा अनुमोदन, पंजीयन करने व अनुज्ञप्ति जारी करने संबंधी सुविधाएँ।
- (4) संविदा श्रम अधिनियम के अंतर्गत प्रमुख नियोजक के पंजीयन, ठेकेदारों को अनुज्ञप्ति, नवीनीकरण, संशोधन इत्यादि।
- (5) म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम के अंतर्गत निर्माण स्थापनाओं का पंजीयन।
- (6) मोटर यातायात कर्मकार अधिनियम के अंतर्गत संस्थानों का पंजीयन, नवीनीकरण एवं संशोधन।
- (7) अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम के अंतर्गत ठेकेदारों का लाइसेंस, नवीनीकरण एवं संशोधन।
- 1/48 1/2 रिस्क मानकों के आधार पर श्रम निरीक्षकों का रेण्डम पद्धति से चयन एवं निरीक्षकों को आवंटन ऑन-लाईन किया गया।
- (9) मध्यप्रदेश शासन की ई-मेल नीति के अंतर्गत सभी श्रम कार्यालयों, अधिकारियों, निरीक्षकों, मुख्यालय की समस्त शाखाओं एवं मंडलों को शासकीय डोमेन पर ई-मेल उपलब्ध कराया गया।
- (10) उपरोक्त समस्त सेवाओं के साथ-साथ वी.सी.एस योजना की स्वीकृति कार्यवाही को भी पोर्टल के ईज ऑफ डूइंग बिजिनेस सिंगल विंडो अंतर्गत लाया गया।
- (11) समस्त सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत लोक सेवाओं के रूप में सम्मिलित किया जाकर समय-सीमा में कार्यवाही की जाना सुनिश्चित किया गया।
- (12) पोर्टल में उपलब्ध समस्त सेवाएँ एम.पी. ऑनलाइन के हजारों कियोस्क के माध्यम से निवेशकों एवं श्रमिकों को अत्यंत आसानी से उपलब्ध कराई गया।

उपरोक्त वर्णित समस्त ऑन-लाईन सेवाओं के माध्यम से दिनांक 28.02.2017 तल कुल 11,57,024 आवेदन प्राप्त हुए, जिन में से 10,66,244 का निराकरण पोर्टल द्वारा किया गया।

विभाग के ई-गवर्नेन्स एवं प्रोसेस रि-इंजिनियरिंग के प्रयासों को विभिन्न स्तरों से सराहना एवं पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनकी संक्षेप में जानकारी निम्नवत है :-

- (1) मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2013-14 हेतु एक्सेलेन्स इन ई-गवर्नेन्स इनिशिएटिवज फॉर श्रम सेवा पोर्टल
- (2) स्कॉच आर्डर ऑफ मेरिट फॉर स्मार्ट गवर्नेन्स सिटीजन्स सर्विस डिलीवरी पोर्टल 2015
- (3) स्कॉच आर्डर ऑफ मेरिट फॉर लेबर रिफॉर्मस 2015
- (4) सीएसआइ-निहिलेंट ई-गवर्नेन्स अवार्ड फॉर श्रम सेवा पोर्टल 2014-15
- (5) ईज ऑफ डूइंग बिजिनेस हेतु विश्व बैंक द्वारा भी श्रम विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा की गई पहल को सराहा गया है।
- (6) मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2014-15 हेतु सरकारी प्रक्रिया पुनः अभियांत्रिकी (जी.पी.आर.) में उत्कृष्टता हेतु प्रथम पुरस्कार।
- (7) सीएसआइ-निहिलेंट ई-गवर्नेन्स अवार्ड फॉर श्रम सेवा पोर्टल 2014-15
- (8) भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 हेतु सरकारी प्रक्रिया पुनः अभियांत्रिकी (जी.पी.आर.) में उत्कृष्टता हेतु रजत पुरस्कार।

विभाग के समस्त शासकीय सेवाओं को कार्य करने हेतु कम्प्यूटर उपलब्ध हो, इस हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। मुख्यालय में उपलब्ध समस्त सिस्टम्स को लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट एवं ई-मेल सुविधा प्रदान की गई है। मुख्यालय में स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान) स्थापित किया गया है।

मुख्यालय में कम्प्यूटरीकरण कार्य के लिये पृथक से कोई तकनीकी अमला स्वीकृत नहीं होने से कम्प्यूटरीकरण तथा इसके विकास कार्यों में कठिनाईयाँ हैं, जिन्हें दूर किया जाना आवश्यक है। इस के अतिरिक्त विभाग में उपलब्ध 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर के तकनीकी पदों को शीघ्र भरा जाना होगा। विभागीय कम्प्यूटरीकरण, हार्डवेयर-साफ्टवेयर के रखरखाव एवं ई-गवर्नेन्स पहल हेतु विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तकनीकी सहयोग प्रदान करने की उद्देश्य से मेप-आई.टी. से दोहसलाहकार संविदा के आधार पर श्रम आयुक्त कार्यालय में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, जिन्हें कार्यालय की आई.टी. शाखा के अधीन कार्य करने के लिए निर्देश दिये गये हैं।

श्रम विभाग की समस्त गतिविधियों से संबंधित जानकारी विभागीय वेब पोर्टल <http://labour.mp.gov.in> पर नियमित रूप से अपलोड की जाती है।

2.8 बजट प्रावधान

श्रमायुक्त संगठन, श्रम न्यायपालिका एवं कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें के लिए विगत तीन वर्षों के बजट प्रावधान तथा उनके विरुद्ध व्यय की जानकारी **परिशिष्ट-2.5** में दर्शायी गई है।

* * *

अध्याय-3 औद्योगिक संबंध

3.1. सामान्य

प्रदेश में औद्योगिक संबंधों के नियमन के लिये दो प्रमुख श्रम कानून लागू हैं:— मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 प्रदेश की ऐसी समस्त अनुसूचित औद्योगिक इकाइयों पर लागू है, जहां विगत एक वर्ष में 100 या उससे अधिक श्रमिक कार्यरत रहे हों। अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित उद्योगों की सूची परिशिष्ट-3.1 में दी गई है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, जो केंद्रीय अधिनियम है, प्रदेश की शेष ऐसी इकाइयों पर लागू है, जो मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित उद्योगों की सूची में नहीं हैं अथवा जहां 100 से कम संख्या में श्रमिक नियोजित हैं।

जब कभी किसी उद्योग में हड़ताल, तालाबंदी आदि की संभावना होती है या उसकी स्थिति उत्पन्न होती है तो श्रम विभाग के अधिकारी श्रमिक और नियोक्ता पक्षों से लगातार चर्चा कर समस्या का सौहार्द्रपूर्ण विधि अनुकूल हल निकालने और औद्योगिक शांति बनाए रखने का प्रयास करते हैं।

3.2. औद्योगिक विवाद की स्थिति में सुलह कार्रवाई

मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960, में श्रमिकों के प्रतिनिधि के रूप में उद्योग में किसी एक बहुसंख्य श्रमिक सदस्यता वाले श्रमिक संघ को, शासन द्वारा नियुक्त पंजीयक, प्रतिनिधि संघ, के द्वारा मान्यता दिये जाने का प्रावधान है। इस प्रावधान के कारण उद्योगों में विभिन्न पंजीयत श्रमिक संघों में प्रजातांत्रिक प्रतियोगिता रहती है। उक्त अधिनियम में श्रमिकों के प्रतिनिधि के रूप में, वरीयता क्रम में मान्यता प्राप्त यूनियन, पंजीयत यूनियन और इन दोनों की अनुपस्थिति में श्रम पदाधिकारी को श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने, “परिवर्तन” की सूचना देने तथा विवाद की सूचना देने का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम में सुलह कार्रवाई को अनिवार्य बनाया गया है ताकि यथासंभव हड़ताल या आंदोलन की स्थिति निर्मित न हो।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, में सभी श्रमिक संघों को समान रूप से अधिकार प्राप्त होता है। वे अपने सदस्य श्रमिकों के लिये मांगें प्रस्तुत करते हैं, जिन पर श्रम विभाग द्वारा मध्यस्थता कर सुलह के प्रयास किये जाते हैं।

श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा औद्योगिक विवादों में त्वरित हस्तक्षेप कर जहां औद्योगिक अशांति का वातावरण दूर कर उत्पादन वृद्धि में अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान किया जाता है, वहीं दूसरी ओर श्रमिक प्रतिनिधियों तथा प्रबंधन के मध्य समझौतों के माध्यम से श्रमिकों के कल्याण संबंधी विभिन्न मुद्दों पर सहमति कराकर उसका क्रियान्वयन कराया जाता है।

उक्त दोनों अधिनियमों में विवादों के निराकरण की सिलसिले-वार ऐसी व्यवस्था की गई है जिसमें समझौता न हो सकने की स्थिति में भी हड़ताल टाली जा सके और औद्योगिक विवाद पर श्रम/औद्योगिक न्यायालय का अधिनिर्णय प्राप्त किया जा सके।

3.3. ले-ऑफ, छंटनी और बंदीकरण हेतु अनुमति

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, का अध्याय 5—ख विशेष रूप से ले-ऑफ, छंटनी और बंदीकरण के बारे में उन संस्थानों के लिये प्रावधान करता है जहां विगत एक वर्ष में प्रति कार्य दिवस, औसतन, 300 या उससे अधिक श्रमिक कार्यरत रहे हों। इस अध्याय के अंतर्गत नियोक्ता को ले-ऑफ, छंटनी अथवा बंदीकरण करने के पूर्व सक्षम

प्राधिकारी को अनुमति हेतु आवेदन देना आवश्यक है। अनुमति के बिना ले-ऑफ, छंटनी अथवा बंदीकरण नहीं किया जा सकता। राज्य शासन ने ले-ऑफ एवं छंटनी के संबंध में अनुमति देने के अधिकार श्रमायुक्त को प्रत्यायोजित किये हैं, जबकि बंदीकरण हेतु अनुमति देने का अधिकार स्वयं शासन में वेष्टित है। बंदीकरण, छंटनी एवं ले-ऑफ की अनुमति के आवेदनों का निराकरण संबंधित पक्षों को सुनने के बाद गुण-दोषों पर किया जाता है। अध्याय 5-ख के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बिना अनुमति के किया गया ले-ऑफ, छंटनी एवं बंदीकरण दण्डनीय अपराध है, जिसके लिये अभियोजन की स्वीकृति दी जा सकती है।

3.4 मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का कार्यान्वयन

औद्योगिक विवाद उद्भूत होने की दशा में सुलह अधिकारी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10(1) के अंतर्गत औद्योगिक विवाद हस्तगत कर सुलह की कार्रवाई करते हैं। इसके असफल होने पर विवाद को श्रम न्यायालय को संदर्भित किया जाता है। प्रदेश में विगत वर्षों में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत प्रस्तुत विवादों पर की गई कार्रवाई की जानकारी परिशिष्ट-3.2 में दी गई है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का संज्ञान सक्षम न्यायालय द्वारा समुचित शासन द्वारा प्रस्तुत शिकायत अथवा प्राधिकृत शिकायत पर ही लिया जा सकता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत स्वीकृत अभियोजन की जानकारी परिशिष्ट 3.3 में दी गई है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33 सी(1) के अंतर्गत जहाँ किसी समझौते या अधिनिर्णय के अधीन या (अध्याय 5 क या अध्याय 5 ख) के उपबंधों के अधीन किसी कर्मकार को नियोजक से कोई धन शोध्य हो, वहाँ स्वयं वह कर्मकार या उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति या कर्मकार की मृत्यु हो जाने की दशा में उसका कोई वारिस, उस धन की वसूली के लिये सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है। यदि सक्षम प्राधिकारी उचित समझे तो वह उस रकम की भू-राजस्व की बकाया की तरह वसूली के लिये कलेक्टर को वसूली प्रमाण पत्र जारी करता है। उक्त धारा के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर जारी वसूली प्रमाण पत्र तथा उनमें निहित वसूली योग्य राशि की जानकारी परिशिष्ट 3.4 में दी गई है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 एम, 25 एन तथा 25 ओ के अंतर्गत क्रमशः ले-ऑफ, छंटनी तथा बंदीकरण की अनुमति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर की गई कार्रवाई की जानकारी परिशिष्ट 3.5 में दी गई है।

मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 31 के अंतर्गत कोई भी नियोजक, अथवा कर्मचारियों का कोई भी प्रतिनिधि किसी औद्योगिक विषय में परिवर्तन के संबंध में कोई सूचना/विवाद सुलह अधिकारी को दे सकता है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर क्षेत्रीय सुलह अधिकारी विवाद को हस्तगत कर सुलह की कार्रवाई सम्पादित करता है। सुलह न होने की स्थिति में विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 43 (5) में असफल घोषित कर विवाद को सम्बन्धित श्रम न्यायालय को संदर्भित करने हेतु मुख्य सुलहकार को प्रेषित किया जाता है। अधिनियम की धारा 51 में श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय या बोर्ड को संदर्भित करने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाता है। मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत विवादों पर की गई कार्रवाई की जानकारी परिशिष्ट-3.6 में दर्शाई गयी है।

श्रम विभाग प्रयास करता है कि औद्योगिक स्थापनाओं में हड़तालें तथा उनके कारण होने वाली मानव दिवसों की हानि कम से कम हों। प्रदेश में औद्योगिक स्थापनाओं में विगत वर्षों में हड़ताल के परिणाम के फलस्वरूप मानव दिनों की हानि संबंधी जानकारी तालिका क्रमांक 3.1 में दर्शाई गई है:-

तालिका 3.1

वर्ष	हड़तालों संख्या	मानव दिनों की हानि
2015-16 मार्च	14	53351
अप्रैल 2016 से दिसंबर 16 तक	11	50145

3.5. मध्य प्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आज्ञायें) अधिनियम, 1961 का कार्यान्वयन

यह अधिनियम पूर्व में ऐसे औद्योगिक संस्थानों तथा उपक्रमों पर लागू होता था जहां 20 से अधिक श्रमिक नियोजित हों। मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन(स्थाई आदेश) संशोधन अध्यादेश, 2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 25 अक्टूबर 2014) के अन्तर्गत श्रमिक संख्या " 20 से अधिक" के स्थान पर " 50 से अधिक" संशोधित कर दी गयी है तथा सूक्ष्म उद्योगों को इस अधिनियम से मुक्त किया गया है। इस अधिनियम के तहत बने नियमों में " मानक स्थाई आज्ञाओं" का प्रावधान किया गया है। इनमें श्रमिकों का नियुक्ति पत्र, सेवा शर्तें, चयन की प्रक्रिया, कार्य के घन्टे, वर्गीकरण (जैसे स्थाई, अस्थाई, बदली, सीजनल) इत्यादि के बारे में प्रावधान किये गये हैं। इसके अलावा स्थाई आज्ञाओं के अन्तर्गत श्रमिक को टिकिट, जिसमें उसकी पाली का प्रारंभ होना तथा व्यक्तिगत विवरण अंकित रहता है, प्रदत्त किये जाने तथा अस्थायी श्रमिक को स्थाई होने की पात्रता तथा श्रमिक/कर्मचारी द्वारा अनुशासनहीनता किये जाने पर आरोप पत्र देने, विभागीय जांच करने तथा दण्ड दिये जाने संबंधी प्रावधान भी हैं।

अध्यादेश 2014 में यह भी प्रावधान जोड़ा गया है कि यदि सरकार मानक स्थाई आदेशों में कोई संशोधन करती है तो वह किसी पंचाट, करार या समझौते में और किसी उपक्रम में लागू स्थाई आदेशों के प्रमाणित संशोधनों में सम्मिलित समझा जायेगा एवं उल्लंघनों के प्रशमन का प्रावधान किया गया है। इसके परिणामस्वरूप श्रमविभागीय अधिसूचना दिनांक 28.6.2014 द्वारा मानक स्थाई आज्ञाओं में सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष किये जाने बाबद संशोधन सभी पर लागू होगा। इसके अंतर्गत निरीक्षण के अधिकार सहायक श्रम पदाधिकारी तथा उससे वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को ही दिये गये हैं, निरीक्षकों को नहीं। इस अधिनियम के अंतर्गत वर्ष में संपादित निरीक्षण/अभियोजन की जानकारी **परिशिष्ट-3.7** में दर्शाई गई है।

अधिनियम में यह प्रावधान भी है कि यदि कोई उद्योग-विशेष, मानक स्थायी आज्ञाओं में कुछ संशोधन करना चाहता है तो वह अपना आवेदन प्रमाणीकरण अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। प्रमाणीकरण अधिकारी, श्रम संगठन एवं नियोजक की सुनवाई करके, अधिनियम की परिधि में, संशोधन किये जाने के आदेश प्रसारित करता है। आदेश से व्यथित पक्ष औद्योगिक न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर सकता है। औद्योगिक स्थापनाओं से स्थाई आदेशों और उनमें संशोधनों के प्रमाणीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर की गई कार्रवाई की जानकारी **परिशिष्ट-3.8** में दर्शाई गई है।

3.6 व्यावसायिक संघ अधिनियम, 1926 का कार्यान्वयन

व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 मुख्यतः श्रमिक संगठनों के पंजीयन के लिये निर्मित केन्द्रीय अधिनियम है। इस अधिनियम के अनुसार किसी संस्थान अथवा व्यवसाय में

कार्यरत न्यूनतम 07 श्रमिक अपना संगठन पंजीकृत कराने की पात्रता रखते थे, परन्तु केन्द्र सरकार की अधिसूचना दिनांक 09 जनवरी, 2002 द्वारा उक्त अधिनियम में किये गये संशोधन के अनुसार किसी संघ के पंजीयन के लिए आवेदन के दिनांक को, ऐसे संघ की सदस्यता, उस संस्थान अथवा व्यवसाय में कार्यरत कुल श्रमिकों के 10 प्रतिशत अथवा 100 श्रमिक, जो भी कम हो होना अनिवार्य है, किन्तु 70 अथवा इससे कम नियोजन पर न्यूनतम सदस्यता 07 आवश्यक है। पंजीयन का कार्य पंजीयक, व्यावसायिक संघ द्वारा किया जाता है। इसके लिये संगठन को अपने नियम (विधान), रसीद बुक, चंदे की दर तथा अपने प्रतिनिधित्व को स्पष्ट करना आवश्यक होता है। पंजीयक गुण-दोष के आधार पर संगठन का पंजीयन करते हैं अथवा आवेदन निरस्त करते हैं। आवेदन निरस्त करने पर व्यथित श्रमिक संघ, औद्योगिक न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर सकता है। पंजीयक व्यावसायिक संघ को व्यावसायिक संघ अधिनियम द्वारा पंजीयक के रूप में कार्य करने तथा जांच करने के लिये प्रथम श्रेणी न्यायाधीश के अधिकार प्रदत्त हैं। यह अधिनियम संगठन के अधिकारों के अलावा उसके दायित्वों को भी निर्धारित करता है। यथा अपना लेखा-जोखा तथा वार्षिक विवरण नियमित रूप से पंजीयक से अनुमोदित कराना इत्यादि। इसका पालन न करने की दशा में संगठन को कारण बताओ सूचना दी जाती है, और समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में पंजीयन निरस्त किया जा सकता है।

2— ऐसे श्रम संगठनों जिनके द्वारा निर्वाचन एवं वार्षिक विवरण प्रस्तुत नहीं किये जाते उन्हें सुनवाई का अवसर देकर उनके पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जाती है। इसके फलस्वरूप ऐसे त्रुटिकर्ता श्रम संगठनों की संख्या अब कम होती जा रही है। 31 दिसम्बर 2016 की स्थिति में प्रदेश में 2980 पंजीकृत श्रम संगठन हैं। विगत दो वर्ष में पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदन, उनका निराकरण तथा पंजीयन निरस्तीकरण की जानकारी परिशिष्ट-3.9 में प्रदर्शित है। अनेक पंजीकृत श्रम संगठन इण्टक, भारतीय मजदूर संघ, हिन्द मजदूर सभा, एटक, सीटू, एच.एम.के.पी. तथा यू.टी.यू.सी. जैसे केन्द्रीय श्रम संगठनों से संबद्ध हैं, परन्तु लगभग 60 प्रतिशत श्रमिक संगठन किसी भी केन्द्रीय श्रम संगठन से संबद्ध नहीं हैं।

3— व्यावसायिक संघ अधिनियम, 1926 (यथा मध्यप्रदेश के लिये संशोधित) के अध्याय तीन-क में 15 प्रतिशत से अधिक सदस्यता वाले संघ को "अनुमोदित संघ" घोषित करने का अधिकार पंजीयक को है। अनुमोदित संघ, परिसर में चंदा एकत्रित करने, संगठन का नोटिस बोर्ड लगाने एवं कारखाना परिसर में चर्चा करने के लिये अधिकृत रहता है। अनुमोदित श्रम संगठनों की प्रदेश में संख्या 23 है।

4— व्यावसायिक संघ अधिनियम के उक्त प्रावधानों के अलावा मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीयक, प्रतिनिधि संघ किसी भी उद्योग में 25 प्रतिशत से अधिक सदस्यता वाले संघ को "मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि संघ" घोषित कर सकता है। यदि दो या इससे अधिक श्रम संगठनों की 25 प्रतिशत से अधिक सदस्य संख्या हो, तो अधिकतम सदस्य संख्या के आधार पर प्रतिनिधि संघ के रूप में मान्यता दी जाती है। पूर्व में प्रदेश में 62 प्रतिनिधि संघ के रूप में मान्यता प्राप्त व्यावसायिक संघ थे। राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 14.08.2007 द्वारा टेक्सटाइल, आयरन एण्ड स्टील, विद्युत सामग्री, शुगर, सीमेन्ट, विद्युत उत्पादन एवं वितरण, लोक मोटर परिवहन, इंजीनियरिंग उद्योग, पाटरीज, रसायन तथा चमड़ा उद्योग सम्मिलित हैं, को मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 1(3) के अन्तर्गत सूची से पृथक किया गया है। फलस्वरूप अब प्रदेश में प्रतिनिधि संघ के रूप में मान्यता प्राप्त 17 व्यावसायिक संघ हैं। मान्यता प्राप्त संघ, मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, के अन्तर्गत नियोजक से

औद्योगिक विवाद पर परिवर्तन सूचना तथा विवाद प्रतिवेदन प्रस्तुत कर वार्ता के माध्यम से समझौता करने हेतु एकमात्र अधिकृत संघ होता है। इससे बहुसंख्यक श्रम संगठनों की परस्पर प्रतिस्पर्धा के कारण औद्योगिक विवाद की स्थिति निर्मित नहीं होती है तथा स्थाई औद्योगिक शान्ति को बढ़ावा मिलता है।

पंजीयक, प्रतिनिधि संघ, मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पक्षों के बीच द्विपक्षीय ठहराव एवं त्रिपक्षीय समझौतों का विधि अनुसार परीक्षण कर पंजीयन भी करता है। पंजीयक द्वारा पंजीयन न करने के आदेश दिये जाने पर व्यथित पक्ष औद्योगिक न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर सकता है। विगत दो वर्षों में पंजीकृत ठहराव एवं समझौतों की जानकारी परिशिष्ट-3.10 में प्रदर्शित है।

वर्ष 2015-16 में श्रम विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

3.7 मध्यप्रदेश राज्य श्रम कानूनों में सुधार और 'ईज ऑफ़ डुईंग बिजनेस'

मध्यप्रदेश राज्य श्रम कानूनों में सुधार और 'ईज ऑफ़ डुईंग बिजनेस' कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रक्रियाओं के सरलीकरण तथा पारदर्शी कार्यप्रणाली को अपनाते हुये स्वच्छ प्रशासन देने के लिये अनेक कदम उठाये गये हैं जिनके कारण राज्य इस क्षेत्र में देश के पाँच अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। श्रम विभाग द्वारा उठाये गये प्रमुख कदमों की जानकारी यहाँ दी जा रही है—

1. राज्य के श्रम कानूनों में संशोधन— राज्य के निम्न तीन श्रम कानूनों में संशोधन म.प्र. राज्यपत्र 30 दिसम्बर 2014 में प्रकाशित होकर प्रभावशील हो गये हैं। इनके मुख्य प्रावधान निम्नानुसार हैं—
 1. (1 म.प्र. औद्योगिक नियोजन) स्थाई आदेश (अधिनियम के अंतर्गत श्रमिकों की सेवानिवृत्ति आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष की गई।
 2. प्रभावशीलता 20 के स्थान पर 50 श्रमिक तथा सभी माइक्रो इण्डस्ट्रीज को छूट।
 3. उल्लंघन के प्रकरण न्यायालय ले जाने के स्थान पर कार्यालय में समझौता शुल्क देकर निराकृत।
2. (1) मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन संबंधी आवेदन को 30 दिन में स्वीकृत नहीं करने पर डीमड पंजीयन।
 - (2) ऐसी स्थापना में जहाँ 10 से कम श्रमिक हो किसी भी श्रम अधिनियम में निरीक्षण श्रम आयुक्त, की पूर्व अनुमति के बगैर संभव नहीं।
 - (3) पंजी एवं अभिलेख कम्प्यूटर या डिजिटल फॉर्मेट में रखने की अनुमति।
 - (4) उल्लंघन के प्रकरण न्यायालय ले जाने के स्थान पर कार्यालय में समझौता शुल्क देकर निराकृत।
3. (1) मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम से सभी माइक्रो इण्डस्ट्रीज को छूट।
 - (2) पंजी एवं अभिलेख कम्प्यूटर या डिजिटल फॉर्मेट में रखने की अनुमति।
 इससे प्रक्रिया या सरल एवं पारदर्शी होगी तथा समय-सीमा में आवेदन निराकृत होंगे।

2. केन्द्रीय श्रम कानूनों में संशोधन—

मध्यप्रदेश राज्य में केन्द्रीय श्रम कानूनों के प्रावधानों में उदारीकरण एवं प्रक्रियाओं के सरलीकरण हेतु मध्यप्रदेश श्रम कानून संशोधन एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 2015 दिनांक 27.11.2015 मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ ही लागू हो चुका है। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नानुसार हैं—

- (1) कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत श्रमिकों के अधिसमय कार्य के घंटों को श्रमिकों की सहमति से किसी तिमाही में 75 से बढ़ाकर 125 किया जाना।
- (2) रात्रि पाली में महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए रात्रि 8.00 बजे से सुबह 6.00 बजे तक कार्य की अनुमति दी जाना।
- (3) श्रमिकों को गत वर्ष 240 दिन कार्य करने के प्रावधान के स्थान पर 180 दिन कार्य करने पर उसी कैलेंडर वर्ष में सवैतनिक अवकाश की सुविधा का प्रावधान किया जाना।
- (4) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत किसी संस्थान में ले-ऑफ, छटनी या बंदीकरण हेतु पूर्व अनुमति की आवश्यकता 100 या अधिक श्रमिक वाले संस्थानों के स्थान पर 300 या अधिक श्रमिक वाले संस्थानों हेतु आवश्यक होगी।

- (5) संस्थान के बंदीकरण अथवा छटनी की स्थिति में श्रमिकों को न्यूनतम 3 माह की सूचना एवं न्यूनतम 3 माह के मुआवजे का प्रावधान।
- (6) श्रम न्यायालय और औद्योगिक न्यायाधिकरण में प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों में निर्धारित 3 वर्ष की समय-सीमा को संराधन अधिकारी हेतु भी लागू किया गया है।
- (7) **4 श्रम अधिनियमों**— भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवाशर्तों का विनियमन अधिनियम, 1996, संविदा श्रम विनियमन एवं समाप्ति अधिनियम 1970, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961, अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार नियोजन का विनियमन एवं सेवा की शर्तें (अधिनियम 1979 के अंतर्गत पंजीयन अथवा लायसेंस 30 दिवस में जारी न होने पर डीम्ड) स्वतः पंजीयन/लायसेंस का प्रावधान।
- (8) **भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996** के अंतर्गत भवन एवं अन्य संनिर्माण की लागत में कारखाना निर्माण की स्थिति में प्लांट एवं मशीनरी की लागत को सम्मिलित नहीं किया जाना।
- (9) उपकर निर्धारण ओदश के विरुद्ध अपील की स्वीकार्यता— सम्पूर्ण राशि जमा करने के स्थान पर अविवादित राशि का 100 प्रतिशत एवं विवादित राशि का राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्रतिशत जमा करने पर अपील सुनवाई योग्य होगी।
- (10) **5 श्रम कानूनों यथा (प) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (पप) श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनाओं को छूट) अधिनियम, 1988, (पपप) न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948, (पअ) वेतन भुगतान अधिनियम, 1936, (अ) विक्रय संवर्धन कर्मचारी सेवा की शर्तें अधिनियम 1976 में जहाँ अर्थदण्ड तथा/या 3 माह तक की सजा के प्रावधान हैं— में अपराधों में समझौता शुल्क लिया जाकर प्रशमन किया जावेगा।**
- (11) **विभिन्न 13 श्रम अधिनियमों में प्रावधानित अनेक पंजियों एवं प्रपत्रों के स्थान पर सरल एकीकृत पंजी एवं इकजाई विवरणी का प्रावधान किया जाना एवं पंजी एवं अभिलेख कम्प्यूटर या डिजीटल फॉर्मेट में रखने की अनुमति—**
- (प) संविदा श्रम विनियमन एवं समाप्ति अधिनियम, 1970 (1970 का क्रमांक 37)
- (पप) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का क्रमांक 25)
- (पपप) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का क्रमांक 63)
- (पअ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का क्रमांक 14)
- (अ) अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार नियोजन का विनियमन एवं सेवा की शर्तें अधिनियम 1979 (1979 का क्रमांक 30)
- (अप) श्रम विधि विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय संस्थापनाओं को छूट अधिनियम, 1988 (1988 का क्रमांक 51)
- (अपप) मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961 (1961 का क्रमांक 53)
- (अपपप) न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (1948 का क्रमांक 11)
- (पग) मोटर परिवहन कर्मवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 (1961 का क्रमांक 27)
- (ग) बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 (1965 का क्रमांक 21)
- (गप) उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 (1972 का क्रमांक 39)
- (गपप) वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 (1936 का क्रमांक 4)
- (गपपप) विक्रम संवर्धन कर्मचारी सेवा की शर्तें (1976 का क्रमांक 11)

3. वॉलेटरी कम्पलायंस स्कीम—

यह योजना दिनांक 07 अक्टूबर, 2014 से मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होकर राज्य में लागू हो चुकी है। इसके मुख्य प्रावधान निम्नानुसार हैं—

- (1) सभी कारखानों खतरनाक को छोड़कर दुकानों एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं पर लागू।
- (2) 13 केन्द्रीय एवं 3 राज्य के श्रम अधिनियम शामिल।
- (3) 16 अधिनियमों में 61 रजिस्टर के स्थान पर 1 रजिस्टर रखने तथा 13 रिटर्न दाखिल करने के स्थान पर मात्र 2 रिटर्न।
- (4) 5 वर्षों में संस्थान का अधिकतम 1 बार निरीक्षण का प्रावधान।
- (5) आवेदन ऑन एवं ऑफ लाइन तथा इंट्री और एकजिट स्वेच्छिक।
- (6) कोई शुल्क नहीं मात्र सिक्क्यूरिटी डिपॉजिट— श्रमिक संख्या के आधार पर रुपये 5 हजार से 50 हजार जो रिफण्डेबल।

4. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत श्रम विभागीय श्रम विभागीय पोर्टल पर सिंगल विन्डों में कारखाना अधिनियम, मध्यप्रदेश दुकान स्थापना अधिनियम, ठेका श्रम अधिनियम, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम, मोटर यातायात कर्मकार अधिनियम में पंजीयन/अनुज्ञप्ति और वी-सी-एस योजना की स्वीकृति कार्यवाही को पूर्णतः लाईन कर दिया गया है।

इसके अलावा उक्त कुल 19 सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवाओं के रूप में भी सम्मिलित किया जाकर समय-सीमा में कार्यवाही की जाना सुनिश्चित किया गया है।

कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत नक्शा अनुमोदन, पंजीयन करने व अनुज्ञप्ति जारी करने मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम में पंजीयन और वीसीएस योजना एम. पी0 ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी ऑन लाइन उपलब्ध है।

* * *

अध्याय-4
औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा 2016-17

4.1 सामान्य

कारखाना अधिनियम, प्रथमतः वर्ष 1881 में प्रभावशील हुआ था। इसके पूर्व सामाजिक कार्यकर्तागण कारखानों का भ्रमण करते थे और मानवीय दृष्टि से कारखाना प्रबंधन को सलाह दिया करते थे। अधिनियम को प्रभावशील करने का उद्देश्य कारखानों में स्वास्थ्य, सुरक्षा व कल्याण संबंधी व्यवस्था को सृष्टि बनाना था। इस अधिनियम के अंतर्गत पूर्व में अत्यंत सीमित अधिकारों के साथ निरीक्षण किये जाते थे। समय के साथ-साथ अधिनियम में संशोधन होते गये और अधिक विस्तृत और सुस्पष्ट प्रावधान किये गये। निरीक्षक को भी अधिक अधिकार संपन्न बनाया गया। वर्तमान में कारखाना अधिनियम, 1948, लागू है, जो 1.4.49 से प्रभावशील हुआ। दिसम्बर, 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के पश्चात इसमें व्यापक संशोधन किये गये।

श्रमायुक्त के अंतर्गत कार्यरत औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संचालनालय द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948, के अतिरिक्त कारखानों में कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923, मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936, मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961, परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भंडारण एवं आयात नियम, 1989, तथा रासायनिक दुर्घटनायें (आपात योजना, तैयारी और अनुक्रिया) नियम, 1996, के अंतर्गत निर्धारित उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया जाता है।

कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई मुख्यतः आयुक्त, कर्मकार क्षतिपूर्ति, अर्थात् श्रम न्यायालय द्वारा की जाती है। संचालनालय के अधिकारी, सलाहकार के रूप में उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं।

4.2. कारखाना अधिनियम, 1948

कारखाना अधिनियम, 1948 निम्नलिखित प्रकार के परिसरों पर लागू होता है:—

(1) जिसमें दस या अधिक श्रमिक कार्यरत हों या पूर्ववर्ती बारह माह के किसी भी दिन कार्यरत रहे हों और जिसके किसी भाग में शक्ति की सहायता से कोई निर्माण (उत्पादन) प्रक्रिया चलाई जा रही हो, या साधारणतः चलाई जाती हो

अथवा

(2) जिसमें बीस या अधिक श्रमिक कार्यरत हों, या पूर्ववर्ती बारह माह के किसी भी दिन कार्यरत रहे हों और जिसके किसी भाग में शक्ति की सहायता के बिना कोई निर्माण प्रक्रिया चलाई जा रही हो या साधारणतः चलाई जाती हो।

इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 85 के अंतर्गत राज्य शासन ने निम्नलिखित प्रकार के परिसरों पर भी यह अधिनियम प्रभावशील किया है, जहां श्रमिकों के दुर्घटनाग्रस्त होने या व्यवसायजन्य बीमारी से पीड़ित होने की संभावना रहती है—

- (1) आरा मशीन
- (2) चावल मिल
- (3) तेल मिल
- (4) स्लेट पेन्सिल उद्योग

- (5) दाल मिल
- (6) रासायनिक प्रक्रिया के ऐसे कारखाने जहाँ खतरनाक रसायन, अति ज्वलनशील, विस्फोटक या विषैले पदार्थ उपयोग में लाये जाते हों अथवा उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जनित होते हों
- (7) एस्बेस्टास उपयोग करने वाले कारखाने
- (8) चूना भट्टे
- (9) स्टोन क्रशर एवं पल्वराइजर

कारखाना अधिनियम, 1948, के स्वास्थ्य, सुरक्षा व कल्याण से संबंधित प्रावधान उपर्युक्त परिसरों में लागू होते हैं। वर्ष 1987 के पूर्व, खतरनाक प्रक्रिया चलाने वाले कारखानों के लिये अधिनियम की धारा-87 के अंतर्गत नियम-107 में भिन्न-भिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के लिये विशेष प्रावधान थे, जो वर्तमान में भी हैं। वर्ष 1987 के पश्चात् अधिनियम में धारा-2 (सी.बी.) जोड़कर अनुसूची-1 का प्रावधान किया गया, जो खतरनाक प्रक्रियाओं से संबंधित है। इन प्रक्रियाओं को चलाने वाले कारखानों के लिये अधिनियम में एक नया अध्याय “चार-ए” जोड़ा गया, जिसमें स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से विशेष प्रावधान किये गये। इसमें जहाँ एक ओर श्रमिकों के स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान हैं, वहीं दूसरी ओर ऑन साइट आपात योजना बनाये जाने का प्रावधान भी किया गया है। दंडात्मक प्रावधानों को भी अधिक कठोर बनाया गया है। अधिनियम की धारा 92, 94, 95, 96-ए, 98, एवं 99 में विभिन्न अपराधों के लिये दंडात्मक प्रावधान किये गये हैं।

4.2.2 कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 112 के साथ पठित धारा 41-ख के अन्तर्गत सितम्बर-2000, में मध्य प्रदेश कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल मेजर एक्सीडेंट हेजार्ड नियम (CIMAH) अधिसूचित किये गये। ये नियम “परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भण्डारण और आयात नियम, 1989” के समरूप है जो केन्द्र सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, के अन्तर्गत बनाये है। (देखे आगे पद 4.4.1)

4.2.3 वर्ष 2005-06 में कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत नवीन अनुज्ञप्ति जारी करने के अधिकार मुख्य कारखाना निरीक्षक को थे तथा 100 श्रमिकों तक के कारखानों के लायसेन्स का नवीनीकरण के अधिकार उप मुख्य कारखाना निरीक्षक को प्रदत्त थे। शासन द्वारा लायसेन्स नवीनीकरण के अधिकारों का विकेन्द्रीकरण कर लायसेन्स नवीनीकरण कार्य झोनल/संभागीय/उप संभागीय स्तर के कार्यालयों को प्रदत्त किया गया है। इसके अन्तर्गत निम्नानुसार अधिकारों का विकेन्द्रीकरण कर नवीनीकरण कार्य के अधिकार प्रत्यायोजित किये गए हैं :-

1. संचालक — धारा-2 एम के अंतर्गत 250 श्रमिकों से अधिक नियोजन वाले एवं अतिखतरनाक कारखानों के लायसेन्स नवीनीकरण के अधिकार
2. संयुक्त संचालक — धारा 2 एम के अन्तर्गत 101 श्रमिकों से 250 श्रमिकों तक नियोजन वाले कारखानों के लायसेन्स नवीनीकरण के अधिकार

3. उप संचालक – धारा 2 एम के अन्तर्गत 100 श्रमिकों तक नियोजन वाले कारखानों के लायसेन्स नवीनीकरण के अधिकार।
4. सहायक संचालक – धारा 85 के अन्तर्गत संगठित होने वाले 9 श्रमिकों तक नियोजन वाले कारखानों के लायसेन्स नवीनीकरण के अधिकार।
5. जहाँ पर सहायक संचालक पदस्थ नहीं है, वहाँ धारा-85 के अन्तर्गत लायसेंस न नवीनीकरण उप संचालक भी जारी कर सकते हैं।
6. नवीन पंजीयन तथा अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण का कार्य दिनांक 23.07.15 से ऑन लाइन प्रारंभ कर दिया गया है।
7. कारखाना लायसेंस नवीनीकरण का कार्य दिनांक 22.10.15 से ऑन लाइन प्रारंभ कर दिया गया है।

इस प्रकार लगभग 95 प्रतिशत लायसेन्स प्रकरणों से संबंधित कार्य झोनल/संभागीय कार्यालयों द्वारा किया जाने लगा है जिससे कि कारखाना प्रबन्धन को अपने घर/कार्यालय या एम.पी. आन लाइन कियोस्को से ही आवेदन करना होगा वही दूसरी ओर नवीनीकरण कार्य विभिन्न कार्यालयों द्वारा एवं आन लाइन किये जाने से प्रकरणों का निराकरण भी त्वरित गति से होने लगा है।

4.2.4 प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से लागू “एकल एजेंसी प्रणाली” की अवधारणा के तहत, श्रम विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.1.2001 द्वारा उद्योग विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को कारखाना अधिनियम की धारा 6 (1) (dd) के तहत कारखानों के स्थल अनुमोदन की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं :-

1. औद्योगिक केंद्र विकास निगमों के प्रबंध संचालक
2. जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्रों के महाप्रबंधक

4.2.5 प्रदेश में गत चार वर्षों में नवीन पंजीकृत कारखानों की जानकारी निम्नानुसार है :-

वर्ष	नवीन पंजीकृत कारखाने	नियोजन क्षमता
2013-14	149	23041
2014-15	241	15457
2015-16	451	19873
2016-17 (31.12.16)	178	08493

4.2.6 प्रदेश में दिनांक 01.01.2017 की स्थिति में 15636 पंजीकृत कारखाने थे, जिनकी नियोजन क्षमता 868208 थी। इन पंजीकृत कारखानों में 1410 कारखाने

“खतरनाक”/“अतिखतरनाक” श्रेणी के हैं। प्रदेश में पंजीकृत कारखानों की जिलेवार जानकारी (परिशिष्ट-4.1) में दी गई है।

प्रदेश में पंजीकृत कारखानों तथा उनकी नियोजन क्षमता की जानकारी निम्नानुसार है:—

संदर्भ तिथि	पंजीकृत कारखाने	नियोजन क्षमता
01.01.14	14732	822433
01.01.15	14939	832841
01.01.16	15378	856534
01.01.17	15636	868208

कुल पंजीकृत कारखानों की नियोजन क्षमता के आधार पर विभाजन की जानकारी निम्नानुसार है:—

संदर्भ तिथि	पंजीकृत कारखानों का नियोजन क्षमता के आधार पर विभाजन						
	10 से कम श्रमिक (धारा 85)	10—20 श्रमिक	21—50 श्रमिक	51—100 श्रमिक	101—250 श्रमिक	250 से अधिक श्रमिक	योग
1.1.2014	6114	4260	2514	1017	511	316	14732
1.1.2015	6146	4347	2570	1036	519	312	14939
1.1.2016	6233	4541	2665	1078	537	324	15378
1.1.2017	6294	4654	2713	1100	549	326	15636

कारखाना अधिनियम के प्रवर्तन की दृष्टि से कारखानों के निरीक्षण नियमित रूप से किये जाते हैं। त्रुटिकर्ता कारखाना प्रबंधन के विरुद्ध अभियोजन की कारवाई भी की जाती है। निरीक्षणों और, अभियोजनों का विवरण निम्नानुसार है:—

विवरण	2012—13	2013—14	2014—15	15—16	16—17 (31 दिसंबर तक)
1. निरीक्षण	3324	3284	2270	2066	1318
2. दायर अभियोजन	173	138	142	153	73
3. निर्णीत अभियोजन	272	134	98	41	13
4. आरोपित अर्थदंड (लाख रुपये में)	61.68	27.23	31.19	22.22	2.685

विभाग द्वारा औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के क्षेत्र में किये गये प्रयासों के फलस्वरूप दुर्घटना दर में निरंतर कमी परिलक्षित हो रही है। वर्ष 2007 में दुर्घटना दर 2.65 प्रति हजार श्रमिक थी जो घटकर वर्ष 01.01.2017 में 0.48 प्रति हजार श्रमिक रह गई है।

कारखाना अधिनियम की धारा 88 (नियम 108) के अंतर्गत कारखाना प्रबंधक को प्राणांतक या ऐसी दुर्घटना जिसके फलस्वरूप श्रमिक 48 घन्टे से अधिक कार्य से अनुपस्थित रहे या अग्नि दुर्घटना घटित हो, की सूचना मुख्य कारखाना निरीक्षक/निरीक्षक को दी जाना आवश्यक है। ऐसी दुर्घटनाओं की जानकारी परिशिष्ट-4.2 में दर्शायी गई है।

मध्यप्रदेश कारखाना नियम, 1962 के अन्तर्गत कारखानों के पंजीयन एवं लाइसेंस के नवीनीकरण से प्राप्त राजस्व के आंकड़े निम्नानुसार है :-

वर्ष	आय (करोड़ रु. में)
2012—13	5.63
2013—14	7.69
2014—15	6.10
2015—16	6.402
2016—17 (31 दिसम्बर तक)	5.834

4.3 कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 का कार्यान्वयन

इस अधिनियम के अंतर्गत मुख्य रूप से आयुक्त कर्मकार क्षतिपूर्ति की हैसियत से श्रम न्यायालय कार्यवाही करते हैं। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संचालनालय के अधिकारी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों या उनके आश्रितों के

सलाहकार के रूप में भूमिका निभाते हैं। प्रभावित व्यक्ति या उसके आश्रित अधिवक्ता के माध्यम से आयुक्त के समक्ष दावा पेश करते हैं और आयुक्त द्वारा प्रकरणों का निराकरण किया जाता है। जिन कारखानों पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम प्रभावशील है, वहाँ क्षतिपूर्ति की राशि कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा भुगतान की जाती है।

राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(ई)4-2000-ए-सोलह, दिनांक 7.10.2004 द्वारा प्रदेश के समस्त उपश्रमायुक्त और अपर श्रमायुक्त को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के क्षेत्र के भीतर आयुक्त कर्मकार प्रतिकार के रूप में नियुक्त किया गया है।

राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(ई)-8-96-सोलह-ए(1) दिनांक 26 जून, 1998 द्वारा समस्त सहायक श्रमायुक्तों को आयुक्त, कर्मकार प्रतिकार नियुक्त किया गया है जिसके अनुक्रम में उन्हें न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 20 के अंतर्गत दावा सुनवाई हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ 4(ई)4-2000 सोलह-ए दिनांक 6 नवंबर, 2000 द्वारा (म.प्र. असाधारण राजपत्र दिनांक 6/11/2000) अधिकृत किया गया है।

4.4 "अति खतरनाक " स्थापनाओं संबंधी प्रावधान : पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, के अंतर्गत बने नियमों का कार्यान्वयन

4.4.1 संक्षिप्त विवरण

वर्ष 1987 के पूर्व खतरनाक संक्रियाएं (**Dangerous Operations**) संचालित करने वाले कारखानों में स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये कारखाना अधिनियम, 1948, की धारा 87 तथा मध्य प्रदेश कारखाना नियम, 1962, के नियम 107 में विशेष प्रावधान किये गये थे। वर्ष 1987 में कारखाना अधिनियम में धारा-2 (सी बी) जोड़कर परिसंकटमय प्रक्रिया (**Hazardous process**) को परिभाषित करते हुये तत्संबंधी अनुसूची-एक भी जोड़ी गई और ऐसी प्रक्रियाएं अपनाने वाले कारखानों के लिये अधिनियम में नवीन अध्याय 4-ए जोड़कर विशेष प्रावधान किये गये।

वर्ष 1989 तथा 1996 में भारत सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, के अंतर्गत क्रमशः निम्नलिखित दो नियम अधिसूचित किये:-

क. परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989

ख. रासायनिक दुर्घटनायें (आपात योजना, तैयारी और अनुक्रिया) नियम, 1996

उक्त दोनों नियमों में "अति खतरनाक स्थापनाओं" अर्थात् - "**Major Accident Hazard (M.A.H.) Installations**" को परिभाषित किया गया है।

उक्त नियमों में विषैले, ज्वलनशील, विस्फोटक और अति क्रियाशील रसायनों को "परिसंकटमय रसायन" के रूप में परिभाषित करते हुए उनमें से प्रत्येक की एक सीमांत मात्रा (**Threshold Quantity**) निर्धारित की गई है। यदि किसी स्थापना में किसी परिसंकटमय रसायन को उक्त सीमांत मात्रा से अधिक मात्रा में भंडारित या प्रयुक्त किया

जाता है तो ऐसी स्थापनाओं को “अति खतरनाक स्थापना” के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ऊपर (क) में उल्लेखित नियमों में ऐसी स्थापनाओं के बारे में निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं:—

1. उनके लिये ऑन साइट और ऑफ साइट आपात योजनायें क्रमशः धारक एवं कलेक्टर द्वारा बनाई जायेंगी, इन्हें अद्यतन रखा जाएगा, और कम से कम क्रमशः प्रति छः माह एवं एक वर्ष में उनका पूर्वाभ्यास किया जायेगा।
2. विशिष्ट श्रेणियों की अति खतरनाक स्थापनाओं द्वारा मुख्य कारखाना निरीक्षक को सुरक्षा रिपोर्ट भेजी जावेगी, जिसमें कारखाने के बारे में “जोखिम एवं परिणाम संबंधी विश्लेषण” भी शामिल है। इसके अलावा वर्ष में एक बार स्वतंत्र एजेन्सी से सुरक्षा आडिट करा कर तत्संबंधी आडिट रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी। किसी दुर्घटना होने की स्थिति में उक्त नियमों के तहत निर्धारित अनुसूची 6 में दुर्घटना की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
3. स्थापना के आसपास रहने वाले लोगों को उससे जुड़े खतरों के बारे में जानकारी दी जायेगी।

ऊपर (ख) में उल्लिखित नियमों में अति खतरनाक स्थापनाओं में संभावित रासायनिक दुर्घटनाओं से निपटने के लिये “संकट स्थिति समूह” गठित करने का प्रावधान किया गया है और इन समूहों के कृत्य परिभाषित किये गये हैं :—

(1) स्थानीय संकट स्थिति समूह, जो औद्योगिक केंद्र के स्तर पर अनुविभागीय मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित होता है, के मुख्य कृत्य स्थानीय आपात योजना बनाना, सुरक्षा के बारे में स्थानीय लोगों को शिक्षित और कर्मियों को प्रशिक्षित करना, प्रति माह बैठक करना, कम से कम 6 माह में एक बार एक रासायनिक दुर्घटना का पूर्वाभ्यास करना, और दुर्घटना घटित होने की स्थिति में उसके आघात को न्यूनतम करने के लिये समस्त आवश्यक कदम उठाना है।

(2) जिला संकट स्थिति समूह, जिसके अध्यक्ष कलेक्टर होते हैं, के मुख्य कृत्य वृहद् दुर्घटनाओं के प्रबंध के लिये समस्त आवश्यक मार्गदर्शन देना, ऑन साइट आपात योजनाओं की समीक्षा करना, ऑफ साइट आपात योजना की तैयारी में सहायता करना, हर डेढ़ माह में बैठक करना, और वर्ष में कम से कम एक बार दुर्घटना का पूर्वाभ्यास करना है।

(3) राज्य संकट स्थिति समूह, जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होते हैं, के मुख्य कृत्य वृहद् दुर्घटनाओं के प्रबंध में विशेषज्ञ मार्गदर्शन देना, जिला ऑफ साइट आपात योजनाओं की तथा जिला समूहों के कार्य की समीक्षा करना, हर तीन माह में बैठक करना आदि हैं।

4.4.2 “अति खतरनाक” श्रेणी के कारखाने

दिनांक 01.01.16 की स्थिति में अतिखतरनाक कारखानों की संख्या 81 तथा संबंधित जिलों की संख्या 25 है।

4.4.3 ऑन साइट आपात योजनाएं

उक्त सभी 81 अति खतरनाक कारखानों के लिए ऑन-साइट आपात योजनाएं तैयार कराई गई हैं, जिनमें से 75 योजनाओं को अंतिम स्वरूप दिया जा चुका है। दो अतिखतरनाक कारखाने वर्तमान में बन्द हैं। चार कारखानों की योजनायें प्रक्रियाधीन हैं।

अतिखतरनाक श्रेणी के कारखानों के नाम तथा ऑन साइट आपात योजनाओं की तैयारी की स्थिति परिशिष्ट-4.3 में दर्शायी गई है।

4.4.4 ऑफ साइट आपात योजनाएं

केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने वर्ष 1997 में ऑफ साइट आपात योजना तैयार करने के संबंध में मार्गदर्शिका प्रसारित की थी। प्रदेश के 21 जिलों की ऑफ साइट आपात योजनाओं का उक्त मार्गदर्शिका के अनुरूप तैयार की गई है। दो जिले में स्थापित एकमात्र अतिखतरनाक कारखाने वर्तमान में बन्द होने से उक्त जिले की ऑफ साइट आपात योजना बनाई नहीं गई तथा शेष दो जिलों में ऑफ साइट आपात योजना तैयार किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

अतिखतरनाक श्रेणी के कारखानों वाले जिलों के लिए ऑफ साइट आपात योजनाओं की तैयारी एवं उनके पूर्वाभ्यास की स्थिति परिशिष्ट-4.4 में दर्शायी गई है।

4.4.5 सुरक्षा आडिट

“परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भण्डारण एवं आयात नियम, 1989” के अनुरूप 25 अति खतरनाक श्रेणी के कारखानों का सुरक्षा आडिट कराया जाना वैधानिक रूप से आवश्यक है। कारखानों के नाम तथा सुरक्षा आडिट कराने का विवरण परिशिष्ट-4.5 में दिया गया है।

अति खतरनाक कारखानों की संख्या, उनके लिए ऑन साइट एवं ऑफ साइट आपात योजनाओं की तैयारी एवं सुरक्षा आडिट संबंधी स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.	विवरण	संख्या
1.	अति खतरनाक कारखानों की संख्या	81
2.	जिलों की संख्या जहां उक्त कारखाने स्थित हैं	25
3.	कारखानों की संख्या जिनके लिये	
	(1) ऑन साइट आपात योजनाएं तैयार की गई	81
	(2) ऑन साइट आपात योजनाओं को अंतिम रूप दिया गया	75
4.	जिलों की संख्या जिनके लिये ऑफ साइट आपात योजना बनाई गई	21
5.	कारखानों की संख्या जिनका सुरक्षा आडिट अनिवार्य है	25

संकट स्थिति समूहों के गठन की स्थिति इस प्रकार है:-

क्र.	विवरण	संख्या
1.	गठित स्थानीय संकट स्थिति समूहों की संख्या	03 (मालनपुर, मंडीदीप, पीथमपुर)
2.	जिलों की संख्या, जहां जिला संकट स्थिति समूह का गठन आवश्यक है	25
3.	जिलों की संख्या, जहां गठन किया जा चुका है	22

नोट – 2 जिलों में नये एम.ए.एच. कारखाने की पहचान किये जाने के कारण जिला संकट स्थिति समूह के गठन की कार्यवाही की जा रही है तथा 1 जिले में स्थापित कारखाना बंद होने से जिला संकट स्थिति समूह का गठन नहीं हुआ है ।

4.5 औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशाला, इंदौर

4.5.1 कारखानों के कार्य वातावरण में हानिकारक रसायनों (यथा गैस, वाष्प आदि), शोर और प्रकाश का स्तर उचित सीमा में बनाए रखना आवश्यक है, ताकि उनमें कार्य करने वाले मजदूरों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इनके स्तर को विनियमित करने के लिये मध्य प्रदेश कारखाना नियम, 1962, में किये प्रावधान निम्नानुसार है :-

क्र.	पदार्थ आदि जिकी कार्य वातावरण में मात्रा, नियमों में निर्धारित की गई है।	मध्यप्रदेश कारखाना नियम, 1962, के सुसंगत प्रावधान का विवरण
1	रासायनिक पदार्थ (मुख्यतः गैसों एवं वाष्प)	नियम 124-बी एवं उसके अन्तर्गत बनी अनुसूची
2	शोर	नियम 107 के अन्तर्गत बनी अनुसूची पच्चीस
3	प्रकाश	नियम 36 व 37
4	विस्फोटक तथा अत्याधिक ज्वलनशील धूल या गैस	धारा 37 व नियम 107 के अन्तर्गत बनी अनुसूची XViii

4.5.2 उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, श्रम विभाग के अंतर्गत वर्ष 1986 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) की सहायता से एक औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशाला इंदौर में स्थापित की गई थी। वर्ष 1988 में इसके लिये केंद्र सरकार के तहत कार्यरत महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा एवं केंद्रीय श्रम संस्थान, मुंबई, के माध्यम से भी उपकरण उपलब्ध कराए गए थे। इस प्रयोगशाला का मुख्य कार्य कारखानों के कार्य वातावरण में उक्त हानिकारक पदार्थों आदि का स्तर जांच कर आवश्यक कार्रवाई करना है।

वर्तमान में उक्त प्रयोगशाला, उपलब्ध उपकरणों से, कार्य वातावरण में मौजूद निम्नलिखित हानिकारक पदार्थों आदि के स्तर की जांच करती है:-

1.	विषाक्त गैसों व रसायन	क्लोरीन, अमोनिया, कार्बन मोनोक्साइड व हाइड्रोजन क्लोराइड (वाष्प)
2.	अति ज्वलनशील गैसों एवं वाष्प	
3.	विभिन्न प्रकार के धूलि कण	जैसे कोयला, सिमेंट, सिलिका आदि
4.	एसबेस्टस	
5.	ध्वनि प्रदूषण	
6.	प्रकाश	
7.	दृष्टि दोष	क्रेन ऑपरेटर व अन्य श्रमिकों उनके नियोजनों के प्रकार के आधार पर, आंखों तथा रंग-अन्धत्व (Colour Blindness) की जांच

कार्य वातावरण में हानिकारक अवयव निर्धारित सीमा से अधिक पाये जाने की दशा में प्रबंधन को उपकरणों/ व्यवस्था में आवश्यक सुधार हेतु निर्देश देकर सुधार करवाया जाता है।

4.5.3 प्रयोगशाला द्वारा विगत वर्षों में हानिकारक पदार्थों की जाँच की जानकारी परिशिष्ट-4.6, स्थल पर उपकरणों की सहायता से जाँच एवं उनके परिणामों की जानकारी परिशिष्ट 4.7, तथा स्थल पर उपकरणों की सहायता से प्रकाश एवं ध्वनि की जाँच की जानकारी परिशिष्ट-4.8 में दी गई है।

4.5.4 जांच- पड़ताल (**Testing**) की जो सुविधाएं अभी केवल इंदौर स्थित प्रयोगशाला में केंद्रित हैं, उन्हें विकेंद्रीकृत रूप से संभागीय कार्यालयों में भी निर्मित करने की एक योजना, दसवीं पंचवर्षीय योजना, 2002-07, में आरंभ की गई तथा सभी संभागीय कार्यालयों को निरीक्षण कीट उपलब्ध कराये गये। वर्ष 2011-12 में औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशाला का उन्नयन कर इसके अंतर्गत प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना माह जून 2011 में की गई। इसके अतिरिक्त वर्ष 2013-14, 14-15 तथा 15-16 में भी उपकरण क़य किये जाकर उन्नयन की कार्यवाही निरन्तर जारी है। श्रमिकों में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से केन्द्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

* * *

अध्याय-5
मजदूरी, उपदान और बोनस संबंधी अधिनियमों का कार्यान्वयन

5.1 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

यह अधिनियम असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों तथा संगठित क्षेत्र के ऐसे श्रमिकों के हित संरक्षण हेतु बनाया गया है, जिनकी सामूहिक सौदेबाजी (collective bargaining) की क्षमता अल्प है तथा वे नियोजक से जीवन निर्वाह के लिये आवश्यक न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने की सामर्थ्य भी साधारणतः नहीं रखते।

इसके अंतर्गत प्रदेश में 66 “अनुसूचित नियोजन” हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-5.1 में दी गई है। इसके क्रमांक 1 से 64 में उल्लेखित अनुसूचित नियोजनों एवं क्रमांक 65 में उल्लेखित नियोजन तथा भाग दो कृषि नियोजन में न्यूनतम मजदूरी की दरें पुनरीक्षित कर निर्धारित की गई हैं, और उन पर देय जीवन निर्वाह भत्ता, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध कर नियमित रूप से घोषित किया जाता है।

उक्त नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी की मूल दरें राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार अधिसूचनाओं द्वारा निर्धारित की गई हैं :-

परिशिष्ट 5.1 में अंकित नियोजन		न्यूनतम मजदूरी की मूल दर निर्धारण संबंधी अधिसूचना का दिनांक
क्रमांक 1-64	नियोजन	10.10.2014
क्रमांक 65	(बीड़ी निर्माण)	12.12.2014
क्रमांक 1 (भाग-दो)	(कृषि में नियोजन)	10.10.2014

इन नियोजनों में प्रभावशील मूल न्यूनतम मजदूरी की दरें परिशिष्ट-5.2 में दर्शाई गई हैं।

मध्यप्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार पर्वद की बैठक दिनांक 16.12.12 को लिए गये निर्णयानुसार तीन नवीन नियोजनों 1-पुरातत्त्व कार्य में नियोजन 2-साफ-सफाई कार्य में नियोजन तथा 3-सूचना प्राधौगिकी के कार्य में नियोजन को अनुसूची के भाग एक में अधिसूचना क्रमांक 1493/4सी-1/2013/अ-16 दिनांक 22 सितंबर, 2014 जो कि राजपत्र में दिनांक 10 अक्टूबर, 2014 को प्रकाशित है, के द्वारा जोड़ा गया है।

राज्य शासन श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4(सी)5-98-ए-सोलह, 2 मार्च, 2006 के द्वारा अधिसूचित अनुसूची के भाग-1 में प्रविष्टि क्रमांक 68 में दवाईयों एवं अन्य वस्तुओं के विक्रय संवर्धन कार्यों में नियोजन को जोड़ा गया है उक्त सहित चारों नियोजनों में वेतन दरें राजपत्र दिनांक 10 जून, 2016 में प्रकाशित की गई हैं।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, के अंतर्गत निर्धारित दर से कम दर पर भुगतान के प्रकरणों में कम दी गई राशि का भुगतान कराया जाता है, तथा नियोजकों के विरुद्ध दावा प्रकरण भी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं। कृषि में नियोजित श्रमिकों की संख्या एवं प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए शासन के कतिपय अन्य विभागों के निम्नलिखित कार्यपालक अधिकारियों को भी, अधिसूचना दिनांक 16.06.86

द्वारा, कृषि में नियोजन के संबंध में अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्र में “निरीक्षक” नियुक्त किया गया है:—

1. विकास खण्ड अधिकारी
2. सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
3. नायब तहसीलदार
4. पंचायत निरीक्षक
5. मंडल संयोजक, आ.जा. एवं अनु. जाति कल्याण

इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं को भी कतिपय नियोजनों के लिये “निरीक्षक” की शक्तियों से निम्नानुसार वेष्टित किया गया है :—

तालिका 5.1

श्रम विभाग की अधिसूचना का दिनांक	पंचायती राज संस्था का नाम, जिसे उसके कार्यक्षेत्र के लिए, “निरीक्षक” की शक्तियों से वेष्टित किया गया	नियोजन जिनके लिए वेष्टित किया गया
19.6.1976	समस्त ग्राम पंचायतें	1. कृषि में नियोजन
17.4.1996	समस्त ग्राम पंचायतें	2. तंबाकू कारखाने/बीड़ी निर्माण में नियोजन 3. सड़क/भवन निर्माण और रख-रखाव 4. ईट भट्टों में नियोजन 5. सिमेंट टाइल्स के अलावा अन्य टाइल्स निर्माण 6. पत्थर तोड़ने एवं पीसने में नियोजन
19.7.2001	समस्त ग्राम सभाएं	उपर्युक्त सभी 6 नियोजनों के लिए

राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 24 नवंबर, 1976, द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, की धारा-20 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य के समस्त अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) को, अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर, कृषि में नियोजन के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उद्भूत होने वाले दावों की सुनवाई हेतु “प्राधिकारी” नियुक्त किया गया है।

राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 24 नवंबर, 1976, द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, की धारा-20 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य के समस्त अनुविभागीय अधिकारियों को, अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर, कृषि में नियोजन के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उद्भूत होने वाले दावों की सुनवाई हेतु “प्राधिकारी” नियुक्त किया गया है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रवर्तन एवं उससे लाभांवित श्रमिकों की जानकारी नीचे दर्शाई गई है :-

तालिका- 5.2

वर्ष	निरीक्षण संख्या	अभियोजन	सक्षम न्यायालय में दायर दावों की जानकारी			न्यायालय से बाहर कम भुगतान हुई राशि जो श्रमिक को विभागीय प्रयासों से भुगतान कराई गई		
			दावा प्रकरण संख्या	दावा राशि (लाख रु. में)	प्रभावित श्रमिक	प्रकरण संख्या	भुगतान राशि (लाख रु. में)	लाभांवित श्रमिक
2014-15	5894	524	377	587.75	1674	580	112.07	1719
2015-16	592	70	52	150.66	1323	62	31.76	449
2016-17 (माह दिसम्बर 16 तक)	1145	199	398	915.81	2878	237	133.53	992

5.2. मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936

विभिन्न संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों को नियमित रूप से मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु इस अधिनियम में प्रावधान है। अधिनियम की धारा 1 (6) के अनुसार यह वर्तमान में अधिकतम रुपये 18,000/- प्रतिमाह तक मजदूरी पाने वालों के लिए लागू है।

5.3 उपदान भुगतान अधिनियम, 1972

यह अधिनियम ऐसे सभी संस्थानों पर लागू होता है, जहां दस या दस से अधिक श्रमिक कार्यरत रहे हों। ऐसे संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों पाँच वर्ष की या इससे अधिक सेवा के उपरांत, सेवानिवृत्ति अथवा कार्य छोड़ने की स्थिति में सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिवस के वेतन के बराबर राशि उपदान के रूप में देय होती है। नियोजक द्वारा उपदान का दिवस के वेतन के बराबर राशि उपदान के रूप में देय होती है। नियोजक द्वारा उपदान का भुगतान न किये जाने अथवा गणना संबंधी विवाद उठने की दशा में व्यथित श्रमिक, इस अधिनियम के अंतर्गत “नियंत्रण प्राधिकारी” के समक्ष दावा प्रस्तुत कर सकता है। प्रदेश में नियंत्रण प्राधिकारी के रूप में सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम पदाधिकारियों को अधिसूचित किया गया है। नियंत्रण प्राधिकारी के आदेश से असंतुष्ट श्रमिक/नियोजक “अपीलीय प्राधिकारी” के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। प्रदेश में उप श्रमायुक्तों को अपीलीय प्राधिकारी घोषित किया गया है।

इस अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2016 में संस्थित एवं निराकृत प्रकरणों का विवरण नीचे दर्शाया गया है :-

तालिका-5.3

प्रकरण का प्रकार	वर्ष के आरम्भ में लंबित प्रकरण	वर्ष के दौरान		वर्ष के अंत में शेष प्रकरण दिसम्बर 2016 तक
		संस्थित	निराकृत	
1	2	3	4	5
2-ग्रेच्यटी अपील प्रकरण	246	225	199	272

5.4. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965

यह अधिनियम उन सभी कारखानों पर प्रभावशील है जो कारखाना अधिनियम, 1948, के अनुसार “कारखाना” की श्रेणी में आते हैं। इसके अतिरिक्त यह अधिनियम ऐसी अन्य स्थापनाओं पर भी प्रभावशील है, जिनमें बीस या इससे अधिक कर्मकार कार्यरत हैं। बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 01 जनवरी 2016 द्वारा संशोधन करते हुए वेतन सीमा में वृद्धि कर रु0 21000/- एवं बोनस गणना हेतु वेतन सीमा में वृद्धि कर रु0 7000/- कर दिया गया है। इस संशोधन को दिनांक 01.04.2014 से लागु किया गया है। अधिनियम के प्रवर्तन संबंधी जानकारी नीचे दी गई है:-

तालिका-5.4

क्र.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17 (दिसम्बर 15 तक)
1.	निरीक्षण	407	25	268
2.	अभियोजन	6	0	7

* * *

अध्याय-6
बाल श्रमिक

6.1. बाल श्रमिक

बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत भारत शासन द्वारा अधिसूचित 16 व्यवसायों एवं 65 प्रक्रियाओं में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों का नियोजन पूर्णतः वर्जित है। इन अधिसूचित प्रक्रियाओं एवं व्यवसायों की सूची **परिशिष्ट-6.1** में देखी जा सकती है। इसके अलावा, कारखाना अधिनियम, बीड़ी एवं सिगार कर्मकार अधिनियम, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, खान अधिनियम तथा मध्य प्रदेश दूकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत भी बाल श्रमिकों का नियोजन निषिद्ध है।

वर्ष 1991 एवं 2001 की जनगणना में प्रदेश के **5 से 14 वर्ष आयु समूह** के मुख्य एवं सीमांत कार्यशील बच्चों के आंकड़े निम्नानुसार पाये गये थे :-

तालिका 6.1

		1991	2001
1.	मुख्य कार्यशील	7.01 लाख	3.88 लाख
2.	सीमांत कार्यशील	2.56 लाख	6.76 लाख
3.	योग	9.57 लाख	10.64 लाख
4.	5-14 वर्ष आयु समूह की कुल जनसंख्या में मुख्य एवं सीमांत कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत	7.66 प्रतिशत	6.51 प्रतिशत

प्रदेश के निम्नलिखित दस जिलों में उक्त प्रतिशत 10 : से अधिक पाया गया था:-

तालिका 6.2

क्र.	जिला	5 से 14 वर्ष आयु समूह की कुल जनसंख्या में कार्यशील (मुख्य एवं सीमांत) संख्या का प्रतिशत
1.	झाबुआ	25.5
2.	बैतूल	13.8
3.	● पश्चिम निमाड़	12.6
4.	रतलाम	12.1
5.	धार	11.4
6.	राजगढ़	11.2
7.	सिवनी	10.7
8.	पूर्व निमाड़	10.6
9.	छिंदवाड़ा	10.5
10.	● मंडला	10.3

● आंकड़ा अविभाजित जिले (वर्ष 1991 की स्थिति में) का है।

उपर्युक्त आंकड़ों में सभी प्रकार के कार्यशील बच्चे शामिल हैं , अर्थात् वे भी, जो पारिवारिक कार्य जैसे कृषि में हाथ बंटाते हैं अथवा बूट पॉलिश, कचरा बीनने आदि कार्यों में स्व-नियोजित हैं।

वर्ष 2006-07 में सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत कराए गए सर्वेक्षण में राज्य में 2.97 लाख बच्चों ऐसे पाए गए थे जो स्कूल नहीं जा रहे थे। स्पष्ट है कि ये बच्चे या तो कहीं कार्यरत थे या भविष्य में कार्यरत होने वाले थे। आगामी वर्ष 2007-08 में यह संख्या संतोषजनक रूप से घट कर 1.81 लाख रह गई है। इनमें से 0.59 लाख बच्चे ड्राप-आउट थे।

बाल श्रम प्रथा के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने विविध याचिका (सिविल क्रमांक 465/1986) में दिनांक 10.12.96 को आदेश पारित कर निम्नलिखित निर्देश दिए थे :-

- बाल श्रमिकों की पहचान के लिए सर्वेक्षण किया जाए।
- जोखिमपूर्ण उद्योगों में कार्य कर रहे बालकों को वहां से हटा कर उपयुक्त संस्थाओं में उनकी शिक्षा सुनिश्चित की जाए।
- बाल श्रम के दोषी नियोजकों से 20,000/- रुपये प्रति बालक के हिसाब से अंशदान लिया जाए और उस रकम को इस प्रयोजन के लिए स्थापित कल्याण निधि में जमा किया जाए।
- इस प्रकार हटाए गए बालक के परिवार के एक वयस्क सदस्य को नियोजन में लिया जाए और अगर यह संभव न हो तो राज्य सरकार द्वारा कल्याण निधि में, 5,000/- रुपये का अंशदान किया जाए।
- जब तक बालक वास्तव में स्कूल में पढ़ता है, तब तक कल्याण निधि में जमा किए गए समग्र 25,000/- रुपये से प्राप्त ब्याज में से, उसके (बालक के) परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान की जाए।
- गैर-जोखिमपूर्ण व्यवसायों में काम कर रहे बालकों के कार्य के घंटों को विनियमित किया जाए जिससे कार्य करने का समय प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक न हो और कम से कम 2 घंटे प्रतिदिन उनकी शिक्षा भी सुनिश्चित की जाए। शिक्षा पर होने वाला तमाम खर्चा संबंधित नियोजक द्वारा वहन किया जाएगा।

उक्त आदेश के पालन में मध्य प्रदेश में अप्रैल, 1997 में सर्वेक्षण कराया गया था। यह सर्वेक्षण नगरीय क्षेत्रों में खतरनाक तथा गैर-खतरनाक दोनों प्रकार के नियोजनों में, और ग्रामीण क्षेत्रों में केवल खतरनाक नियोजनों में बाल श्रमिकों को चिन्हित करने के उद्देश्य से किया गया था। इस सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप कुल 13,291 बाल श्रमिक चिन्हित किये गए थे जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

तालिका 6.3

खतरनाक उद्योगों में	10,246
गैर-खतरनाक उद्योगों में	3,045
योग	13,291

उक्त सर्वेक्षण के पश्चात्, विभिन्न जिलों में सर्वेक्षण के आंकड़ों का परीक्षण कर आवश्यक परिमार्जन किया गया। इस परीक्षण में अनेक बाल श्रमिकों की उम्र 14 वर्ष से अधिक पाई गई, उनके एवं नियोजक के मध्य पिता-पुत्र के संबंध पाए गए, उनके नामों में पुनरावृत्ति पाई गई या फिर नियोजक का नाम गलत पाया गया। उपर्युक्तानुसार संशोधन एवं त्रुटि निवारण के पश्चात् उक्त सर्वे के दौरान पाए गए बाल श्रमिकों के आंकड़े नीचे दर्शाये गए हैं:-

तालिका 6.4

खतरनाक उद्योगों में	8,826
गैर-खतरनाक उद्योगों में	2,994
योग	11,820

निम्नलिखित छः जिलों में पांच सौ से अधिक बाल श्रमिक चिन्हित हुए थे :-

तालिका 6.5

जिला	चिन्हित बाल श्रमिक		योग
	खतरनाक नियोजनों में	गैर-खतरनाक नियोजनों में	
1. दमोह	4079	122	4201
2. रायसेन	1000	43	1043
3. सागर	890	61	951
4. टीकमगढ़	719	7	726
5. जबलपुर (1998 में गठित कटनी जिले सहित)	378	240	618
6. भोपाल	36	573	609

उक्त सर्वेक्षण में खतरनाक नियोजनों में नियोजित पाए गए समस्त बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया, दोषी 3630 नियोजकों के विरुद्ध अभियोजन प्रकरण दायर किये गए तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उनके विरुद्ध राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र भी जारी किये गए। अभी तक 13 जिलों में 23 बाल श्रमिकों के संबंध में कुल रुपया 4.95 लाख की क्षतिपूर्ति राशि वसूल की जा चुकी है। इनमें से 19 बाल श्रमिकों के संबंध में पूर्ण तथा चार के संबंध में आंशिक राशि नियोजकों द्वारा जमा कराई गई है। नियोजकों द्वारा उच्च न्यायालय में दायर 76 याचिकाओं में कुल 4222 बाल श्रमिकों के संबंध में जारी किये गये वसूली प्रमाण पत्रों पर स्थगन प्राप्त किया गया है। अन्य याचिकाओं में उच्च न्यायालय द्वारा संबंधित श्रम पदाधिकारी अथवा सहायक श्रमायुक्त को पक्षों की सुनवाई कर युक्तियुक्त आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। प्रकरणों में अनुवर्ती कार्रवाई प्रचलित है।

प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं को बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत “ निरीक्षक” की शक्तियों से निम्नानुसार वेष्टित किया गया है:-

1. जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों को अधिसूचना दिनांक 13.10.97 द्वारा
2. ग्राम सभाओं को अधिसूचना दिनांक 19.07.01 द्वारा

6.2 बाल श्रम संबंधी कानून का प्रवर्तन

बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत प्रवर्तन संबंधी जानकारी नीचे दी गई है:-

तालिका 6.6

वर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (दिस. 2016 तक)
निरीक्षण	7471	11056	2535	2402	350	128
अभियोजन	502	902	153	153	16	0

बाल श्रम प्रथा की समाप्ति तथा बाल श्रमिकों का पुनर्वास श्रम विभाग के प्राथमिकता के विषयों में सम्मिलित है। 10 अक्टूबर, 2006 को केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित उपजीविकाओं की सूची में होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट, चाय की दुकानों तथा घरेलू कार्य आदि में बाल श्रमिकों का नियोजन प्रतिबंधित किया गया था, तत्पश्चात राज्य में नियमिति रूप से इन संस्थानों में निरीक्षण किए जा कर बाल श्रमिकों को विमुक्त करारकर उनका पुनर्वास तथा नियोजकों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

बाल श्रम प्रथा की समाप्ति तथा बाल श्रमिकों के पुनर्वास कार्य के समुचित कार्यान्वयन के लिए प्रदेश-स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में "राज्य समीक्षा प्राधिकार समिति" गठित की गई। इसी प्रकार जिला-स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में बाल श्रमिक कल्याण एवं पुनर्वास समितियां बनाई गई हैं। कलेक्टरों से अपेक्षा की गई है कि वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और विमुक्त जातियों के बच्चों को शासकीय छात्रवृत्ति तथा छात्रावास/आश्रम योजनाओं का अधिक से अधिक सीमा तक लाभ दिलाएं, ताकि ये बच्चे बाल श्रम प्रथा से दूर रहें। राज्य में संचालित बाल श्रम परियोजनाओं के पर्यवेक्षण के लिए अपर मुख्य सचिव, श्रम की अध्यक्षता में राज्य परियोजना संचालन समिति (एस.पी.एस.सी.) तथा श्रम आयुक्त कार्यालय में राज्य बाल श्रम संसाधन केन्द्र (एस.आर.सी.) का गठन किया गया है।

यूनिसेफ के तत्वावधान में दिनांक 19-21 सितंबर, 2013 एवं 23 से 25 व 28-30 सितंबर, 2013 तथा दिनांक 22 से 24 तथा 27 से 29 दिसंबर, 2013 की अवधि में बाल श्रम उन्मूलन के संबंध में क्षमता वर्द्धन हेतु श्रम विभाग के सहायक श्रमायुक्त, श्रम पदाधिकारी, सहायक श्रम पदाधिकारी तथा श्रम निरीक्षकों के लिए यूनिसेफ के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये। जिसमें 161 प्रतिभागीयो ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

6.3. राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं की प्रगति

राज्य के चुनिंदा जिलों में बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिये भारत सरकार “राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना” क्रियान्वित कर रही है। इस परियोजना के अंतर्गत चुने गए जिलों में बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण कर उन्हें खतरनाक किस्म के व्यवसायों/प्रक्रियाओं से विमुक्त कराकर विशेष विद्यालयों में भर्ती किया जाता है। इन विद्यालयों में सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण की भी व्यवस्था अपेक्षित है, तथा दर्ज बच्चों को सौ रुपये मासिक छात्रवृत्ति, पाठ्य पुस्तकें, गणवेश तथा मध्याह्न भोजन दिए जाने के अतिरिक्त नियमित स्वास्थ्य परीक्षण का प्रावधान है।

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के क्रियान्वयन के लिये जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना समिति का पंजीकरण किया जाता है। परियोजना के लिये भारत सरकार इस समिति को सीधे अनुदान देती है। इस समिति में संबंधित शासकीय विभागों के अधिकारी, स्वैच्छिक संगठन, पंचायत राज संस्थाओं के पदाधिकारी तथा समाजसेवी सदस्य के रूप में होते हैं। परियोजना के संचालन एवं नियंत्रण के लिये परियोजना अधिकारी, शिक्षक, तथा अन्य स्टाफ की नियुक्ति की जाती है।

मध्य प्रदेश में वर्ष 2001 तक मात्र तीन जिलों (मंदसौर, ग्वालियर तथा उज्जैन) में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं संचालित की जा रही थी। इसके पश्चात वर्ष 2003 में प्रदेश के दो अन्य जिलों झाबुआ एवं खरगोन (पश्चिम निमाड़) में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई।

वर्ष 2004-05 में राज्य के 12 जिलों में भारत सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना अवधि में क्रियान्वित करने हेतु राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्वीकृत की गई। ये जिले निम्नानुसार हैं:-

1. बड़वानी 2. धार 3. खण्डवा 4. छिन्दवाड़ा, 5. शिवपुरी 6. गुना 7. शाजापुर 8. रतलाम 9. राजगढ़ 10. बैतुल 11. रीवा 12. सीधी। इण्डस परियोजना के अंतर्गत 5 जिलों सागर,, सतना, जबलपुर, कटनी, दमोह में 1 जनवरी, 2009 से परियोजना का संचालन बंद कर राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत संचालन प्रारंभ कर दिया गया है।

इस तरह कुल 22 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं क्रियान्वित की गई थी। वर्तमान में 1. गुना, 2. छिन्दवाड़ा, 3. धार 4. खरगोन, एवं 5. बैतुल, जिलों को छोड़कर (परियोजनाओं का संचालन बंद होने से) शेष 17 जिलों में संचालित परियोजनाओं की प्रगति की संक्षिप्त जानकारी नीचे दी गई है:-

तालिका 6.7

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं की प्रगति
दिसम्बर-2016 तक

क्रमांक	जिला	बेस लाईन सर्वे	विशेष शालाओं की संख्या	पुनर्वास	
				अध्ययनरत बालकों की संख्या	मुख्यधारा में बाल श्रमिकों की संख्या
01.	मन्दसौर	प्रस्ताव प्रेषित स्वीकृति अपेक्षित	14	900	3492
02.	रतलाम	0	0	0	0
03.	शाजापुर	346	17	336	168
04.	उज्जैन	2010	38	1900	1740
05.	ग्वालियर	2000	39	1662	6839
06.	शिवपुरी	वर्ष 2014	0	0	0
07.	बडवानी	2016-17 हेतु जन अभियान परिषद के माध्यम से सर्वे कार्य कराया जाना है। प्रक्रिया पूर्ण कर सर्वेक्षण की कार्यवाही की गई है	32	1600	7362
08.	खण्डवा	5840	0	0	5374
09.	झाबुआ	0	0	0	0
10.	राजगढ़	9973	18	900	414
11.	रीवा	सर्वे की प्रक्रिया जारी है	38	1749	426
12.	सीधी	0	40	2000	578
13.	जबलपुर	1680	18	676	3190
14.	कटनी	वर्ष 2017 हेतु बाल श्रमिकों का सर्वे म.प्र. जन अभियान परिषद द्वारा किया जा रहा है, जो कि निरंतरित है	0	0	5478
15.	सागर	0	0	0	0
16.	दमोह	1783	29	1165	2413
17.	सतना	वर्ष 2012-13	0	0	0
	कुल	23632	283	12888	37474

राज्य के शेष 28 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्वीकृति हेतु श्रम मंत्रालय, भारत सरकार को अनुरोध किया गया है।

अध्याय-7 बीड़ी श्रमिक

7.1. प्रारंभिक

मध्यप्रदेश में बीड़ी उद्योग का प्रमुख स्थान है। तेंदू पत्ते की प्रचुर उपलब्धता के कारण प्रदेश में वर्ष 1904 में बीड़ी निर्माण प्रारंभ हुआ। कालांतर में दक्षिण के राज्यों में भी बीड़ी का निर्माण प्रारंभ हुआ। प्रदेश के असंगठित उद्योगों में बीड़ी उद्योग का प्रमुख स्थान है। कृषि नियोजन तथा निर्माण कार्य मनरेगा सहित नियोजन के पश्चात् प्रदेश में बीड़ी नियोजन में श्रमिकों की संख्या संभवतः सर्वाधिक है।

7.2. बीड़ी एवं सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 का कार्यान्वयन

बीड़ी उद्योग में नियोजित श्रमिकों की विशिष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखकर उनके हित संरक्षण हेतु बीड़ी एवं सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 बनाया गया है। अधिकांश बीड़ी श्रमिक सट्टेदार के माध्यम से प्रमुख नियोजक के लिए बीड़ी बनाते हैं जिससे अन्य उद्योगों की अपेक्षा उनके नियोजन की परिस्थितियां भिन्न हो जाती हैं।

बीड़ी एवं सिगार कर्मकार (नियोजन शर्तें) अधिनियम, 1966, के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थानों की संख्या तथा उनमें कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों की पंजीकृत संख्या की जानकारी परिशिष्ट-7.1 में दी गई है।

7.3. बीड़ी श्रमिक कल्याण

बीड़ी श्रमिकों के कल्याण हेतु निम्नलिखित दो केंद्रीय अधिनियम प्रभावशील हैं :

1. बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976
2. बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976

7.3.1. बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976

बीड़ी श्रमिकों के कल्याण के उद्देश्य से इस अधिनियम के अंतर्गत बीड़ी निर्माण पर उत्पाद शुल्क पर उपकर लगाया गया है। इसकी दर रुपये 5/- प्रति 1000 बीड़ी निर्धारित है।

7.3.2. बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976

पद 7.3.1 में उल्लिखित उपकर अधिनियम के तहत प्राप्त उपकर उपर्युक्त कल्याण निधि अधिनियम के तहत गठित बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि में जमा होता है, जिसके माध्यम से बीड़ी श्रमिकों के हितार्थ कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है।

उक्त निधि का संचालन पूरी तरह भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के तहत गठित श्रम कल्याण महानिदेशालय द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में कल्याण एवं उपकर आयुक्त का कार्यालय जबलपुर में स्थापित है तथा उसका एक उप कार्यालय इंदौर में कार्यरत है। उक्त निधि से श्रम कल्याण महानिदेशालय चार प्रकार की कल्याण गतिविधियां (स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास तथा मनोरंजन संबंधी) संचालित करता है।

बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि से संचालित कार्यक्रमों के अंतर्गत वही बीड़ी श्रमिक लाभान्वित होते हैं जिनके पास तत्संबंधी परिचय पत्र हों। बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि

अधिनियम के अंतर्गत बने बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि नियम, 1978, के नियम 41 के अनुसार बीड़ी श्रमिक को परिचय पत्र जारी करने का उत्तरदायित्व उस मालिक या सट्टेदार का है जिसके लिए बीड़ी श्रमिक कार्य करता हो। परंतु मालिकों/सट्टेदारों द्वारा इस कार्य में यथेष्ट रुचि प्रदर्शित न करने के कारण भारत सरकार के कल्याण आयुक्त संगठन के अंतर्गत कार्यरत औषधालयों द्वारा तथा राज्य शासन के श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा भी परिचय पत्र जारी किये जाते रहे हैं।

उक्त दो स्रोतों के अनुसार बीड़ी श्रमिकों की संख्या का संभाग एवं जिले-वार विवरण परिशिष्ट-7.1 में दिया गया है।

बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि से संचालित जिन योजनाओं का ऊपर उल्लेख किया गया है, उन समस्त योजनाओं का कार्यान्वयन भारत सरकार के श्रम कल्याण संगठन द्वारा सीधे साधारणतः अपने औषधालयों के माध्यम से किया जाता है। मात्र ऐसी सामूहिक आवास योजना, जिसमें राज्य शासन द्वारा भूमि उपलब्ध कराई गई है, उनका अनुश्रवण राज्य शासन द्वारा किया जाता है।

चूंकि भारत सरकार के श्रम कल्याण संगठन के अंतर्गत कार्यरत बीड़ी श्रमिक औषधालयों की संख्या सीमित है और वे चिकित्सा के अतिरिक्त अन्य जिम्मेदारियों का समुचित वहन करने हेतु आवश्यक सामर्थ्य नहीं रखते हैं, अतः राज्य सरकार गत सितंबर 2001 से लगातार भारत सरकार से ऐसी व्यवस्था लागू करने का अनुरोध करती रही है ताकि इस प्रदेश से संग्रहित होने वाले कल्याण उपकर की संपूर्ण राशि और बीड़ी श्रमिक कल्याण संबंधी समस्त योजनाओं के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व, दोनों राज्य सरकार को अंतरित हो जाएं।

7.4. बीड़ी श्रमिकों के लिये आवास संबंधी योजना

बीड़ी श्रमिकों के आवास निर्माण हेतु बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि से 01.04.2007 से रुपये 40,000 का अनुदान/आर्थिक सहायता दी जाती है तथा रुपये 5,000 कामगार का अंशदान होगा। अनुदान/अंशदान के अतिरिक्त शेष राशि कामगार द्वारा या स्वयं के संसाधनों से या वित्तीय संस्थानों से ऋण के रूप में वहन करनी होगी। प्रदेश में बीड़ी श्रमिकों के लिए आवास योजना के कार्यान्वयन की स्थिति परिशिष्ट-7.2 में दर्शायी गई है।

7.5 घरखाता श्रमिकों को बीड़ी निर्माण हेतु दिए जाने वाले कच्चे माल की वाजिब मात्रा का निर्धारण

बीड़ी श्रमिकों की कार्यदशा एवं बीड़ी उद्योग की दशा का अध्ययन करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की एक अनुशंसा घरखाता श्रमिकों को बीड़ी निर्माण हेतु दिये जाने वाले कच्चे माल की वाजिब मात्रा के निर्धारण के बारे में थी। इसके अनुसरण में बीड़ी उत्पादक जिलों के कलेक्टरों को परिपत्र दिनांक 5.10.02 तथा 18.07.2008 द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये गये थे। तदनुसार कच्चे माल की जिले-वार निर्धारित मात्राओं की जानकारी परिशिष्ट-7.3 पर देखी जा सकती है।

7.6 बीड़ी श्रमिकों की वेतन पर्ची

वर्ष 2003-04 में प्रदेश के बीड़ी श्रमिक बाहुल्य जिलों में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जाकर बीड़ी श्रमिकों को वेतन पर्चियां जारी की गईं। तत्पश्चात से निरंतर बीड़ी श्रमिकों को वेतन पर्चियां जारी करायी जा रही है। बीड़ी श्रमिकों को जारी वेतनपर्ची की जानकारी परिशिष्ट 7.4 में है।

* * *

अध्याय-8 असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक

8.1. प्रारंभिक

देश के श्रमिक वर्ग के 90 प्रतिशत से अधिक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं जबकि संगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों का प्रतिशत 10 प्रतिशत से भी कम है। परंतु, अधिकांश श्रम कानूनों का लाभ संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मिलता है और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक इनका लाभ उठाने से वंचित रहते हैं।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की विशिष्ट समस्याएं इस प्रकार हैं :—

- * अस्थायी, अनियमित एवं परिवर्तनशील रोजगार
- * शिक्षा एवं जागरूकता की कमी
- * नियोजक स्थापनाओं का लघु आकार एवं भौगोलिक रूप से छितरा हुआ होना
- * उत्पादकता तथा आय के निम्न स्तर
- * सामाजिक सुरक्षा का अभाव
- * असंतोषजनक व असुरक्षित कार्य दशाएं
- * साख, विपणन और सूचना सुविधाओं का अभाव
- * संगठित होने में कठिनाई तथा संगठन क्षमता का अभाव
- * उपर्युक्त के परिणामस्वरूप वर्ग हितों की प्राप्ति हेतु सामूहिक सौदेबाजी की क्षमता का अभाव

राज्य में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक प्रमुख रूप से कृषि, वानिकी, खदान, बीड़ी, हम्माल, परिवहन, निर्माण कार्य, होटलों/ढाबों तथा ईट भट्टों जैसे कार्यों में नियोजित हैं।

8.2. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये कार्यदल

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की विशिष्ट एवं गंभीर समस्याओं को देखते हुये राज्य शासन ने इस क्षेत्र में कार्यरत प्रदेश के श्रमिकों के जीवन-स्तर में सुधार लाने के बारे में विचार कर अनुशंसाएं देने के लिये जुलाई, 2001 में एक कार्यदल गठित किया गया था।

कार्यदल ने अपना कार्य सितम्बर, 2002 में पूर्ण किया एवं अपनी रिपोर्ट का मुख्यमंत्रीजी तथा श्रम राज्य मंत्रीजी के समक्ष औपचारिक प्रस्तुतीकरण 27 दिसम्बर, 2002 को किया। कार्यदल ने वर्ष 2001 में प्रदेश में असंगठित श्रमिकों की संख्या करीब 2.01 करोड़ आकलित की है, जिसका नियोजन-वार विवरण निम्नानुसार है:—

तालिका 8.1

क्र.	नियोजन	असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की संख्या (लाखों में)	कुल असंगठित श्रमिकों की संख्या का प्रतिशत
1.	सीमांत / लघु कृषक	69.60	34.6
2.	भूमिहीन कृषि श्रमिक	73.57	36.6
3.	खनि एवं खनिकर्म	0.64	0.3
4.	विनिर्माण (Manufacturing)	14.95	7.4
5.	संनिर्माण (Construction)	8.97	4.5
6.	व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट	17.47	8.7
7.	परिवहन	3.95	2.0
8.	अन्य	11.78	5.9
	योग	200.93	100

कार्यदल द्वारा प्रस्तुत अनुशंसाओं में से श्रम विभाग से संबंधित अनुशंसाओं को मध्यप्रदेश श्रम सलाहकार पंथ को परामर्श हेतु तथा अन्य अनुशंसाओं को संबंधित विभागों को कार्रवाई हेतु संदर्भित किया गया है। द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग ने भी असंगठित श्रमिकों के लिए व्यापक कानून (Umbrella Legislation) सुझाया है, और अन्य सिफारिशें भी की हैं, जिन पर भारत सरकार कार्रवाई कर रही है। राज्य शासन उक्त कार्यदल की अनुशंसाओं पर, भारत सरकार से समन्वय रखते हुए, कार्रवाई कर रहा है। असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा हेतु राज्य एवं केन्द्र दोनों ने ही कानून बनाये हैं।

8.3 भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यों में कार्यरत श्रमिक

भवन निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु वर्ष 1996 में निम्नलिखित दो केंद्रीय अधिनियम पारित किये गये हैं :-

1. भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 तथा
2. भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996

यह अधिनियम उन नियोजकों/ठेकेदार के संस्थानों पर लागू होता है जो अस्थायी प्रकृति के कार्यों को संपन्न कराने की प्रक्रिया का संपादन करते हैं। उक्त अधिनियम के प्रावधानानुसार अनुबंधित कार्य के संपादन में किसी भी दिन दस या उससे अधिक निर्माण श्रमिक नियोजित होने की दशा में, नियोजक/ठेकेदार द्वारा स्थापनाओं के लिए अपना रजिस्ट्रीकरण कराना, आवश्यक है।

प्रदेश में भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996, के अन्तर्गत पंजीकृत स्थापनाओं की संख्या तथा श्रमिकों/कर्मचारियों की संख्या की श्रम कार्यालय-वार जानकारी परिशिष्ट-8.1 में दी गई है। अधिनियम के प्रवर्तन की जानकारी निम्नानुसार है:-

तालिका 8.2

क्र.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17 (दिसंबर 2015 तक)
1.	निरीक्षण	587	129	68
2.	अभियोजन	42	2	2

:

उपर्युक्त अधिनियमों के अंतर्गत प्रदेश में फरवरी, 2001 में विभिन्न प्रकार के अधिकारी निम्नानुसार अधिसूचित किये गए हैं:-

क. प्रथम अधिनियम के अंतर्गत-

: : तालिका 8.3 : :

अधिनियम के तहत प्राधिकारी	खाना-1 में उल्लेखित प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए अधिकारी
1. मुख्य निरीक्षक -	श्रमायुक्त, मध्य प्रदेश
2. निरीक्षक -	समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त, श्रम पदाधिकारी, सहायक श्रम पदाधिकारी, श्रम निरीक्षक/ उप श्रम निरीक्षक, कारखाना निरीक्षक
3. रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी -	समस्त सहायक श्रमायुक्त और श्रम पदाधिकारी
4. अपील अधिकारी -	अपर एवं उप श्रमायुक्त

ख. द्वितीय अधिनियम के अंतर्गत-

तालिका 8.4

अधिनियम के तहत प्राधिकारी	खाना-1 में उल्लेखित प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए अधिकारी
1. उपकर निर्धारण अधिकारी-	समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समस्त आयुक्त, नगर पालिक निगम द्वारा नामांकित उपायुक्त (जो वेतनमान में राज्य के द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी के समकक्ष हो), समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद नगर पंचायत (जो वेतनमान में राज्य के द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी के समकक्ष हो) समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, समस्त अपर श्रमायुक्त/उप श्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी
2. अपील प्राधिकारी-	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कलेक्टर, आयुक्त, नगर पालिक निगम, संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सहायक श्रमायुक्त, उप श्रमायुक्त, अपर श्रमायुक्त, श्रमायुक्त

3	उपकर संग्राहक—	समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, समस्त आयुक्त, नगर पालिक निगम द्वारा नामांकित उपायुक्त (जो वेतनमान में राज्य के द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी के समकक्ष हो), समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद नगर पंचायत (जो वेतनमान में राज्य के द्वितीय श्रेणी अनुविभागीय अधिकारी राजपत्रित अधिकारी के समकक्ष हो) समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत (जो वेतनमान में राज्य के द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी के समकक्ष हो), समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत/ जिला पंचायत, समस्त श्रम विभागीय अधिकारी,
---	----------------	--

उक्त प्रथम अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार ने “मध्यप्रदेश भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम 2002” बनाकर राजपत्र (असाधारण) में 1 जनवरी, 2003, को अधिसूचित किए हैं। इसके साथ ही मध्यप्रदेश भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का गठन दिनांक 9 अप्रैल, 2003 को किया जाकर सामान्य तौर पर 3 वर्ष उपरांत नियमानुसार पुनर्गठन होने तक पूर्व सदस्यगण यथावत कार्यरत रहते हैं।

8.4. हम्माल आवास योजना

पायलट योजना के रूप में वर्ष 1997 से संचालित इस योजना के अंतर्गत कृषि उपज मंडियों में कार्यरत हम्मालों के लिये आवास गृहों का निर्माण किया जाता है। प्रदेश में चयनित 11 जिलों में क्रमशः भोपाल 150, गुना 100, कटनी 100, इंदौर 150, बुरहानपुर 100, खरगोन 100, मंदसौर 100, जावरा 100, उज्जैन 100, सागर 100 तथा विदिशा में 100—इस प्रकार कुल 1200 आवास गृहों का निर्माण किया जाना था। योजनांतर्गत राज्य शासन अथवा हम्मालों की समिति/संगठन द्वारा भूमि प्रदान किये जाने का प्रावधान था जिस पर प्रति आवास गृह रुपये 10000 का केंद्रीय अनुदान दिया जाना था। योजना के क्रियान्वयन हेतु आयुक्त, मंडी बोर्ड, को नोडल एजेंसी के रूप में दायित्व सौंपा गया था तथा आवास गृहों का निर्माण मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल के द्वारा किया जाना था। तत्समय प्रति आवास लागत रुपये 50,000 निर्धारित की गई थी, जिसमें केंद्र द्वारा अनुदान के रूप में रुपये 10,000, हुडको द्वारा ऋण के रूप में रुपये 25,000, तथा शेष रुपये 15,000, हितग्राही द्वारा वहन किया जाने का प्रावधान था। हितग्राहियों की ओर से प्राप्त आवेदनों के आधार पर भोपाल में 58 एवं इंदौर में 87 म0प्र0 गृह निर्माण मण्डल द्वारा निर्मित आवासों का चयन किया गया था किंतु बाद में आवासों की लागत अधिक होने तथा हम्मालों द्वारा रुचि नहीं लेने के कारण इन आवासों का आवंटन नहीं हो सका। इस प्रकार इस योजना के अंतर्गत भूखंडों की अनुपलब्धता केंद्रीय अनुदान राशि आवासों की लागत की तुलना में काफी कम होने तथा हम्मालों द्वारा रुचि नहीं लेने के कारण वर्तमान में योजना केंद्र द्वारा जारी नहीं है। फलस्वरूप केंद्र से प्राप्त अनुदान राशि वापस करने की कार्यवाही विचाराधीन है।

* * *

अध्याय—9 बंधक श्रमिक

9.1 प्रारंभिक

संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसरण में बंधक श्रम पद्धति को समाप्त करने के लिये वर्ष 1976 से बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 लागू है। बंधक श्रमपद्धति से आशय ऐसा बलात् श्रम या अंशतः बलात् श्रम लेने की पद्धति से है जो साधारणतः स्वयं श्रमिक या उसके पूर्वजों को दिये गये ऋण की वसूली के रूप में यारुद्धिगत अथवा सामाजिक बाध्यता के अनुसरण में लिया जाता है।

बंधक श्रम प्रथा का विषय जुलाई, 1999 तक राज्य शासन के राजस्व विभाग को आबंटित था। राज्य शासन के कार्य आबंटन नियमों में 01.08.1999 से हुए संशोधन द्वारा यह विषय श्रम विभाग को आबंटित किया गया। इस संशोधन के पालन में यह कार्य वास्तव में फरवरी, 2000 में श्रम विभाग को हस्तांतरित हुआ।

उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के अनुसार बंधक श्रम प्रथा के अस्तित्व के बारे में छानबीन, बंधक श्रमिकों की पहचान, मुक्ति एवं कल्याण की जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट को सौंपी गई है।

अधिनियम की धारा 21 के तहत राज्य शासन ने समस्त जिला एवं उपखण्डीय मजिस्ट्रेटों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत घटित अपराधों के ट्रायल के लिये न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, की शक्तियों से वेष्टित किया है।

9.2 बंधक श्रम प्रथा की दृष्टि से संवेदनशील जिले

योजना आयोग द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना, 2002-07 के संदर्भ में "श्रमिकों के कमजोर वर्गों" के लिये गठित कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट में मध्यप्रदेश के बीस जिलों की बंधक श्रम पद्धति की दृष्टि से संवेदनशील जिलों के रूप में पहचान की है। इनके अलावा, गत वर्षों में प्रदेश के छः अन्य जिलों में भी बंधक श्रमिक पाये गये हैं। इन कुल 26 जिलों की संभाग-वार सूची निम्नानुसार है —

क्रमांक	संभाग	जिले
1	ग्वालियर	1— ग्वालियर 2— शिवपुरी 3— गुना
2	चंबल	4— भिण्ड 5— मुरैना
3	इन्दौर	6— इन्दौर 7— झाबुआ 8— धार
4	उज्जैन	9— शाजापुर 10—मंदसौर 11—रतलाम
5	भोपाल	12—भोपाल 13—विदिशा 14—सिहोर 15— बैतूल 16— रायसेन

क्रमांक	संभाग	जिले
6	जबलपुर	17- जबलपुर 18- मंडला
7	सागर	19- सागर 20- छतरपुर 21- टीकमगढ़ 22- पन्ना
8	रीवा	23- रीवा 24- सतना 25- सीधी 26- शहडोल
9	होशंगाबाद	27- हरदा

9.3 जिला एवं उपखंड-स्तरीय निगरानी समितियाँ

अधिनियम की धारा 13 में जिला एवं उपखंड स्तर पर निगरानी समितियाँ गठित करने का प्रावधान है।

जिला-स्तरीय निगरानी समिति

यह समिति जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित होती है। इसमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामांकित अनुसूचित जाति/जनजाति के तीन सदस्य, दो सामाजिक कार्यकर्ता तथा किसी वित्तीय संस्था का एक व्यक्ति सदस्य होते हैं। इसके अलावा राज्य शासन द्वारा नामांकित ग्रामीण विकास से संबद्ध तीन व्यक्ति सदस्य होते हैं। भारत सरकार, श्रम मंत्रालय के पत्र दिनांक 29.5.2006 द्वारा इन समितियों में महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उपखंड-स्तरीय निगरानी समिति

यह समिति उपखंडीय मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित होती है। इसमें उनके द्वारा नामांकित अनुसूचित जाति/जनजाति के तीन सदस्य, दो सामाजिक कार्यकर्ता एवं वित्तीय संस्था के एक प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। इनके अलावा, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामांकित ग्रामीण विकास से संबद्ध तीन व्यक्ति भी सदस्य होते हैं।

इन समितियों के मुख्य कृत्य, अधिनियम के प्रावधानों के परिपालन में जिला/उपखंडीय मजिस्ट्रेट को परामर्श देना, बंधक श्रमिकों के आर्थिक, सामाजिक रुपनर्वास में सहायता करना, ग्रामीण एवं सहकारी वित्तीय संस्थाओं से उन्हें वित्तीय मदद उपलब्ध कराना तथा बंधक श्रमिकों को उनके ऋणों से मुक्ति दिलाना है।

प्रदेश के समस्त कलेक्टरों को शासन द्वारा दिनांक 18/12/2013, पत्र क्रमांक 1945/2943/2014/ए-16 दिनांक 15.12.2014 एवं 136/2943/2011 /ए-16 दिनांक 09.01.2017 को निर्देश दिये गये हैं कि वे उक्त निगरानी समितियों को पुनर्गठित कर सक्रिय बनाएं और हर तिमाही में उनकी कम से कम एक बैठक का आयोजन सुनिश्चित करें। अद्यतन स्थिति अनुसार प्रदेश के जिन जिलों में समितियों का दो वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया है अथवा समाप्त हो रहा है, उन जिला कलेक्टरों को समितियों के पुनर्गठन किये जाने हेतु सूचित किया जाता है। सभी 51 जिलों की समिति गठित है।

राज्य स्तरीय बंधक श्रम समीक्षा एवं समन्वय समिति-

मान.उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक 6190/2007 जे. प्रसाद विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में मान. उच्च न्यायालय द्वारा नियमित रूप से सुनवाई करते हुए राज्य में बंधक श्रमिकों के चिन्हांकन, विमुक्ति एवं पुनर्वास की निगरानी की जा रही है। उक्त याचिका में पारित निर्देशों के अनुपालन में अपर मुख्य सचिव, गृह की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय बंधक श्रम समीक्षा एवं समन्वय समिति द्वारा प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय सोमवार को राज्य में बंधक श्रमिकों के चिन्हांकन, विमुक्ति एवं पुनर्वास की जिलेवार समीक्षा की जाती है तथा समीक्षा के आधार पर समुचित दिशा-निर्देश प्रदान किए जाते हैं। मा. उच्च न्यायालय ने समीक्षा संबंधी प्रतिवेदन को संतोषजनक मानते हुए भविष्य में समिति की बैठक पाक्षिक के स्थान पर प्रति दो माह में करने की अनुमति प्रदान की गई है।

9.4 विमुक्त बंधक श्रमिकों का पुनर्वास

बंधक श्रमिकों के पुनर्वास हेतु मध्यप्रदेश में पूर्व में प्रचलित बंधक श्रमिक पुनर्वास योजना 2000 को निरस्त किया जाकर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नवीन "बंधक श्रम पुनर्वास योजना 2016" दिनांक 17.05.2016 से लागू की गई है इस योजना में शतप्रतिशत-अंश (100 प्रतिशत) केन्द्र शासन द्वारा वहन किया जायेगा। अतएव राज्यांश की आवश्यकता नहीं है।

यह योजना दिनांक 17.05.2016 से पूर्णतः केन्द्र प्रवर्तित हो चुकी है। योजना में बंधक श्रमिकों के पुनर्वास हेतु राशि पुरुष वयस्क हितग्राहियों हेतु रु. 1.00 लाख, बालक एवं महिला हितग्राहियों के लिए रु. 2.00 लाख तथा गंभीर शोषण के प्रकरणों में महिला एवं बालकों के लिए रु.3.00 लाख प्रावधानित है। इसके अतिरिक्त बंधक श्रमिक सर्वेक्षण हेतु रु. 4.50 लाख प्रति जिला राज्य स्तरीय जन जागरण हेतु रु. 10.00 लाख तथा मूल्यांकन अध्ययन हेतु रु. 1.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

प्रत्येक जिले में जिला दण्डाधिकारी के पर्यवेक्षण में बंधक श्रम पुनर्वास निधि का गठन किया जावेगा जिसमें रु.10 लाख की स्थायी निधि रहेगी जो विमुक्त बंधक श्रमिकों को तत्कालिक सहायता राशि रु. 20 हजार हेतु प्रयुक्त होगी। शेष राशि हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जावेगे तथा शेष राशि बंधक श्रमिक के नियोजक के अधिनियम के अंतर्गत दोष सिद्धि उपरांत केन्द्र सरकार से राशि प्राप्त कर बंधक श्रमिक को भुगतान की जावेगी। निधि में बंधक श्रमिक के नियोजको से प्राप्त होने वाली दण्ड की राशि जमा की जावेगी।

बंधक श्रमिकों के पुनर्वास एवं अन्य कार्यों हेतु प्राप्त होने वाली राशि के प्रस्ताव जिला दण्डाधिकारी द्वारा जिला एन.सी.एल.पी. (नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट) सोसायटी के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे तथा जिला एन.सी.एल.पी. (नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट) सोसायटी इसका परीक्षण कर इन्हें श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को "मेजर हेड 2230/2552" में राशि जारी करने हेतु प्रेषित करेगी। इसके अलावा विमुक्त कराए गए बंधक श्रमिकों को विभिन्न प्रचलित शासकीय कार्यक्रमों के तहत आवश्यकतानुसार निम्नलिखित लाभ दिलाकर भी पुनर्वासित कराया जाना अपेक्षित है :-

1. आवासहीनों को आवास हेतु भूखंड तथा आवास निर्माण हेतु सहायता।

2. भूमिहीनों को यथासंभव कृषि भूमि का आबंटन, और कृषि आदानों के लिये सहायता या विकल्प में अन्य उत्पादक आस्तियों (यथा दुधारू पशु) के लिये सहायता अथवा रोजगार-मूलक कार्यक्रम के तहत रोजगार,
3. बी.पी.एल. राशन कार्ड का प्रदाय एवं शासन की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं में पात्रतानुसार लाभांशित करना।
4. अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित विमुक्त बंधक श्रमिकों को अनुसूचित जाति /जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत आर्थिक सहायता एवं अन्य शासकीय योजनाओं के लाभ प्रदान करना।
5. बंधक श्रमिकों के नियोजकों के विरुद्ध बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एवं अन्य श्रम अधिनियमों जैसे कि न्यूनतम वेतन अधिनियम में अभियोजन/दावा कार्यवाही करना।

बंधक श्रम प्रथा संबंधी कार्य श्रम विभाग को अंतरित होने के बाद से प्रदेश के (18) जिलों (विदिशा रायसेन रतलाम, इन्दौर, शहडोल, भोपाल, ग्वालियर, हरदा, धार, शिवपुरी, भिण्ड, सागर, छतरपुर, श्योपुर, मुरैना, टीकमगढ़, छतरपुर एवं मंडला) में माह दिसंबर 2016 तक कुल 914 बंधक श्रमिक विमुक्त कराये गये हैं, इनमें स्वयं मध्य प्रदेश के 373 तथा अन्य राज्यों के 541 श्रमिक थे। 28 श्रमिक अन्य राज्यों से (हरियाणा के 7 एवं उत्तर प्रदेश के 21) विमुक्त कराये गये एवं मध्यप्रदेश में पुनर्वासित किये गये। प्रदेश के बंधक श्रमिकों को पुनर्वास अनुदान भुगतान हेतु संबंधित जिलों के कलेक्टरों को वर्ष 2000-01 में रुपये 3.39 लाख, 2001-02 में रु. 15.73 लाख, वर्ष 2002-03 में रु. 11.91 लाख तथा 2003-04 में रुपये 5.16 लाख, 2004-05 में रु. 1.27 लाख, 2005-06 में रु. 5.24 लाख, वर्ष 2006-07 में रु.5.59 लाख, वर्ष 2007-08 में रु.1.20 लाख, तथा वर्ष 2008-09 में 3.69 लाख वर्ष 2009-10 में 4.07 लाख तथा वर्ष 2010-11 में 0.56 लाख तथा वर्ष 2011-12 में (दिसम्बर 2012 तक) रुपये 0.01 लाख वर्ष 2012-13 में रु.0.30 लाख का आबंटन दिया गया एवं मुरैना जिले में रु.0.70 लाख का अग्रिम आबंटन प्रदाय किया गया। वर्ष 2013-14 में कोई बंधक श्रमिक चिन्हित नहीं होने के कारण कोई आबंटन नहीं दिया गया। वर्ष 2014-15 में (दिसंबर 2014 तक) रु. 4.75 लाख का आबंटन प्रदाय किया गया है। रु. 0.03 हजार का शेष आबंटन टीकमगढ़ जिले को आबंटन प्राप्त होने पर दिया जायगा। वर्ष 2015-16 (दिसंबर 2015 तक) रु. 1.78 लाख का आबंटन प्रदाय किया गया है। वर्ष 2016-17 (दिसंबर 2016 तक) रु. 1.71 लाख का आबंटन प्रदाय किया गया। इस प्रकार अब तक कुल रु. 67.09 लाख का आबंटन दिया जा चुका है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं श्रम विभाग, मध्यप्रदेश शासन के तत्वावधान में दिनांक 5 फरवरी 2009 को भोपाल में प्रदेश स्तरीय संवेदीकरण प्रशिक्षण एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया तथा इन्दौर में दिनांक 15.2.2013 को प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इनमें संभागीय आयुक्त कलेक्टर, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, श्रम विभागीय अधिकारी एवं सतर्कता समिति के सदस्यों ने भाग लिया।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, द्वारा बंधक श्रम प्रथा के उन्मूलन विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य, मान. न्यायमूर्ति श्री मुरुगेशन की अध्यक्षता में आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन, अकादमी भोपाल में दिनांक 29.09.2016 को की गई।

- कार्यशाला में मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राज्य मानव अधिकार आयोग के मान. अध्यक्ष, प्रमुख सचिव श्रम, श्रमायुक्त, विभागीय सचिवगण, कतिपय जिलों के कलेक्टर, एस.डी.एम., पुलिस अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय के अधिकारी, राज्य के श्रम विभागीय अधिकारी, एन.जी.ओ. व विमुक्त बंधक श्रमिक थे।
- कार्यशाला में बंधक श्रम के संबंध में कानूनी प्रावधान तथा भारत सरकार द्वारा जारी नवीन बंधक श्रम पुनर्वास नीति 2016 पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया तथा राज्य में बंधक श्रमिकों के चिन्हांकन, विमुक्ति व पुनर्वास पर चर्चा की गयी।

बंधक श्रम पुनर्वास की वर्षवार जानकारी परिशिष्ट 9.1 में अवलोकनीय है।

* * *

अध्याय—10
कतिपय अन्य महत्वपूर्ण श्रम कानूनों का कार्यान्वयन

10.1. मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961

यह अधिनियम मोटर परिवहन व्यवसाय में संलग्न उन नियोक्ताओं पर लागू होता है जो दो या दो से अधिक कर्मकार नियोजित करते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत वाहन पर नियुक्त कर्मकारों की सेवाशर्तें (मुख्यतः काम के घंटे, अवकाश, ओवर टाइम, गणवेश आदि) का नियमन किया जाता है। नियोक्ता के लिये यह अनिवार्य है कि वह श्रम कार्यालय से उपक्रम का पंजीयन कराये एवं अधिनियम में दिए गए प्रावधानों का पालन करे। अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने की स्थिति में अधिनियम में दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।

प्रदेश में मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत पंजीकृत उपक्रमों की संख्या तथा उनमें कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों की संख्या की श्रम कार्यालय— वार जानकारी **परिशिष्ट—10.1** में दी गई है।

अधिनियम के अंतर्गत संपन्न निरीक्षणों की जानकारी निम्नानुसार है:—

तालिका 10.1

क्र.	विवरण	2014—15	2015—16	2016—17 (दिसंबर 2016 तक)
1.	निरीक्षण	154	39	28
2.	अभियोजन	27	2	3

10.2. श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955

भारत सरकार ने उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रसारित अधिसूचना दिनांक 11 नवंबर 2011 द्वारा श्रमजीवी पत्रकारों एवं गैर पत्रकारों के संबंध में मजीठिया वेतन मण्डल की अनुशंसायें प्रभावशील की हैं।

प्रदेश के समाचार पत्र संस्थाओं तथा प्रेस संस्थानों में मजीठिया वेतन मंडल की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन हेतु श्रमायुक्त संगठन के मैदानी अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

10.3. मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958

यह अधिनियम, 1 जनवरी, 1959, से प्रभावशील है। इसका उद्देश्य दुकानों एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं में नियोजित कर्मियों की कार्यदशाओं को विनियमित करता है।

यह अधिनियम 01.01.03 तक प्रदेश के 144 नगरों कस्बों में लागू था। दिनांक 15.7.2011 से इसे 47 जिलों के 219 और कस्बों में प्रभावशील किया गया है। इस प्रकार अब

यह प्रदेश के कुल 363 नगरों/कस्बों/ में लागू है, जिनकी जिले-वार सूची परिशिष्ट-10.2 में दी गई है।

प्रदेश में दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत स्थापनाओं की संख्या, तथा उनमें कार्यरत श्रमिकों/ कर्मचारियों की पंजीकृत संख्या की जिले-वार जानकारी परिशिष्ट-10.3 में दी गई है।

इस अधिनियम, की धारा 6 (2) एवं 6(5) के अंतर्गत दुकानों/स्थापनाओं के पंजीयन एवं नवकरण का कार्य पुनः जुलाई 2009 से श्रम विभाग को सौंपा गया है।

इस अधिनियम की धारा 9 में दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापना खुलने एवं बंद किये जाने का समय विनियमित किए जाने का और धारा 13 में ऐसी स्थापनाओं में एक साप्ताहिक अवकाश दिये जाने का प्रावधान है। कतिपय विशिष्ट स्वरूप की स्थापनाओं को उक्त अधिनियम की धारा 9 तथा धारा 13 के प्रावधानों से, कतिपय शर्तों के अध्वधीन रहते हुए, छूट प्रदान की गई है। उदाहरणार्थ, अधिसूचना दिनांक 23.3.2000 द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी स्थापनाओं को, कतिपय शर्तों के तहत, धारा 9(1) एवं धारा 13(1) के प्रावधानों से छूट दी गई है, अर्थात् इस प्रकार की स्थापनाएं प्रदेश में सप्ताह के सातों दिन और चौबीसों घंटे कार्य कर सकती हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत दुकानों एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं के खुलने एवं बंद होने के समय में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जाता है। धारा-9 के अंतर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 14.01.2011 द्वारा इनके बंद होने का समय रात्रि 10.00 बजे निर्धारित है।

श्रम विभागीय अधिसूचना दिनांक 20 मई 2013 द्वारा सूचना प्रौद्योगिक इकाईयों में रात्रि 9:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक महिलाओं को कार्य करने की छूट उनकी सुविधा एवं सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्थाओं की शर्तों के साथ प्रदान की गई है।

म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 तथा म.प्र. श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 के अन्तर्गत प्रक्रियाओं को सरलीकृत करते हुए दिनांक 15 जनवरी, 2014 से समस्त अभिलेख इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में संधारित करने की अनुमति जारी की गई है तथा पंजीयन एवं नवीनीकरण की सुविधा ऑनलाईन की गई है। यह सेवा लोक सेवा के रूप में भी सम्मिलित है।

म.प्र. दुकान तथा स्थापना अधिनियम, 1958 में संशोधन करते हुए, म.प्र. दुकान तथा स्थापना (संशोधन) अधिनियम, 2014 लाया गया है, जिसके अंतर्गत निम्न प्रमुख प्रावधान किए गए हैं:-

1. विहित कालावधि में निरीक्षक द्वारा विपरीत आदेश न होने पर पंजीयन स्वतः कर दिया गया, समझा जाएगा।
2. प्रत्येक स्थापना में आग से बचाव व कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के उपाय विहित किए जाएंगे।

3. 10 से कम श्रमिकों की स्थापना में निरीक्षण श्रम आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति से ही किया जा सकेगा।

4. सभी उल्लंघनों हेतु प्रशमन के प्रावधान किए गए हैं।

5. पंजियों एवं अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत या डिजिटल फॉर्मेट में रखा जा सकेगा।

अधिनियम के प्रवर्तन संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:—

तालिका 10.2

क्र.	विवरण	2014—15	2015—16	2016—17 (दिसंबर 2016 तक)
1.	निरीक्षण	3886	143	674
2.	अभियोजन	1244	20	390

10.4. ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970

यह अधिनियम उन प्रमुख नियोजकों एवं ठेकेदार के संस्थानों पर लागू होता है जो अस्थायी प्रकृति के कार्यों को संपन्न कराने की प्रक्रिया का संपादन करते हैं। उक्त अधिनियम के प्रावधानानुसार अनुबंधित कार्य के संपादन में किसी भी दिन बीस या उससे अधिक ठेका श्रमिक नियोजित होने की दशा में, प्रमुख नियोजक स्थापनाओं के लिए अपना रजिस्ट्रीकरण कराना, और संबंधित ठेकेदार को अनुज्ञप्ति प्राप्त करना आवश्यक है। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य शासन ने रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी और अनुज्ञापन अधिकारी निम्नानुसार नियुक्त किए हैं :—

तालिका 10.3

अधिनियम के तहत प्राधिकारी	किसे नियुक्त किया गया
1. रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी	सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी
2. अनुज्ञापन अधिकारी	सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी

प्रदेश में ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970, के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थानों की संख्या, अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त ठेकेदारों की संख्या तथा श्रमिकों/कर्मचारियों की संख्या की श्रम कार्यालय-वार जानकारी **परिशिष्ट-10.4** में दी गई है। अधिनियम के प्रवर्तन की जानकारी निम्नानुसार है:—

तालिका 10.4

क्र.	विवरण	2014—15	2015—16	2016—17 (दिसंबर 2016 तक)
1.	निरीक्षण	793	139	442
2.	अभियोजन	134	49	56

10.5. अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979

यह अधिनियम उन स्थापनाओं (एवं ठेकेदारों) पर लागू होता है जो न्यूनतम पांच या अधिक ऐसे श्रमिकों से काम लेते हैं, जो किसी अन्य राज्य से ठेकेदार, सरदार अथवा एजेंट के माध्यम से आये हों। स्थापना को ऐसे श्रमिकों से कार्य लेने के पूर्व अपना पंजीयन कराना होता है, तथा संबंधित ठेकेदार /सरदार/ एजेंट को अनुज्ञापति प्राप्त करना होती है।

इस अधिनियम के अंतर्गत भी राज्य शासन ने उन्हीं अधिकारियों को क्रमशः रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी और अनुज्ञापन अधिकारी नियुक्त किया है, जिन्हें ठेका श्रम अधिनियम के तहत ऊपर पद 10.4 में इस हैसियत से नियुक्त दर्शाया गया है।

अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों में राज्य से बाहर जाने वाले एवं अन्य राज्यों से आने वाले, दोनों प्रकार के श्रमिक सम्मिलित होते हैं। राज्य के सीमावर्ती जिलों में प्रायः श्रमिकों का अंतर्राज्यीय प्रवास प्रचलित है। भारी इंजिनियरिंग, लोहा एवं इस्पात, तथा ईट भट्टे आदि कार्यों में बिहार तथा उत्तरप्रदेश राज्यों के श्रमिक प्रायः कार्यरत पाये जाते हैं। अधिकांश श्रमिक स्वयं ही प्रवास करते हैं और किसी सरदार/ठेकेदार/एजेंट के माध्यम से प्रवास न करने के कारण ये अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम की परिधि में नहीं आते हैं।

किसी ग्राम से अन्य राज्य को जाने वाले श्रमिकों की पंजी संधारित करने का दायित्व गत जनवरी, 2001, से ग्राम सभाओं को सौंपा गया है।

राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 29 जुलाई, 2002 द्वारा अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979, की धारा 20 की उपधारा (1) के अन्तर्गत राज्य की नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को, एवं नगर पालिकाओं तथा नगर निगमों में कार्यरत राजस्व निरीक्षकों को, संबंधित नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम के अधिसूचित क्षेत्र की सीमाओं के अन्तर्गत “निरीक्षक” नियुक्त किया गया है। अधिनियम के प्रवर्तन की जानकारी निम्नानुसार है:-

तालिका 10.5

क्र.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17 (दिसंबर 2016 तक)
1.	निरीक्षण	68	106	32
2.	अभियोजन	18	4	16

अध्याय-11 कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें

11.1 प्रारंभिक

भारत सरकार द्वारा संगठित क्षेत्र के श्रमिक एवं उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रवर्तित की गई है। योजना अन्तर्गत देय विभिन्न हितलाभों में से एक हितलाभ योजना के हितग्राही सदस्यों व उनके परिजनों को संपूर्ण चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करने का दायित्व राज्य शासन को सौंपा गया है, जिसके लिये म0प्र0 शासन, श्रम विभाग अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएँ विभाग की स्थापना की गई है। शेष हितलाभ भारत शासन अन्तर्गत स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा प्रदान किये जाते हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, के अंतर्गत संचालित कर्मचारी राज्य बीमा योजना, अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित ऐसे सभी कारखानों, व अन्य स्थापनाओं पर लागू होती है, जहां कार्यरत व्यक्तियों की संख्या ऊर्जा-चालित स्थापनाओं तथा गैर-ऊर्जा चालित स्थापनाओं में दस या दस से अधिक हों। इस योजना के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 31.3.2016 की स्थिति में दी गई जानकारी अनुसार प्रदेश में 5,46,800 बीमित व्याप्ति में है। निगम द्वारा दिनांक 1.10.2016 से रुपये 21,000/- तक प्रतिमाह वेतन पाने वाले कर्मचारों को व्याप्ति में लेने का निर्णय लिया गया है। कर्मचारों व उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधा एवं अन्य विभिन्न हितलाभ प्राप्त होते हैं जिनका विवरण आगे पद 11.2 में दिया गया है।

कर्मचारी राज्य बीमा (क.रा.बी.) योजना के तहत नियोजक स्थापनाओं और उनमें कार्यरत श्रमिकों का पंजीयन तथा उनसे अभिदाय की प्राप्ति/वसूली का कार्य कर्मचारी राज्य बीमा निगम (जो एक केंद्रीय उपक्रम है) करता है। श्रमिक को उसकी कुल परिलब्धियों के 1.75% के बराबर अभिदाय देना होता है और नियोजक 4.75% अभिदाय देता है। मध्य प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर में है तथा उसके अंतर्गत 27 स्थानीय कार्यालय हैं।

11.2. कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत मिलने वाले हितलाभ और योजना के कार्यान्वयन का पेटर्न

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत बीमित श्रमिक को निम्नलिखित हितलाभ प्राप्त होते हैं :-

1-चिकित्सा हितलाभ— श्रमिक एवं उनके परिवार के सदस्यों को पूर्ण चिकित्सा सुविधा।

2-बीमारी हितलाभ— दीर्घकालिक रोगों से ग्रस्त बीमाकृत व्यक्ति 91 दिन की बीमारी हितलाभ अवधि की समाप्ति पर बड़ी कठिनाई अनुभव कर रहे थे। प्रायः कार्य के लिए स्वस्थ न होने पर भी वे अंतिम प्रमाण-पत्र के लिए जोर देते थे।

अब 3 वर्ष की वि.बी.हित. अवधि में 2 वर्ष तक की विस्तारित अवधि (विस्तारित बीमारी हितलाभ) हेतु बीमारी हितलाभ का भुगतान करने का प्रावधान कर दिया गया है।

3—मातृत्व हितलाभ— महिला श्रमिकों को तीन माह के वेतन के बराबर राशि प्रसूति की दशा में देय है।

4—अपंगता हितलाभ— कार्य संबंधित दुर्घटना से उत्पन्न अपंगता की स्थिति में बीमित व्यक्तियों को मुआवजा देय है जिसकी दर श्रमिक की आयु व वेतन पर निर्भर है। स्थायी अपंगता के लिए मासिक पेंशन देय है।

5—पुनर्वास हितलाभ— अपंग हुए हितग्राहियों को कृत्रिम अंग लगवाने तथा दुरस्त कराने के लिए, एवं कृत्रिम अंग केंद्र तक आने-जाने के व्यय को कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा शारीरिक पुनर्वास भत्ते के रूप में वहन किया जाता है। इसके अलावा, शारीरिक अपंगता की स्थिति में व्यावसायिक पुनर्वास/पुनर्प्रशिक्षण हेतु सहायता, व्यावसायिक पुनर्वास भत्ते के रूप में दी जाती है।

6—आश्रित हितलाभ— कार्य संबंधित दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में आश्रितों को मासिक पेंशन की पात्रता होती है।

7—अंत्येष्टि हेतु सहायता— बीमित श्रमिक की मृत्यु होने पर परिवार को अधिकतम रुपये 10,000/— अंतिम संस्कार के लिए दिए जाते हैं।

उपर्युक्त में से प्रथम हितलाभ (अर्थात् चिकित्सा हितलाभ) का प्रशासन पूरी तरह राज्य शासन की जिम्मेदारी है। शेष हितलाभ कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा नगद रूप में दिये जाते हैं, परंतु उनके लिए आवश्यकतानुसार प्रमाणीकरण क.रा.बी. सेवाओं में कार्यरत चिकित्सकों द्वारा किया जाता है।

राज्य शासन के माध्यम से चिकित्सा सेवाएं दिए जाने हेतु कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने दिनांक 1.4.2016 से रुपये 3,000/— प्रति बीमित व्यक्ति प्रति वर्ष का मापदंड निर्धारित किया गया था। इस सीमा तक होने वाले व्यय को निगम एवं राज्य शासन 7:1 के अनुपात में वहन करते हैं। इससे अधिक होने वाला व्यय पूर्णतः राज्य शासन को वहन करना होता है। निगम ने रुपये 3,000/— प्रति बीमित व्यक्ति प्रति वर्ष की उक्त दर को निम्न मदों में विभक्त किया है :-

1. प्रशासनिक मद	रुपये 1,250/—
2. अन्य मद	रुपये 1,750/—
योग	रुपये 3,000/—

11.3. कर्मचारी राज्य बीमा योजना का प्रदेश में विस्तार एवं बीमित व्यक्तियों की संख्या

प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रथमतः जनवरी, 1955, में मध्य भारत क्षेत्र के चार मुख्य औद्योगिक केन्द्रों— इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, तथा रतलाम—के लगभग 55,000 श्रमिकों के लिये प्रारंभ की गयी थी । शनैः—शनैः प्रदेश में औद्योगिक केन्द्रों के विस्तार के साथ—साथ कर्मचारी राज्य बीमा योजना का भी विस्तार होता गया। दिनांक 31.3.2016 की स्थिति में प्रदेश के 20 जिलों में 20 केन्द्रों पर 5,46,800 बीमित व्यक्तियों व उनके परिवार के सदस्यों को इस योजना के तहत चिकित्सा सेवायें उपलब्ध कराई जा रही हैं। तथा प्रत्येक केंद्र पर कार्यरत चिकित्सालयों और औषधालयों की सूची परिशिष्ट-2.3 में दी गयी है।

माननीय मुख्यमंत्री जी म0प्र0शासन की अध्यक्षता में दिनांक 1.10.2014 को भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दी गई जानकारी तथा समक्ष में प्रमुख सचिव, श्रम विभाग से प्राप्त निर्देश के अनुपालन में संचालनालय की एकल नस्ती क्रमांक 1581 दिनांक 9.10.2014 द्वारा निम्नानुसार नये क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रारंभ करने संबंधी नवीन प्रस्ताव प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किये गये हैं :-

तालिका 11.2

क्र.	भौगोलिक क्षेत्र का नाम	जिले का नाम	योजना का स्वरूप	लाभान्वित होने वाले श्रमिकों की संभावित संख्या
1	बोरेगांव, पाण्डूना तथा सौसर नया भौगोलिक क्षेत्र	छिन्दवाडा	पैनल पद्धति से चिकित्सा सुविधा प्रदान करना	5764
2	दमोह, नया भौगोलिक क्षेत्र	दमोह	पैनल पद्धति से चिकित्सा सुविधा प्रदान करना	1255
3	निमरानी, नया भौगोलिक क्षेत्र	खरगोन	पैनल पद्धति से चिकित्सा सुविधा प्रदान करना	4827
4	सिंगरोली	सिंगरोली	पैनल पद्धति से चिकित्सा सुविधा प्रदान करना	3000
5	बीना	सागर	पैनल पद्धति से चिकित्सा सुविधा प्रदान करना	1800

नोट:- नवीन क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू करने के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने संबंधी कार्रवाई शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है एवं बुधनी में स्थाई औषधालय की स्थापना हेतु मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग द्वारा मुख्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली को अनुमति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है ।

11.4. चिकित्सा हितलाभ

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत देय पूर्ण चिकित्सा सेवा (Full medical care) के अन्तर्गत बीमित व्यक्तियों व उनके परिवार के सदस्यों को बाह्य रोगी चिकित्सा, अन्तः चिकित्सालयीन सुविधा व विशेष जांच व उपचार की सेवाएं उपलब्ध करायी जाती है ।

अन्तः चिकित्सालयीन सुविधा प्रदेश के मुख्य नगरों में 6 कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों एवं एक एनेक्सी वार्ड के माध्यम से दी जाती है । जिनमें कुल 456 शैयाएं उपलब्ध है । इन्दौर क्षय चिकित्सालय में 75, उज्जैन चिकित्सालय में 50, ग्वालियर चिकित्सालय में 100, भोपाल चिकित्सालय में 100, देवास चिकित्सालय में 50, नागदा चिकित्सालय में 50 एवं एनेक्सी वार्ड मंदसौर में 25, मिल क्षेत्र औषधाल में पीपी0युनिट में 6 शैयाओं की व्यवस्था है । अन्य स्थानों पर बीमित व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों के लिये 16 स्थानीय जिला/ सिविल चिकित्सालयों में 96 सामान्य व 46 क्षय शैयाओं का आरक्षण किया गया है तथा द्वितीयक उपचार एवं जांच की केश रहित सुविधा हेतु प्रदेश के 40 निजी चिकित्सा संस्थानों को अनुबंधित किया गया है ।

वर्तमान में 3 रोगी वाहन विभिन्न चिकित्सालयों एवं औषधालयों में कार्यरत है तथा मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 31.12.2005 द्वारा 12 रोगी वाहन वर्ष 1991 के पूर्व के क्रय होने से उन्हें अपलेखित कर विक्रय किये गये एवं नये रोगी वाहनों के क्रय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

गंभीर बीमारियों व जटिल सर्जरी, विशेष जांचें आदि के मामलों में, जो सुविधा कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों में उपलब्ध नहीं है उन्हें राज्य चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम म0प्र0 द्वारा विभिन्न अतिविशिष्ट चिकित्सालयों को अनुबन्धित कर, केशलेस सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है । जरूरत पडने पर बीमित व्यक्तियों को ऐनक, कृत्रिम अंग, हियरिंग एड आदि भी निःशुल्क दिए जाते हैं ।

बीमित व्यक्तियों को, उनके द्वारा चिकित्सा पर किए गए व्यय के शीघ्र पुनर्भुगतान के उद्देश्य से जुलाई 2001 से स्थापित रिवाल्विंग फंड दिनांक 31.3.2015 से समाप्त करते हुये एसिक ऑपरेशन मेन्युअल 2015 के अनुसार हितग्राहियों को भुगतान रहित उपचार सुविधा दिनांक 1.4.2015 से प्रारंभ की गई है, जिसके अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में दिनांक 31.12.2016 तक का विवरण निम्नानुसार है :-

तालिका 11.4

क्र.	उपचार	प्रकरणों की संख्या	चिकित्सालयों द्वारा दावा की गई राशि	चिकित्सालयों को भुगतान करने हेतु स्वीकृत राशि
1	द्वितीयक उपचार एवं जॉच सुविधा	4,504	4,46,36,274 /—	4,15,19,387 /—
2	विशिष्ट उपचार एवं जॉच सुविधा	443	1,16,89,143 /—	1,01,66,466 /—
	योग	4,947	5,63,25,417 /—	5,16,85,853 /—

क.रा.बी. संस्थाओं में उपचारित मरीजों का विवरण परिशिष्ट-11.1 में दिया गया है।

11.5. परिवार कल्याण एवं अन्य सेवाएँ

उपर्युक्त चिकित्सा सेवाओं के अलावा संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं, कतिपय अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम और गतिविधियां भी संचालित करता है। श्रमिक एवं परिवार कल्याण शिक्षक द्वारा श्रमिक बस्तियों व औद्योगिक इकाइयों में श्रमिक बैठकों का आयोजन किया जाता है जिनमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। टेलिविजन, विडियो, प्रोजेक्टर, बेनर, पोस्टर आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार का कार्य किया जाता है।

श्रमिक बस्तियों में टीकाकरण, स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, क्षयरोग, नेत्र रोग एवं अस्थिरोग निदान शिविर, स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता एवं परिवार नियोजन आपरेशन शिविर आयोजित किए जाते हैं। इनमें बीमारियों के प्रतिरोधक टीके, हेल्थ स्केनिंग व स्वास्थ्य सुविधा दी जाती है।

परिवार कल्याण आदि कार्यक्रमों के तहत विगत तीन वर्षों में किए गए कार्य का विवरण परिशिष्ट-11.2 में दिया गया है। इसी प्रकार विगत तीन वर्षों में टीकाकरण संबंधी जानकारी परिशिष्ट- 11.3 में दर्शाई गई है।

चिकित्सालय द्वारा किये गये आपरेशन का विवरण परिशिष्ट-11.4 में दिया गया है।

हिपेटाइटिस "बी" से बचाव के लिये बीमितों तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिये हिपेटाइटिस-बी का विशेष सत्र औद्योगिक इकाइयों में आयोजित किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत 445 हितग्राहियों को टीके लगाये गये हैं।

प्रदेश के कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएँ को परिवार कल्याण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया जाता रहा है। दिनांक 31.10.06 को नई दिल्ली में चिकित्सा हितलाभ परिषद की आयोजित 76 वीं बैठक में वर्ष 2004-05 में प्रथम पुरस्कार के साथ रुपये 10,000 /— नगद, टीकाकरण के क्षेत्र में प्रावीण्यता प्रमाण-पत्र तथा वर्ष 2005-06 में द्वितीय पुरस्कार के साथ रुपये 5,000 /— नगद प्रदान किये गये हैं। वर्ष 2008-09 में परिवार कल्याण की उपलब्धियों के लिये महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय पुरस्कार घोषित किया गया है, इसमें रुपये 3,000 /— का नगद व प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया। वर्ष 2011-12 व 2012-13 तथा 2013-14

के पुरस्कारों के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में रुपये 10,000/- का नगद प्रथम पुरस्कार एवं प्राविण्यता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है।

11.6 श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार संबंधी कार्ययोजना

पूर्व में राज्य योजना मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय "श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार" में श्रम विभाग को संगठित / असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के 0 से 18 वर्ष आयु के 1,00,000 बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण करने का दायित्व सौंपा गया था।

इस संबंध में कर्मचारी राज्य सेवायें म.प्र. द्वारा निर्धारित अधिनस्थ 10 केन्द्रों एवं चिकित्सालय के माध्यम से वर्ष 2004-2005 से सतत शिविरों का आयोजन कर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। वर्ष 2016-17 में (दिसम्बर 2016 तक) सभी केन्द्रों एवं चिकित्सालयों के माध्यम से 190 शिविर आयोजित कर 37,517 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है।

11.7 एच. आय. बी./एड्स प्रकोष्ठ

एड्स के प्रसार को रोकने एवं नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा नीति निर्देश तथा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। क.रा.बी. सेवाओं के लिये कार्यक्रम निर्धारण व धनराशि आवंटन क.रा.बी.निगम के माध्यम से किया जाता है। संचालनालय में कार्यरत एड्स प्रकोष्ठ के अधीन ग्वालियर स्थित चिकित्सालयों में 31.3.2000 से आय. सी.टी. सी (समग्र परामर्श/ परीक्षण केन्द्र) प्रारंभ किये गये हैं एवं यौन जनित रोग निदान एवं उपचार क्लीनिक की सुविधाएं उपलब्ध कराई गयी हैं। यह कार्यक्रम क.रा.बी.निगम द्वारा वित्त पोषित है। लगातार प्रचार-प्रसार एवं जनजागृति के प्रयास हर स्तर पर किये जा रहे हैं जिसके कारण एड्स के नवीन प्रकरणों में कमी आयी है।

एच0आय0बी0/एड्स के प्रसार के रोकथाम हेतु विभागीय चिकित्सकों एवं पैरामेडीकल स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। निदान केन्द्रों पर सम्पन्न परीक्षण में एच0आय0बी0 पॉजिटिव के कुछ प्रकरण पाये गये हैं, जिन्हें विशेष उपचार चिकित्सा महाविद्यालयों के ए0आर0 टी0 केन्द्रों के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 2016-17 (दिसम्बर 2016 तक) कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं म0प्र0 में 2 प्रकरण पंजीकृत हुए हैं।

11.8 विभागीय अमले की स्थिति

कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें म. प्र. के अन्तर्गत वर्ष 2016-2017 में (दिसम्बर 2016 तक) स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त अमले की स्थिति निम्नवत् है :-

क्र०	श्रेणी	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	प्रथम श्रेणी	73	32	41
2	द्वितीय श्रेणी	290	214	76
3	तृतीय श्रेणी	891	650	241
4	चतुर्थ श्रेणी	785	560	225
5	कुल योग	2039	1456	583

11.9 विभागीय पदोन्नतियों की स्थिति

कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें म. प्र. के अन्तर्गत वर्ष 2016–2017 में (दिसम्बर 2016 तक) प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी में 03 तथा द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी में 03 एवं तृतीय श्रेणी से तृतीय श्रेणी में 01 तथा चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में निरंक पदोन्नतियों की गई है ।

11.10 विभागीय जाँच की स्थिति

वर्ष वर्ष 2016–2017 में (दिसम्बर 2016 तक) विभागान्तर्गत प्रथम श्रेणी में 01, द्वितीय श्रेणी में 05 प्रकरणों में निर्णय शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है । तृतीय श्रेणी में 03 तथा चतुर्थ श्रेणी में 03 प्रकरण में जांच कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

11.11 नियुक्तियों की स्थिति

वर्ष 2016–2017 में (दिसम्बर 2016 तक) विभागान्तर्गत प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी पदों नियुक्ति कर्ता अधिकारी शासन, लोक सेवा आयोग के माध्यम से बीमा चिकित्सा पदाधिकारी एवं सहायक चिकित्सा अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) के रिक्त पदों की पूर्ति की कार्रवाई के तहत लोक सेवा आयोग द्वारा 1.1.2016 द्वारा 70 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है, इसमें से 25 चिकित्सकों ने कार्यभार ग्रहण किया है तथा तृतीय श्रेणी में 19 पदों पर तथा चतुर्थ श्रेणी के 07 पदों पर नियुक्ति की गई ।

11.12 स्थानान्तरण की स्थिति

वर्ष 2016–2017 में (दिसम्बर 2016 तक) प्रथम श्रेणी में निरंक, द्वितीय श्रेणी में 01, तृतीय श्रेणी में 23 तथा चतुर्थ श्रेणी में 15 स्थानान्तरण किये गये हैं ।

11.13 न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति

कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें में वर्तमान में कुल 152 प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में लंबित है । जिसमें से 115 न्यायालयीन प्रकरण विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों से संबंधित है तथा शेष 37 प्रकरण हितग्राहियों से संबंधित है ।

क्र०	आवेदक का नाम	प्रकरण क्रमांक	माननीय सर्वोच्च / उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जबलपुर / इन्दौर / ग्वालियर	विषय	प्रकरण प्रभारी अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री भगवानदास सेन	ओ०ए० 1068 / 92	ग्वालियर	वरिष्ठता एवं अन्य	बी०चि०पदा०, ग्वालियर केन्द्र
2	श्रीमती शान्ति शर्मा	ओ०ए० 452 / 92	ग्वालियर	सेवा निवृत्ति के पश्चात के स्वत्वों के संबंध में ।	बी०चि०पदा०, ग्वालियर केन्द्र
3	श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल	डब्ल्यू०पी०एस० 5562 / 05	ग्वालियर	पदोन्नति के संबंध में	डॉ० श्रीमती एस० पाण्डे, उप संचालक, ग्वालियर
4	श्री राधेश्याम तोमर	सी०पी० 573 / 06	ग्वालियर	क्रमोन्नति के संबंध में	डॉ०एस०नागौरी, बी०चि०पदा० ग्वालियर केन्द्र
5	डॉ० श्रीमती रंजना शर्मा	डब्ल्यू०पी०एस० 2746 / 07	ग्वालियर	सिलेक्शन ग्रेड	डॉ०एस०नागौरी, बी०चि०पदा० ग्वालियर केन्द्र
6	डॉ० श्रीमती शशि माहना	डब्ल्यू०पी०एस० 5107 / 07	ग्वालियर	उच्च वेतनमान	डॉ०एस०नागौरी, बी०चि०पदा० ग्वालियर केन्द्र
7	म०प्र०शासन विरुद्ध उदयसिंह फालके	20 / 08	ग्वालियर	निर्णय के विरुद्ध अपील	डॉ०एस०नागौरी, बी०चि०पदा० ग्वालियर केन्द्र

8	श्रीमती पुष्पा पारा	डब्ल्यू0पी0 2555 / 08	ग्वालियर	बकाया वेतन	डॉ0एस0नागौरी,बी0चि 0पदा0 ग्वालियर केन्द्र
9	डॉ0 तहसीलदार सिकरवार	डब्ल्यू0पी0 4180 / 09	ग्वालियर	चार स्तरीय वेतनमान के संबंध में	डॉ0एस0नागौरी,बी0चि 0पदा0 ग्वालियर केन्द्र
10	डॉ0 हीरासिंह तोमर	डब्ल्यू0पी0एस0 6151 / 09	ग्वालियर	62 वर्ष की आयु के संबंध में	डॉ0एस0नागौरी,बी0चि 0पदा0 ग्वालियर केन्द्र
11	श्री बाबूलाल रामदयाल	डब्ल्यू0पी0एस0 4825 / 10	ग्वालियर	स्टेनोग्राफर पद एक के लिये	डॉ0एस0नागौरी,बी0चि 0पदा0 ग्वालियर केन्द्र
12	श्रीमती रामकुमारी बंसल	डब्ल्यू0पी0एस0 5309 / 10	ग्वालियर	वेतनमान बाबद	डॉ0 एम0सी0जैन, नाक,कान,गला रोग विशेषज्ञ, ग्वालियर चिकित्सालय
13	डॉ0श्रीमती ज्योति इथोबा बावने	डब्ल्यू0पी0एस0 5898 / 10	ग्वालियर	सी0पी0एफ0 की जगह जी0पी0एफ0 में जमा करने बाबद	डॉ0एस0नागौरी,बी0चि 0पदा0 ग्वालियर केन्द्र
14	श्री केशव प्रसाद	डब्ल्यू0पी0एस0 2338 / 11	ग्वालियर	सेवा से बर्खास्त होने पर	डॉ0एस0नागौरी,बी0चि 0पदा0 ग्वालियर केन्द्र
15	श्री योगेश शर्मा	डब्ल्यू0पी0एस0 3233 / 11	ग्वालियर	बीमा क. ऑवटन बाबद	डॉ0एस0नागौरी,बी0चि 0पदा0 ग्वालियर केन्द्र
16	श्री कृष्ण पावक	अवमानना या0क. 344 / 11	ग्वालियर	वेतनमान	डॉ0एस0नागौरी,बी0चि 0पदा0 ग्वालियर केन्द्र
17	श्रीमती संध्या कोठारी	डब्ल्यू0पी0एस0 2340 / 06	ग्वालियर	सिलेक्शन ग्रेड	क्षेत्रीय उप संचालक, ग्वालियर ।
18	रामधार पाण्डे	सी0पी0 16 / 12	ग्वालियर	वेतनमान के संबंध में	डॉ0एस0नागौरी,बी0चि 0पदा0 ग्वालियर केन्द्र

19	श्री मोहर सिंह	सी०पी० 500 / 12	ग्वालियर	वेतनमान के संबंध में	डॉ०एस०नागौरी,बी०चि०पदा० ग्वालियर केन्द्र
20	श्री रमाशंकर झरोले	डब्ल्यू०पी०एस० 1278 / 12	ग्वालियर	अनुकम्पा नियुक्ति बाबद	डॉ०एस०नागौरी,बी०चि०पदा० ग्वालियर केन्द्र
21	श्रीमती राजश्री टिकरिया	सी०पी० 235 / 13	ग्वालियर	वेतनमान के संबंध में	उप संचालक, ग्वालियर
22	श्री अजय कुमार बाजपेई	सी०पी० 609 / 14	ग्वालियर	वेतनमान के संबंध में	डॉ०शैलेन्द्र नागौरी,बी०चि०पदा० ग्वालियर केन्द्र
23	श्री निवास शर्मा	सी०पी० 910 / 13	ग्वालियर	वेतनमान के संबंध में	डॉ०शैलेन्द्र नागौरी,बी०चि०पदा० ग्वालियर केन्द्र
24	डॉ० चन्द्रशेखर जायसवाल	डब्ल्यू०पी०एस० 3234 / 15	ग्वालियर	पदोन्नति हेतु	डॉ०एम०सी०जैन, प्रभारी विशेषज्ञ ग्वालियर चिकि०
25	डॉ० व्ही०सी०जैन	डब्ल्यू०पी०एस० 1947 / 14	ग्वालियर	सिलेक्शन ग्रेड हेतु	डॉ०शैलेन्द्र नागौरी,बी०चि०पदा० ग्वालियर केन्द्र
26	श्री दिनेश कुमार सेलिया	डब्ल्यू०पी०एस० 2184 / 14	ग्वालियर	सेवा में बहाल करने बाबद	डॉ०शैलेन्द्र नागौरी,बी०चि०पदा० ग्वालियर केन्द्र
27	श्री महेशचन्द्र शिवहरे	अवमानना प्र.क्र. 816 / 14	ग्वालियर	वेतनमान के संबंध में	डॉ०शैलेन्द्र नागौरी,बी०चि०पदा० ग्वालियर केन्द्र
28	श्री अनिल कुमार बाथम	अवमानना प्र.क्र. 161 / 15	ग्वालियर	वेतनमान के संबंध में	डॉ०शैलेन्द्र नागौरी,बी०चि०पदा० ग्वालियर केन्द्र
29	श्री नारायण दास बाथम	अवमानना प्र.क्र. 162 / 15	ग्वालियर	वेतनमान के संबंध में	डॉ०शैलेन्द्र नागौरी,बी०चि०पदा० ग्वालियर केन्द्र
30	श्री राजेश रायकवार	अवमानना प्र.क्र. 163 / 15	ग्वालियर	वेतनमान के संबंध में	डॉ०शैलेन्द्र नागौरी,बी०चि०पदा० ग्वालियर के

31	श्रीमती सुनिता शिवहरे	अवमानना प्र.क. 164 / 15	ग्वालियर	वेतनमान के संबंध में	डॉ०शैलेन्द्र नागौरी,बी०चि०पदा० ग्वालियर केन्द्र
32	श्री कृष्णकान्त बाजपेयी	डब्ल्यू०पी०एस० / 6655 / 14	ग्वालियर	पेंशन के संबंध में	डॉ०शैलेन्द्र नागौरी,बी०चि०पदा० ग्वालियर केन्द्र
33	श्री गणेशचन्द्र गुप्ता	डब्ल्यू०पी०एस० / 1420 / 15	ग्वालियर	बकाया राशि के भुगतान के संबंध में	डॉ०शैलेन्द्र नागौरी,बी०चि०पदा० ग्वालियर केन्द्र
34	म०प्र०शासन विरुद्ध डॉ० अभय भाले	डब्ल्यू०ए० / / 14	ग्वालियर	स्थानान्तर के संबंध में	डॉ०शैलेन्द्र नागौरी,बी०चि०पदा० ग्वालियर केन्द्र
35	श्री गणेशचन्द्र गुप्ता विरुद्ध म०प्र०शासन व अन्य	डब्ल्यू०पी०एस० / 1420 / 15	ग्वालियर	बकाया राशि के संबंध में	डॉ०शैलेन्द्र नागौरी,बी०चि०पदा० ग्वालियर केन्द्र
36	श्रीमती माया देवी विरुद्ध म०प्र०शासन व अन्य	डब्ल्यू०पी०एस० 166 / 15	ग्वालियर	फेमिली पेंशन हेतु	डॉ०शैलेन्द्र नागौरी,बी०चि०पद 10 ग्वालियर केन्द्र
37	डॉ० श्रीकान्त गुप्ता विरुद्ध म०प्र०शासन	डब्ल्यू०पी०एस० 3237 / 16	ग्वालियर	पदोन्नति के संबंध में	डॉ०शैलेन्द्र नागौरी,बी०चि०पद 10 ग्वालियर केन्द्र
38	डॉ० श्रीकान्त जैन विरुद्ध बी०आर० नायडू, प्रमुख सचिव	सी०पी० 762 / 16	ग्वालियर	पदोन्नति के संबंध में	डॉ०शैलेन्द्र नागौरी,बी०चि०पद 10 ग्वालियर केन्द्र
39	डॉ० आर०के०शुक्ला व अन्य	सी०पी० / 834 / 16	ग्वालियर	भत्तों के संबंध में	डॉ०शैलेन्द्र नागौरी,बी०चि०पद 10 ग्वालियर केन्द्र
40	श्री शिवचरण चौहान विरुद्ध म०प्र०शासन व अन्य	डब्ल्यू०पी०एस० 4808 / 16	ग्वालियर	वेतनमान के संबंध में	डॉ०शैलेन्द्र नागौरी,बी०चि०पद 10 ग्वालियर केन्द्र
41	डॉ० चन्द्रशेखर जायसवाल विरुद्ध म०प्र०शासन व अन्य	डब्ल्यू०पी०एस० 3234 / 15	ग्वालियर	पदोन्नति के संबंध में	डॉ० एम०सी०जैन,ईएन ०टी० विशेषज्ञ, चिकित्सालय, ग्वालियर

42	श्रीमती राज रक्षाणी गुप्ता विरुद्ध मप्रशासन व अन्य	डब्ल्यूपीएस 7166 / 16	ग्वालियर	पेंशन के संबंध में	डॉ०शैलेन्द्र नागौरी,बी०चि०पद 10 ग्वालियर केन्द्र
43	डॉ० ए०के०शर्मा	ओ०ए० 1027 / 90	जबलपुर	तदर्थ सेवा जारी रखने बाबद	डॉ० डी०के०गुप्ता, बी०चि०पदा०, जबलपुर केन्द्र
44	डॉ० श्रीमती अपेक्षा निगम	डब्ल्यूपीएस 4731 / 04	जबलपुर	एन०पी०ए० के संबंध में	श्री जी०सी०नाग, सहा०श्रमायुक्त, जबलपुर
45	डॉ०श्रीमती ए०पी०खलखों	डब्ल्यूपीएस 6547 / 05	जबलपुर	सेवा समाप्ति के संबंध में	क्षेत्रीय उपसंचालक, जबलपुर
46	डॉ० व्ही०बी०भसीन	ओ०ए० 127 / 96	जबलपुर	वेतनमान के संबंध में	क्षेत्रीय उपसंचालक, जबलपुर
47	डॉ०श्रीमती एस० डाकवाले	ओ०ए० 685 / 01 डब्ल्यूपीएस 2600 / 03	जबलपुर	सिलेक्शन ग्रेड के संबंध में	डॉ० डी०के०गोटिया, बी०चि०पदा०, जबलपुर केन्द्र
48	डॉ० एस०के० मालवीय	डब्ल्यूपी० 6440 / 08	जबलपुर	डी०पी०सी० के संबंध में	डॉ० डी०के०गुप्ता, बी०चि०पदा०, जबलपुर केन्द्र
49	डॉ०श्रीमती जया श्रीवास्तव	डब्ल्यूपीएस 5201 / 09	जबलपुर	सिलेक्शन ग्रेड के संबंध में	डॉ० डी०के०गुप्ता, बी०चि०पदा०, जबलपुर केन्द्र
50	डॉ० पी०के०शुक्ला	डब्ल्यूपीएस 25912 / 03	जबलपुर	त्रिस्तरीय वेतनमान हेतु	डॉ० डी०के०गुप्ता, बी०चि०पदा०, जबलपुर केन्द्र
51	श्रीमती अनिता सक्सेना	डब्ल्यूपीएस 6911 / 04	जबलपुर	अनुकम्पा नियुक्ति हेतु	डॉ० डी०के०गोटिया, बी०चि०पदा०, जबलपुर केन्द्र
52	श्री रामनाथ गुप्ता	डब्ल्यूपीएस 10055 / 09	जबलपुर	वेतन वृद्धि	डॉ० डी०के०गुप्ता, बी०चि०पदा०, जबलपुर केन्द्र

53	श्री अशोक कुमार सिंह	डब्ल्यू0पी0एस0 5168 / 07	जबलपुर	वेतनमान बाबद	डॉ0 डी0के0गुप्ता, बी0चि0पदा0, जबलपुर केन्द्र
54	डॉ0श्रीमती गीतांजली गौधी	डब्ल्यू0पी0एस0 11383 / 06	जबलपुर	सेवा निवृत्ति के स्वत्वों बाबद	क्षेत्रीय उपसंचालक, जबलपुर
55	डॉ0 एस0के0मालवीय	डब्ल्यू0पी0एस0 5577 / 07	जबलपुर	पदोन्नति एवं उच्च वेतनमान बाबद	डॉ0 डी0के0गुप्ता, बी0चि0पदा0, जबलपुर केन्द्र
56	डॉ0 हीरालाल जाटव	डब्ल्यू0पी0एस0 187 / 12	जबलपुर	एन0पी0ए0 के संबंध में	डॉ0 डी0के0गुप्ता, बी0चि0पदा0, जबलपुर केन्द्र
57	डॉ0 कौशल मिश्रा व अन्य 4 चिकित्सक	डब्ल्यू0पी0एस0 134 / 12	जबलपुर	एन0पी0ए0 के संबंध में	डॉ0 डी0के0गुप्ता, बी0चि0पदा0, जबलपुर केन्द्र
58	श्रीमती गीता त्रिपाठी	डब्ल्यू0पी0एस0 11150 / 13	जबलपुर	65 वर्ष आयु के संबंध में	डॉ0 डी0के0 गोटिया, उप संचालक, जबलपुर
59	डॉ.श्रीमती जया श्रीवास्तव	डब्ल्यू0पी0एस0 19701 / 13	जबलपुर	एन0पी0ए0 के संबंध में	डॉ0 डी0के0 गोटिया, उप संचालक, जबलपुर
60	श्रीमती मेरी अख्तर खान	डब्ल्यू0पी0एस0 11151 / 13	जबलपुर	65 वर्ष आयु के संबंध में	डॉ0 डी0के0 गोटिया, उप संचालक, जबलपुर
61	श्री रामनाथ मोर्य	एम0ए0 1122 / 12	जबलपुर	पुर्नभुगतान के संबंध में	डॉ0 डी0के0गुप्ता बी0चि0पदा0 जबलपुर केन्द्र
62	श्रीमती रेशमा खलिक	डब्ल्यू0पी0एस0 7058 / 14	जबलपुर	पेंशन स्वत्वों के संबंध में	डॉ0 डी0के0गुप्ता बी0चि0पदा0 जबलपुर केन्द्र

63	डॉ० एस०के०मालवीय	डब्ल्यू०पी०एस० 16877 / 14	जबलपुर	डी०पी०सी० के संबंध में	डॉ० संजीव नाईक बी०चि०पदा० मुख्यालय
64	डॉ० आर०के० गुप्ता	डब्ल्यू०पी०एस० 9750 / 14	जबलपुर	वरिष्ठ वेतनमान के संबंध में	डॉ० डी०के० गोटिया, उप संचालक, जबलपुर
65	डॉ० एस०के०मालवीय	डब्ल्यू०पी०एस० 9321 / 12	जबलपुर	डी०पी०सी० के संबंध में	सहायक श्रमायुक्त जबलपुर
66	श्री रामनिश्चय शर्मा	डब्ल्यू०पी०एस० 6156 / 15	जबलपुर	वेतनमान के संबंध में	डॉ० डी०के० गोटिया, उप संचालक, जबलपुर
67	क०रा०बी०निगम विरुद्ध म०प्र०शासन व अन्य	डब्ल्यू०पी०एस० 11460 / 15	जबलपुर	अंशदान के संबंध में	डॉ० डी०के० गोटिया, उप संचालक, जबलपुर
68	म०प्र०शासन विरुद्ध डॉ० डी०के०गोटिया व अन्य	डब्ल्यू०ए० 837 / 15	जबलपुर	निर्णय दिनोंक 7.1.15 के विरुद्ध अपील	डॉ० डी०के० गुप्ता, बी०चि०पदा०, जबलपुर केन्द्र
69	श्री राजाराम ठाकुर	डब्ल्यू०पी०एस० 14354 / 15	जबलपुर		डॉ० डी०के० गोटिया, उप संचालक, जबलपुर
70	श्रीमती अमित कुमार तिवारी व अन्य विरुद्ध म०प्र०शासन	डब्ल्यू०पी०एस० 19592 / 15	जबलपुर	नियुक्ति के संबंध में	डॉ० डी०के० गोटिया, उप संचालक, जबलपुर
71	श्री मथुरा प्रसाद व अन्य विरुद्ध म०प्र०शासन	डब्ल्यू०पी०एस० 2900 / 16	जबलपुर	पेंशन के संबंध में	डॉ० डी०के० गोटिया, उप संचालक, जबलपुर

72	डॉ० महेन्द्र शाह	डब्ल्यू०पी०एस० 6246 / 08	इन्दौर	डी०पी०सी० के संबंध में	डॉ० अखिलेश शर्मा, बी०चि०पदा०, इन्दौर
73	डॉ० श्रीमती छाया बंदिष्टे	डब्ल्यू०पी०एस० 4266 / 09	इन्दौर	सीनियर पे स्केल बाबद	डॉ० महिम वैध, बी०चि०पदा०, इन्दौर
74	डॉ० एच०पी० बैण्डवाल	डब्ल्यू०पी०एस० 2810 / 10	इन्दौर	चार स्तरीय वेतनमान के संबंध में	सहा०श्रमा आयुक्त, इन्दौर
75	डॉ० प्रमोद शर्मा	डब्ल्यू०पी०एस० 1172 / 10	इन्दौर	जॉच के संबंध में	डॉ० महिम वैध, बी०चि०पदा०, इन्दौर
76	डॉ० शरदचन्द्र द्विवेदी	डब्ल्यू०पी०एस० 9241 / 09	इन्दौर	62 वर्ष आयु के संबंध में	डॉ० अखिलेश शर्मा, बी०चि०पदा०, इन्दौर
77	डॉ० सत्यनारायण गुप्ता	डब्ल्यू०पी०एस० 5420 / 11	इन्दौर	क्षय रोग विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति हेतु	डॉ० महिम वैध, बी०चि०पदा०, इन्दौर
78	म०प्र०एम्पलाईज स्टेट इन्शुरेन्स डॉ० एसो० (रजि)	डब्ल्यू०ए० 23 / 12	इन्दौर	चार स्तरीय वेतनमान बाबद	सहा०श्रमायुक्त, इन्दौर
79	डॉ० योगेश शाह	डब्ल्यू०पी०एस० 5019 / 12	इन्दौर	पेंशन के संबंध में	डॉ० महिम वैध, बी०चि०पदा०, इन्दौर
80	श्रीमती निर्मला वर्मा	डब्ल्यू०पी०एस० 8767 / 12	इन्दौर	पदोन्नति के संबंध में	डॉ० अखिलेश शर्मा, बी०चि०पदा०, इन्दौर
81	डॉ० कु. एन० वागले	डब्ल्यू०पी०एस० 10109 / 13	इन्दौर	पदोन्नति बाबद	डॉ० महिम वैध, बी०चि०पदा०, इन्दौर केन्द्र

82	रामदेव प्रसाद यादव	एम0ए0 1431 / 10	इन्दौर	पुर्नभुगतान बाबद	डॉ0 अखिलेश शर्मा, बी0चि0पदा0, इन्दौर केन्द्र
83	श्रीमती कमल गणवीर	डब्ल्यू0पी0एस0 4329 / 07	इन्दौर	पदौन्नति बाबद	डॉ0 महिम वैध, बी0चि0पदा0, इन्दौर केन्द्र
84	श्री कैलाशचन्द्र काबरा	डब्ल्यू0पी0एस0 8963 / 14	इन्दौर	वेतनमान के संबंध में	डॉ0 अखिलेश शर्मा, बी0चि0पदा0, इन्दौर केन्द्र
85	श्रीमती कुशल लाजरस	डब्ल्यू0पी0एस0 2158 / 15	इन्दौर	65 वर्ष आयु के संबंध में	डॉ0 महिम वैध, बी0चि0पदा0, इन्दौर केन्द्र
86	डॉ0 शशांक वझे	डब्ल्यू0पी0एस0 2158 / 15	इन्दौर	एन0पी0ए0 के संबंध में	डॉ0 महिम वैध, बी0चि0पदा0, इन्दौर केन्द्र
87	डॉ0 डी0के0सोढा	डब्ल्यू0पी0एस0 3171 / 15	इन्दौर	एन0पी0ए0 के संबंध में	डॉ0 महिम वैध, बी0चि0पदा0, इन्दौर केन्द्र
88	डॉ0 एच0पी0बैण्डवाल	डब्ल्यू0पी0एस0 4102 / 15	इन्दौर	एन0पी0ए0 के संबंध में	डॉ0 महिम वैध, बी0चि0पदा0, इन्दौर केन्द्र
89	रेणु उइके	डब्ल्यू0पी0एस0 7141 / 15	इन्दौर	वरिष्ठता बाबद	डॉ0 महिम वैध, बी0चि0पदा0, इन्दौर केन्द्र
90	डॉ0 सत्यनारायण गुप्ता विरुद्ध म0प्र0शासन	डब्ल्यू0पी0एस0 8420 / 11	इन्दौर	क्षय रोग विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नत के संबंध में	डॉ0 महिम वैध, बी0चि0पदा0, इन्दौर केन्द्र
91	डॉ0 प्रदीप सिंह विरुद्ध म0प्र0शासन	डब्ल्यू0पी0एस0 8565 / 15	इन्दौर	स्थानांतरण के संबंध में	डॉ0 विकास सिहुरकर, उपसंचालक, इन्दौर

92	श्रीमती ममता लाहोरे विरुद्ध म०प्र०शासन	डब्ल्यू०पी०एस० 3231 / 16	इन्दौर	अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में	डॉ० महिम वैध, बी०चि०पदा०, इन्दौर केन्द्र
93	श्री संजय पाटिल व अन्य विरुद्ध म०प्र०शासन	डब्ल्यू०पी०एस० 6507 / 16	इन्दौर	टेंडर के संबंध में	डॉ० महिम वैध, बी०चि०पदा०, इन्दौर केन्द्र
94	श्री हकीम सिंह विरुद्ध क०रा०बी०नि० चिकि० व अन्य	डब्ल्यू०पी०एस० 5083 / 16	इन्दौर	वेतन भत्तों के संबंध में	डॉ० एन०के० गुप्ता, बी०चि०पदा०, इन्दौर केन्द्र
95	डॉ० एस० के० तोषनीवाल विरुद्ध म०प्र०शासन	डब्ल्यू०पी०एस० 4322 / 16	इन्दौर	पदोन्नति के संबंध में	डॉ० एन०के० गुप्ता, बी०चि०पदा०, इन्दौर केन्द्र
96	डॉ० सुजाता भर्गव विरुद्ध एम० वार्ष्णेय प्रमुख सचिव, श्रम विभाग	सी०पी० / 892 / 15	इन्दौर	पेंशन के संबंध में	डॉ० विकास सिहुरकर, उपसंचालक, इन्दौर
97	डॉ० भारती भाटिया विरुद्ध शंकर अग्रवाल, सचिव पब्लिक हेल्थ, नई दिल्ली व अन्य	सी०पी० / 429 / 16	इन्दौर	आदर्श चिकित्सालय में नियुक्ति हेतु	डॉ० विकास सिहुरकर, उपसंचालक, इन्दौर
98	म०प्र०शासन विरुद्ध विक्रम बाथम	एस०एल०पी० 12549 / 03	नई दिल्ली	एन०पी०ए० के संबंध में	संचालक, क०रा०बी०सेवायें
99	म०प्र०शासन विरुद्ध डॉ० शीलनाथ करकरे	एस०एल०पी० 15514 / 03	नई दिल्ली	एन०पी०ए० के संबंध में	संचालक, क०रा०बी०सेवायें
100	म०प्र०शासन विरुद्ध डॉ० ए०के०सिंघई	एस०एल०पी० 15515 / 03	नई दिल्ली	एन०पी०ए० के संबंध में	संचालक, क०रा०बी०सेवायें
101	म०प्र०शासन विरुद्ध डॉ० सुधाकर वैद्य	एस०एल०पी० 17815 / 03	नई दिल्ली	एन०पी०ए० के संबंध में	संचालक, क०रा०बी०सेवायें
102	म०प्र०शासन विरुद्ध डॉ० टी०एस०सिकरवार	एस०एल०पी० 17879 / 03	नई दिल्ली	एन०पी०ए० के संबंध में	संचालक, क०रा०बी०सेवायें

103	म०प्र०शासन विरुद्ध डॉ० एम०सिलावट	एस०एल०पी० 12029 / 03	नई दिल्ली	एन०पी०ए० के संबंध में	संचालक, क०रा०बी०सेवायें
104	म०प्र०शासन विरुद्ध डॉ० योगेन्द्र श्रीवास्तव	एस०एल०पी० 16072 / 04	नई दिल्ली	एन०पी०ए० के संबंध में	संचालक, क०रा०बी०सेवायें
105	म०प्र०शासन विरुद्ध डॉ० महेश गुप्ता	एस०एल०पी० 16075 / 04	नई दिल्ली	एन०पी०ए० के संबंध में	संचालक, क०रा०बी०सेवायें
106	म०प्र०शासन विरुद्ध डॉ० एस०के०मालवीय	एस०एल०पी० 16084 / 04	नई दिल्ली	एन०पी०ए० के संबंध में	संचालक, क०रा०बी०सेवायें
107	म०प्र०शासन विरुद्ध डॉ० अरुण प्रकाश खरे	एस०एल०पी० 16086 / 04	नई दिल्ली	एन०पी०ए० के संबंध में	संचालक, क०रा०बी०सेवायें
108	म०प्र०शासन विरुद्ध डॉ० श्रीमती एस० अजीज	एस०एल०पी० 16088 / 04	नई दिल्ली	एन०पी०ए० के संबंध में	संचालक, क०रा०बी०सेवायें
109	म०प्र०शासन विरुद्ध डॉ० श्रीमती हिमान्द्री सतपथी	एस०एल०पी० 16089 / 04	नई दिल्ली	एन०पी०ए० के संबंध में	संचालक, क०रा०बी०सेवायें
110	म०प्र०शासन विरुद्ध डॉ० श्रीमती विनीता दुबे	एस०एल०पी० 16091 / 04	नई दिल्ली	एन०पी०ए० के संबंध में	संचालक, क०रा०बी०सेवायें
111	म०प्र०शासन विरुद्ध डॉ० डी०के०गोटिया	एस०एल०पी० 16092 / 04	नई दिल्ली	एन०पी०ए० के संबंध में	संचालक, क०रा०बी०सेवायें
112	म०प्र०शासन विरुद्ध डॉ० रजाउल खलिक	एस०एल०पी० 17172 / 04	नई दिल्ली	एन०पी०ए० के संबंध में	संचालक, क०रा०बी०सेवायें
113	डॉ० श्रीमती गीतांजली गौधी	एस०एल०पी० 104 / 03	नई दिल्ली	एन०पी०ए० के संबंध में	संचालक, क०रा०बी०सेवायें
114	डॉ० एस०के०चौधरी	एस०एल०पी० 17170 / 03	नई दिल्ली	एन०पी०ए० के संबंध में	संचालक, क०रा०बी०से०
115	डॉ० व्हाय० सुब्बाराव	एस०एल०पी० 16094 / 03	नई दिल्ली	एन०पी०ए० के संबंध में	संचालक, क०रा०बी०से०

हितग्राहियों से संबंधित प्रकरण :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्रीमती शाहिदा	4 / 2000	मन्दसौर	पुर्नभुगतान संबंध में	बी0चि0पदा0, मन्दसौर केन्द्र
2	श्री सिकन्दर	2 / 03	सतना	पुर्नभुगतान संबंध में	प्रभारी सतना केन्द्र
3	श्री बालूराम	3 / 05	मन्दसौर	पुर्नभुगतान संबंध में	प्रभारी मन्दसौर केन्द्र
4	श्रीमती विनीता वर्मा	107 / 07	ग्वालियर	नसबन्दी आप्रेशन असफल होने बाबद	प्रभारी ग्वालियर केन्द्र
5	श्री खुबसिंह	4 / 09	भोपाल	क्षतिपूर्ति बाबद	डॉ0 जे0के0वर्मा, बी0चि0पदा0 प्रभारी भोपाल केन्द्र
6	श्री प्रमोद शर्मा	01 / 09	भोपाल	याचिका की प्रति अप्राप्त	बी0चि0पदा0 प्रभारी भोपाल केन्द्र
7	श्री कपिल माण्डले	8 / 07	भोपाल	पुर्नभुगतान के संबंध में	डॉ0 जे0के0वर्मा, बी0चि0पदा0 प्रभारी भोपाल केन्द्र
8	श्रीमती बबिता	8 / 08	देवास	ऑपरेशन असफल होने बाबद	बी0चि0पदा0, प्रभारी देवास केन्द्र
9	श्री नीलकंठ शुभूप्रसाद तिवारी	2 / 11 / ईएसआय	भोपाल	पुर्नभुगतान	उप संचालक, भोपाल
10	श्रीमती पूजा चौबे	3 / ईएसआय / 10	सागर	पुर्नभुगतान	बी0चि0पदा0 सागर केन्द्र
11	श्रीमती गुड्डीबाई	1 / 12	सागर	पुर्नभुगतान बाबद	डॉ0 पी0एस0 चौहान, सागर केन्द्र
12	श्रीमती राजरानी ओमप्रकाश शुक्ला	5 / 03	इन्दौर	पुर्नभुगतान बाबद	डॉ0 महिम वैध, इन्दौर केन्द्र
13	श्री सुदाम पिता सुनिल लश्करी	397 / 12	सागर	पेंशन के स्वत्वों बाबद	डॉ0 जी0एस0 चौहान, सागर केन्द्र

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	श्री दीपसिंह सिसोदिया	825 / 13	धार	पुर्नभुगतान के संबंध में	डॉ० सतीश सुमन, बी०चि०पदा० पीथमपुर केन्द्र
15	श्रीमती नीलम चन्देल	108 / 13	देवास	पुर्नभुगतान के संबंध में	बी०चि०पदा० देवास केन्द्र
16	श्री बालकृष्ण गर्ग	628 / 13	सतना	पुर्नभुगतान के संबंध में	बी०चि०पदा० सतना केन्द्र
17	श्री श्यामलाल हरबोल	1 / 14	सतना	पेंशन एवं अन्य भत्तों के संबंध में	बी०चि०पदा० सतना केन्द्र
18	श्री पुष्परज सिंह	300 / 14	सतना	पुर्नभुगतान के संबंध में	बी०चि०पदा० सतना केन्द्र
19	श्री शेषमणि नामदेव	2 / 14	भोपाल	पुर्नभुगतान के संबंध में	बी०चि०पदा० भोपाल केन्द्र
20	श्री राजेन्द्र सिंह बघेल	247 / 14	रीवा	पुर्नभुगतान बाबद	बी०चि०पदा० सतना
21	श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव	5 / 14	भोपाल	पुर्नभुगतान बाबद	बी०चि०पदा० भोपाल केन्द्र
22	श्री देवीदास रामदास	06 / 14	भोपाल	हितलाभ के संबंध में	बी०चि०पदा०, भोपाल केन्द्र
23	श्री सुखराम	2 / एसआयए / 15	इन्दौर	क्लेम के संबंध में	डॉ० महिम वैद्य, बी०चि०पदा० इन्दौर केन्द्र
24	विरेन्द्र कुमार कुशवाह	21 / 15	सतना	क्लेम के संबंध में	बी०चि०पदा० सतना केन्द्र
25	श्री रामसिंह फूलसिंह	5 / 15	पीथमपुर	क्लेम के संबंध में	बी०चि०पदा० पीथमपुर केन्द्र
26	श्रीमती शारदा बाई	114 / 15	इन्दौर	क्लेम के संबंध में	बी०चि०पदा० इन्दौर केन्द्र
27	अब्दुल रहीम खा	1 / 11	भोपाल	क्लेम के संबंध में	बी०चि०पदा० भोपाल केन्द्र

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28	अब्दुल आहद	7 / 15	भोपाल	पुर्नभुगतान के संबंध में	उप संचालक, भोपाल क्षेत्र
29	श्री पुष्पराज सिंह	1 / 15	सतना	क्लेम के संबंध में	बी०चि०पदा० सतना केन्द्र
30	श्री तरप सिंह	5 / 15	खण्डवा	पुर्नभुगतान बाबद	बी०चि०पदा० बुरहानपुर केन्द्र
31	श्रीमती ताराबाई	15 / 16	इन्दौर	प्रमाण पत्र हेतु	डॉ० संजय वैद्य, क्षय रोग विशेषज्ञ, क्षय चिकित्सालय, इन्दौर
32	श्री अमित कुमार वैश्य			पेंशन के संबंध में	प्रभारी विशेषज्ञ, क०रा०बी०चिकित्सालय देवास
33	श्री मुरलीधर शर्मा	5 / 16 ESI Act	इन्दौर	पुर्नभुगतान	सतना केन्द्र
34	श्रीमती सुनिता बामनिया	1 / 16		प्रमाण पत्र	डॉ० महिम वैद्य
35	श्री सुबोध चन्दुलाल चौहान	1 / 16		पुर्नभुगतान	बी०चि०पदा० बुरहानपुर केन्द्र
36	श्री भगवान कन्हैयालाल	99 / 16		पुर्नभुगतान	देवास केन्द्र
37	श्री निलेश जलखरे	94 / 16		पुर्नभुगतान	देवास केन्द्र

अध्याय-12

श्रम न्यायपालिका

12.1. संवैधानिक व्यवस्था

संविधान के अनुच्छेद 323-ख (1) में व्यवस्था है कि समुचित विधान मंडल, कानून द्वारा, उक्त अनुच्छेद के खण्ड (2) में उल्लेखित प्रकार के विवादों के अधिकरणों द्वारा न्याय निर्णयन या विचारण के लिए उपबंध कर सकेगा। उक्त अनुच्छेद के खंड (2) में उल्लेखित विषयों में “औद्योगिक और श्रम विवाद” भी सम्मिलित है।

म.प्र. औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 9 के अंतर्गत प्रदेश में औद्योगिक न्यायालय गठित है। साथ ही, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7-क के अंतर्गत मध्य प्रदेश औद्योगिक न्यायाधिकरण गठित है। धारा 7-क के अनुसार कोई भी औद्योगिक विवाद, चाहे वह अधिनियम की अनुसूची दो का विषय हो अथवा अनुसूची तीन का, राज्य शासन द्वारा औद्योगिक न्यायाधिकरण को अधिनिर्णयार्थ सौंपा जा सकता है। औद्योगिक न्यायालय के अध्यक्ष ही औद्योगिक न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में भी नियुक्त है। मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 8, सहपठित औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7 के अंतर्गत प्रदेश में श्रम न्यायालय कार्यरत हैं।

औद्योगिक न्यायालय तथा श्रम न्यायालय, विभिन्न केन्द्रीय व राज्य विधानों के अंतर्गत औद्योगिक विवादों की सुनवाई करते हैं।

12.2. औद्योगिक न्यायालयों की खंडपीठ व प्रशासन

मध्य प्रदेश औद्योगिक न्यायालय की मुख्य खंडपीठ इन्दौर में है, तथा 4 खंडपीठें क्रमशः जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल एवं रीवा में स्थापित हैं। औद्योगिक न्यायालय में अध्यक्ष के अलावा 6 सदस्य न्यायाधीशों के पद स्वीकृत हैं जिनमें से दो मुख्यालय इन्दौर में, एवं शेष चार खंडपीठों के लिए हैं। मुख्यालय पर प्रशासकीय व कार्यपालक कार्य के लिए एक पंजीयक है, जो न्यायिक कार्य के लिए कराधान अधिकारी भी है। खंडपीठों में संयुक्त पंजीयक, प्रशासकीय अधिकारी है। राज्य में कुल 25 श्रम न्यायालय गठित हैं जिनमें से 23 श्रम न्यायालय नियमित रूप से कार्यरत हैं। जिन श्रम न्यायालयों में पीठासीन अधिकारी के पद रिक्त हैं, वहां का प्रभार अन्य निकटस्थ श्रम न्यायालय में कार्यरत पीठासीन अधिकारी को अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है।

औद्योगिक न्यायालय तथा विभिन्न श्रम न्यायालयों द्वारा वर्ष 2016 में प्रकरणों के निराकरण संबंधी जानकारी परिशिष्ट 12.1 एवं 12.2 में दी गई है।

पदोन्नति :- वर्ष 2016 में तृतीय श्रेणी में 36 कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान की गई एवं चतुर्थ श्रेणी में किसी भी कर्मचारी को पदोन्नति प्रदान नहीं की गई।

विभागीय जॉच:- वर्ष 2016 में दिनांक 31-12-2016 की स्थिति में विभागीय जॉच के 4 प्रकरण लंबित हैं।

नियुक्तियाँ :- वर्ष 2016 में तृतीय श्रेणी में सहायक ग्रेड-3 के पद पर 2 कर्मचारियों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई ।

स्थानांतरण :-श्रम न्यायिक संस्थान में वर्ष 2016 में तृतीय श्रेणी में 14 एवं चतुर्थ श्रेणी में 13 कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया ।

न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति :- शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा शासन के विरुद्ध दायर न्यायालयीन प्रकरणों के अंतर्गत जानकारी नीचे तालिका में दर्शाई जा रही है ।

: तालिका ::

अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा मध्यप्रदेश शासन के विरुद्ध दायर याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों की सूची दिनांक 31.12.2016 की अद्यतन स्थिति में.

क	आवेदक का नाम एवं पद	प्रकरण क्रमांक	माननीय सर्वोच्च / उच्च न्यायालय जबलपुर/खंडपीठ इन्दौर/ग्वालियर	विषय	प्रकरण में प्रभारी अधिकारी	प्रत्यावर्तन प्रस्तुत किये जाने का दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री बी.एस.वाडिवा विरुद्ध म.प्र.शासन	1243/07 (सि.अ.)	उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली	उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध	राजेश पंड्या रजिस्ट्रार औद्योगिक न्याया. म.प्र. इन्दौर.	04.01.2007
2	श्री ए.सी.सक्सेना पीठासीन अधिकारी विरुद्ध म.प्र. शासन	22438/03	उच्च न्यायालय जबलपुर	प्रतिकूल टीप के विरुद्ध	श्री अशोक दुबे संयुक्त पंजीयक जबलपुर	08.01.2003
3	श्रम न्यायपालिका संगठन विरुद्ध म.प्र.शासन	1700/04	उच्च न्यायालय जबलपुर	सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष बाबद	सहायक श्रमायुक्त जबलपुर	29.7.2004
4	श्री रामस्वरूप कुम्हार विरुद्ध म.प्र.शासन	13087/06 (एस)	उच्च न्यायालय जबलपुर	अनिवार्य सेवा निवृत्ति के विरुद्ध	सहायक श्रमायुक्त भोपाल	22.9.2007
5	श्री अशोक कुमार दुबे विरुद्ध म.प्र.शासन	11899/09 (एस)	उच्च न्यायालय जबलपुर	उच्चतर वेतनमान दिये जाने हेतु	सहायक श्रमायुक्त जबलपुर	14.7.2011
6	श्री एस.के. विजयवर्गीय विरुद्ध म.प्र.शासन	6009/11 (एस)	उच्च न्यायालय जबलपुर	उच्चतर वेतनमान दिये जाने बाबद	उप श्रमायुक्त भोपाल	26.7.2011
7	श्रीमती किरणबाला पाठक विरुद्ध म.प्र.शासन	14412/11	उच्च न्यायालय जबलपुर	उच्चतर वेतनमान दिये जाने बाबत	पंजीयक औद्योगिक न्यायालय म.प्र. इन्दौर	20.3.2013
8	श्री मनोज वारनर विरुद्ध म.प्र.शासन	7190/11 (एस)	उच्च न्यायालय जबलपुर	सेवा समाप्ति के विरुद्ध	श्री अशोक दुबे, संयुक्त पंजीयक जबलपुर .	2.1.2012
9	श्री आर.एन.शुक्ला विरुद्ध म.प्र.शासन	18876/13	उच्च न्यायालय जबलपुर	गृह भाडा, मेडिकल व अन्य सुविधाए दिये जाने बाबत	श्री अशोक दुबे, संयुक्त पंजीयक जबलपुर	30-09-2014
10	श्री आर.डी.तिवारी विरुद्ध म.प्र.भासन व अन्य	12829/2014	उच्च न्यायालय जबलपुर	सेवा समाप्ति के विरुद्ध	श्री अशोक दुबे, संयुक्त पंजीयक जबलपुर	18-06-2015
11	श्रीमती आशा त्रिपाठी विरुद्ध म.प्र.शासन व अन्य	6746/2015	उच्च न्यायालय जबलपुर	स्व. पति की सेवा को बहाल कर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु	श्री अशोक दुबे, संयुक्त पंजीयक जबलपुर	30-11-2015
12	डा. पी.जी.नाज पाण्डेय विरुद्ध म.प्र.भासन व अन्य	6892/2015	उच्च न्यायालय जबलपुर	उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ वाले स्थान पर सभी न्यायाधिकरण की स्थापना हेतु	श्री अशोक दुबे, संयुक्त पंजीयक जबलपुर	प्रत्यावर्तन दायर किया जाना है

13	श्री अजीत कुमार औझा विरुद्ध म.प्र. भासन	19885 / 2015	उच्च न्यायालय जबलपुर	भासकीय आवास के किराये वसूली के विरुद्ध	श्री अशोक दुबे संयुक्त पंजीयक जबलपुर	प्रत्यावर्तन दायर किया जाना है
14	श्री अरविंद कुमार श्रीवास्तव विरुद्ध म.प्र.भासन	8723 / 2016	उच्च न्यायालय जबलपुर	वेतनमान पारित किये जाने के संबंध में	श्री अशोक दुबे संयुक्त पंजीयक जबलपुर	07-09-2016
15	श्री सतीश श्रीवास्तव विरुद्ध म.प्र.भासन	9921 / 2016	उच्च न्यायालय जबलपुर	वेतनमान	श्री अशोक दुबे, संयुक्त पंजीयक, जबलपुर	प्रत्यावर्तन दायर किया जाना है
16	श्री पी.आर.पेंडसे म.प्र. भासन व अन्य	781 / 2000	रायपुर	वेतनमान	सहायक श्रमायुक्त भोपाल	जानकारी अप्राप्त है
17	श्री ए.के.सनोठिया विरुद्ध म.प्र.भासन व अन्य	834 / 2003	उच्च न्यायालय बिलासपुर	केंडर आबंटन बाबद	श्री अशोक दुबे, संयुक्त पंजीयक जबलपुर	जानकारी अप्राप्त है
18	श्री के.एल.अग्रवाल विरुद्ध म.प्र.शासन	4662 / 10 (एस)	उच्च न्यायालय ग्वालियर	पदोन्नति / समयमान वेतनमान बाबद	सहायक श्रमायुक्त ग्वालियर	15.4.2011
19	श्रीमती जया खुले विरुद्ध म.प्र.शासन	4923 / 10 (एस)	उच्च न्यायालय ग्वालियर	पदोन्नति / समयमान वेतनमान बाबद	सहायक श्रमायुक्त ग्वालियर	15.4.2011
20	श्रीमती नीरू गुप्ता म.प्र.शासन	5353 / 10 (एस)	उच्च न्यायालय ग्वालियर	समयमान वेतनमान बाबद	सहायक श्रमायुक्त ग्वालियर	15.4.2011
21	श्री विजय कुमार बोहरे विरुद्ध म.प्र.भासन	1268 / 2014	उच्च न्यायालय ग्वालियर	न्यायिक आदेशों के विरुद्ध	सहायक श्रमायुक्त ग्वालियर	प्रत्यावर्तन दायर किया जाना है
22	श्रीमती गीता मॅगोलिया विरुद्ध म.प्र.शासन	2507 / 11 (एस)	उच्च न्यायालय इन्दौर	समयमान वेतनमान दिये जाने बाबद	पंजीयक औद्योगिक न्यायालय, म.प्र.	18.11.11
23	श्री के.एल.जरखरिया विरुद्ध म.प्र.शासन	2508 / 11 (एस)	उच्च न्यायालय इन्दौर	समयमान वेतनमान दिये जाने बाबद	पंजीयक औद्योगिक न्यायालय, म.प्र.	18.11.11
24	श्री अशोक कुमार खटके विरुद्ध म.प्र.शासन व अन्य	10058 / 2011 (एस)	उच्च न्यायालय इन्दौर	सेवा समाप्ति के विरुद्ध	पंजीयक औद्योगिक न्यायालय म.प्र.इन्दौर	28.2.2013
25	लेबर बार एसोसिएशन विरुद्ध म. प्र.भासन	5223 / 2013 (ओ)	उच्च न्यायालय इन्दौर	प्रभासकीय आदेश के विरुद्ध	पंजीयक, औद्योगिक न्यायालय म.प्र.इन्दौर	16-07-2014
26	श्री अशोक कुमार खटके विरुद्ध म.प्र.शासन व अन्य	10485 / 2013	उच्च न्यायालय इन्दौर	सेवा समाप्ति के विरुद्ध	पंजीयक औद्योगिक न्यायालय म.प्र.इन्दौर	12-02-2014
27	श्री सचिन कुमार विजयवर्गीय विरुद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य	336 / 2014 (एस)	उच्च न्यायालय इन्दौर	अग्रिम वेतनवृद्धि दिये जाने बाबत	सहायक श्रमायुक्त म.प्र. इन्दौर	09-05-2014
28	श्री विनय गंधे विरुद्ध म.प्र.भासन व अन्य	419 / 2016	उच्च न्यायालय इन्दौर	वेतनमान पारित किये न जाने के विरुद्ध	श्री एस.के.मुजुमदार, संयुक्त पंजीयक, इन्दौर	प्रत्यावर्तन दायर किया जाना है

अध्याय—13

राज्य—स्तरीय त्रिपक्षीय सलाहकार समितियां

13.1. प्रारंभिक

श्रम संबंधी मामलों में साधारणतः तीन हितधारी पक्ष— श्रमिक, नियोजक एवं शासन होते हैं जिन्हें सामाजिक भागीदार (social partners) भी कहा जाता है। श्रम के क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में इन तीन सामाजिक भागीदारों के बीच नियमित और सार्थक संवाद और विचार—विमर्श होते रहना आवश्यक है। त्रिपक्षीयता का यह सिद्धांत अनेक श्रम कानूनों एवं कार्यकारी आदेशों के तहत गठित समितियों में प्रतिबिंबित होता है। कुछ प्रमुख राज्य—स्तरीय त्रिपक्षीय समितियों का विवरण आगे दिया जा रहा है।

13.2. राज्य श्रम सलाहकार परिषद

मध्य प्रदेश श्रम सलाहकार परिषद, राज्य शासन के कार्यकारी आदेश के तहत गठित एक महत्वपूर्ण एवं सर्वोच्च त्रि—पक्षीय मंच है जो राज्य शासन को उद्योग संबंधी प्रक्रिया में सुधार, श्रम कल्याण प्रवृत्तियों को असरकारक बनाने, श्रम अधिनियमों के मूल्यांकन एवं क्रियान्वयन, तथा उद्योग एवं श्रम संबंधी विषयों पर परामर्श देता है।

परिषद के अध्यक्ष माननीय श्रम मंत्री हैं तथा श्रमायुक्त इसके सचिव हैं। प्रमुख सचिव श्रम, तथा शासन के अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी इसके सदस्य हैं। परिषद में केन्द्रीय एवं राज्य शासन के उपक्रमों के दो—दो, निजी उद्योगों के 9, श्रमिक के 14 तथा 1 सांसद एवं अध्यक्ष द्वारा मनोनीत पांच सदस्य हैं। मध्यप्रदेश श्रम सलाहकारपरिषद का कार्यकाल दिनांक 06/10/2012 को पूर्ण हो चुका है। इसके नवीन पुनर्गठन की कार्यवाही जारी है।

13.2.1 (अ) राज्य श्रम सलाहकार परिषद द्वारा द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट पर विचार

द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट भारत सरकार को जून, 2002, के अन्त में प्रस्तुत हुई और राज्य सरकारों को सितम्बर—मध्य में प्राप्त हुई। परिषद की बैठक दिनांक 18.12.02 में मुख्यतः इस रिपोर्ट पर ही विचार हुआ। आयोग ने श्रम कानूनों के संहिताकरण और एकीकरण की दिशा में, प्रथम चरण में, अनेक विद्यमान श्रम कानूनों के स्थान पर निम्नलिखित पांच कानून बनाए जाने की सिफारिश की है:—

1. कार्य स्थल पर कार्य के घंटे, अवकाश तथा अन्य कार्य की शर्तें अधिनियम
2. श्रमिक प्रबंधन संबंध अधिनियम
3. पारिश्रमिक अधिनियम
4. व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अधिनियम
5. लघु उद्योग (नियोजन संबंध) अधिनियम (उन्नीस या इससे कम कर्मचारी नियोजित करने वाली स्थापनाओं के लिए एकीकृत कानून)

इसके अलावा, आयोग ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए व्यापक स्वरूप के कानून (Umbrella Legislation) के रूप में “असंगठित क्षेत्र श्रमिक (नियोजन तथा कल्याण), अधिनियम” का प्रारूप सुझाया है, और बाल श्रम को पूरी तरह प्रतिषिद्ध करने

के लिए “बाल श्रम (प्रतिषेध एवं पुनर्वास) अधिनियम” नामक एक नवीन कानून का प्रारूप भी सुझाया है।

परिषद् ने बैठक दिनांक 18.12.02 में आयोग की सिफारिशों पर मोटे तौर पर चर्चा करने के बाद उनके सूक्ष्म परीक्षण के लिए दो समितियां गठित किए जाने का निर्णय लिया। तदनुसार श्रम राज्य मंत्रीजी ने परिषद् के अध्यक्ष की हैसियत से उसकी दो समितियां गठित कर उन्हें आयोग की रिपोर्ट के विभिन्न अध्यायों के परीक्षण का कार्य निम्नानुसार सौंपा है :-

तालिका 13.1

आयोग की रिपोर्ट के अंश जिनका परीक्षण समिति करेगी

अध्याय क्र.		अध्याय का शीर्षक (तथा उसका विशिष्ट भाग, यदि कोई हो, जिस पर विचार करेगी)
समिति क्र.1 (संगठित क्षेत्र के लिए)	5	कानूनों की समीक्षा के संबंध में दृष्टिकोण
	6	कानूनों की समीक्षा
	11	श्रम प्रशासन (“श्रमिक शिक्षा” को छोड़कर)
	12	अन्य मुद्दे भाग-1 : प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, भाग-2 : देश में रोजगार का परिदृश्य, भाग-4 : श्रम सांख्यिकी एवं शोध
समिति क्र.2 (असंगठित क्षेत्र के लिए)	7	असंगठित क्षेत्र
	8	सामाजिक सुरक्षा
	9	महिला एवं बालक
	11	श्रम प्रशासन (केवल, “श्रमिक शिक्षा” संबंधी भाग)
	12	अन्य मुद्दे केवल भाग-3 : मजदूरी और मजदूरी नीति की समीक्षा

इसके अलावा, राज्य शासन द्वारा असंगठित श्रमिकों के लिए गठित कार्य दल की अनुशंसाएं (देखें, पद 8.2) भी उक्त द्वितीय समिति को संदर्भित की गई हैं। दोनों समितियों को यह भी कहा गया है कि वे आयोग की रिपोर्ट के जिन अंशों का परीक्षण करें, उन पर अभिमत व्यक्त करने के अलावा, इस बारे में भी अनुशंसा करें कि उन विषयों के संबंध में राज्य की भावी श्रम नीति में क्या कहा जाना चाहिए।

म.प्र. असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम, 2003 महामहिम राष्ट्रपति की अनुमति से राजपत्र में दिनांक 16.7.04 को अधिसूचित हो चुका है, तथा उक्त अधिनियम के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों (शहरी/ग्रामीण) के कल्याण हेतु बोर्ड का गठन म.प्र. राजपत्र दिनांक 26 सितम्बर 2008 द्वारा किया गया है एवं तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त पुनर्गठन की कार्यवाही विचाराधीन है।

(ब) राज्य की श्रम नीति

राज्य में श्रमिकों एवं विशेष रूप से असंगठित क्षेत्रों के हित संरक्षण तथा उद्योगों के विकास को दृष्टिगत रखते हुए नवीन श्रम नीति तैयार की गई जिसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की जा चुकी है राज्य की श्रम नीति का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 29 जून 2007 को किया गया। लगभग 25 वर्ष के अंतराल के बाद निर्मित श्रम नीति में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा, कल्याणकारी गतिविधियों तथा संगठित क्षेत्रों में औद्योगिक शांति बनाये रखते हुए नवीन उद्योगों की स्थापना और श्रम

विभाग के सुदृढीकरण पर विशेष जोर दिया गया है। इस नीति के अनुरूप विभाग द्वारा क्रियान्वयन की कार्यवाही की जा रही है।

13.3. न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड

यह बोर्ड न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा-7 के अंतर्गत गठित होता है। बोर्ड का पुनर्गठन राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 2 जुलाई 2014 के द्वारा किया गया है। जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 11 जुलाई, 2014 को हुआ है। श्रमायुक्त इसके अध्यक्ष होते हैं। बोर्ड का कार्यकाल दो वर्ष का होता है, और वह अधिसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी की दरों के पुनरीक्षण के संबंध में कार्रवाई करता है। बोर्ड की अंतिम बैठक दिनांक 22 जनवरी, 2016 को हुई है।

13.4 राज्य सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड

यह बोर्ड ठेका श्रम अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत गठित होता है। इसका कार्य अधिनियम के प्रशासन से जुड़े मुद्दों पर राज्य शासन को सलाह देना है। बोर्ड का गठन 7 जनवरी 2013 को हुआ था जिसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। बोर्ड के पुनर्गठन हेतु श्रमायुक्त द्वारा दिनांक 09-01-2015 को शासन को प्रेषित प्रस्ताव पर कार्यवाही जारी है।

13.5 समान पारिश्रमिक अधिनियम के अंतर्गत सलाहकार समिति

यह समिति उक्त अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत महिलाओं को नियोजन में अधिक अवसर प्रदान करने तथा समान कार्य हेतु समान वेतन की कार्यवाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गठित की जाती है। इस समिति के पुनर्गठन की कार्यवाही प्रचलित है।

13.6 भविष्य निधि संगठन की क्षेत्रीय समिति—

इस समिति का गठन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली द्वारा भारत सरकार के राजपत्र के प्रकाशन दिनांक 28 अक्टूबर 2014 को पुनर्गठन किया गया है जिसका कार्यकाल तीन वर्ष है।

13.7 कर्मचारी राज्य बीमा निगम की क्षेत्रीय परिषद—

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना दिसंबर, 2011 द्वारा क्षेत्रीय परिषद का पुनर्गठन किया गया है। इस परिषद के अध्यक्ष माननीय श्रम मंत्री होते हैं तथा प्रमुख सचिव, श्रम, श्रमायुक्त के अलावा श्रमिक तथा नियोजक प्रतिनिधि इसके सदस्य रहते हैं।

* * *

अध्याय-14 संविधिक मंडल

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल

14.1 म0प्र0 श्रम कल्याण मण्डल, भोपाल

प्रदेश में श्रमिक कल्याण गतिविधियों की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिये म.प्र. श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 म.प्र. विधानसभा में वर्ष 1982 में पारित किया गया। म. प्र.शासन श्रम विभाग की अधिसूचना अनुसार 14 नवम्बर, 1987 से मंडल ने विधिवत कार्य प्रारंभ किया। मण्डल का मुख्य उद्देश्य कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत परिभाषित कारखानों तथा दस या इससे अधिक कर्मचारी संख्या वाली वाणिज्यिक स्थापनाओं में नियोजित श्रमिकों तथा उनके परिवारजनों के कल्याण हेतु कल्याण योजनाएं/गतिविधियां संचालित करना है। वर्तमान में मंडल द्वारा नियमित रूप से विभिन्न श्रमिक कल्याणकारी गतिविधियां संचालित की जा रही है, जो निम्नानुसार है :-

1. श्रम कल्याण एवं कौशल उन्नयन केंद्रों का संचालन
2. श्रमिक कौशल उन्नयन योजना
3. संभागीय/राज्य स्तरीय श्रमिक खेलकूद प्रतियोगिताएं
4. मासिक श्रम कल्याण का प्रकाशन
5. निःशुल्क सिलाई-कढ़ाई प्रशिक्षण

मंडल की उपरोक्त नियमित गतिविधियों के अतिरिक्त मंडल निम्न श्रमिक कल्याणकारी योजनाएं संचालित करता है :-

1. शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना
2. शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना
3. कापियों का रियायती मूल्य पर वितरण
4. विवाह सहायता योजना
5. अंतिम संस्कार हेतु सहायता
6. विधवा सहायता राशि योजना
7. चिकित्सा क्षतिपूर्ति योजना
8. शारीरिक असमर्थता पर सहायता योजना
9. बिटिया शिक्षा प्रोत्साहन योजना
10. उत्तम श्रमिक प्ररस्कार योजना
11. श्रमिक साहित्य पुरस्कार योजना

1. श्रम कल्याण निधि एवं उसका उपयोग

म.प्र. श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के उपबंधों के अधीन अधिनियम के प्रयोजनों के लिये धारा-11 की उपधारा -1 के अनुसार "निधि"मंडल में न्यासी के रूप में निहित होगी और मंडल द्वारा न्यासी के रूप में धारित और उपयोजित की जाएगी। उसके धनों का उपयोग मंडल द्वारा ऐसे क्रियाकलापों को, जो श्रमिकों और उनके आश्रितों के

कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये जाएं, कार्यान्वित करने हेतु उपयोग किया जाएगा।

उपधारा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मंडल द्वारा निधि का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों पर किये जाने वाले व्ययों को चुकाने में किया जा सकेगा:-

- (क) सामुदायिक तथा सामाजिक शिक्षा केंद्र जिनके अंतर्गत वाचनालय और पुस्तकालय भी हैं,
- (ख) सामुदायिक आवश्यकताएं,
- (ग) बालकों, स्त्रियों तथा प्रौढ़ों के लिये शैक्षणिक सुविधाएं,
- (घ) खेल तथा खेलकूद,
- (ङ) भ्रमण, पर्यटन और अवकाश गृह (हालिडे होम्स),
- (च) मनोरंजन और अन्य प्रकार के आमोद-प्रमोद,
- (छ) स्त्रियों और बेरोजगार व्यक्तियों के लिये गृह उद्योग और सहायक उपजीविकाएं,
- (ज) सामाजिक स्वरूप के सामुदायिक क्रियाकलाप,
- (झ) अधिनियम के प्रशासन का खर्च, जिसके अंतर्गत मंडल के सदस्यों के भत्ते तथा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नियुक्त किये गये अधिकारियों तथा कर्मचारीवृन्द के वेतन व भत्ते आते हैं,
- (ञ) ऐसे अन्य उद्देश्य जो मंडल की राय में श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार ला सकते हों और उनकी सामाजिक परिस्थितियों को बेहतर बना सकते हों।

2. मंडल की आय के स्रोत

1. **अभिदाय** —मंडल की आय का मुख्य स्रोत म.प्र. श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 की धारा 9 (2) (3) के प्रावधानों के अंतर्गत श्रमिकों, नियोजकों से प्राप्त अभिदाय एवं शासन से प्राप्त अंशदान है। शासन द्वारा दिनांक 02 फरवरी 2013 के राजपत्र में आम सूचना प्रकाशित कर अभिदाय दरों में वृद्धि उपरांत श्रमिकों से रुपये 10/- प्रति श्रमिक प्रति छमाही तथा नियोजकों से रुपये 30/- प्रति श्रमिक/कर्मचारी प्रति छमाही निर्धारित किए गए हैं। धारा 9 (2)(ख) परन्तुक के अनुसार नियोजक का अंशदान न्यूनतम रुपये 1500/- निर्धारित किया गया है। शासन द्वारा नियोजकों से प्राप्त अभिदाय के बराबर अंशदान मंडल को दिये जाने का प्रावधान है। किन्तु वर्तमान में प्रतिवर्ष शासन द्वारा रुपये 50 लाख मंडल को अंशदान भुगतान किया गया है।

मण्डल को वित्तीय वर्ष 2016-17 (दिसम्बर 2016 तक) की स्थिति में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों तथा स्थापनाओं से अभिदाय स्वरूप राशि रु 3,41,02,383/- (तीन करोड़ इकतालीस लाख दो हजार तीन सौ तिरासी मात्र) प्राप्त हुई है।

2. **असंदत्त संचित राशि** — मंडल को अधिनियम की धारा 11 एवं 8 के अंतर्गत असंदत्त संचित राशि प्राप्त होती है। वित्तीय वर्ष 2016-17 (दिसम्बर 2016 तक) विभिन्न औद्योगिक इकाइयों से असंदत्त संचित राशि रु. रु 64,20,732.45 पैसे (चौसठ लाख बीस हजार सात सौ बत्तीस पैसे पैतालीस मात्र) प्राप्त हुई है। असंदत्त संचित राशि के संबंध में अधिनियम की धारा 8 प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही मंडल द्वारा की जाती है।

3. **सावधि जमा** — मंडल में वित्तीय वर्ष 2015-16 में रु. 07.07 करोड़ की सावधि जमा थी। जो वित्तीय वर्ष 2016-17 (दिसम्बर 2016 तक) में रुपये—11.47 करोड़ सावधि जमा है जो राष्ट्रीयकृत बैंकों में है।

14.1 मंडल द्वारा संचालित श्रमिक कल्याणकारी गतिविधियाँ

वर्तमान में मंडल द्वारा निम्नलिखित कल्याणकारी गतिविधियाँ नियमित रूप से संचालित की जा रही हैं :-

(1) शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना

म.प्र. श्रम कल्याण मंडल द्वारा वर्ष 1989 से प्रतिवर्ष प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों एवं स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिकों के पुत्र/पुत्रियों को छात्रवृत्ति का लाभ दिया जा रहा है। मंडल द्वारा वितरित की जाने वाली छात्रवृत्ति का उद्देश्य यह है कि आर्थिक अभाव के कारण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न न हो सके। वित्तीय वर्ष 2010-11 में मंडल द्वारा वितरित छात्रवृत्ति का लाभ कक्षा पांचवी से सातवी तक रुपये 500 कक्षा आठवी से बारहवी तक रु. 600 प्रतिवर्ष, स्नातक, आई.टी.आई. एवं पोलिटेक्निक में रु. 700 प्रतिवर्ष तथा स्नातकोत्तर, बी.ई., एम.बी.बी.एस. में रु. 1300 प्रतिवर्ष छात्र/छात्राओं को दिया जा रहा है।

(2) शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना

यह योजना वर्ष 2008 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की परीक्षा 10वीं एवं 12वीं में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मेधावी छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। मंडल की 51वीं बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार इस योजना का नाम परिवर्तन कर “**शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना**” किया गया है एवं इस वर्ष से इस योजना में कक्षा स्नातक, स्नातकोत्तर, बी.ई. तथा एम. बी.बी.एस. के छात्र/छात्राओं को भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा। जिसमें कक्षा दसवीं के छात्र/छात्राओं को रु. 900 कक्षा बारहवी हेतु रु. 1000 स्नातक, स्नातकोत्तर, बी.ई. एवं एम.बी.बी.एस. हेतु 1500 प्रोत्साहन स्वरूप राशि प्रदाय की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत पृथक से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

उपरोक्त दोनों योजना में वित्तीय वर्ष 2016-17 (दिसम्बर 2016 तक) में 13,591 छात्र/छात्राओं को राशि रुपये—1,17,78,550/— स्वीकृत कर वितरित की गई है।

(3) सस्ती दरों पर कापियों का वितरण:-

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 की परिधि में आने वाले संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों के पुत्र-पुत्रियों को सस्ती दरों पर कापियों का वितरण किया जाता है।

इस योजना के अन्तर्गत मण्डल द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 (दिसम्बर 2016 तक) में 25000 हितग्राहियों को राशि रुपये 61,36,000/— की कापियाँ वितरित की गई।

(4) विवाह सहायता योजना:-

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 की परिधि में आने वाले संस्थानों में कार्यरत अकुशल, अर्द्धकुशल अथवा कुशल श्रमिकों की 18 वर्ष से अधिक आयु के विवाह हेतु राशि 6,250/- रुपये विवाह सहायता राशि प्रदाय की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 (दिसम्बर 2016 तक) में 439 हितग्राहियों को राशि रुपये 27,43,750/- की विवाह सहायता राशि वितरित की गई।

(5) अंतिम संस्कार के लिए सहायता:-

1 अप्रैल, 2003 से अंतिम संस्कार के लिये मजदूरों की सहायता प्रदान करने हेतु सहायता राशि के रूप में प्रदान की जाती है। वर्तमान में रु. 3000/- अंतिम संस्कार सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह सहायता राशि श्रमिक (पुरुष/स्त्री) के मरणोपरांत श्रमिक की पत्नी/श्रमिक अथवा उसके ज्येष्ठ पुत्र अथवा जो पुत्र अंतिम संस्कार करेंगे उसे दी जावेगी। पुत्र न होने की स्थिति में जो भी अंतिम संस्कार करेगा उसे यह राशि प्रदान की जा सकती है। आवेदक को नियोजक से यह सत्यापित कराना होगा कि मृत श्रमिक उनके संस्थान/स्थापना में कार्यरत था, इस प्रमाणीकरण के पश्चात् सहायता राशि जारी की जायेगी। आवेदन मृत्यु दिनांक से 1 वर्ष तक मान्य होता है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 (दिसम्बर 2016 तक) में 27 हितग्राही को राशि रुपये 81,000/- अंतिम संस्कार हेतु सहायता राशि वितरित की गई।

(6) विधवा सहायता राशि योजना

01 अप्रैल 2003 से श्रमिकों की विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विधवा पेंशन योजना प्रारंभ की गई है। पूर्व में श्रमिकों की विधवाओं को पेंशन के रूप में रुपये 100 प्रतिमाह प्रदान किया जाता था। मंडल की 51 वीं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार उक्त योजनानर्तक दी जा रही राशि में वृद्धि कर राशि रुपये 6000 प्रतिवर्ष किया गया है। यह पेंशन उन श्रमिकों की विधवाओं को प्रदान की जा सकेगी जो मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के अंतर्गत आने वाली किसी स्थापना/संस्थान में कम से कम एक वर्ष निरंतर कार्यरत रहे हों। पेंशन हेतु आवेदिका को संस्थान के माध्यम से यह प्रमाणित करना होगा कि मृत श्रमिक विगत 1 वर्ष से निरंतर उनके संस्थान/स्थापना में कार्यरत रहा है। आवेदिका मृत श्रमिक की पत्नी है तथा उसे अन्य किसी जगह से पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है अथवा प्राप्त करने की पात्रता नहीं है, तो उसे मण्डल द्वारा पेंशन सुविधा प्रदान की जा सकेगी। विधवा पेंशन का लाभ उन्हीं को दिया जायेगा, जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना में शामिल नहीं हैं। आवेदिका का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जीवित होने का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है। आवेदन मृत्यु दिनांक से एक वर्ष तक मान्य होगा।

वित्तीय वर्ष 2016-17 (दिसम्बर 2016 तक) में 04 हितग्राहियों को राशि रु. 27,000/- वितरित की गई।

(7) प्रदेश के श्रमिकों को चिकित्सा अनुदान प्रदान किया जाना

1 अप्रैल, 2003 से जिन स्थापनाओं एवं संस्थानों में ई.एस.आई. की सुविधा नहीं है वहां चिकित्सा अनुदान योजना लागू है। बड़ी बीमारी हेतु एक बार में अधिकतम रूपये 5000/- (विशेष स्थिति को छोड़कर) चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है। मण्डल की 55 वीं बैठक के विषय क्रमांक 04 में लिये गये निर्णयानुसार उक्त योजना का लाभ शासकीय चिकित्सालय/शासन द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में चिकित्सा करवाने पर मिल सकेगा। आवेदन अंतिम चिकित्सा देयक दिनांक से 1 वर्ष तक किया जा सकता है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 (दिसम्बर 2016 तक) की अवधि में कोई भी पात्र श्रमिकों के आवेदन प्राप्त नहीं हुये हैं।

(8) शारीरिक असमर्थता पर सहायता योजना

म.प्र. श्रम कल्याण मंडल निधि अधिनियम 1982 के अंतर्गत आने वाली स्थापनाओं एवं संस्थानों में कार्यरत ऐसे श्रमिकों को जो अब शारीरिक रूप से जीविकोपार्जन में असमर्थ हैं। उन्हें सहायता राशि प्रदान की जाती है। जहां ई.एस.आई. सेवाओं या अन्य प्रकार की किसी सुविधा का लाभ दिया जा रहा होगा तो यह सहायता प्रदान नहीं की जा सकेगी। आवेदक द्वारा नियोजक से यह सत्यापित कराया जाना होगा कि वह उनके संस्थान/स्थापना में विगत 5 वर्ष से कार्यरत था तथा दुर्घटना में वह हताहत हुआ है तथा उसे विकलांगता का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा यदि उसकी विकलांगता इस श्रेणी की है कि वह उस संस्थान में कार्य करने में असमर्थ ठहरा दिया गया है तो इस प्रमाणीकरण के पश्चात् सहायता राशि जारी की जायेगी। यह योजना 1 अप्रैल 2003 से लागू की गई है।

(9) बिटिया शिक्षा प्रोत्साहन योजना

यह योजना वर्ष 2007 में मंडल द्वारा स्वीकृत की गई है। इस योजना के अंतर्गत शासकीय स्कूल में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 वीं तक पढ़ने वाली 600 छात्राओं को रूवेटर प्रदान किये जायेंगे।

(10) उत्तम श्रमिक पुरस्कार

मंडल द्वारा प्रदेश के उत्कृष्ट श्रमिकों के सम्मान हेतु उत्तम श्रमिक योजना का प्रारंभ वर्ष 1994-95 में किया गया। यह पुरस्कार प्रदेश के उन श्रमिकों को दिया जाता है जिन्होंने संस्थान में उत्पादन वृद्धि, कार्यकुशलता, अनुशासन एवं सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। इन्हें पुरस्कृत करने से जहां इनकी पहचान स्थापित होती है, वहीं सहयोगी श्रमिकों को भी इस प्रकार के कार्य करने हेतु प्रेरणा मिलती है। इस योजना के अंतर्गत चयनित श्रमिक को मंडल द्वारा सम्मान पत्र, शील्ड एवं राशि रु. 5000/- का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस योजना में पहले 10 चयनित श्रमिकों को पुरस्कृत किया जाता था। मंडल की 52 वीं बैठक का विषय क्रमांक 03 में लिये गये निर्णयानुसार 10 से बढ़ाकर 15 चयनित श्रमिकों को पुरस्कृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये चयनित अभ्यर्थियों की सूची समिति द्वारा अनुमोदित हो चुकी है, पुरस्कारों का वितरण राज्य स्तरीय श्रमिक खेलकूद प्रतियोगिता मार्च 2017 में किया जाना प्रस्तावित है।

(11) श्रमिक साहित्य पुरस्कार

मंडल द्वारा श्रमिकों की साहित्यिक अभिरूचि एवं प्रतिभा को विकसित तथा प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 1994-95 से यह योजना प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत कविता, कहानी, निबंध तथा प्रेरक प्रसंग विधा के अंतर्गत कुल 12 श्रमिकों को पुरस्कृत किया जाता है। प्रत्येक विधा में तीन श्रमिकों को श्रमिक साहित्य रत्न, श्रमिक साहित्य विशारद तथा श्रमिक साहित्य प्रवीण से सम्मानित किया जाता है।

इस योजना के अंतर्गत चयनित श्रमिकों को मंडल द्वारा सम्मान पत्र, स्मृति चिन्ह एवं नगद पुरस्कार स्वरूप क्रमशः रुपए 1100/-, 751/-, 501/- प्रदान किये जाते थे। मंडल की 52 वी बैठक के विषय क्रमांक 03 में लिये गये निर्णयानुसार पुरस्कार राशि को बढ़ाकर रुपये 3100 चयनित श्रमिकों को दिये जाने का निर्णय लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये चयनित अभ्यर्थियों की सूची समिति द्वारा अनुमोदित हो चुकी है, पुरस्कारों का वितरण राज्य स्तरीय श्रमिक खेलकूद प्रतियोगिता मार्च 2017 में किया जाना प्रस्तावित है।

मंडल द्वारा उपरोक्त कल्याणकारी गतिविधियों के अलावा संचालित कल्याणकारी गतिविधियां:-

(1) श्रम कल्याण एवं कौशल उन्नयन केंद्र

मंडल द्वारा प्रदेश में 42 श्रम कल्याण एवं कौशल उन्नयन केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है, जो इस प्रकार हैं:- इंदौर, बुरहानपुर, खण्डवा, खरगौन, पीथमपुर (धार), मेघनगर, अलीराजपुर, सेंधवा, उज्जैन, नागदा, देवास रतलाम, मन्दसौर, मक्सी (शाजापुर), गोले का मंदिर-ग्वालियर, हजीरा-ग्वालियर गुना, शिवपुरी, बानमौर (मुरैना), मालनपुर (भिण्ड) सागर, बीना, नरसिंहगढ़ (दमोह), खजुराहो, भोपाल, मण्डीदीप, सीहोर, विदिशा, पिपरिया (होशंगाबाद), जबलपुर, बालाघाट, बोरगोव (छिन्दवाडा) कटनी, मनेरी (मण्डला) गाडरवारा (नरसिंहपुर) अमलाई, बिरसिंहपुर, चचाई, रीवा, सतना, सिंगरौली एवं सीधी।

इन कल्याण केंद्रों में वाचनालय, पुस्तकालय, इंडोर तथा आउटडोर गेम्स की व्यवस्था की गई है जिनका लाभ श्रमिक एवं उनके परिवारजन नियमित रूप से लेते हैं। उक्त केन्द्रों पर रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया गया है, इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय पर्वों पर विविध आयोजन किये जाते हैं। समय-समय पर वृक्षारोपण, श्रमिक परिवार की महिलाओं व बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण व सांस्कृतिक कार्यक्रम, भ्रमण एवं पर्यटन कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। सीहोर, भोपाल, जबलपुर, बुरहानपुर तथा रीवा में मंडल की स्वतः की भूमि पर केंद्र स्थापित हैं, शेष स्थानों पर किराये के भवन में केंद्र संचालित हैं।

उपरोक्त 42 श्रम कल्याण एवं कौशल उन्नयन केन्द्रों में से 32 केन्द्रों में सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण संचालित किये जाते हैं, जिनमें श्रमिक परिवारों की महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए निःशुल्क सिलाई-कढ़ाई प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

इन सिलाई-कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्रों में प्रतिदिन 30 से 50 महिला हितग्राही प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं।

(2) मासिक "श्रम कल्याण" का प्रकाशन

मंडल द्वारा प्रदेश के श्रमिकों, नियोजकों एवं श्रमिक संगठनों को समय-समय पर मंडल की कल्याणकारी गतिविधियों/योजनाओं की जानकारी एवं अनपेड की सूची प्रकाशित करने के उद्देश्य से मासिक श्रम कल्याण का प्रकाशन वर्ष 1991 से निरंतर किया जा रहा है। श्रम कल्याण मासिक में श्रम कानूनों एवं इनके अंतर्गत मान. न्यायालयों द्वारा दिए गए आदेशों को विशेष रूप से प्रकाशित किया जाता है इससे श्रमिकों में अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सजगता में वृद्धि होती है। उल्लेखनीय है कि मासिक श्रम कल्याण ने प्रदेश के औद्योगिक एवं श्रमिक जगत में विशिष्ट पहचान स्थापित की है। वर्तमान में मासिक "श्रम कल्याण" की 4000 प्रतियों का प्रकाशन किया जाता है। मासिक श्रम कल्याण का आजीवन सदस्यता रुपये 2000 है एवं वार्षिक शुल्क श्रमिक एवं श्रमिक संघों हेतु रुपये 100 एवं नियोजकों हेतु रुपये 200 निर्धारित है।

(3) श्रमिक खेलकूद प्रतियोगिता :-

मंडल द्वारा श्रमिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन संभाग स्तर पर किया जाकर व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान तथा टीम खेलों के विजेता एवं उपविजेता को राज्य स्तरीय श्रमिक खेलकूद प्रतियोगिता हेतु अर्हता दी जाती है। मंडल द्वारा प्रथमतः संभाग स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, तत्पश्चात् राज्य स्तरीय श्रमिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन प्रत्येक दो वर्ष में किया जाता है। प्रतियोगिताओं के अंतर्गत 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर एवं 1500 मीटर दौड़, लम्बी कूद, ऊँची कूद, तवा फेंक, गोला फेंक एवं भाला फेंक प्रतियोगिताएं तथा टीम खेलों में कबड्डी एवं बालीवाल प्रतियोगितायें सम्मिलित की जाती हैं।

इस वर्ष 2016-17 में संभागीय श्रमिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन माह दिसम्बर 2016 से किया जा रहा है। वर्तमान में भोपाल/नर्मदापुरम्, इन्दौर संभाग, सतना संभाग में संभागीय श्रमिक खेलकूद प्रतियोगिता सम्पन्न की जा चुकी है। शेष संभागों की प्रतियोगिताएं सम्पन्न कराया जाना निरंतर है।

मंडल श्रमिक हित में निरंतर सक्रिय है तथा योजनाओं का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन कर रहा है। मंडल द्वारा संचालित योजनाओं की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु भी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

कल्याणकारी योजनाओं में लाभांवि हितग्राहियों एवं वितरित राशि की जानकारी
वर्ष 2016-17 (दिसम्बर 2016 तक)

क्रं.	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2016-17 (1 अप्रैल 16 से 31 दिसम्बर 2016 तक)	
		लाभांवि हितग्राही संख्या	प्रदत्त सहायता राशि (रुपये में)
1	2	3	4
1	शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना / शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना	13591	1,17,78,550 / -
2	सस्ती दरों पर कापियों का वितरण	25000	61,36,000 / -
3	विवाह सहायता योजना	439	27,43,750 / -
4	चिकित्सा क्षतिपूर्ति योजना	निरंक	निरंक
5	अंतिम संस्कार सहायता योजना	27	81,000 / -
6	विधवा सहायता	04	27,000 / -
	योग -	39,061	2,07,66,300 / -

अभिदाय/असंदत्त संचित राशि प्राप्ति की जानकारी
वर्ष 2016-17 (दिसम्बर 2016 तक)

क्रं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2016-17 (1 अप्रैल 16 से 30 दिसम्बर 2016 तक)
1	अभिदाय	रुपये- 3९41९02९383३०0
2	असंदत्त संचित राशि	रुपये- 64९20९732३45

14.2 मध्यप्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण मंडल

राज्य के मन्दसौर जिले में लगभग 121 स्लेट पेंसिल कारखाना पंजीकृत हैं , जिनमें सर्वेक्षण अनुसार लगभग 1100 श्रमिक कार्यरत हैं । मन्दसौर जिले में स्थापित स्लेट पेन उद्योग में कार्यरत एवं आश्रित कुटुम्ब के सदस्यों के लिये म.प्र. स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1982 की धारा 4 के तहत निधि के प्रशासन के लिये एक निगमित निकाय के रूप में राज्य भासन द्वारा मण्डल का गठन 3 वर्ष के लिये किया जाता है।

वर्ष 2011-12 से वर्ष 2015-16 तक कुल आय-व्यय की जानकारी-

क्रमांक	वर्ष	कुल आय	कुल व्यय
1	2011-12	1,55,59,506.00	88,78,550.00
2	2012-13	1,70,35,558.00	98,05,571.00
3	2013-14	1,64,04,744.00	1,42,47,311.00
4	2014-15	1,71,61,104.00	1,39,37,245.00
5	2015-16	1,95,77,390.00	1,45,13,676.00
6	2016-17 माह दिसंबर तक	1,43,86,406.00	1,15,20,248.00

वर्ष 2015-16 में मण्डल का प्रशासकीय व्यय लगभग 38.13 प्रतिशत रहा ।

कल्याणकारी योजनाएँ

मण्डल द्वारा संचालित गतिविधियों की जानकारी निम्नलिखित है :-

1. सिलिकोसिस उपचार सहायता

स्लेट पेन्सिल उद्योग में कार्य के दौरान जिन श्रमिकों को सिलिकोसिस बीमारी हो जाती है , ऐसे श्रमिकों को उपचार हेतु 1200/- प्रतिमाह दी जाती है ।

2. मृत्यु सहायता

सिलिकोसिस बीमारी के पश्चात् तथा कार्यरत् श्रमिकों की मृत्यु होने पर श्रमिकों के आश्रितों को दाह संस्कार हेतु 2000/- एवं मृत्यु अनुदान के रूप में 13000/- की सहायता प्रदान की जाती है ।

3. विधवा सहायता

सिलिकोसिस से पीड़ित श्रमिकों की मृत्यु पश्चात् उनकी विधवाओं की 750/- प्रतिमाह एवं निराश्रित बच्चों के भरण - पोषण हेतु 700/- प्रतिमाह सहायता प्रदान की जाती है ।

4. परिवार नियोजन

स्लेट पेन्सिल कारखानों में कार्यरत महिला एवं पुरुष श्रमिकों को परिवार नियोजन ऑपरेशन करवाने पर प्रथम संतान पर रुपये 7000/- एवं द्वितीय संतान पर रु. 5000/- परिवार नियोजन प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है ।

5. विवाह अनुदान

दो पुत्रियों के विवाह हेतु प्रत्येक विवाह पर 7000/-का अनुदान भुगतान किया जाता है ।

6. छात्रवृत्ति

स्लेट पेन्सिल उद्योग में कार्यरत् सिलिकोसिस से पीड़ित/मृत श्रमिकों के बच्चों को अध्ययन हेतु पहली से आठवी तक रुपये 850/-, कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक रुपये 1450/-, स्नातक/स्नातकोत्तर/इंजीनियरिंग को रुपये 2050/- वार्षिक प्रदान किये जाते हैं ।

7. मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन योजना

स्लेट पेन्सिल श्रमिकों के मेधावी छात्र-छात्राओं को निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है :-

- (अ) कक्षा 10वीं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण पर रुपये 1000/-
- (ब) कक्षा 12वीं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण पर रुपये 1250/-
- (स) कक्षा स्नातक को 1500/-

8. खेलकुद हेतु सामग्री

स्लेट पेन्सिल उद्योग में कार्यरत् एवं उनके आश्रित बच्चों को उनकी रुचि अनुसार खेल सामग्री की मांग करने पर निःशुल्क प्रदाय की जाती है ।

9. निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण

प्रत्येक तीन माह में उद्योग में कार्यरत श्रमिकों का कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय के चिकित्सक दल द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है तथा उनको लगने वाली दवाईयाँ निःशुल्क वितरित की जाती है ।

10. निःशक्त भरण पोषण योजना—

स्लेट पेंसिल उद्योग में लगे श्रमिक—श्रमिकाओं एवं उनकी विकलांग संतान को भरण पोषण हेतु 40 से 70 प्रति 100 विकलांग होने पर रु. 750/— प्रतिमाह एवं 71 से 100 प्रति 100 विकलांग होने पर रु. 1500/— प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाती है। जिससे अभी तक 36 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं।

मण्डल की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

1. वित्तीय वर्ष 2015—16 में मण्डल की आय रु. 1,95,77,390/— अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण से उद्योग के गिरते स्तर के बावजूद प्राप्त हुई।
2. विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2015—16 में हितग्राहियों को रु. 60,70,110/— की सहायता राशि वितरित की गई।
3. वर्ष 2015—16 में मण्डल का प्रशासकीय व्यय लगभग 38.13 प्रतिशत रहा है।
4. स्लेट पेंसिल उद्योग में कार्यरत महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने एवं बेहतर रोजगार हेतु प्रशिक्षण एवं ऋण स्वयं सहायता समूह बनाकर दिए जाने संबंधी 3 वार्षिक परियोजना 08/12/2015 से प्रारंभ की गई। जिसमें अभी तक 50 से अधिक स्वयं सहायता समूह बन चुके हैं एवं 15 समूहों को बैंक के माध्यम से ऋण वितरण भी कराया जा चुका है।

14.3 मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 की धारा 18, सहपठित नियम 2002 के नियम 251 के अनुसार म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण के लिये मण्डल का गठन राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 09 अप्रैल 2003 द्वारा किया गया था। मण्डल का कार्यकाल 3 वर्ष होता है तथा कार्यकाल पूर्ण होने पर मण्डल का पुर्नगठन आगामी 3 वर्ष हेतु अधिसूचना दिनांक 03 जुलाई 2013 द्वारा किया गया है। मण्डल के अध्यक्ष पद हेतु मध्यप्रदेश शासन के माननीय श्रम मंत्री जी के स्थान पर अधिसूचना दिनांक 04.01.2008 द्वारा मण्डल के अध्यक्ष हेतु “राज्य शासन द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति” संशोधित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रमुख सचिव, श्रम कल्याण आयुक्त, जबलपुर तथा मुख्य निरीक्षक श्रमायुक्त पदेन सदस्य के अलावा मण्डल में राज्य शासन के विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले चार सदस्य, भवन कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्य तथा भवन कर्मकारों के नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। वर्तमान में मण्डल के अध्यक्ष माननीय श्रम मंत्री श्री ओमप्रकाश धुर्वे हैं।

निर्माण कर्मकारों का पंजीयन

मण्डल की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिये यह आवश्यक है कि सर्वप्रथम मण्डल द्वारा नियुक्त पदाभिहित अधिकारी को निर्माण श्रमिक आवेदन प्रस्तुत कर स्वयं को हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत कराएँ। इस रूप में पंजीयन की पात्रता उन्हीं कर्मकारों को होगी जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हों तथा जिन्होंने पिछले 12 महिनो

में न्यूनतम 90 दिन निर्माण कर्मकार के रूप में कार्य किया हो। पंजीयन कराने हेतु निर्माण कर्मकारों को रु0 05 आवेदन शुल्क तथा पार्सपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ सहित निर्धारित प्रपत्र में संबंधित पदाभिहित अधिकारी को आवेदन करना होता है। इस आधार पर पंजीयन अधिकारी आवेदन की जांच कर श्रमिक का पंजीयन करेगा और उसे फोटोयुक्त परिचय पत्र जारी करेगा। पंजीयन के निरंतरीकरण के लिये प्रति पांच वर्ष हेतु रुपये 10 अभिदाय के रूप में देय है।

प्रदेश में दिसम्बर 2016 तक की स्थिति में 25.04 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को पंजीयन कराया जाकर परिचय पत्र जारी किये गये हैं तथा दिसम्बर 2016 तक कुल 3 लाख 22 हजार 509 पंजीयन निरस्त किये गये हैं।

मण्डल द्वारा हिताधिकारियों को देय प्रसूविधाएं

मण्डल द्वारा शासन के अनुमोदन से निम्न कल्याणकारी योजनाएं निर्माण श्रमिकों को प्रसूविधाएं प्रदान करने के लिये राजपत्र में अधिसूचना जारी कर प्रभावशील कर दी गई है :-

क्रमांक	योजना का नाम	अधिसूचना दिनांक
1.	मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना	03.12.2004
2.	प्रसूति सहायता योजना	13.12.2004
3.	शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना	13.12.2004
4.	मेधावी छात्र/छात्राओं को नगद पुरस्कार योजना	13.12.2004
5.	चिकित्सा सहायता/दुर्घटना की स्थिति में चिकित्सा सहायता योजना	30.09.2005 / 03.12.2004
6.	हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह हेतु सहायता	30.09.2005
7.	निर्माण श्रमिक कौशल प्रशिक्षण योजना	18.01.2013
8.	मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास (ग्रामीण) योजना	27.09.2013
9.	मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास (नगरीय) योजना	27.09.2013
10.	भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार पेंशन योजना	27.09.2013
11.	सुपर 5000 (कक्षा-10) योजना	16.08.2013
12.	सुपर 5000 (कक्षा-12) योजना	16.08.2013
13.	व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु अध्ययन अनुदान योजना	16.08.2013
14.	राज्य लोकसेवा आयोग एवं संघ लोकसेवा आयोग की परीक्षा पर सफलता पर पुरस्कार योजना	16.08.2013
15.	निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना	05.12.2014
16.	खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना	05.12.2014
17.	व्यवसायिक (यू.जी./पी.जी.) पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग हेतु अनुदान योजना	05.12.2014
18.	औजार/उपकरण खरीदी हेतु अनुदान योजना	05.12.2014
19.	पं. दीनदयाल उपाध्याय निर्माण पीठा श्रमिक आश्रय(शेड) योजना	07.08.2013
20.	निर्माण श्रमिक रैन बसेरा योजना	11.08.2014
21.	सायकल अनुदान योजना	13.03.2015
22.	स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिये शौचालय निर्माण हेतु अनुदान योजना	21.08.2015

इन योजनाओं में समय-समय पर मण्डल द्वारा शासन के अनुमोदन से संशोधन किये गये हैं, तथा उक्त योजनाओं में से 4 योजनाएं (क्रमांक-1,2,6 एवं पंजीयन) एवं निर्माण श्रमिक पंजीयन लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित की गई है। जिससे निर्माण श्रमिक को निर्धारित समय सीमा में योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

ऊपर उल्लेखित हितग्राहीमूलक प्रसुविधाएं देने के अलावा, कल्याण मण्डल निर्माण कर्मकारों के संपूर्ण वर्ग के हित में निम्नलिखित प्रकार की गतिविधियां भी संचालित कर सकेगा।

सर्वेक्षण और अध्ययन, जागरूकता/प्रचार –प्रसार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से जुड़े कार्यक्रम तथा खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अध्ययन दौरे आदि।

दिनांक 31.12.2016 की स्थिति में मण्डल की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रदाय किये गये हितलाभ

क्रमांक	योजना का नाम	हितलाभ की राशि (करोड़ों में)	निराकृत आवेदन
1	प्रसूति सहायता योजना	147.37	269074
2	विवाह सहायता योजना	112.61	81793
3	शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना	222.46	2547293
4	मेधावी छात्र/छात्राओं को नगद पुरस्कार योजना	35.27	290443
5	चिकित्सा सहायता योजना/दुर्घटना की स्थिति में चिकित्सा सहायता योजना	21.06	7481
6	मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना	76.44	30265
7	सुपर 5000 (कक्षा-10) योजना	0.20	83
8	सुपर 5000 (कक्षा-12) योजना	0.24	99
9	मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास (ग्रामीण) योजना	0.04	56
10	मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास (नगरीय) योजना	0.01	164
11	राज्य लोकसेवा आयोग एवं संघ लोकसेवा आयोग की परीक्षा पर सफलता पर पुरस्कार योजना	45 हजार	3
12	सायकल अनुदान योजना 2014	0.57	2084
13	दो पहिया वाहन क्रय हेतु अनुदान योजना	0.14	144 यह योजना दिनांक 30.04.2016 के उपरान्त बन्द की गई है
14	व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु अध्ययन अनुदान योजना	0.02	23
15	औजार/उपकरण खरीदी हेतु अनुदान योजना	0.10	506

16	निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना	0.36	40
17	स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिये शौचालय निर्माण हेतु अनुदान योजना	0.64	740
18	खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना 2014	30 हजार	3
19	व्यवसायिक (यू.जी./पी.जी.) पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग हेतु अनुदान योजना	0.04	22
20	भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार पेंशन योजना	0	0
21	कौशल प्रशिक्षण योजना	3.92	23463

इसके अतिरिक्त निर्माण श्रमिकों हेतु रैन बसेरा एवं श्रमोदय विद्यालयों का निर्माण भी किया जा रहा है।

क्रमांक	योजना का नाम	हितलाभ की राशि (करोड़ों में)	संख्या
22	निर्माण श्रमिक रैन बसेरा योजना	2.14	33
23	श्रमोदय विद्यालय	61.50	4

उपकर

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार उपकर अधिनियम, 1996 एवं उपकर नियम, 1998 के अंतर्गत मण्डल को दिसम्बर 2016 तक रुपये 1943.08 करोड़ की राशि उपकर से प्राप्त हुई है।

14.4 म.प्र. शहरी/ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों (शहरी/ग्रामीण) के कल्याण हेतु मण्डल का गठन म.प्र. राजपत्र दिनांक 26 सितम्बर 2008 द्वारा किया गया, राज्य शासन द्वारा भी सुल्तान सिंह शेखावत को म.प्र. शहरी/ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है श्री शेखावत द्वारा दिनांक 25.01.2016 को मंडल अध्यक्ष का पद भार ग्रहण किया है, परन्तु मंडलों की विधिवत कार्यप्रणाली अभी आरंभ नहीं हो पाई है, मंडल का गठन एवं मंडल हेतु स्टाफ तथा मंडल के संचालन के लिये निधि/वजट की व्यवस्था की जाना है। मंडल के सचिव पद पर उप श्रमायुक्त की नियुक्ति की गई है।

अध्याय—15

महिला श्रमिक

15.1. महिलाओं की संख्या और कार्यशील महिलाएं

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल मुख्य कार्यशील जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत लगभग 48.21 प्रतिशत था। महिला श्रमिक मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त महिला श्रमिक, बीड़ी व अगरबत्ती निर्माण एवं भवन संबंधी संनिर्माण में अधिकतम रूप से कार्यरत है। निम्न तालिकाओं द्वारा प्रदेश में महिलाओं की संख्या उनमें शिक्षित, ग्रामीण, नगरीय एवं कार्यशील महिलाओं की जानकारी में दर्शाई गई है।

तालिका 15.1
जनगणना 2011

	पुरुष	महिला	कुल
जनसंख्या	3,76,12,306	3,50,14,503	7,26,26,809
ग्रामीण	2,71,49,388	2,54,08,016	5,25,57,404
नगरीय	1,04,62,918	96,06,487	2,00,69,405

तालिका 15.2
शिक्षित जनसंख्या

	पुरुष	महिला	कुल
शिक्षित	2,51,74,328	1,76,76,841	4,28,51,169
ग्रामीण	1,70,54,982	1,12,27,004	2,82,81,986
नगरीय	81,19,346	64,49,837	1,45,69,183

तालिका 15.3
वृद्धि दर तथा लिंग अनुपात

	ग्रामीण	नगरीय	कुल
दस वर्षीय जनसंख्या (2001–2011) वृद्धि दर	-15.25	119.29	20.25
लिंग अनुपात (प्रति, 1000 पुरुषों पर महिलाएं)	936	918	931

तालिका 15.4
मुख्य कार्यशील जनसंख्या –2011

कुल ग्रामीण एवं शहरी	व्यक्ति महिला पुरुष	कुल मुख्य कार्यशील जनसंख्या	कृषक	कृषि श्रमिक	पारिवारिक उद्योगों में कार्यरत	अन्य कार्यशील जनसंख्या
कुल	व्यक्ति	3,15,74,133	82,14,993	66,30,821	6,47,565	72,08,740
	पुरुष	2,01,46,970	60,38,749	40,27,711	3,96,320	58,99,285
	महिला	1,14,27,163	21,76,244	26,03,110	2,51,245	13,09,455
ग्रामीण	व्यक्ति	2,47,15,198	78,85,302	63,03,841	3,48,081	21,92,334
	पुरुष	1,47,41,977	57,65,124	38,07,102	1,98,997	17,16,960
	महिला	99,73,221	21,20,178	24,96,739	1,49,084	4,75,374
शहरी	व्यक्ति	68,58,935	3,29,691	3,26,980	2,99,484	50,16,406

	पुरुष	54,04,993	2,73,625	2,20,609	1,97,323	41,82,325
	महिला	14,53,942	56,066	1,06,371	1,02,161	8,34,081

15.2. महिलाओं के लिये विशेष अधिनियम :-

महिला श्रमिकों को सभी श्रम कानूनों में पुरुष श्रमिकों की भांति ही संरक्षण दिया गया है, किंतु उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को देखते हुये समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, तथा मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961, विशेष रूप से प्रभावशील किये गये हैं।

समान पारिश्रमिक अधिनियम और मातृत्व हितलाभ अधिनियम के प्रवर्तन संबंधी की गई कार्रवाई का विवरण निम्नानुसार है :-

समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 :-

1. समान कार्य के लिये लिंग भेद के आधार पर महिला कर्मियों को पुरुषों से कम मजदूरी का भुगतान करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, अर्थात् महिलाओं को भी पुरुष श्रमिकों के समान ही समान प्रकृति के कार्य के लिये समान मजदूरी का भुगतान करना उक्त अधिनियम के अंतर्गत किया गया है।
2. रोजगार में भर्ती करने के लिये लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। भर्ती में नियोजकों को पुरुषों के बराबर ही महिलाओं को भी अवसर देना आवश्यक है।
3. महिलाओं को नियोजन में बराबरी के अवसर दिये जाने के साथ ही उनके लिये प्रशिक्षण एवं स्थानांतर के संबंध में भी लिंग भेद के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता।
4. महिलाओं के लिये रोजगार में वृद्धि करने के उपाय खोजने हेतु समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के अंतर्गत एक राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का गठन प्रदेश शासन द्वारा किया गया है जो विभिन्न क्षेत्रों में जांच कर शासन को यह परामर्श दे सकती है, कि किन-किन क्षेत्रों में महिलाओं के लिये रोजगार के अवसर बढ़ाये जा सकते हैं।

मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961 :-

1. कारखाने एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं में, खदानों में, बीड़ी निर्माण इकाईयों में कार्यरत महिलाओं को उनके प्रसूतिकाल में स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रसूति के दिन के 6 सप्ताह पूर्व और 6 सप्ताह पश्चात तक संवैतनिक अवकाश प्राप्त करने की पात्रता है।
2. प्रसूतिकाल में भी यदि गर्भपात हो तो गर्भपात से 6 सप्ताह तक संवैतनिक अवकाश नियोक्ता से प्राप्त करने की पात्रता है। प्रसूतिकाल में यदि किसी महिला कर्मि की मृत्यु होती है, तो उक्त अधिनियम अनुसार देय रकम महिला द्वारा नामित व्यक्ति या वैध प्रतिनिधि को नियोजक द्वारा दी जावेगी।

3. प्रसूति के पश्चात महिला के शिशु की 15 माह की आयु पूर्ण होने तक महिला श्रमिक को प्रत्येक कार्यदिवस में दो बार 15-15 मिनिट का दुग्धपान कराने हेतु अवकाश काल का प्रावधान कानून में किया गया है।
4. किसी महिला श्रमिक को उसे नियोजन में रहते हुये उसके प्रसूतिकाल में उसकी अनुपस्थिति के कारण उसे सेवा से पृथक नहीं किया जा सकता।
5. किसी भी महिलाकर्मि को जो गर्भवती है। नियोजक कठिन कार्य जैसे लम्बी अवधि तक खड़े रहना, जिससे उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर हो, नहीं करवाया जा सकता है।
6. नियोजक द्वारा महिलाकर्मि को प्रसव पूर्व या पश्चात देखरेख का कोई उपबंध निःशुल्क न किया गया हो, तो प्रसूति सुविधा रुपये 250 /- चिकित्सा बोनस दिया जावेगा।

महिला कर्मि को मातृत्व लाभ देने का दायित्व नियोजक का होता है। यदि वह उक्त हित का लाभ नहीं देता है तो नियोजक को दंडित किये जाने के प्रावधान है।

15.3. महिला नीति एवं उनके हितों की सुरक्षा:-

प्रदेश की महिला नीति में महिला श्रमिकों के हित संरक्षण का विशेष रूप से उल्लेख है। महिला श्रमिकों से संबंधित प्रावधानों के अनुश्रवण के लिये श्रमायुक्त कार्यालय में एक महिला प्रकोष्ठ स्थापित है। विभिन्न श्रम कानूनों का महिलाओं को समुचित लाभ प्राप्त हो, यह सुनिश्चित करने का दायित्व इस प्रकोष्ठ का है। इस प्रकोष्ठ पर होने वाला व्यय केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन किया जाता है।

म.प्र. महिला संसाधन केंद्र, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी द्वारा महिला नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से बिन्दुवार कार्ययोजना सुनिश्चित की है। जिसके अन्तर्गत निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही की जाना है:-

- (1) महिलाकर्मियों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना
- (2) नीति और कार्ययोजना का कार्यान्वयन, मानीटरिंग मूल्यांकन और प्रचार करना,
- (3) जेण्डर संवेदनशीलता को सभी कार्यक्रमों से जोड़ना,
- (5) महिला समूहों को वैध और जरूरी दबाव समूहों के रूप में मान्यता देना
- (5) महिलाओं को विकास के केंद्र में रखने के लिए कार्यक्रमों की पुनर्रचना करना,
- (6) कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रमों को जेण्डर संवेदी बनाना आदि है।

उपर्युक्त बिन्दुओं के आधार पर श्रम विभाग के लिये निम्नानुसार विशेष दायित्व सुनिश्चित किये हैं:-

- (1) महिला कृषि कामगारों को न्यूनतम मजदूरी और समान मजदूरी सुनिश्चित करना।
- (2) महिलाओं के लिए समान मजदूरी के बारे में गहन प्रचार प्रसार।
- (3) महिला कृषि कामगारों को दुर्घटना मुआवजा और बच्चों की देखभाल की सुविधाओं को देने के लिए कदम उठाए जाएं।

(4) महिला कर्मियों को मातृत्व लाभ देने के लिए कानून।

इनके परिपालन हेतु श्रम विभाग द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की गई है:—

(1) विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, के अंतर्गत निर्धारित दर से कम दर पर भुगतान के प्रकरणों में कम दी गई राशि का भुगतान कराया जाता है, तथा नियोजकों के विरुद्ध दावा प्रकरण भी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं। इसी तरह समान पारिश्रमिक अधिनियम और मातृत्वहित लाभ अधिनियम, के अन्तर्गत महिला कामगारों को समान पारिश्रमिक सुनिश्चित करने तथा मातृत्व हित लाभ दिलाये जाने हेतु प्रवर्तन अमले द्वारा नियमित निरीक्षण किए जाते हैं तथा उल्लंघन कर्ता नियोजकों के विरुद्ध अभियोजन कार्यवाही की जाती है। जिसकी वर्ष 2012-13 में मार्च, 2012 तक की गई कार्यवाही की जानकारी निम्नानुसार है:—

तालिका 15.5

अधिनियम	विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (दिस. 2016 तक)
समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976	निरीक्षण	800	783	154	47
	अभियोजन	88	84	13	0
मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961	निरीक्षण	210	159	31	07
	अभियोजन	28	05	01	0

(2) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप तत्संबंध में दावे/महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों का निराकरण करने हेतु समिति का गठन श्रमायुक्त कार्यालय में दिनांक 2.1.2001 को किया गया है। जिसमें अध्यक्ष, सचिव, तथा एक सदस्य को मनोनीत किया गया है। अभी तक इस समिति के समक्ष कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(3) कृषि में नियोजित श्रमिकों की संख्या एवं प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए शासन के कतिपय अन्य विभागों के निम्नलिखित कार्यपालक अधिकारियों को भी, अधिसूचना दिनांक 16.06.86 द्वारा, कृषि में नियोजन के संबंध में अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्र में “निरीक्षक” नियुक्त किया गया है:—

1. विकास खण्ड अधिकारी
2. सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
3. नायब तहसीलदार
4. पंचायत निरीक्षक
5. मंडल संयोजक, आ.जा. एवं अनु. जाति कल्याण

(4) प्रदेश में पूर्व से ही श्रम विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.4.96, 19.6.96 एवं 19.7.2001 द्वारा समस्त ग्राम पंचायतों / समस्त ग्राम सभाएं को उनके कार्यक्षेत्र के लिए, न्यूनतम वेतन अधिनियम तथा समान पारिश्रमिक अधिनियम के अन्तर्गत “निरीक्षक” की शक्तियों से वेष्टित किया जा चुका है

1. कृषि में नियोजन
2. तंबाकू कारखाने/बीड़ी निर्माण में नियोजन

3. सड़क/भवन निर्माण और रख-रखाव
4. ईट भट्टों में नियोजन
5. सिमेंट टाइल्स के अलावा अन्य टाइल्स निर्माण
6. पत्थर तोड़ने एवं पीसने में नियोजन

राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 24 नवंबर, 1976, द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, की धारा-20 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य के समस्त अनुविभागीय अधिकारियों को, अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर, कृषि में नियोजन के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उद्भूत होने वाले दावों की सुनवाई हेतु "प्राधिकारी" नियुक्त किया गया है।

(5) जहाँ तक मा. उच्च न्यायालय द्वारा विशाका निर्णय के अनुसार कारखानों में समितियों के गठन का प्रश्न है, इस संबंध में प्रस्तावित बिल के संबंध में प्रदेश शासन द्वारा अभिमत प्रस्तुत कर दिया गया है।

(6) महिलाओं के लिये समान मजदूरी के संबंधी प्रावधानों के पंचायत स्तर तक प्रचार-प्रसार के लिये पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग को पत्र क्रमांक 01/16/म. नी./ग्या./03/34235 दिनांक 03.11.2004 द्वारा अनुरोध किया जा चुका है जिसकी प्रति शासन को दी गई है।

(7) राज्य में मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, 1959 के अंतर्गत दिनांक 20 मई 2013 को अधिसूचना जारी करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी स्थापनाओं में महिलाओं की पर्याप्त सुरक्षा के संबंध में शर्तों सहित रात्रि के 9.00 से प्रातः 7.00 बजे तक कार्य हेतु अनुमति प्रदान की गई है। इससे उक्त स्थापनाओं में महिलाओं को कार्य के अधिक अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

कारखाना अधिनियम 1948 सपठित मध्यप्रदेश कारखाना नियमावली 1962 के अन्तर्गत दिनांक 23 जून 2011 को आदेश जारी करते हुए प्रदेश में कार्यरत कारखानों में महिलाओं को रात्रि पाली में रात्रि के 8.00 से प्रातः 7.00 बजे तक सुरक्षा के संबंध में शर्तों सहित कार्य की छूट प्रदान की है इससे उक्त स्थापनाओं में महिलाओं को कार्य के अधिक अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

15.4. यौन उत्पीड़न के लिये विशेष सुरक्षा :-

मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आज्ञायें) अधिनियम, 1961, के अंतर्गत 'कदाचरण' को परिभाषित करते हुए कदाचरण करने वाले श्रमिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई को विनियमित करने संबंधी प्रावधान भी हैं। कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोक-थाम संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के प्रकाश में राज्य शासन ने अधिसूचना दिनांक 19.12.02 द्वारा, मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) नियम, 1963, में संशोधन कर "यौन उत्पीड़न" को भी "गंभीर कदाचरण" की श्रेणी में शामिल किया है। "यौन उत्पीड़न" को 'अवांछनीय यौन संबंधी व्यवहार' (चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष) के रूप में परिभाषित किया गया है, यथा :-

- (क) शारीरिक संपर्क तथा निकटता,
- (ख) यौन स्वीकृति के लिए मांग अथवा अनुरोध

- (ग) कामासक्त फब्तियाँ,
- (घ) अश्लील साहित्य दिखाना, तथा
- (ङ.) यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप तत्संबंध में शिकायतों का निराकरण करने हेतु समिति का गठन दिनांक 2.1.2001 को किया गया है। जिसमें अध्यक्ष, सचिव, तथा एक सदस्य को मनोनीत किया गया है। अभी तक इस समिति के समक्ष कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

इस अधिनियम के अंतर्गत निरीक्षण के अधिकार सहायक श्रम पदाधिकारी तथा उससे वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को ही दिये गये हैं, निरीक्षकों को नहीं। इस अधिनियम के अंतर्गत वर्ष में संपादित निरीक्षण/अभियोजन की जानकारी परिशिष्ट-3.7 में दर्शाई गई है।

15.5. अन्य सुविधाएं :-

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत महिला श्रमिकों को मातृत्व हित लाभ योजना में प्रसूति की दशा में 3 माह के वेतन के बराबर की राशि नियोजकों द्वारा प्रदान की जावेगी।

राज्य श्रम सलाहकार परिषद की बैठक दिनांक 18.12.2002 में लिये निर्णयानुसार द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने हेतु असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के विषय में एक समिति का गठन किया गया था जो महिलाओं की स्थिति का सूक्ष्म निरीक्षण कर आंकलन प्रस्तुत करे। तदनुसार समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। जिस पर पर्षद की आगामी बैठक में विचार होगा।

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मंडल द्वारा संचालित कल्याण केन्द्रों में श्रमिक परिवार की महिलाओं व बालिकाओं के लिये सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण की व्यवस्था की है।

अप्रैल 2003 से श्रमिकों की विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विधवा पेंशन योजना के रूप में प्रतिवर्ष 6000/- रुपये की राशि प्रदान की जावेगी।

मध्यप्रदेश स्टेट पेंसिल कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा मृतक श्रमिक की विधवा को 750/- रुपये प्रतिमाह सहायता राशि प्रदान की जावेगी तथा सिल्कोसिस से मृत श्रमिकों की बालिकाओं को भरण पोषण हेतु 700/- रुपये प्रतिमाह प्रदान किये जावेगे। उक्त मंडल द्वारा ही सिल्कोसिस पीडित/मृत श्रमिक की बालिकाओं को शिक्षा अध्ययन हेतु कक्षा 8 तक 850/-रुपये, 9 वीं से 12वीं तक 1450/- रुपये तथा महाविद्यालयीन शिक्षा हेतु 2050/- रुपये वार्षिक प्रदान किये जावेगे।

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा भी महिला हितग्राहियों तथा हितग्राही परिवार की महिला सदस्यों को प्रसूति सहायता, छात्राओं को नगद पुरस्कार एवं छात्रवृत्ति तथा विवाह सहायता योजनाओं में लाभ प्रदान किये जाते हैं।

* * *

भारत के संविधान के भाग 3 ("मूल अधिकार") और भाग 4
("राज्य की नीति के निदेशक तत्व") के "श्रम" संबंधी प्रावधान

मूल अधिकार

स्वातंत्र्य-अधिकार

अनुच्छेद 19: वाक्-स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण:

- (1) सभी नागरिकों को
- (ग) संगम या संघ बनाने का,
अधिकार होगा।

शोषण के विरुद्ध अधिकार

अनुच्छेद 23: मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध :

- (1) मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।

अनुच्छेद 24: कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध :

चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।

राज्य की नीति के निदेशक तत्व

अनुच्छेद 39: राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व :

राज्य अपनी नीति का, विशिष्टतया, इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से :

- (क) पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो,
- (घ) पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिये समान वेतन हो,

- (ड) पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों,
- (च) बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए।

अनुच्छेद 41: कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार:

राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा।

अनुच्छेद 42: काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध :

राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा।

अनुच्छेद 43: कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि :

राज्य, उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योगों के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन-स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा.....

अनुच्छेद 43-क: उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना :

राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा।

महत्वपूर्ण श्रम कानूनों के कार्यान्वयन का दायित्व

क.	श्रम कानून का नाम	कार्यान्वयन का दायित्व		
		पूर्णतः केंद्र सरकार	पूर्णतः राज्य सरकार	दोनों सरकारों का आंशिक
1	2	3	4	5
1.	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947	.	.	√
2.	मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960	.	√	.
3.	व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926	.	√	.
4.	औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946	√	.	.
5.	मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आज्ञाएं) अधिनियम, 1961	.	√	.
6.	मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936	.	.	√
7.	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948	.	.	√
8.	बोनस भुगतान अधिनियम, 1965	.	.	√
9.	कारखाना अधिनियम, 1948	.	√	.
10.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986	.	.	√
11.	खतरनाक मशीन (विनियमन) अधिनियम, 1983	.	√	.
12.	मध्यप्रदेश दूकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958	.	√	.
13.	बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966	.	√	.
14.	ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970	.	.	√
15.	मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961	.	√	.
16.	भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन विनियमन एवं सेवाशर्तें) अधिनियम, 1996	.	.	√
17.	भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996	.	√	—
18.	अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979	.	.	√
19.	विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1976	.	.	√
20.	श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955	.	.	√
21.	सिने कर्मकार तथा सिनेमागृह कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1981	√	.	.
22.	मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961	.	.	√
23.	समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976	.	.	√
24.	बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976	.	√	.
25.	बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986	.	.	√
26.	बाल (श्रम—गिरवीकरण) अधिनियम, 1933	.	√	.
27.	कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923	.	.	√
28.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948	.	.	√
29.	कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952	√	.	.
30.	उपादान भुगतान अधिनियम, 1972	.	.	√
31.	बीड़ी कर्मकार कल्याण अधिनियम, 1976	√	.	.
32.	लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क तथा क्रोम अयस्क खान कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976	√	.	.
33.	चूना पत्थर एवं डोलोमाइट खान कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1972	√	.	.
34.	मध्य प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982	.	√	.
35.	मध्य प्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1982	.	√	.
36.	श्रम विधि (विवरणी देने तथा रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनाओं को छूट) अधिनियम, 1988	.	.	√
37.	मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम, 2003	.	√	—

प्रदेश में कार्यरत श्रम कार्यालय तथा उनसे सम्बद्ध जिले

संभाग	जिला	जिले में स्थित श्रम कार्यालय का नाम
1-इंदौर संभाग	1 इन्दौर	सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, इंदौर संभाग
	2 धार	1-श्रम पदाधिकारी, धार
		2-श्रम पदाधिकारी, औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर
	3 झाबुआ	श्रम पदाधिकारी, झाबुआ
	4 अलीराजपुर	श्रम पदाधिकारी, अलीराजपुर
	5 बुरहानपुर	श्रम पदाधिकारी, बुरहानपुर
	6 खण्डवा	श्रम पदाधिकारी, खण्डवा
	7 खरगोन	श्रम पदाधिकारी, खरगोन
	8 बड़वानी	श्रम पदाधिकारी, बड़वानी
2-उज्जैन संभाग	9 उज्जैन	सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, उज्जैन संभाग
	10 देवास	श्रम पदाधिकारी, देवास
	11 शाजापुर	श्रम पदाधिकारी, शाजापुर
	12 आगर-मालवा	श्रम पदाधिकारी, आगर-मालवा
	13 मन्दसौर	श्रम पदाधिकारी, मन्दसौर
	14 नीमच	श्रम पदाधिकारी, नीमच
	15 रतलाम	श्रम पदाधिकारी, रतलाम
3-ग्वालियर संभाग	16 ग्वालियर	सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, ग्वालियर संभाग
	17 शिवपुरी	श्रम पदाधिकारी, शिवपुरी
	18 गुना	श्रम पदाधिकारी, गुना
	19 अशोकनगर	श्रम पदाधिकारी, अशोकनगर
	20 दतिया	श्रम पदाधिकारी, दतिया
4-चंबल संभाग	21 मुरैना	सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, चंबल संभाग, मुरैना
	22 श्योपुरकला	श्रम पदाधिकारी, श्योपुरकला
	23 भिण्ड	1- श्रम पदाधिकारी, भिण्ड
		2- श्रम पदाधिकारी, औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर
5-भोपाल संभाग	24 भोपाल	सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, भोपाल संभाग
	25 सीहोर	श्रम पदाधिकारी, सीहोर
	26 रायसेन	श्रम पदाधिकारी, मंडीदीप जिला रायसेन
	27 राजगढ़	श्रम पदाधिकारी, राजगढ़
	28 विदिशा	श्रम पदाधिकारी, विदिशा
6-नर्मदापुरम संभाग	29 होशंगाबाद	सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद
	30 बैतुल	श्रम पदाधिकारी, बैतुल
	31 हरदा	श्रम पदाधिकारी, हरदा
7-सागर संभाग	32 सागर	सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, सागर संभाग
	33 टीकमगढ़	श्रम पदाधिकारी, टीकमगढ़
	34 दमोह	श्रम पदाधिकारी, दमोह
	35 छतरपुर	श्रम पदाधिकारी, छतरपुर
	36 पन्ना	श्रम पदाधिकारी, पन्ना

संभाग	जिला	जिले में स्थित श्रम कार्यालय का नाम
8—जबलपुर संभाग	37 जबलपुर	सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, जबलपुर संभाग
	38 नरसिंहपुर	श्रम पदाधिकारी, नरसिंहपुर
	39 कटनी	श्रम पदाधिकारी, कटनी
	40 बालाघाट	श्रम पदाधिकारी, बालाघाट
	41 मंडला	श्रम पदाधिकारी, मंडला
	42 डिंडोरी	श्रम पदाधिकारी, डिंडोरी
	43 छिंदवाड़ा	श्रम पदाधिकारी, छिंदवाड़ा
	44 सिवनी	श्रम पदाधिकारी, सिवनी
9—रीवा संभाग	45 सतना	सहायक श्रमायुक्त कार्यालय,रीवा संभाग, सतना
	46 रीवा	श्रम पदाधिकारी, रीवा
	47 सीधी	श्रम पदाधिकारी, सीधी
	48 सिंगरोली	सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, सिंगरोली
10—शहडोल संभाग	49 शहडोल	सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, शहडोल संभाग
	50 अनूपपुर	श्रम पदाधिकारी, अनूपपुर
	51 उमरिया	श्रम पदाधिकारी, उमरिया

**संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के अधीन
स्थापित कार्यालय एवं उनके कार्यक्षेत्र**

क्र.	आंचलिक (जोनल) कार्यालय	क्षेत्रीय/ उप क्षेत्रीय कार्यालय		कार्यक्षेत्र में आने वाले जिले/ क्षेत्र	
1	संयुक्त संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इंदौर	1	उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इंदौर	1	इंदौर
		2	उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, उज्जैन	1 2 3 4 5 6	उज्जैन रतलाम झाबुआ नीमच मन्दसौर अलिराजपुर
		3	उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, देवास	1 2 3 4 5	देवास सीहोर राजगढ़ शाजापुर आगर मालवा
2	संयुक्त संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, भोपाल	4	सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मन्दसौर	1 2	मन्दसौर नीमच
		5	उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, भोपाल	1 2 3 4 5 6	भोपाल बैतूल रायसेन विदिशा होशंगाबाद हरदा
		6	उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, जबलपुर	1 2 3 4 5 6 7	जबलपुर मण्डला डिंडोरी बालाघाट छिन्दवाडा सिवनी नरसिंहपुर
		7	उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, बीना (जिला सागर)	1 2 3 4 5	छत्तरपुर टीकमगढ़ सागर दमोह दतिया
		8	उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सतना	1 2 3 4 5 6	सतना कटनी उमरिया पन्ना शहडोल अनुपपुर

3	संयुक्त संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मुख्यालय, इंदौर	9	उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सिंगरौली	1 2 3	रीवा सीधी सिंगरौली
		10	उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मुख्यालय, इंदौर	1	धार
		11	उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, खण्डवा	1 2 3 4	खण्डवा खरगोन बडवानी बुरहानपुर
		12	उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, ग्वालियर	1 2 3 4 5 6 7	ग्वालियर गुना शिवपुरी मुरैना श्यामपुर भिण्ड अशोकनगर
4	उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, (हायजिन लेब) इंदौर				संपूर्ण मध्यप्रदेश

* * *

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत सम्भाग एवं जिले-वार कार्यरत केन्द्र, उनसे संबद्ध
बीमित व्यक्ति, और कार्यरत संस्थाएं

क्र	संभाग	जिला	केंद्र	कार्यरत संस्थाएं			बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या (दि. 31.3. 16 की स्थिति में)
				चिकित्सालय	औषधालय	पेनल क्लिनिक	
1.	इन्दौर	1. इन्दौर	इंदौर	इन्दौर में क.रा.बी. निगम, नई दिल्ली, द्वारा एक आदर्श हास्पिटल एवं व्यवसाय-जन्य रोग केंद्र- संचालित है, (200 शैया) । क्षय चिकित्सालय (75 शैया) मिल क्षेत्र औषधालय (06 शैया पी0पी0यूनिट)	1. नेहरूनगर 2. परदेशीपुरा (कम्यूनिटी हॉल) 3. मिल एरिया 4. औद्योगिक संस्थान 5. आनंद नगर. (चितावद रोड) 6. राजमोहल्ला 7. मांगलिया	1.गोकुल गंज, महू	1,40,605
		2. बुरहानपुर	बुरहान- पुर	—	1. लाल बाग		5,527
		3. धार	पीथमपुर (सेक्टर 1, 2) पीथमपुर (सेक्टर 3, 4)	— —	1. पीथमपुर (सेक्टर 1,2) 1. पीथमपुर (सेक्टर 3,4)		51,835

2.	उज्जैन	4. उज्जैन	उज्जैन	सामान्य चिकित्सालय (50 शैया)	1. देसाई नगर 2. फव्वारा चौक – (चिकित्सालय परिसर)		9,909
			नागदा	सामान्य चिकित्सालय (50 शैया)	1. बिड़लाग्राम 2. मंडी		8,761
		5. देवास	देवास	सामान्य चिकित्सालय (50 शैया)	1. कालानी बाग 2. प्राधिकरण भवन 3. बालगढ		27,045
		6 मंदसौर	मंदसौर	एनेक्सी वार्ड (25 शैया)	1. नई आबादी		8,361
		7. रतलाम	रतलाम	—	1. पोलोग्राउंड 2. जवाहर नगर		11,138
		8. नीमच		—	—	11, डॉ. भाभा मार्ग, फव्वारा चौक, नीमच	—
3.	ग्वालियर	9. ग्वालियर	ग्वालियर	सामान्य चिकित्सालय (100 शैया)	1. बिड़ला नगर नं.1 2. बिड़ला नगर नं.2 3. फालके बाजार 4 जवाहर कॉलोनी 5. मुरार 6. गोला का मंदिर		49,015
4	चम्बल	10. मुरैना	बामोर	—	1. गायत्री नगर,		3,420
		11. भिंड	मालनपुर	—	1. मालनपुर		—
5	भोपाल	12. भोपाल	भोपाल	सामान्य चिकित्सालय (100 शैया)	1. न्यू सुभाष नगर 2. इतवारा 3. बी.एच.ई.एल.		1,06,462
		13. रायसेन	मंडीदीप	—	1. इंदिरा नगर 2. सतलापुर		38,731
6.	होशंगाबाद	14.होशंगाबाद		—	—	आशा निकेतन क्लिनिक,सरा फा बाजार, इटारसी	—

7.	जबलपुर	15. जबलपुर	जबलपुर	—	1. घमापुर 2. राइट टाउन 3. हाथीताल 4. आधारताल		29,805
		16. कटनी	कटनी		1. गायत्री नगर,		—
			निवार	—	1. निवार		—
8	रीवा	17. अनुपपुर	अमलाई	—	1. अमलाई		4,743
		18. सतना	सतना	—	1. सतना सिमेंट वर्क्स के पास		10,891
		19. रीवा	—	—	—	—	—
9	सागर	20. सागर	सागर	—	1. सागर		—
योग	9	20	20	7 (456 शैया) (5 सामान्य चिकित्सालय 1 क्षय चिकित्सालय 1 एनेक्सी वार्ड)	42 औषधालय,	3 पेनल क्लिनिक	5,46,800

नोट:— कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 31.3.2016 की स्थिति में दी गई जानकारी अनुसार मध्यप्रदेश में कुल बीमित व्यक्तियों की संख्या 5,46,800 दी गई है। (केन्द्र वार बीमितों की संख्या नहीं दी गई है)

* * *

श्रम न्यायालय तथा उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले जिले

क्र.	संभाग	श्रम न्यायालय	श्रम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले जिले
1.	इन्दौर	1. इन्दौर	इन्दौर
		2. धार	धार
		3. खंडवा	1. खंडवा, 2. खरगोन, 3. बड़वानी, 4. बुरहानपुर
2.	उज्जैन	1. उज्जैन	1. उज्जैन, 2. शाजापुर, 3 आगर
		2. देवास	देवास
		3. रतलाम	1. रतलाम, 2. झाबुआ 3. अलीराजपुर
		4. मन्दसौर	1. मन्दसौर, 2. नीमच
3.	भोपाल	1. क्र. 1, भोपाल	1. भोपाल, 2. रायसेन
		2. क्र. 2, भोपाल	1. सीहोर, 2. विदिशा, 3. राजगढ़,
		3. बैतुल	बैतुल
4.	सागर	1. सागर	1. सागर, 2. पन्ना, 3. टीकमगढ़ 4. दमोह 5. छतरपुर
5.	जबलपुर	1. जबलपुर	1. जबलपुर, 2. मंडला, 3. सिवनी, 4. कटनी, 5. डिंडोरी
		2. नरसिंहपुर	नरसिंहपुर
		3. छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा
		4. बालाघाट	बालाघाट
6.	रीवा	1. रीवा	रीवा
		2. शहडोल	1. शहडोल, 2. उमरिया 3. अनुपपुर
		3. सीधी	1. सीधी 2. सिंगरौली
		4. सतना	सतना
7.	ग्वालियर	1. क्र. 1, ग्वालियर	1. ग्वालियर,
		2. क्र. 2, ग्वालियर	1. मुरैना, 2 भिण्ड 3. दतिया, 4 शिवपुरी, 5. श्योपुर
		3. क्र. 3, ग्वालियर	1. गुना 2. अशोक नगर
8.	होशंगाबाद	होशंगाबाद	1. होशंगाबाद, 2. हरदा
9.	चंबल	—	—

नोट – श्रम न्यायालय दमोह एवं छतरपुर अस्तित्व में नहीं है ।

* * *

परिशिष्ट-2.5
(देखे पद 2.8)

गत तीन वर्षों के बजट प्रावधान एवं व्यय
श्रमायुक्त संगठन

(राशि लाख रुपये में)

क्र.	वर्ष	अयोजनेत्तर		आयोजना	
		बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय
1	2	3	4	5	6
1	2013—14	3377.12	2649.70	24.70	15.29
2	2014—15	3491.82	2824.39	26.25	26.21
3	2015—16	3621.71	2848.38	30.25	23.57
4	2016—17 13.01.2017	3606.73	2460.38	21.24	3.57

गत तीन वर्षों के बजट प्रावधान एवं व्यय
श्रम न्यायपालिका

(राशि लाख रुपये में)

क्र.	वर्ष	अयोजनेत्तर		आयोजना	
		बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय
1	2	3	4	5	6
1	2014—15	1124	1086	—	—
2	2015—16	870	778	—	—
3	2016—17 दिसम्बर	1391	1067	—	—

गत तीन वर्षों के बजट प्रावधान एवं व्यय
कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें

(राशि लाख रुपये में)

क्र.	वर्ष	आयोजनेत्तर	
		बजट प्रावधान	व्यय
1	2014—2015	9650.73	9133.56
2	2015—2016	13438.52	10873.22
3	2016—2017 (31 दिसम्बर 2016 तक)	11957.02	8812.95

परिशिष्ट-3.1
(देखें पद 3.1)

म.प्र. औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960, के अन्तर्गत अनुसूचित उद्योग

1.	वस्त्र उद्योग जैसा कि औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951, की प्रथम अनुसूची की कंडिका 23 में विनिर्दिष्ट है	-विलोपित-
2.	लौह एवं इस्पात	-विलोपित-
3.	विद्युत वस्तुएं	-विलोपित-
4.	शक्कर एवं उसके उप-उत्पादन, जिनके अंतर्गत (एक) उन प्रक्षेत्रों (फार्मों) जहां पर गन्ना उगाया जाता है, जो शक्कर बनाने में लगे हुए समुत्थान के स्वामित्व के हों या उससे संलग्न हों, और (दो) गन्ना उगाने या उक्त विनिर्माण से संसक्त समस्त कृषिक एवं औद्योगिक संक्रियाएं आती हैं	-विलोपित-
5.	चावल मिल	
6.	तेल मिल	
7.	सीमेन्ट	-विलोपित-
8.	पाटरीज	-विलोपित-
9.	चूना उद्योग	
10.	विद्युत उत्पादन, सम्प्रेषण एवं वितरण	-विलोपित-
11.	मुद्रणालय	
12.	कागज तथा पुट्टा	
13.	एसबेस्टास सीमेंट	
14.	चपड़ा (शेलेक)	
15.	लोक मोटर परिवहन	-विलोपित-
16.	राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा चलाये जा रहे इंजीनियरिंग उद्योग को अपवर्जित करते हुए इंजीनियरिंग, जिसमें मोटर यान सम्मिलित है	-विलोपित-
17.	आटा मिल	
18.	बिस्किट तथा कन्फेक्शनरी	
19.	कांच	
20.	स्टार्च	
21.	वनस्पति घी	
22.	श्रबर	
23.	कत्था उद्योग	
24.	रसायन एवं रसायन उत्पाद उद्योग	-विलोपित-
25.	अधातु खनिज उत्पाद उद्योग	
26.	एल्युमिनियम उद्योग	
27.	जिलेटिन उद्योग (सरेस)	
28.	चमड़ा व चर्म शोधन, जिसमें चमड़े से बनी वस्तुएं सम्मिलित हैं	-विलोपित-
29.	उर्वरक, जैसा कि औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951, की प्रथम अनुसूची के कंडिका 18 में विनिर्दिष्ट है	
30.	औषधि तथा भेषज, जैसा कि औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951, की प्रथम अनुसूची की कंडिका 22 में विनिर्दिष्ट है	
31.	किण्वन उद्योग, जैसा कि औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951, की प्रथम अनुसूची की कंडिका 26 में विनिर्दिष्ट है	
32.	डेयरी उत्पादों का निर्माण एवं उनका वितरण	

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत प्रस्तुत विवादों पर की गई कार्रवाई

क्र.	वर्ष	वर्ष के प्रारंभ में शेष विवादों की संख्या	विवाद जो समझौते के लिये पेश हुए	विवाद जिनमें समझौता हो गया या अन्य तरीके से निपटाये गये	पंच निर्णय हेतु प्राप्त	विवाद जो पंच फैसले/न्याय निर्णय के लिये भेजे गये	पंच निर्णय दिया गया	वर्ष के अंत में शेष विवादों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	2006-07	259	820	22	—	843 12 धारा 12(5)	—	208
2.	2007-08	208	862	22	—	855 09 धारा 12(5)	—	184
3.	2008-09	184	1066	39	—	1032 06 धारा 12(5)	—	173
4.	2009-10	173	1183	77	—	989 07 धारा 12(5)	—	283
5.	अप्रैल 10 से मार्च 11 तक	283	1113	36	—	1117 39 धारा 12(5)	—	204
6.	अप्रैल 11 से मार्च 12 तक	204	915	79	—	848 21 धारा 12(5)	—	171
7.	अप्रैल 12 से मार्च 13 तक	171	865	26	—	757 61 धारा 12 (5)	—	192
8	अप्रैल 13 से मार्च 14 तक	192	663	44	—	675 33 धारा 12 (5)	—	103
9.	अप्रैल 14 से मार्च 15 तक	103	828	38	—	687 09 धारा 12 (5)	—	197
10.	अप्रैल 15 से मार्च 16 तक	163	892	39	—	860 07 धारा 12 (5)	—	183
11	अप्रैल 16 से दिसंबर 16 तक	183	763	89	—	735 14 धारा 12 (5)	—	108

परिशिष्ट-3.3
(देखें पद 3.2)

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 34 के अन्तर्गत स्वीकृत अभियोजन

क्र.	अवधि	अभि.स्वी. हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	दी गई अभियोजन स्वीकृति की संख्या
1.	2006-07	136	07
2.	2007-08	154	44
3.	2008 -09	130	37
4.	2009-10	112	01
5.	अप्रैल 10 से मार्च 11 तक	173	52
6.	अप्रैल 11 से मार्च 12 तक	191	26
7.	अप्रैल 12 से मार्च 13 तक	136	45
8.	अप्रैल 13 से मार्च 14 तक	179	82
9.	अप्रैल 14 से मार्च 15 तक	258	105
10.	अप्रैल 15 से मार्च 16 तक	175	114
11.	अप्रैल 16 से दिसंबर 16 तक	107	30

नोट-अप्रैल 14 से मार्च 15 तक 62 प्रकरणों में अवार्ड का परिपालन करवाया गया।

अप्रैल 15 से मार्च 16 तक 64 प्रकरणों में अवार्ड का परिपालन करवाया गया।

अप्रैल 16 से दिसंबर 16 तक 27 प्रकरणों में अवार्ड का परिपालन करवाया गया।

परिशिष्ट-3.4
(देखें पद 3.2)

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 33-सी (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों पर जारी किये वसूली प्रमाण पत्र एवं उनमें निहित वसूली योग्य राशि

क्र.	अवधि	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	जारी किये गये वसूली प्रमाण पत्रों की संख्या	वसूली योग्य रकम (रूपये में)
1.	2006-07	84	47	8,12,99,364.00
3.	2007-08	85	60	7,67,10,944.00
3.	2008-2009	104	49	9,31,22,200.00
4.	2009-10	75	80	6,63,22,367.00
5.	अप्रैल 10 से मार्च 11 तक	118	90	4,95,31,094.00
6.	अप्रैल 11 से मार्च 12 तक	96	56	5,44,36,709.00
7.	अप्रैल 12 से मार्च 13 तक	96	79	9,42,91,613.00
8.	अप्रैल 13 से मार्च 14 तक	71	27	14,96,56,962.00
9.	अप्रैल 14 से मार्च 15 तक	45	59	8,71,03,887.00
10.	अप्रैल 15 से मार्च 16 तक	53	20	4,03,23,902.00
11.	अप्रैल 16 से दिसंबर 16 तक	38	25	1,06,12,474.00

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 25-एम, 25-एन तथा 25-ओ के अंतर्गत क्रमशः
ले-ऑफ, छंटनी एवं बंदीकरण की अनुमति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर की गई कार्रवाई

आवेदन का प्रकार	वर्ष	वर्ष के प्रारंभ में शेष आवेदन पत्रों की संख्या	प्राप्त आवेदनों की संख्या	प्रकरणों की संख्या जिनमें अनुमति प्रदान की गई	प्रकरणों की संख्या जिन्हें निरस्त किया गया	वर्ष के अंत में शेष आवेदन पत्रों की संख्या
1. ले-ऑफ हेतु (धारा-25-एम)	2006-07	—	—	—	—	—
	2007-08	—	—	—	—	—
	2008-09	—	7	1 —	2 3(वापस) 1 समझौता	—
	2009-10	—	1	—	1	—
	अप्रैल 10 से मार्च 11 तक	—	—	—	—	—
	अप्रैल 11 से मार्च 12 तक	—	—	—	—	—
	अप्रैल 12 से मार्च 13 तक	—	—	—	—	—
	अप्रैल 13 से मार्च 14 तक	—	1	—	—	1
	अप्रैल 14 से मार्च 15 तक	1	1	1	1 संदर्भ किया गया	—
	अप्रैल 15 मार्च 16	—	1	1	—	—
	अप्रैल 16 से दिसं. 16 तक	—	4	1 अभियोजन अनुमति	3 अमान्य	—
		—	1	—	—	1
2. छंटनी हेतु (धारा-25-एन)	2006-07	—	—	—	—	—
	2007-08	—	—	—	—	—
	2008-09	—	—	—	—	—

	2009—10	—	1	—	1 (आपसी सहमति)	—
	अप्रैल 10 से मार्च 11 तक	—	—	—	—	—
	अप्रैल 11 से मार्च 12 तक	—	—	—	—	—
	अप्रैल 12 से मार्च 13 तक	—	1	1	—	—
	अप्रैल 13 से मार्च 14 तक	—	—	—	—	—
	अप्रैल 14 से मार्च 15 तक	—	1	—	1	—
	अप्रैल 15 से मार्च 16 तक	—	—	—	—	—
	अप्रैल 16 से दिसंबर 15 तक	—	—	—	—	—
3. बंदीकरण हेतु (धारा-25—ओ)						
	2006 से 2007 तक	—	—	—	—	—
	2007—08	—	2	1	1	—
	2008 — 09 तक	—	—	—	—	—
	2009—10	—	—	—	—	—
	अप्रैल 10 से मार्च 11 तक	—	—	—	—	—
	अप्रैल 11 से मार्च 12 तक	—	—	—	—	—
	अप्रैल 12 से मार्च 13 तक	—	1	1	—	—
	अप्रैल 13 से दिसंबर 13 तक	—	1	—	1 संदर्भ किया गया	—
	अप्रैल 13 से मार्च 14 तक	—	—	—	—	—
	अप्रैल 14 से मार्च 15 तक	—	—	—	—	—
	अप्रैल 15 से मार्च 16 तक	—	4	1	1 सहमति 1 निरस्त	1
	अप्रैल 16 से दिसंबर 16 तक	1	—	—	1 निरस्त	—

म.प्र. औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 के अंतर्गत प्रस्तुत विवादों पर की गई कार्रवाई

क्र.	वर्ष	वर्ष के प्रारंभ में शेष विवादों की संख्या	विवाद जो समझौते के लिये पेश हुए	विवाद जिनमें समझौता हो गया या अन्य तरीके से निपटाये गये	पंच निर्णय हेतु प्राप्त	विवाद जो पंच फैसले/ न्याय निर्णय के लिये भेजे गये	पंच निर्णय दिया गया	वर्ष के अंत में शेष विवादों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2006 — 07	25	13	25	—	03	—	10
2.	2007 — 08	10	11	09	—	01	—	11
3.	2008 — 09	11	—	—	—	01	—	10
4.	2009—10	11	05	03	—	02	—	11
5.	अप्रैल 10 से मार्च 11 तक	12	01	09	—	—	—	04
6.	अप्रैल 11 से मार्च 12 तक	04	04	03	—	01	—	04
7.	अप्रैल 12 से मार्च 13 तक	04	03	02	—	—	—	05
8	अप्रैल 13 से मार्च 14 तक	05	01	02	—	02	—	02
9	अप्रैल 14 से मार्च 15 तक	02	05	—	—	01	—	06
10	अप्रैल 15 से मार्च 16 तक	06	04	06	—	03	—	01
11	अप्रैल 16 से दिसंबर 16 तक	01	03	01	—	—	—	03

म.प्र. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आज़ाए) अधिनियम, 1961 के अंतर्गत संपादित

निरीक्षण/अभियोजन

क्र.	अवधि	वर्ष में संपादित निरीक्षणों की संख्या	वर्ष में दायर किये गये अभियोजन की संख्या
1	2006 —2007	310	54
2.	2007 —08	318	71
3	2008 —2009	298	66
4.	2009—10	215	45
5.	अप्रैल 10 से मार्च 11 तक	40	10
6.	अप्रैल 11 से मार्च 12 तक	69	18
7.	अप्रैल 12 से मार्च 13 तक	55	—
8.	अप्रैल 13 से मार्च 14 तक	36	—
9.	अप्रैल 14 से मार्च 15 तक	02	—
10.	अप्रैल 14 से मार्च 16 तक	—	—
11	अप्रैल 16 से दिसंबर 16 तक	—	—

औद्योगिक स्थापनाओं से स्थाई आदेशों और उनमें संशोधनों के प्रमाणीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर की गई कार्रवाई

वर्ष	वर्ष के प्रारंभ में शेष आवेदन पत्रों की संख्या	वर्ष में प्राप्त आवेदनों की संख्या	वर्ष में निराकृत आवेदन पत्रों की संख्या	वर्ष के अंत में शेष आवेदन पत्रों की संख्या
2006 -07	04	01	04	01
2007 -08	01	12	10	03
2008 -09	03	01	01	03
2009 10	03	07	03	07
अप्रैल 10 से मार्च 11 तक	07	06	12	01
अप्रैल 11 से मार्च 12 तक	01	05	04	02
अप्रैल 12 से मार्च 13 तक	02	05	04	03
अप्रैल 13 से मार्च 14 तक	03	23	15	11
अप्रैल 15 से मार्च 16 तक	02	20	12	08
अप्रैल 16 से दिसंबर 16 तक	08	06	10	04

परिशिष्ट-3.9

व्यावसायिक संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत श्रम संगठनों के पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदन, उनका निराकरण तथा पंजीयन निरस्ती हेतु की गई कार्रवाई

वर्ष	पूर्व के लम्बित	पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदन पत्र	पंजीकृत श्रम संगठन	अमान्य किये गये आवेदन पत्र	शेष	त्रुटिकर्ता श्रम संगठन जिनका पंजीयन निरस्त किया गया
2015—16	51	44	47	06	42	01
2016—17 (31 दिसंबर 2016 तक)	42	52	40	20	34	26

टीप:-शेष आवेदन पत्र सत्यापन हेतु विभिन्न जिला श्रम कार्यालयों को भेजे गये हैं ।

मान्य किए गए वार्षिक विवरण/निर्वाचन/विधान संशोधन की स्थिति

2015—2016					2016—2017 (31 दिसम्बर,2016तक)				
श्रम संघों की संख्या	वार्षिक विवरण	श्रम संघों की संख्या	निर्वाचन	विधान संशोधन	श्रम संघों की संख्या	वार्षिक विवरण	श्रम संघों की संख्या	निर्वाचन	विधान संशोधन
79	159	56	82	17	147	418	76	166	16

परिशिष्ट-3.10

मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीयन हेतु प्राप्त ठहराव/समझौते

वर्ष	पंजीयन हेतु प्राप्त ठहराव	पंजीकृत ठहराव	पंजीयन हेतु प्राप्त समझौते	पंजीकृत समझौते
2015—16	03	03	02	02
2016—17 (31 दिसंबर 2017 तक)	—	—	01	01

कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत कारखानों की संभाग एवं
जिले-वार जानकारी (01.01.2017 तक)

संभाग	जिला	पंजीकृत कारखानों की संख्या	नियोजन क्षमता
1. इन्दौर	01. इन्दौर	3066	134522
	02. धार	1036	97107
	03. झाबुआ	128	5434
	04. खंडवा	318	19706
	05. बुरहानपुर	184	14183
	06. खरगोन	409	28559
	07. बडवानी	313	17795
	08. अलीराजपुर	24	486
2. उज्जैन	09. उज्जैन	657	39821
	10. देवास	529	68247
	11. आगर	18	316
	12. शाजापुर	243	4823
	13. रतलाम	325	21490
	14. मन्दसौर,	462	14380
	15. नीमच	196	6611
3. ग्वालियर	16. ग्वालियर	841	37713
	17. दतिया	59	1499
	18. गुना	90	9254
	19. अशोकनगर	12	928
	20. शिवपुरी,	58	1927
	21. श्योपुर	22	128
4. चम्बल	22. मुरैना	260	16057
	23. भिंड	355	24492
	24. भोपाल	732	51156
5. भोपाल	25. सीहोर	92	14109
	26. रायसेन	400	38643
	27. राजगढ़	145	9499
	28. विदिशा	111	2810
	29. बैतूल	117	7922
6. होशंगाबाद	30. होशंगाबाद	215	9767
	31. हरदा	149	4058
7. सागर	32. सागर	347	12557
	33. टीकमगढ़	39	1440
	34. दमोह	72	3411
	35. छत्तरपुर	86	1183
	36. पन्ना	32	1716
8. जबलपुर	37. जबलपुर,	1135	34037
	38. नरसिंहपुर	161	4806
	39. कटनी	343	12019
	40. बालाघाट	323	9650
	41. सिवनी	115	3414
	42. मंडला.	120	4910
	43. डिंडोरी	8	120
	44. छिन्दवाड़ा	386	21843
9. रीवा	45. सतना	473	25044
	46. रीवा	170	8423
	47. सीधी	36	1513
	48. शहडोल,	149	5192
	49. अनुपपुर	12	918
	50. उमरिया	7	2060
	51. सिंगरोली	56	10510
	योग —	15636	868208

परिशिष्ट-4.2
(देखें पद 4.2.6)

कारखाना अधिनियम, 1948, की धारा 88 के अंतर्गत आने वाली
दुर्घटनाओं की जानकारी

वर्ष	दुर्घटनाओं से प्रभावित कर्मियों की संख्या			
	मृत कर्मी	गंभीर रूप से प्रभावित कर्मी (पूर्ण/आंशिक स्थायी विकलांगता)	साधारण रूप से प्रभावित कर्मी (48 घंटे से अधिक की परंतु अस्थायी अक्षमता)	अग्नि दुर्घटनाएं
1	2	3	4	5
2010—11	68	28	857	10
2011—12	59	31	1392	11
2012—13	49	26	648	11
2013—14	43	18	405	09
2014—15	56	17	233	13
2015—16	38	20	360	09
2016—17 (31 दिसंबर 2016 तक)	24	12	397	08

मध्यप्रदेश में स्थित अति खतरनाक स्थापनाओं की संभाग एवं जिलेवार सूची

संभाग	जिला	स्थान	स्थापना का नाम	उपयोग में लाये जाने वाले खतरनाक रसायन	खतरनाक रसायन की मात्रा (मे.टन में)		आनें साइट आपात योजना को अंतिम रूप दिये जाने की तिथि	रिमार्क
					निर्धारित सीमान्त मात्रा	स्थापना में भंडारण की क्षमता		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
इंदौर	इंदौर	मांगलिया	1. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पो.लि. एल. पी.जी. बाटलिंग प्लांट	एल.पी.जी.	15.000	1200.000	07/08/97	
			2. भारत पेट्रोलियम कार्पो. लि. पोल डिपो,	पेट्रोल (गैसोलीन)	1000.000	1400.000	15/12/97	
			3. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो. लि. पोल डिपो,	पेट्रोल (गैसोलीन)	1000.000	2220.000	25/07/98	
			4. इंडियन आईल कार्पो. लि. पोल डिपो,	पेट्रोल (गैसोलीन)	1000.000	3051.000	23/02/98	
			5. भारत पेट्रोलियम कार्पो.. लि. मांगलिया, इंस्टालेशन	पेट्रोल (गैसोलीन) एच.एस.डी. एस.के.ओ.	1000.000	26880.000 54560.000 12900.000	27/05/03	
		महू	6. बालाजी वेफर्स	प्रोपेन	15.000	60.000	-	
		असरावद	7. डायमण्ड क्रिस्टल (प्रा.) लि.	एल.पी.जी.	15.000	20.000	22/01/14	
		कबीट खेडी	8. 245, एम.एल.डी. सिवेल ट्रीटमेन्ट प्लांट (आय.एम.सी.)	क्लोरीन	10.000	21.600	-	
	खण्डवा	डोंगलिया	9. श्री सिंगाजी थर्मल पावर स्टेशन	क्लोरीन	10-000	79.000	14/09/13	
	धार	पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र	10. स्वस्तिक प्लास्टि सायजर्स एण्ड पी. व्ही.सी. पाईप्स प्रा. लि.	क्लोरीन	10.000	25.000	26/09/96	
			11. आर्या फिलामेन्टस्	एल.पी.जी.	15.000	40.000	19/07/12	
			12. एवटेक लि.	एल.पी.जी.	15.000	40.000	05/01/98	
			13. भारत पेट्रोलियम कार्पो. बाटलिंग प्लांट	एल.पी.जी.	15.000	450.000	08/10/99	
			14 गगन गेसेस लि. यूनिट नं.2	एल.पी.जी.	15.000	90.000	03/09/97	
			15 ग्रीन कास एग्रो केमिकल प्रा.लि.	मिथाइल पैराथिन	00.100	00.250	31/03/99	
			16. देव एग्रो (इण्डिया) केमिकल फर्टिलाईजर्स लि.	फोरेट	00.100	00.800	05/05/16	
			17. हिंदुस्तान मोटर्स लि. (पी.टी.पी. प्लांट)	प्रोपेन	15.000	57.900	08/02/99	वर्तमान में बन्द है।
			18. टाटा स्टील लि.	एल.पी. जी.	15.000	16.459	14/01/16	
		तिरला	19. इंदौर गैसेस	एल.पी.जी.	15.000	50.000	16/07/12	
		खुरेल	20. श्री क्लोरेटस यूनिट ऑफ झोनिथ इलेक्ट्रोकेम प्रा.लि.	सोडियम क्लोरेट	25.000	100.000	03/09/96	
उज्जैन	उज्जैन	नागदा	21. आरसिल केटलिस्ट प्रा.लि.,	क्लोरीन	10.000	21.000	08/02/96	
			22. ग्रेसिम इंड. लि.(केमिकल डिबी)यूनिट नंबर 1	क्लोरीन	10.000	440.000	23/01/98	
			23. ग्रेसिम इंड. लि.(केमिकल डिबी) यूनिट नं. 2	क्लोरीन	10.000	380.000	19/01/98	
			24. ग्रेसिम इंड. लि.(स्टेपल फाईबर)	कार्बन-डाईसल्फाईड	20.000	1057.000	14/05/98	
			25. लानसेस इंडिया इण्ड. प्रा. लि.	क्लोरीन, सल्फर ट्राय आक्साईड	10.000 25.000	39.600 30.000	02/03/96	
		ज्वालखेडी	26. कान्फीडेन्स सिलेण्डर एण्ड प्रेट्रोकेम प्रा.लि.	एल.पी.जी.	15.000	40.000	08/05/12	वर्तमान में बन्द है।
		घटिया	27. इंडियन ऑयल कार्पो लि.बाटलिंग प्लांट,	एल.पी.जी.	15.000	1850.000	28/07/00	
	देवास	इंड. एरिया	28. गजरा डिफरन्शियल गियर्स प्रा.लि.	एल.पी.जी./प्रोपेन	15.000/ 15.000	20.000 20.000	27/04/06	
	रतलाम	बांगरोड	29. इण्डियन आइल कार्पो.. लि., रतलाम टर्मिनल	पेट्रोल, एसकेओ, एचएसडी तथा अन्य	1000.000	22443, 34965, 15540	04/02/10	

	शाजापुर	लोडिया	30. सिद्धार्थ ट्यूब लि. (सी.आर.एम.डिबी)	प्रोपेन	15.000	120.000	24/07/00	
भोपाल	भोपाल	पिपलानी	31. भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि.	एल.पी.जी.	15.000	168.000	18/09/97	
		बैरागढ	32. इंडियन ऑयल कार्पो. लि. एल.पी.जी बाटलिंग प्लांट,	एल.पी.जी.	15.000	8200.000	24/03/98	
		हुजुर	33. रिलायन्स इण्ड. लि., भोपाल टर्मिनल	पेट्रोल एच.एस.डी.	1000.000	4150.000 5410.000	11/10/04	
		निशातपुरा	34. इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. डिपो	पेट्रोल	1000.000	1736.000	26/09/01	
		बकानिया	35. भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., डिपो	पेट्रोल	1000.000	1230.000	09/11/10	
			36. भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., बाटलिंग प्लांट	एल.पी.जी.	15.000	200.000	25/03/13	
	सीहोर	बुधनी	37. वर्धमान फेब्रिकस	प्रोपेन	15.000	100.000	06/11/07	
			38. ट्रायडेन्ट लि.	एल.पी.जी.	15.000	25.000	30/05/16	
		डोडी	39. हेमकुन्ट पेट्रोलियम लि.	एल.पी.जी.	15-000	50.000	27/10/99	
	रायसेन	दिवानगंज	40. जी.के.केमिकल एण्ड फर्टिलायजर्स लि.	फोरेट / कार्बोफोरेन	00.100 00.100	27.600 30.000	02/05/95	
		मण्डीदीप	41. एच.ई.जी. लि. (ग्रेफाईट डिबी)	एल.एन.जी.	15.000	40.000	06/03/13	
			42. इन्स्युलेटर एण्ड इलेक्ट्रिकल्स कंपनी युनिट नं. 2 .	प्रोपेन	15.000	60.000	05/04/08	
	राजगढ़	पैलूखेडी	43. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पो.लि. एल. पी.जी. बाटलिंग प्लांट	एल.पी.जी.	15.000		22/11/13	
	विदिशा	इंड.इस्टेट	44. सोरम एग्रो इण्ड. लि.	फोरेट	00.100	00.250	30/03/98	
			45. मेड केमिकल्स	मिथाईल पेराथियान / फोरेट	00.100 00.100	00.450 00.960	17/05/05	
			46. एग्रो एडस पेस्टीसाईड्स,	मिथाईल पेराथियान / फोरेट	00.100 00.100	00.200 00.200	23/02/98	
			47. पेस्ट केम एंड अलाईड इण्ड.	मिथाईल पेराथियान	00.100	00.200	30/03/98	
			48. शार्पन मेटल इंड.	मिथाईल पेराथियान / फोरेट	00.100 00.100	00.200 00.200	30/03/98	
			49. यूनिक्ल पेस्टीसाईड्स प्रा.लि.	मिथाईल पेराथियान / फोरेट	00.100 00.100	00.950 00.950	11/10/01	
			50. न्यू मेड केमिकल्स	मिथाईल पेराथियान / फोरेट	00.100 00.100	00.200 00.200	30/03/98	
			51. हाईटेक पेस्टीसाईड्स	फोरेट	00-100	00-200	16/06/14	
नर्मदापूरम	होशंगाबाद	इटारसी	52. इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. डिपो	पेट्रोल	1000.000	1947.000	14/09/98	
जबलपुर	जबलपुर	भिटौनी	53. भारत पेट्रोलियम कार्पो.लि. एल.पी. जी. बाटलिंग प्लांट,	एल.पी.जी.	15.000	2900.000	09/10/97	
			54. इंडियन आईल कार्पो. लि.डिपो	पेट्रोल	1000.000	1177.000	24/03/98	
			55. भारत पेट्रोलियम कार्पो.लि. डिपो	पेट्रोल	1000.000	1872.000	03/09/07	
			56. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो लि. डिपो	पेट्रोल	1000.000	2220.000	10/03/98	
			57. कान्फीडेन्स सिलेन्डर एण्ड पेट्रोकेम प्रा.लि.	एल.पी.जी.	15.000	100.000	03/03/07	
		रिचाई	58. बालाजी एडीबल आईल प्रा.लि.	एल.पी.जी.	15.000	40.000	03/05/08	
		खमरिया	59. आर्डिनन्स फेक्ट्री,	ट्राईनाईट्रो टालविन	50.000	50.000	30/03/98	
	छिंदवाडा	सीसर	60. भंसारली इंजिनियरिंग पॉलिमर्स लि.	एकी- लोनाईट्राईल	20.000	125.000	28/10/92	
		खुनागर	61. कान्फीडेन्स सिलेन्डर एण्ड पेट्रोकेम प्रा.लि.	एल.पी.जी.	15.000	60.000		वर्तमा न में बन्द है।
		मोहखेड	62. जुगनू फुड्स प्रा. लि. बदावोह	प्रोपेन	15.000	40.220	..	
		पांडुरना	63. ब्रायटेक प्रोसेसर (इं) प्रा.लि.	प्रोपेन	15.000	40.000	26/12/11	
	मंडला	मनेरी	64. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पो. लि. बाटलिंग प्लांट,	एल.पी.जी.	15.000	450.000	30/10/00	
ग्वालियर	ग्वालियर	सिथौली	65. रेल स्प्रिंग कारखाना, सेंदल रेल्वे,	एल.पी.जी.	15.000	140.000	31/05/99	
		रायरू	66. इंडियन आईल कार्पो. लि. डिपो	पेट्रोल (गैसोलीन)	1000.000	1058.000	24/3/98	
	शिवपुरी	आमखेडा	67. गैस पाइन्ट पेट्रोलियम इंडिया लि.	एल.पी.जी.	15.000	50.000	07/08/12	वर्तमा न में बन्द है।
	गुना	विजयपुर	68. गेल(इंडिया) लि. एल.पी.जी. रिकवरी प्लांट	एल.पी.जी./प्रोपेन	15.000	8000.000 2700.000	08/09/97	
			69. नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.	अमोनिया / क्लोरीन	60.000 10.000	15000.000 20.000	27/01/98	
		डोंगर	70. इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि.	एल.पी.जी.	15.000	900.000	13/03/02	

			बाटलिंग प्लांट,					
चंबल	भिंड	मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र	71. सुर्या रोशनी लि.	प्रोपेन/एल.पी.जी.	15.000	194.000	19/03/97	
			72. आर. एस. सिलिकेट एण्ड केमिकल	क्लोरीन	10.000	20.000	-	
	मुरैना	बामौर	73. प्राची गैस बाटलिंग प्लांट	एल.पी.जी.	15.000	50.000	-	वर्तमान में बन्द है।
रीवा	शहडोल	अमलाई	74. ओरियेंट पेपर मिल,	क्लोरीन	10.000	169.00	13/08/96	
	सिंगरौली	विन्ध्यनगर	75. विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन	क्लोरीन	10.000	25.000	21/10/97	
		जयन्त	76. इंडियन आईल कार्पो. लि. डिपो	एच.एस.डी.	5000.000	11000.000	23/02/98	
		जयन्त	77. इंडियन आईल कार्पो.लि. (आईबीपी डिडी)	अमोनियम नाइट्रेट	350.000	955.000	12/03/14	
		वैघान	78. सासन पावर लि.	क्लोरीन	10.000	49,500.000	18/03/13	
		निगरी	79. जे.पी. निगरी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट	क्लोरीन	10.000	80.000	01/10/14	
सागर	पन्ना	पुरैना	80. शिवा एक्सीम इन्टर प्राईजेस	क्लोरीन	10.000	32.000	03/11/07	
	सागर	बीना	81. भारत ओमान रिफायनरी लि.	एल.पी.जी, पेट्रोल, एसकेओ, एचएसडी तथा अन्य	15.000 1000.000	8400, 28334, 9540, 35805	05/40/10	

ऑफ साइट आपात योजना की तैयारी एवं पूर्वाभ्यास

क्र.	जिला	पूर्वाभ्यास का दिनांक
1	भोपाल	17/12/07, 25/11/08, 16/04/09, 22/10/09, 10/12/14, 25/08/16
2	रायसेन	24/05/07, 23/12/08, 21/12/09, 03/12/11, 29/01/14, 30/12/16
3	विदिशा	02/01/08, 03/12/11, 12/02/14, 03/12/16
4	ग्वालियर	08/02/07, 25/03/08, 21/07/08, 28/01/09, 06/07/09, 19/02/10, 02/02/11, 03/12/11, 16/08/12, 24/09/14, 04/09/15, 11/11/16
5	भिण्ड	20/04/07, 31/01/08, 28/06/08, 31/01/09, 07/04/10, 04/03/11, 03/12/11, 19/10/12, 12/09/14, 05/12/15, 28/12/16
6	गुना	30/06/07, 15/02/08, 28/08/08, 26/02/09, 28/07/09, 11/03/10, 05/03/11, 03/12/11, 08/08/12, 07/08/14, 03/10/15, 05/10/16, 26/12/14, 14/03/16
7	जबलपुर	24/12/07, 17/07/08, 22/08/09, 03/12/11, 12/10/12, 17/11/14, 26/12/14, 14/03/16
8	मण्डला	24/05/07, 15/12/07, 26/11/08, 03/12/11, 19/09/14, 08/09/16
9	छिन्दवाडा	26/12/07, 23/12/08, 03/12/11, 17/12/14, 28/06/16
10	इंदौर	17/08/08, 22/03/11, 03/12/11, 11/02/15
11	धार	12/03/07, 08/07/07, 17/03/08, 28/08/09, 27/09/10, 27/03/11, 03/12/11, 27/02/14
12	उज्जैन	24/03/07, 20/09/08, 22/09/09, 28/12/10, 07/07/11, 03/12/11, 03/12/12, 03/12/14, 18/06/15, 03/12/15, 26/12/16
13	शाजापुर	19/12/07, 31/12/08, 05/11/11, 03/12/11, 03/12/12, 07/03/14
14	देवास	20/12/07, 31/12/08, 03/12/11, 07/12/12, 07/11/14, 04/03/15, 03/12/16
15	सीहोर	22/12/07, 26/12/08, 03/12/11, 07/12/12, 23/03/14, 03/03/15, 04/03/16
16	शहडोल	07/03/07, 24/09/08, 02/12/09, 07/02/11, 03/12/11, 22/05/15, 18/11/16
17	पन्ना	06/02/08, 11/01/11, 03/12/11, 04/03/12, 30/04/14, 23/05/15, 01/06/16
18	सिंगरोली	27/09/08, 03/12/11
19	रतलाम	08/12/10, 10/06/11, 03/12/11, 03/12/12, 11/07/14, 14/01/16, 19/07/16
20	सागर	03/12/11, 08/06/12, 13/09/13, 30/10/14, 30/07/15, 22/12/16
21	शिवपुरी	वर्तमान में एक मात्र एम.ए.एच. कारखाना बन्द है।
22	मोरेना	वर्तमान में एक मात्र एम.ए.एच. कारखाना बन्द है।
23	राजगढ़	नवीन एम.ए.एच कारखाना चालु होने से प्लान बनाने की कार्यवाही जारी है ।
24	खण्डवा	30/07/15, 21/03/16
25	होशंगाबाद	नवीन एम.ए.एच. कारखाना की पहचान होने से प्लान बनाने की कार्यवाही जारी है ।

परिशिष्ट-4.5
(देखें पद 4.4.5)

अति खतरनाक स्थापनाएं, जिनका सुरक्षा ऑडिट एम.एस.आई.एच.सी.
नियम, 1989 के तहत अनिवार्य है, के सुरक्षा आडिट की स्थिति

जिला	स्थान	कारखाने का नाम	सुरक्षा आडिट की स्थिति	पिछला सुरक्षा आडिट कराने का वर्ष
1	2	3	4	5
भोपाल	बैरागढ़	1 इंडियन आईल कार्पो. लि. एल.पी.जी. बाटलिंग प्लांट,	सम्पन्न	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,
	बकानिया	2 भारत पेट्रोलियम कार्पो. लि. एल.पी.जी. बाटलिंग प्लांट,	सम्पन्न	2013, 2014, 2015
धार	पीथमपुर	3 भारत पेट्रोलियम कार्पो. लि. एल.पी.जी. बाटलिंग प्लांट,	सम्पन्न	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
गुना	विजयपुर	4 गैल (इंडिया) लि.	सम्पन्न	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
		5 नेशनल फर्टीलाइजर्स लि.,	सम्पन्न	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
	डोंगर	6 इंडियन आईल कार्पो. लि. बाटलिंग प्लांट	सम्पन्न	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
इन्दौर	राऊखेडी	7 हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पो. एल.पी.जी. बाटलिंग प्लांट,	सम्पन्न	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
	मांगलिया	8 भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. मांगलिया इस्टालेशन	सम्पन्न	2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
जबलपुर	भिटौनी	9 भारत पेट्रोलियम कार्पो. लि. एल.पी.जी. बाटलिंग प्लांट,	सम्पन्न	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
	खमरिया	10 आर्डिनन्स फैक्ट्री,	सम्पन्न	—
उज्जैन	घातिया	11 इंडियन आईल कार्पो. लि. एल.पी.जी. बाटलिंग प्लांट,	सम्पन्न	2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
	नागदा	12 ग्रेसिम इण्ड. लि.(केमिकल डिवीजन) युनिट-1	सम्पन्न	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016
		13 ग्रेसिम इण्ड. लि.(केमिकल डिवीजन) युनिट-2	सम्पन्न	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016
		14 ग्रेसिम इण्ड.लि. (स्टेपल फायबर डिवीजन)	सम्पन्न	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016
		15 लानसेस इंडिया इ.प्रा. लि.	सम्पन्न	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
मण्डला	मनेरी	16 हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पो. एल.पी.जी. बाटलिंग प्लांट,	सम्पन्न	2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013(आंतरिक), 2014, 2015 (आंतरिक), 2016
शहडोल	अमलाई	17 ओरियेंट पेपर मिल,	सम्पन्न	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016
सिंगरोली	विन्ध्यनगर	18 विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन	सम्पन्न	2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016
	वैधान	19 सासन पावर लि.	सम्पन्न	2013, 2014 (आंतरिक), 2015, 2016
	निग्री	20 जे.पी. निग्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट	सम्पन्न	2013, 2014, 2015, 2016
रतलाम	बांगरोड	21 इण्डियन आईल कार्पो. लि., रतलाम टर्मिनल	सम्पन्न	2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
सागर	बीना	22 भारत ओमान रिफायनरी लि.	सम्पन्न	2010, 2012, 2013, 2014, 2015
पन्ना	पुरैना	23 शिवा एक्सीम इन्टरप्राइजेस	सम्पन्न	2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015
खण्डवा	डोंगलिया	24 श्री सिंगाजी थर्मल पावर स्टेशन	सम्पन्न	2014, 2015, 2016
राजगढ़	पीलुखेडी	25 हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पो. एल.पी.जी. बाटलिंग प्लांट,		नया कारखाना स्थापित हुआ है ।

परिशिष्ट-4.6
(देखें पद 4.5.3)

औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशाला, इंदौर द्वारा किए गए कार्य का विवरण
भाग एक : हानिकारक पदार्थों की जांच

कारखानों से लिये गये हानिकारक पदार्थों के नमूने तथा उनके प्रयोगशाला विश्लेषण का परिणाम																
क्र.	वर्ष	अमोनिया			एच.सी.एल			धूलिकण / रेसपीरेबल					एस्बेस्टास फायबर			
		लिए गए नमूनों की संख्या	जांच का परिणाम		लिए गये नमूनों की संख्या	जांच का परिणाम		लिए गए नमूनों की संख्या	जांच का परिणाम		लिए गए नमूनों की संख्या	जांच का परिणाम		लिए गए नमूनों की संख्या	जांच का परिणाम	
			निर्धारित सीमा	निर्धारित सीमा से अधिक		निर्धारित सीमा	निर्धारित सीमा से अधिक		निर्धारित सीमा में	निर्धारित सीमा से अधिक		निर्धारित सीमा में	निर्धारित सीमा से अधिक		निर्धारित सीमा में	निर्धारित सीमा से अधिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	11-12	17	17	—	09	09	—	117	75	42	04	04	—	—	—	—
2	12-13	17	09	08	—	—	—	62	24	38	02	02	—	—	—	—
3	13-14	30	15	15	02	01	01	35	04	31	—	—	—	—	—	—
4	14-15	16	09	07	—	—	—	03	03	—	—	—	—	—	—	—
5	15-16	नोट-वर्तमान में कारखानों से अमोनिया एवं एच.सी.एल. के नमूने एकत्रित करने का कार्य नहीं किया जा रहा है के स्थान पर प्रयोगशाला में उपलब्ध डिजीटल डैटा लॉगिंग सुविधायुक्त उपकरणों की सहायता से मॉनीटरिंग का कार्य किया जा रहा है।						63	30	33	—	—	—	—	—	—
6	1.4.16 से 31.12.16 तक	नोट-वर्तमान में कारखानों से अमोनिया एवं एच.सी.एल. के नमूने एकत्रित करने का कार्य नहीं किया जा रहा है वरन प्रयोगशाला में उपलब्ध डिजीटल डैटा लॉगिंग सुविधायुक्त उपकरणों की सहायता से मॉनीटरिंग का कार्य किया जा रहा है।						38	34	04	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट-4.7
(देखें पद 4.5.3)

स्थल पर उपकरणों की सहायता से की गई जांच एवं उनका परिणाम

क्र	वर्ष	क्लोरीन			कार्बन मोनो आक्साइड			अन्य ज्वलनशील गैस तथा वाष्प			अमोनिया			एच.सी.एल.			कुल		
		जांच का परिणाम			जांच का परिणाम			जांच का परिणाम			जांच का परिणाम			जांच का परिणाम			जांच का परिणाम		
		लिए गए नमूनों की संख्या	निर्धारित सीमा	निर्धारित सीमा से अधिक	लिए गए नमूनों की संख्या	निर्धारित सीमा	निर्धारित सीमा से अधिक	लिए गए नमूनों की संख्या	निर्धारित सीमा	निर्धारित सीमा से अधिक	लिए गए नमूनों की संख्या	निर्धारित सीमा	निर्धारित सीमा से अधिक	लिए गए नमूनों की संख्या	निर्धारित सीमा	निर्धारित सीमा से अधिक	लिए गए नमूनों की संख्या	निर्धारित सीमा	निर्धारित सीमा से अधिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	11-12	—	—	—	—	—	—	120	98	22	255	199	56	—	—	—	—	—	—
2	12-13	01	01	—	—	—	—	28	25	03	109	60	49	—	—	—	—	—	—
3	13-14	02	02	—	—	—	—	43	33	10	111	54	57	—	—	—	—	—	—
4	14-15	04	04	—	05	—	05	42	41	01	24	17	07	14	14	—	115	84	31
5	15-16	01	01	—	10	08	02	17	16	01	29	27	02	24	23	01	118	97	21
6	01.04.16 से 31.12.16 तक	08	08	—	15	07	08	55	36	19	34	19	15	10	10	—	160	114	46

औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशाला, इंदौर द्वारा किए गए कार्य का विवरण

भाग दो : स्थल पर उपकरणों की सहायता से प्रकाश व ध्वनि संबंधी जांच

वर्ष	प्रकाश			ध्वनि			कुल योग		
	जांच की कुल संख्या	जांच का परिणाम		जांच की कुल संख्या	जांच का परिणाम		जांच की कुल संख्या	जांच का परिणाम	
		निर्धारित सीमा में	निर्धारित सीमा से अधिक		निर्धारित सीमा में	निर्धारित सीमा से अधिक		निर्धारित सीमा में	निर्धारित सीमा से अधिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2008-09	123	123	—	117	86	31	240	209	31
2009-10	48	48	—	48	33	15	96	81	15
2010-11	20	18	02	12	07	05	32	25	07
2011-12	216	164	52	214	158	56	430	322	108
2012-13	119	77	42	119	48	71	238	125	113
2013-14	187	58	129	127	28	99	314	86	228
2015-16	204	100	104	193	49	144	397	149	248
01.04.16 से 31.12.2016 तक	135	61	74	152	60	92	287	121	166

भाग-तीन :- दृष्टि दोष संबंधी की गई जांच का परिणाम

क्र.	वर्ष	श्रमिकों की संख्या जिनकी दृष्टि की जांच की गई	दृष्टि दोष पाये गए श्रमिकों की संख्या	दृष्टि दोष नहीं पाये गए श्रमिकों की संख्या
1	2	3	4	5
1	2015-16	—	—	—
2	01.04.2016 से 31.12..2016 तक	—	—	—

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, के अन्तर्गत अनुसूचित नियोजन जिनमें न्यूनतम वेतन प्रभावशील है:-

भाग-एक
अनुसूचित नियोजन

1. किसी कपास जिनींग एवं प्रोसेसिंग कारखाने में नियोजन
2. किसी वन लगाने तथा वन उपज में नियोजन
3. किसी मार्गों के निर्माण या सम्हाल या भवन निर्माण कार्य में नियोजन
4. किसी लोक मोटर परिवहन में नियोजन
5. किसी इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजन
6. किसी सिंचाई कार्यों के निर्माण तथा संधारण में नियोजन
7. किसी केमिकल तथा फार्मास्युटिकल्स में नियोजन
8. किसी आरा मिल में नियोजन
9. किसी तेल मिल में नियोजन
10. किसी चावल मिल या आटा मिल या दाल मिल में नियोजन
11. किसी मुरा पोहा निर्माणी में नियोजन
12. किसी खाद्य पदार्थ में जिसमें केक, बिस्किट्स, कन्फेक्शनरी, आईस्क्रीम, आईसकैंडी सम्मिलित है, के निर्माण में नियोजन
13. किसी पत्थर तोड़ने या पत्थर पीसने के कार्य में नियोजन
14. किसी दूकान वाणिज्यिक संस्थान, आवासीय होटल, रेस्टारेंट तथा नाट्यगृह में नियोजन
15. किसी मुद्राणालय में नियोजन
16. किसी सीमेंट पोल अथवा सिमेंट से निर्मित उत्पाद में नियोजन
17. किसी प्लास्टिक उद्योग में नियोजन
18. किसी फ्यूएल कोक में नियोजन
19. किसी चूना भट्टे में नियोजन
20. किसी ईट भट्टे में नियोजन
21. किसी पावर लूम/जिसमें सायजिंग एवं प्रोसेसिंग भी सम्मिलित है/में नियोजन
22. किसी स्थानीय प्राधिकरण में नियोजन
23. किसी कोसा उद्योग में नियोजन
24. किसी खांडसारी उत्पादन में नियोजन
25. किसी पाटरीज जिसमें रिफ्रेक्टरी सामान, फायरब्रिक्स, सेनिटरी वेअर, इन्सुलेटर्स, टाइल्स, (सिमेंट से निर्मित टाइल्स को छोड़कर) स्टोन वेअर पाईप्स, फरनेस, लाईनिंग ब्रिक्स तथा अन्य सीरेमिक्स सामान सम्मिलित है, में नियोजन
26. किसी कम्बल निर्माण कार्य में नियोजन
27. किसी स्लेट, पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन
28. किसी कत्था उद्योग में नियोजन
29. किसी रामरज गेरू के निर्माण में नियोजन
30. किसी हथकरघा उद्योग में नियोजन
31. किसी बोनमिल में नियोजन
32. किसी टाइल्स, जिसमें मंगलोर टाइल्स, अलाहाबाद टाइल्स तथा अन्य स्थानीय नाम में प्रचलित टाइल्स सम्मिलित है, परन्तु सीमेंट से निर्मित टाइल्स सम्मिलित नहीं है, के निर्माण में नियोजन

33. किसी विनिर्माण प्रक्रिया जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया जो कि कारखाना अधि.,1948 की धारा दो (क) में परिभाषित की गई है। चलाई जाती है। जो अनुसूची में दी गई किसी अन्य प्रविष्टि के अन्तर्गत नहीं आती है, में नियोजन
34. किसी प्रायवेट अस्पताल जिसमें परामर्श केन्द्र तथा परीक्षण केन्द्र विकृति विज्ञान, (पेथोलॉजिकल प्रयोगशाला) सम्मिलित है, में नियोजन.
35. किसी प्रायवेट शैक्षणिक संस्था, जिनमें कोचिंग केन्द्र भी सम्मिलित है, में नियोजन
36. किसी तैयार किये गये (रेडीमेड) वस्त्र विनिर्माण में नियोजन
37. किसी खदान जैसे कंकड, मुरम, लेट्राईट, बोल्डर, ग्रावेल शिंगडा, साधारण रेती, बिल्डिंग स्टोन, रोड मेटल, अर्थ फुलर्स अर्थ और लाईम स्टोन तथा अन्य खदान जो खान अधिनियम की धारा 3 के अधीन छूट प्राप्त है, में नियोजन
38. किसी आटोमोबाईल्स कर्मशाला एवं मरम्मत हेतु संचालित गैरेजेस में नियोजन।
39. किसी बैकरी में नियोजन
40. किसी कोल्ड स्टोरेज (शीतगृह) में नियोजन
41. किसी दूकान तथा वाणिज्यिक स्थापना में नियोजन
42. किसी होटल, रेस्टॉरेंट या भोजनालय में नियोजन
43. किसी सिनेमागृहों या थियेटरों में नियोजन
44. किसी क्लब में नियोजन
45. किसी आसवनी या किसी अल्कोहलयुक्त पेय निर्माण में नियोजन
46. किसी अधिवक्ता या अटर्नी के कार्यालय में नियोजन
47. किसी हेयर कटिंग सेलून और ब्यूटी पार्लर में नियोजन
48. किसी उर्वरक और पेस्टीसाईड्स (कीटनाशक दवा) के विनिर्माण में नियोजन
49. किसी ड्रीलिंग प्रचालन और ट्युबवेल के अनुरक्षण में नियोजन
50. किसी इलेक्ट्रानिक्स या सहबद्ध कार्य में नियोजन
51. किसी पेट्रोल या डीजल पम्पों में नियोजन
52. मिट्टी के किसी खुदाई कार्य में नियोजन
53. किसी सोने और चांदी की वस्तुओं के विनिर्माण में नियोजन
54. किसी आटो रिक्शा और टेक्सी चलाने के कार्य में नियोजन
55. किसी विपणन सोसायटियों, उपभोक्ता कोआपरेटिव्ह सोसायटी और सहकारी बैंक (को-आपरेटिव्ह बैंक) में नियोजन
56. किसी होजयरी में नियोजन
57. किसी साबून निर्माण (जिसमें डिटर्जेंट भी सम्मिलित है) में नियोजन
58. किसी डेयरी और दूध से उत्पादित वस्तुओं में नियोजन
59. किसी खिलोना निर्माण, जिसमें कपड़े से निर्मित खिलोने भी सम्मिलित है, में नियोजन
60. किसी सुरक्षा कार्य तथा डिटेक्टिव सेवाओं में नियोजन
61. किसी कोरियर तथा गैर सरकारी डाक सेवाओं में नियोजन
62. किसी डाटा प्रोसेसिंग कार्य में नियोजन
63. किसी अचार, बड़ी, पापड़ तथा ऐसे ही खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण में नियोजन
64. तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) विनिर्माण में नियोजन
65. किसी अगरबत्ती उद्योग में नियोजन।

भाग—दो

1. कृषि में नियोजन

न्यूनतम मजदूरी की दरें
परिशिष्ट- 5.1 में क्र. 1 से 65 तक उल्लेखित नियोजन
(1.10.2016 से 31.3.2017 तक के लिए)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल न्यूनतम मजदूरी	
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
अकुशल	6500.00	250.00	450.00	17.30	6950.00	267.00
अर्धकुशल	7057.00	271.00	750.00	28.84	7807.00	300.00
कुशल	8435.00	324.00	750.00	28.84	9185.00	353.00
उच्च कुशल	9735.00	374.00	750.00	28.84	10485.00	403.00

नोट:- मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 22 मई, 2015 में प्रकाशित अकुशल श्रमिकों हेतु मजदूरी की पुनरीक्षित न्यूनतम दरें, उपर्युक्तानुसार 1 जून, 2015 से प्रभावशील की गई है।

कृषि में नियोजन
(1.10.2016 से 31.3.2017 तक के लिए)

अकुशल कृषि श्रमिक	5350.00	178.00	504.00	16.80	5854.00	195.00
-------------------	---------	--------	--------	-------	---------	--------

बीड़ी निर्माण में नियोजन
(1.04.2016 से 31.3.2017 तक के लिए)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम मूल मजदूरी	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता	कुल न्यूनतम मजदूरी
बीड़ी रोलर (1000 बीड़ी बनाने के लिए)	रुपये 74.00	6.68	रुपये 80.68

नोट:- एक हजार बीड़ी बेलने पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रुपये 80.68 के अतिरिक्त बीड़ी श्रमिकों को बोनस पेटे 8.33 प्रतिशत (7.05) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 5 प्रतिशत (4.03) एवं भविष्य निधि बाबद नियोजक का अंशदान 10 प्रतिशत (8.47) इस प्रकार कुल रुपये 100.23 देय होगी। इस सकल देय राशि में से श्रमिकों का एवं नियोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रुपये 16.94 की होगी। इस प्रकार 1000 बीड़ी बेलने पर दिनांक 1.04.2016 से 31.03.2017 की अवधि में श्रमिकों को कुल रुपये 8.47 एवं भविष्य निधि कटौती उपरान्त शुद्ध राशि 83.29 प्रति हजार बीड़ी देय होगी।

अगरबत्ती निर्माण में नियोजन
(1.10.2016 से 31.3.2017 तक के लिए)

कर्मचारी का वर्ग	न्यूनतम मूल मजदूरी	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता	कुल न्यूनतम मजदूरी
अगरबत्ती रोलर (1000 अगरबत्ती के लिए)	रु. 21.40	7.50	रु. 28.90
क. साधारण अगरबत्ती	रु. 22.00	7.50	रु. 29.50
ख. सुगंधित अगरबत्ती			

**उपजीविकाएं (व्यवसाय) और प्रक्रियाएं, जिनमें बाल श्रम को
धारा 3, बाल श्रम अधिनियम के अंतर्गत प्रतिषिद्ध किया गया है**

**भाग—क
उपजीविकाएं (व्यवसाय)**

निम्नलिखित से संबंधित कोई उपजीविका:—

1. रेल्वे द्वारा यात्रियों, माल और डाक को इधर उधर ले जाना।
2. रेल्वे परिसरो में निर्माण कार्य करना ,अंगारो या राख से कोयला बीनना अथवा राख के गड्ढो को साफ करना।
3. रेल्वे स्टेशन पर बने हुए भोजनालयों में काम करना, इसमें किसी कर्मचारी द्वारा किया गया ऐसा कार्य शामिल हैं जिसमें एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर आना जाना अथवा चलती रेलगाड़ी से चढ़ना उतरना पड़ता हो।
4. रेल्वे स्टेशन के निर्माण से संबंधित काम या कोई ऐसा काम जो रेल लाईनो के निकट या उनके बीच में किया जाता हो।
5. किसी पतन की सीमाओं के भीतर कोई पतन निकाय।
6. अस्थायी लाईसेन्स प्राप्त कर फटाखों और अतिशबाजी का सामान बेचने से संबंधित कार्य।
7. बूचड़ खाना अथवा वधशाला।
8. ऑटोमोबाइल वर्कशाप और गैराज।
9. ढलाई कारखाना।
10. विषैले पदार्थों तथा ज्वलनशील विस्फोटको की उठाई धराई।
11. हथकरघा एवं पावरलूम उद्योग।
12. खान (जल एवं भूमिगत) एवं कोयला खदान।
13. प्लास्टिक इकाईया एवं फाइबर ग्लास वर्कशाप।
14. घरेलू कार्यों में नियोजन।
15. होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट, चाय की दुकानों, रिसोर्ट्स, स्पा आदि में नियोजन।
16. डाइविंग

**भाग—ख
प्रक्रियाएं**

1. बीड़ी बनाना।
2. कालीन बुनना जिसमें इसे तैयार करने संबंधित क्रियाओं के अतिरिक्त अन्य आनुपंगिक प्रक्रियाएं भी शामिल हैं।
3. सीमेंट बनाने से लेकर बोरियो में भरने तक।
4. कपड़ा, छपाई, रंगाई और बुनाई तथा इनसे संबंधित प्रारंभिक और आनुपंगिक प्रक्रियाएं।
5. दियासलाई (माचिस) विस्फोटक पदार्थों तथा फटाखों का निर्माण।
6. अभ्रक काटना और उसके टुकड़े (विखण्डन) करना।
7. लाख बनाना।
8. साबुन बनाना।
9. चर्म/चमड़े का शोधन/रंगना।
10. ऊन की सफाई।

11. भवन और निर्माण उद्योग जिसमें ग्रेनाइट पत्थरों को संसाधित (प्रोसेसिंग) और पालिश करना भी शामिल है।
12. स्लेट पेंसिल का निर्माण (पेंकिंग सहित)।
13. अगेट के उत्पादों (सुलेमानी पत्थर) का निर्माण।
14. सीसा, मैंगनीज, पारा, क्रोमियम, कैडमियम, बैनजीन कीटनाशक और एसबेस्टस जैसे जहरीले पदार्थों के इस्तेमाल में होने वाली विनिर्माण प्रक्रियाएं।
15. कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2(सीबी) तथा धारा 87 के अंतर्गत बनाए गए नियमों में अधिसूचित खतरनाक कार्य तथा जोखिमपूर्ण प्रक्रियाएं।
16. कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 के (चार)में परिभाषित मुद्रण।
17. काजू और काजू के छिल्के उतराने की प्रक्रिया
18. इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में टांका (सोल्डरिंग) की प्रक्रियाएं।
19. अगरबत्ती का निर्माण।
20. आटोमोबाइल वर्कशाप तथा गैराज, वैल्डिंग इकाइयां (लेथवर्क डेंटिंग एवं पेन्टिंग)।
21. ईटो या खपरैलो का निर्माण।
22. रूई, सूत की औटाई और इसे दबाना, होजरी का सामान बनाना और हथकरघा उद्योग।
23. डिटरजेंट का निर्माण।
24. लोह और अलोह धातुओं की गढ़ाई वर्कशाप।
25. रत्न तराशना और उसकी पालिश करना
26. क्रोमाइट और मैंगनीज अयस्को की उठाई धराई।
27. जूट के कपड़ों का निर्माण।
28. चूना भट्टा और चूना निर्माण।
29. ताला बनाना।
30. ऐसी कोई विनिर्माण प्रक्रिया जिनमें सीसे का उत्छाछन होता है। जैसे किसी धातु को पहली बार या दूसरी बार गलाया जाना, सीसा लेपित धातु की वेल्डिंग और कटाई करना, गल्वनीकृत या जिंक सिलिकेट, पोलिविनाइल क्लोराइट की वेल्डिंग करना, क्रिस्टल ग्लास मास का मिश्रण (हाथ से) करना, सीसा पेंट की बालू हटाना खुरचना, नामचीनी वर्कशापों में सीसे का दाहन, खान से सीसा निकलाना नलसाजी केबल बनाना, तार बिछाना, सीसा ढलाई मुद्रणालयों में अक्षर की ढलाई, भंडार टाईप की सज्जा, कारों का समंजन, (पुर्जों को जोड़ना) छर्रे बनाना, सीसा कॉच फुलाना।
31. सीमेन्ट पाइप तथा सीमेन्ट की अन्य वस्तुएं बनाना।
32. कॉच का निर्माण जिसमें चुड़ियों, बल्ब ट्यूबों का निर्माण भी शामिल है।
33. रंजक (डाई) व रंजक द्रव्यों का निर्माण।
34. कीटनाशकों का निर्माण और उनकी उठाई धराई।
35. इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में जंग लगने वाले तथा विषले पदार्थों का निर्माण प्रसंस्करण और उठाई धराई, धातु साफ करना, फोटो उत्कीर्ण तथा टांका लगाना शामिल है।
36. जलाऊ कोयला कोयला इष्टिकाओं का निर्माण।
37. खेल कुद की ऐसी वास्तुओं का निर्माण जिसमें सिंथेटिक सामग्री, रसायन और चमड़े का उच्छादन शामिल है।
38. प्लास्टिक इकाइयां फाइबर ग्लास और सांचा ढलाई व प्रसंस्करण।
39. तेल की पिराई और परिष्करण।
40. कागज बनाना।
41. चीनी मिट्टी के बर्तन और सिरमिक उद्योग।

42. पीतल की सभी प्रकार की चीजों का निर्माण जिसमें पीतल की कटाई ढलाई, पॉलिश और वेल्डिंग शामिल है।
43. ऐसी कृषि प्रक्रियाएं जहां फसल को तैयार करने में ट्रैक्टरों, फसल की कटाई और गह्राई में मशीनों का प्रयोग किया जाता है, और चारा काटना।
44. आरा मिल (सभी प्रक्रियाएं)
45. रेशम उद्योग (केवल प्रसंस्करण प्रक्रियाएं)।
46. चमड़े का समान (निर्माण प्रसंस्करण प्रक्रियाएं)।
47. पत्थर तोड़ना और पीसना।
48. तम्बाकू प्रसंस्करण जिसमें तम्बाकू का पेस्ट (लेई) बनाना तथा किसी भी रूप में उसकी उठाई धराई शामिल है।
49. टायर निर्माण, मरम्मत रीट्रिडिंग, ग्रेफाइट, सज्जीकरण।
50. बर्तन बनाना, पालिश करना और पदार्थों की बंफिंग करना।
51. जरी का काम (सभी प्रक्रियाएं)।
52. विद्युत लेपन (इलेक्ट्रोप्लेटिंग)।
53. ग्रेफाइट पीसाई और सहायक प्रोसेसिंग।
54. धातुओं की घिसाई करना अथवा चमकाना।
55. हीरा तराशना और पॉलिश करना।
56. खानों से स्लेट निकालना।
57. चिथड़े चुनना और मलवा साफ करना।
58. अत्यधिक ताप तथा ठण्डे के संपर्क वाली प्रक्रिया।
59. यांत्रिक विधि से मछली पकड़ना।
60. खाद्य प्रसंस्करण।
62. बेवरेज उद्योग।
63. लकड़ी हेडलिंग तथा लदान संबंधी कार्य।
64. वेयर हाउसिंग।
65. खुले सिलिका जैसे—स्लेट, पेंसिल, पत्थर पीसाई, स्लेट पत्थर खनन, पत्थर खदान, एग्रेट उद्योग संबंधी कार्यों के संपर्क वाली प्रक्रियाएं।

टीप * क्रमांक 52 से 57 तक भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 28/7/2000 द्वारा एवं क्रमांक 58 से 65 तक भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 25/9/2008 द्वारा जोड़े गये।

बीड़ी एवं सिगार अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्थानों तथा श्रमिकों की संभाग एवं जिलेवार संख्या

क.	संभाग	जिले का नाम		पंजीकृत संस्थानों की संख्या	बीड़ी सिगार कर्मकार अधिनियम के तहत संधारित स्थापना पंजी के अनुसार कार्यरत श्रमिक			परिचयपत्र धारक बीड़ी श्रमिक (दिसम्बर 2016 की स्थिति में)
					परिसर	घरखाता	योग	
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1-	इन्दौर संभाग	1	श्रम पदाधिकारी, अलीराजपुर	—	—	—	—	—
		2	श्रम पदाधिकारी, बड़वानी	—	—	—	—	—
		3	श्रम पदाधिकारी, बुरहानपुर	2	22	1500	1522	1522
		4	श्रम पदाधिकारी, धार/पीथमपुर	—	—	—	—	—
		5	सहायक श्रमायुक्त, इंदौर	1	55	831	886	886
		6	श्रम पदाधिकारी, झाबुआ	—	—	—	—	—
		7	श्रम पदाधिकारी, खण्डवा	4	8	43	51	247
		8	श्रम पदाधिकारी, खरगोन	1	0	16	16	16
2-	उज्जैन संभाग	9	श्रम पदाधिकारी, आगर मालवा	—	—	—	—	—
		10	श्रम पदाधिकारी, देवास	3	6	346	352	346
		11	सहायक श्रमायुक्त, मन्दसौर	—	—	—	—	—
		12	श्रम पदाधिकारी, नीमच					
		13	श्रम पदाधिकारी, रतलाम	1	6	1	7	—
		14	श्रम पदाधिकारी, शाजापुर	—	—	—	—	—
		15	सहायक श्रमायुक्त, उज्जैन	1	3	22	25	25
3-	ग्वालियर संभाग	16	श्रम पदाधिकारी, अशोकनगर	6	63	176	239	239
		17	श्रम पदाधिकारी, दतिया	8	28	241	269	269
		18	श्रम पदाधिकारी, गुना	5	90	1965	2055	1922
		19	सहायक श्रमायुक्त, ग्वालियर	11	122	9800	9922	9922
		20	श्रम पदाधिकारी, शिवपुरी	—	—	—	—	—
4-	चम्बल संभाग, मुरैना	21	श्रम पदाधिकारी, भिण्ड/मालनपुर					
		22	सहायक श्रमायुक्त, मुरैना					
		23	श्रम पदाधिकारी, श्योपुर	4	21	250	271	271
5-	भोपाल संभाग	24	श्रम पदाधिकारी, बैतूल					
		25	सहायक श्रमायुक्त, भोपाल	8	41	1032	1073	—
		26	श्रम पदाधिकारी, मंडीदीप (रायसेन)	3	20	227	247	247
		27	श्रम पदाधिकारी, राजगढ़					
		28	श्रम पदाधिकारी, सीहोर	—	—	—	—	—
		29	श्रम पदाधिकारी, विदिशा	5	22	58	80	—
6-	नर्मदापुरम संभाग (होशंगाबाद)	30	श्रम पदाधिकारी, हरदा	—	—	—	—	—
		31	सहायक श्रमायुक्त, होशंगाबाद	1	1	12	13	13
7-	सागर संभाग	32	श्रम पदाधिकारी, छतरपुर					
		33	श्रम पदाधिकारी, दमोह	39	643	15211	15899	141115
		34	श्रम पदाधिकारी, पन्ना	—	—	—	—	—
		35	सहायक श्रमायुक्त, सागर	88	1712	17298	19010	19010
		36	श्रम पदाधिकारी, टीकमगढ़	1	5	—	5	1920
8-	जबलपुर संभाग	37	श्रम पदाधिकारी, बालाघाट	6	142	1843	1985	1985
		38	श्रम पदाधिकारी, छिंदवाड़ा					
		39	सहायक श्रमायुक्त, जबलपुर					
		40	श्रम पदाधिकारी, कटनी	5	172	1571	1743	1300
		41	श्रम पदाधिकारी, मंडला	—	—	—	—	—
		42	श्रम पदाधिकारी, नरसिंहपुर	11	130	360	501	501
		43	श्रम पदाधिकारी, सिवनी	—	—	—	—	—

9—	रीवा संभाग	44	श्रम पदाधिकारी, रीवा	7	17	69	86	—
		45	सहायक श्रमायुक्त, सतना	19	459	2976	3435	3435
		46	श्रम पदाधिकारी, सीधी					
		47	सहायक श्रमायुक्त, सिंगरोली	—	—	—	—	—
10—	शहडोल संभाग	48	श्रम पदाधिकारी, अनुपपूर	—	—	—	—	—
		49	श्रम पदाधिकारी, डिंडोरी					
		50	सहायक श्रमायुक्त, शहडोल	—	—	—	—	—
		51	श्रम पदाधिकारी, उमरिया					
योग—				240	3788	55848	59692	185191

परिशिष्ट— 7.2

बीड़ी श्रमिकों हेतु वर्ष 2006—07 से स्वीकृत/क्रियान्वित आवास योजना

क्र.	संभाग	जिला	आवास निर्माण की स्वीकृति का वर्ष	आवास संख्या				केन्द्रांश (लाख रुपये में)		स्वीकृत एवं विमुक्त राज्यांश (लाख रुपये में)
				कुल स्वीकृत	निर्मित	निर्माणाधीन	निर्माण आरंभ होना शेष	स्वीकृत	विमुक्त	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1—	इन्दौर संभाग	1	श्रम पदाधिकारी, अलीराजपुर	—	—	—	—	—	—	—
		2	श्रम पदाधिकारी, बड़वानी	—	—	—	—	—	—	—
		3	श्रम पदाधिकारी, बुरहानपुर	—	—	—	—	—	—	—
		4	श्रम पदाधिकारी, धार	—	—	—	—	—	—	—
		5	सहायक श्रमायुक्त, इंदौर	—	—	—	—	—	—	—
		6	श्रम पदाधिकारी, झाबुआ	—	—	—	—	—	—	—
		7	श्रम पदाधिकारी, खण्डवा	—	—	—	—	—	—	—
		8	श्रम पदाधिकारी, खरगोन	—	—	—	—	—	—	—
		9	श्रम पदाधिकारी, पीथमपुर	—	—	—	—	—	—	—
2—	उज्जैन संभाग	10	श्रम पदाधिकारी, आगर मालवा	—	—	—	—	—	—	—
		11	श्रम पदाधिकारी, देवास	—	—	—	—	—	—	—
		12	सहायक श्रमायुक्त, मन्दसौर	—	—	—	—	—	—	—
		13	श्रम पदाधिकारी, नीमच	—	—	—	—	—	—	—
		14	श्रम पदाधिकारी, रतलाम	—	—	—	—	—	—	—
		15	श्रम पदाधिकारी, शाजापुर	—	—	—	—	—	—	—
		16	सहायक श्रमायुक्त, उज्जैन	—	—	—	—	—	—	—
3—	ग्वालियर संभाग	17	श्रम पदाधिकारी, अशोकनगर	2007	225	105	120	78.00	33.00	33.75 लाख
		18	श्रम पदाधिकारी, दतिया	2007	255	80	175	102 लाख	51 लाख	—
		19	श्रम पदाधिकारी, गुना	—	—	—	—	—	—	—
		20	सहायक श्रमायुक्त, ग्वालियर	—	—	—	—	—	—	—
		21	श्रम पदाधिकारी, शिवपुरी	—	—	—	—	—	—	—
4—	दम्बल संभाग, मुरैना	22	श्रम पदाधिकारी, भिण्ड	—	—	—	—	—	—	—
		23	श्रम पदाधिकारी, मालनपुर	—	—	—	—	—	—	—
		24	सहायक श्रमायुक्त, मुरैना	—	—	—	—	—	—	—
		25	श्रम पदाधिकारी, श्योपुर	—	—	—	—	—	—	—
5—	भोपाल संभाग	26	श्रम पदाधिकारी, बैतूल	—	—	—	—	—	—	—
		27	सहायक श्रमायुक्त, भोपाल	—	—	—	—	—	—	—
		28	श्रम पदाधिकारी, मंडीदीप (रायसेन)	—	—	—	—	—	—	—
		29	श्रम पदाधिकारी, राजगढ़	—	—	—	—	—	—	—
		30	श्रम पदाधिकारी, सीहोर	—	—	—	—	—	—	—
		31	श्रम पदाधिकारी, विदिशा	—	—	—	—	—	—	—
6—	नर्मदापुरम संभाग (होशंगाबाद)	32	श्रम पदाधिकारी, हरदा	—	—	—	—	—	—	—
		33	सहायक श्रमायुक्त, होशंगाबाद	—	—	—	—	—	—	—
7—	सागर संभाग	34	श्रम पदाधिकारी, छतरपुर	—	—	—	—	—	—	—

		35	श्रम पदाधिकारी, दमोह	2008	25	—	—	—	5 लाख	—	5 लाख
		36	श्रम पदाधिकारी, पन्ना	—	—	—	—	—	—	—	—
		37	सहायक श्रमायुक्त, सागर	2007	500	180	144	176	1 करोड़	1 करोड़	—
		38	श्रम पदाधिकारी, टीकमगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—
8—	जबलपुर संभाग	39	श्रम पदाधिकारी, बालाघाट	—	—	—	—	—	—	—	—
		40	श्रम पदाधिकारी, छिंदवाड़ा	—	—	—	—	—	—	—	—
		41	सहायक श्रमायुक्त, जबलपुर	2007	1000	—	—	—	2 करोड़	—	—
		42	श्रम पदाधिकारी, कटनी	—	—	—	—	—	—	—	—
		43	श्रम पदाधिकारी, मंडला	—	—	—	—	—	—	—	—
		44	श्रम पदाधिकारी, नरसिंहपुर	2010	375	—	—	375	75 लाख	—	—
		45	श्रम पदाधिकारी, सिवनी	—	—	—	—	—	—	—	—
9—	रीवा संभाग	46	श्रम पदाधिकारी, रीवा	2012—2013	961	—	—	961	38440000	—	38440000
		47	सहायक श्रमायुक्त, सतना	2007—2008	500	153	347	—	1 करोड़	—	—
		48	श्रम पदाधिकारी, सीधी	—	—	—	—	—	—	—	—
		49	सहायक श्रमायुक्त, सिंगरोली	—	—	—	—	—	—	—	—
10—	शहडोल संभाग	50	श्रम पदाधिकारी, अनुपपूर	—	—	—	—	—	—	—	—
		51	श्रम पदाधिकारी, डिंडोरी	—	—	—	—	—	—	—	—
		52	सहायक श्रमायुक्त, शहडोल	—	—	—	—	—	—	—	—
		53	श्रम पदाधिकारी, उमरिया	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट— 7.3

परिपत्र दिनांक 5—10—2002 के अनुसरण में घरखाता बीड़ी श्रमिकों के लिये कच्चे माल की जिलेवार निर्धारित वाजिब मात्रा

क्र	संभाग	जिले का नाम		निर्धारित मात्रा 1000 बीड़ी निर्माण हेतु		
				तैदूपत्ता (ग्राम) प्रति हजार	तम्बाकू (जदी) (ग्राम) प्रति हजार	धागा प्रति हजार लक्ष्मी
	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1—	इन्दौर संभाग	1	श्रम पदाधिकारी, अलीराजपुर	—	—	—
		2	श्रम पदाधिकारी, बड़वानी	—	—	—
		3	श्रम पदाधिकारी, बुरहानपुर	900 ग्राम बड़ी बीड़ी 700 ग्राम छोटी बीड़ी	280 220	1 लक्ष्मी प्रति हजार
		4	श्रम पदाधिकारी, धार/पीथमपुर	—	—	—
		5	सहायक श्रमायुक्त, इंदौर	800	260	4 ग्राम
		6	श्रम पदाधिकारी, झाबुआ	—	—	—
		7	श्रम पदाधिकारी, खण्डवा	650	200	1000 बीड़ी पर 20 ग्राम 60 काउंटवाला
		8	श्रम पदाधिकारी, खरगोन	1000	280	6000 बीड़ी पर एक लटी धागा
2—	उज्जैन संभाग	9	श्रम पदाधिकारी, आगर मालवा	—	—	—
		10	श्रम पदाधिकारी, देवास	800	250	पर्याप्त
		11	सहायक श्रमायुक्त, मन्दसौर	—	—	—
		12	श्रम पदाधिकारी, नीमच			
		13	श्रम पदाधिकारी, रतलाम	220	800	—
		14	श्रम पदाधिकारी, शाजापुर	—	—	—
		15	सहायक श्रमायुक्त, उज्जैन	950	280	1.5 लक्ष्मी
3—	ग्वालियर संभाग	16	श्रम पदाधिकारी, अशोकनगर	900	250	1 लक्ष्मी
		17	श्रम पदाधिकारी, दतिया	750	250	1 लक्ष्मी
		18	श्रम पदाधिकारी, गुना	800	230	20
		19	सहायक श्रमायुक्त, ग्वालियर	1000	250	1 लक्ष्मी
		20	श्रम पदाधिकारी, शिवपुरी	—	—	—
4—	चम्बल संभाग, मुरैना	21	श्रम पदाधिकारी, मिण्ड/मालनपुर			
		22	सहायक श्रमायुक्त, मुरैना			
		23	श्रम पदाधिकारी, श्योपुर	700	200	एक लटी
5—	भोपाल संभाग	24	श्रम पदाधिकारी, बैतूल			
		25	सहायक श्रमायुक्त, भोपाल	800—900	280—300	एक गिट्टी

		26	श्रम पदाधिकारी, मंडीदीप (रायसेन)	750	240	जरूरत अनुसार
		27	श्रम पदाधिकारी, राजगढ़			
		28	श्रम पदाधिकारी, सीहोर	—	—	—
		29	श्रम पदाधिकारी, विदिशा	800 ग्राम बड़ी बीड़ी 700 ग्राम छोटी बीड़ी	2.80 ग्राम 2.20 ग्राम	5000 बीड़ी पर एक लत्ती 5000 बीड़ी पर एक लत्ती
6—	नर्मदापुरम संभाग (होशंगाबाद)	30	श्रम पदाधिकारी, हरदा	—	—	—
		31	सहायक श्रमायुक्त, होशंगाबाद	900	300	1 गड्डी
7—	सागर संभाग	32	श्रम पदाधिकारी, छतरपुर			
		33	श्रम पदाधिकारी, दमोह	750	270	1 पुंजा
		34	श्रम पदाधिकारी, पन्ना	—	—	—
		35	सहायक श्रमायुक्त, सागर	750 ग्राम बड़ी बीड़ी 650 ग्राम छोटी बीड़ी	270 250	4 लतिया 4 लतिया
		36	श्रम पदाधिकारी, टीकमगढ़	—	—	—
8—	जबलपुर संभाग	37	श्रम पदाधिकारी, बालाघाट	700	270	2.50 ग्राम
		38	श्रम पदाधिकारी, छिंदवाड़ा			
		39	सहायक श्रमायुक्त, जबलपुर			
		40	श्रम पदाधिकारी, कटनी	0.700	0.260	0.01
		41	श्रम पदाधिकारी, मंडला	—	—	—
		42	श्रम पदाधिकारी, नरसिंहपुर	900	300	फ्री
		43	श्रम पदाधिकारी, सिवनी	—	—	—
9—	रीवा संभाग	44	श्रम पदाधिकारी, रीवा	650	230	1 लच्छी
		45	सहायक श्रमायुक्त, सतना	700	270	100 ग्राम 1 लाख बीड़ी पर
		46	श्रम पदाधिकारी, सीधी			
		47	सहायक श्रमायुक्त, सिंगरोली	—	—	—
10—	शहडोल संभाग	48	श्रम पदाधिकारी, अनुपपूर	—	—	—
		49	श्रम पदाधिकारी, डिंडोरी			
		50	सहायक श्रमायुक्त, शहडोल	—	—	—
		51	श्रम पदाधिकारी, उमरिया			

बीड़ी श्रमिकों को वेतनपत्रों वितरण की जानकारी

क्रमांक	बीड़ी श्रमिक बहुल जिले के नाम	बीड़ी श्रमिकों को प्राप्त वेतन पत्रियों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1	श्रम पदाधिकारी, अलीराजपुर	—
2	श्रम पदाधिकारी, बड़वानी	—
3	श्रम पदाधिकारी, बुरहानपुर	1522
4	श्रम पदाधिकारी, धार	—
5	सहायक श्रमायुक्त, इंदौर	886
6	श्रम पदाधिकारी, झाबुआ	—
7	श्रम पदाधिकारी, खण्डवा	—
8	श्रम पदाधिकारी, खरगोन	—
9	श्रम पदाधिकारी, पीथमपुर	—
10	श्रम पदाधिकारी, आगर मालवा	—
11	श्रम पदाधिकारी, देवास	लॉगबुक दी जाती है
12	सहायक श्रमायुक्त, मन्दसौर	—
13	श्रम पदाधिकारी, नीमच	—
14	श्रम पदाधिकारी, रतलाम	—
15	श्रम पदाधिकारी, शाजापुर	—
16	सहायक श्रमायुक्त, उज्जैन	3
17	श्रम पदाधिकारी, अशोकनगर	239
18	श्रम पदाधिकारी, दतिया	269
19	श्रम पदाधिकारी, गुना	—
20	सहायक श्रमायुक्त, ग्वालियर	—
21	श्रम पदाधिकारी, शिवपुरी	—
22	श्रम पदाधिकारी, भिण्ड	—
23	श्रम पदाधिकारी, मालनपुर	—
24	सहायक श्रमायुक्त, मुरैना	—
25	श्रम पदाधिकारी, श्योपुर	—
26	श्रम पदाधिकारी, बैतूल	—
27	सहायक श्रमायुक्त, भोपाल	750
28	श्रम पदाधिकारी, मंडीदीप (रायसेन)	247
29	श्रम पदाधिकारी, राजगढ़	—
30	श्रम पदाधिकारी, सीहोर	—
31	श्रम पदाधिकारी, विदिशा	नियमानुसार सभी को दी जाती है
32	श्रम पदाधिकारी, हरदा	—
33	सहायक श्रमायुक्त, होशंगाबाद	13
34	श्रम पदाधिकारी, छतरपुर	—
35	श्रम पदाधिकारी, दमोह	8268
36	श्रम पदाधिकारी, पन्ना	—
37	सहायक श्रमायुक्त, सागर	19010
38	श्रम पदाधिकारी, टीकमगढ़	—
39	श्रम पदाधिकारी, बालाघाट	—
40	श्रम पदाधिकारी, छिंदवाड़ा	—
41	सहायक श्रमायुक्त, जबलपुर	—
42	श्रम पदाधिकारी, कटनी	1743
43	श्रम पदाधिकारी, मंडला	—
44	श्रम पदाधिकारी, नरसिंहपुर	130
45	श्रम पदाधिकारी, सिवनी	—
46	श्रम पदाधिकारी, रीवा	86
47	सहायक श्रमायुक्त, सतना	3435
48	श्रम पदाधिकारी, सीधी	—

49	सहायक श्रमायुक्त, सिंगरोली	—
50	श्रम पदाधिकारी, अनुपपूर	—
51	श्रम पदाधिकारी, डिंडोरी	
52	सहायक श्रमायुक्त, शहडोल	—
53	श्रम पदाधिकारी, उमरिया	

**भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 के
अन्तर्गत पंजीकृत संस्थाओं की कार्यालय-वार जानकारी**

(दिनांक 31.12.2016 की स्थिति में)

स.कं.	जिला/क्षेत्रीय श्रम कार्यालय	पंजीकृत संस्थानों की संख्या	श्रमिकों / कर्मचारियों की पंजीकृत संख्या
01	इंदौर	674	17811
02	धार,	230	6672
03	पीथमपुर	220	1394
04	झाबुआ	54	810
05	अलीराजपुर	*57	*702
06	बुरहानपुर	299	5382
07	खण्डवा	105	13407
08	खरगोन	228	7219
09	बडवानी	14	1085
10	उज्जैन	135	5138
11	देवास	33	2987
12	शाजापुर	53	1331
13	आगर-मालवा	0	0
14	रतलाम	66	2837
15	मंदसौर	35	3175
16	नीमच	5	111
17	ग्वालियर	145	7130
18	शिवपुरी	*4	*155
18	गुना	14	255
19	अशोक नगर	2	80
20	दतिया	1	70
22	मुरैना	*4	*40
23	श्योपुर	2	20
24	भिंड	*10	*330
25	मालनपुर	*35	*580
26	भोपाल	175	2443
27	सीहोर	27	4435
28	मण्डीदीप	*17	*605
29	राजगढ़	27	1294
30	विदिशा	42	1828
31	होशंगाबाद	100	2054
32	बैतूल	19	350
33	हरदा	42	775
34	सागर	100	8660

35	टीकमगढ	44	1901
36	दमोह	102	4243
37	छतरपुर	78	1735
38	पन्ना	41	1223
39	जबलपुर	513	19576
40	नरसिंहपुर	*37	*753
41	कटनी	199	5238
42	बालाघाट	113	2121
43	मंडला	167	7265
44	छिंदवाड़ा	119	6025
45	सिवनी	*106	*5534
46	सतना	246	5664
47	रीवा	291	6903
48	सीधी	104	3620
49	सिंगरोली	451	77637
50	शहडोल	58	2270
51	डिण्डौरी	33	951
52	अनूपपुर	100	1560
53	उमरिया	118	1857
	योग	5595	257241

नोट— (*) वाले आंकड़े वर्ष 2015

बंधक श्रमिकों का पुर्नवास

क्र.	जिले का नाम जहां बंधक श्रमिक विमुक्त कराए गए	विमुक्त कराने का माह एवं वर्ष	विमुक्त कराए गए बंधक श्रमिकों की संख्या			विमुक्त कराए गए प्रदेश के श्रमिकों के पुनर्वास हेतु रूपये 20,000 की दर से आवश्यक राशि (लाख रूपये में)	कलेक्टर को आवंटित राशि का विवरण			
			कुल	अन्य राज्योंके	म.प्र. के		श्रमिकों के मूल ज़िले के कलेक्टर जिन्हें आबंटन दिया गया	श्रमिक संख्या जिनके लिए आबंटन दिया गया	आबंटन का दिनांक	आबंटित राशि (रूपये लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	विदिशा	दिसम्बर 2000	85	15	70	14.00	विदिशा विदिशा विदिशा सागर रायसेन गुना भोपाल	52 10 01 06 01	06.07.01 24.11.01 21.12.01 31.12.01 31.12.01 31.12.01 11.01.02	4.20 2.00 0.20 1.20 0.20
		योग	85	15	70	14.00	योग	70		14.00
2	रायसेन	जून 2000 फरवरी मार्च 2002 मार्च 99	116 12 12 रु 42	99 0 0	17 24 42	3.40 4.80	रायसेन सतना रायसेन	17 24 42	20.09.00 18.04.02 —	1.70 4.56 —
		योग	182	99	83	8.20	योग	83		8.20
3	भिवानी (हरियाणा)	अगस्त 1999	7	0	7	1.40	रतलाम	7	23.03.01 22.12.01	0.70 0.70
		योग	7	0	7	1.40	योग	7		1.40
4	शहडोल	दिसम्बर 2001	1	0	1	0.20	शहडोल	1	26.12.01	0.20
		योग	1	0	1	0.20	योग	1		0.20
5	इंदौर	2 / 2000	46	46	0	निरंक		—	—	—
		योग	46	46	0	निरंक	योग	—		0
6	भोपाल	मार्च 2002	14	0	14	2.80	विदिशा रायसेन	14 —	18.04.02 17.04.02 18.4.02	0.14 2.66 0.99
		योग	14	0	14		योग	14	—	3.79
7	ग्वालियर	9.7.02	40	0	40	8.00	गुना शिवपुरी शिवपुरी शिवपुरी	40 9 7 22 02	18.07.02 18.07.02 18.07.02 12.06.03 03.12.03	0.40 1.71 1.33 4.18 0.38
		योग	40	0	40	8.00	योग	40	योग	8.00
8	हरदा	30.04.03 01.08.03	02	—	02	0.40	हरदा	02	06.10.03	0.40
		योग	02	—	02	0.40	योग	02	—	0.40
9	धार	23.12.03	01	—	01	0.20	धार	01	20.01.04	0.20
		योग	01	—	01	0.20	योग	01	—	0.20
10	हरदा	29.05.03	01	—	01	0.20	पूर्व नि. (खंडवा)	01	12.04.04	0.20
		योग	01	—	01	0.20	योग	01		0.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	रायसेन	10.2.04	28	28	0	—	रायसेन	—	28.8.04	0.27
			28	28	0		योग	—	—	0.27
12	शिवपुरी	29.7.04	04	—	04		शिवपुरी	04	9.11.04	0.80
		योग	04	—	04		योग	04		0.80
	2005—06									
			167	—	147	5.24		—		5.24
12	भिण्ड	4.4.05	49	49	—	0.49	भिण्ड	—	—	—
		2.5.05	52	52	—	0.52		—	—	—
		10.5.05	26	26	—	0.26		—	—	—
		योग	127	127	—	1.27		—	23.12.05	1.24
13	सागर	14.9.05	20	20	—	0.20	सागर	—	—	—
		योग	20	20	—	0.20		—	12.12.05	0.20
14	फतेहपुर (उत्तरप्रदेश)	5.8.05	20	—	20	3.80	छतरपुर	20	29.11.05	3.80
		योग	20	—	20	3.80		—	29.11.05	3.80
	2006—07									
15	छतरपुर	7.10.06	27	—	27	5.40	छतरपुर	04	25.11.06	0.76 0.27
							दमोह	23	25.11.06	4.37
	फतेहपुर (उत्तरप्रदेश)	24.2.06	01	—	01	0.19	छतरपुर	01	13.3.07	0.19
		योग	28	—	28	5.59		28	—	5.59
	2007—08									
16	हरदा	24.5.07	06	—	06	1.20	हरदा	—	28.5.07	0.06
							खंडवा	06	28.5.07	1.14
		योग	06	—	06	1.20		06	—	1.20
	2008—09									
17	भिण्ड	21.2.08	09	09	—	0.09	भिण्ड	—	2.6.08	0.09
	भोपाल	19.9.08	18	—	18	3.60	भोपाल	18	22.9.08	3.60
		योग	27	09	18	3.69		—	—	3.69
	2009—10									
18.	रायसेन	10.4.07	21	—	21	4.20	रायसेन	20	28.4.09	4.00
19.	श्यापुर	13.1.10	07	07	—	0.07	श्यापुर	07		0.07
		योग	28	07	21					4.07
	2010—11									
20	मुरैना	11.5.10	08	08	—	0.08	मुरैना	08	29.6.10	0.08
21.	मुरैना	16.2.11	48	48	—	0.48	मुरैना	48	29.3.11	0.48
		योग	56	56	—	0.56				0.56
	2011—12									
22.	मुरैना	4.9.2011	01	01	—	0.01	मुरैना	01	21.12.11	0.01
		योग	01	01		0.01		—		0.01
	2012—13									
23	मुरैना	22.2.13	13	13	—	0.13	मुरैना	13	19.03.13	0.13
24	मुरैना	23.2.13	17	17	—	0.17	मुरैना	17	19.3.13	0.17
		योग	30	30	—	0.30				0.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2013—14	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2014—15									
25	दिल्ली	11.02.14	02	—	02	0.38	छतरपुर	02	09.04.14	0.38
26	दिल्ली	21.12.11	01	—	01	0.19	मुरैना	01	10.12.14	0.19
		योग	03	—	03	0.57				0.57
27	ग्वालियर	22.05.12	01	—	01	0.20	ग्वालियर	01	19.9.14	0.20
28	ग्वालियर	05.02.13	02	—	02	0.40	ग्वालियर	02	19.9.14	0.40
29	नामक्कल (तमिलनाडू)	12.10.14	09	—	09	1.71	मंडला	09	27.10.14 10.12.14	58,000 /— 1,12,500 /— कुल(1.71,000)
30	नौयडा, गौतमबुध्द नगर,उप्र	14.10.14	03	—	03	0.57	छतरपुर	03	12.01.15	0.57
31	नौयडा, गौतमबुध्द नगर,उप्र	14.10.14	02	—	02	0.38	टीकमगढ	02	10.12.14 12.01.15 22.04.15	0.22 0.13 0.03 कुल (38,000)
32	नौयडा, गौतमबुध्द नगर,उप्र	14.10.14	05	—	05	0.95	सागर	05	12.01.15	0.95
		योग	25	—	25	2.61	—	—	—	4.78
	2015—16									
33	मुरैना	01.05.15	18 (उ.प्र.)	18	—	0.18	मुरैना	18	19.05.15	0.18
34	मुरैना	06.05.15	27 (उ.प्र.)	27	—	0.27	मुरैना	27	27.05.15	0.27
	मुरैना	07.05.15	12 (उ.प्र.)	12	—	0.12	मुरैना	12	27.05.15	0.12
35	दिल्ली	20.01.12	01	—	01	0.19	दमोह	01	09.07.15	0.19
36	हरदा	27.05.15	01	—	01	0.20	हरदा	01	13.08.15	0.20
37	पन्ना	08.10.15	06 (छ.ग.)	06	—	0.06	पन्ना	0.6	12.10.15	0.06
38	जिला बीड (महाराष्ट्र)	11.06.15	04	—	04	0.76	श्योपुर	04	18.11.15	0.76
39	जिला बगलकोट (कर्नाटक)	18.01.16	09	—	09	1.71	खरगोन	09	26.02.16 07.04.16	1.53 0.18 ----- 1.71
		योग	78	63	15	3.49	—	78	—	3.49
	2016—17									
40	नोयडा,गोतम बुध्द नगर (उ.प्र.)	01.08.16	07 (उ.प्र.)	—	07	—	—	छतरपुर (म.प्र.)	—	—
41	नरसिंहपुर	15.07.16	40	40	-	—	—	मुजफ्फर नगर (उ.प्र.)	—	—
42	छबडा, जिला बारां (राज.)	12.08.16	02 (राज.)		02	—	—	गुना (म.प्र.)	—	—
43	नोयडा,गोतम बुध्द नगर (उ.प्र.)	02.08.16	07 (उ.प्र.)	—	07	—	—	दमोह (म.प्र.)	—	—
44	गुना (म.प्र.)	26.09.16	01	—	01	—	—	अशोक नगर (म.प्र.)	—	—
			57	40	17					
	कुल योग		914	541	373			372		66.39
							मुरैना	अतिरिक्त आवंटन आवंटन	23.3.13	0.70

कुल योग								67.09
---------	--	--	--	--	--	--	--	-------

नोट:- (1) श्रम विभाग यह विषय फरवरी 2000 से देख रहा है।

(2) रायसेन जिले के ग्राम मंदुआ, तहसील गौहरगंज से कुल 21 बंधक श्रमिक विमुक्त किये गये थे, इन श्रमिकों पुनर्वास हेतु वर्ष 2009-10 में रुपये 20000/- प्रति श्रमिक के मान से कुल 4.20 लाख का आवंटन कार्यालयीन आदेश क्रमांक 141 दिनांक 28.4.2009 द्वारा कलेक्टर, रायसेन को दिया गया था किन्तु कलेक्टर, रायसेन के पृष्ठांकन क्रमांक 1579/17-भू-अभि./09 दिनांक 21.7.2009 अनुसार उक्त विमुक्त बंधक श्रमिकों में से एक श्रमिक की मृत्यु होने के कारण एक श्रमिक हेतु आवंटित पुनर्वास राशि रुपये 20000/- कलेक्टर, रायसेन के पृष्ठांकन क्रमांक 2323/17-भू-अभि./09 दिनांक 26.10.2009 द्वारा समर्पित की गई है।

(3) कलेक्टर मुरैना को कार्यालयीन आदेश क्रमांक 141/2013 दिनांक 23.03.2013 जा. क 636-42 (2) दिनांक 23.03.2013 द्वारा रुपये 70,000/-पुनर्वास हेतु अग्रिम आवंटन दिया गया।

(4) बंधक श्रमिकों के पुनर्वास हेतु पूर्व में प्रचलित बंधक श्रमिक पुनर्वास योजना 2000 को निरस्त किया जाकर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नवीन " **बंधक श्रम पुनर्वास योजना 2016** " दिनांक **17.05.2016** से लागू की गई है इस योजना में शतप्रतिशत-अंश (100 प्रतिशत) केन्द्र शासन द्वारा वहन किया जायेगा। अतएव राज्यांश की आवश्यकता नहीं है।

(5) नई नीति के प्रावधान अनुसार सभी 51 जिलों में सतर्कता समिति व पुनर्गठन होने तथा 41 जिलों के प्रस्ताव केन्द्र शासन को प्रेषित किये गये हैं।

टीप— श्रम विभाग यह विषय फरवरी 2000 से देख रहा है।

क्रं.	वित्तीय वर्ष	पाये गये बंधक श्रमिक	सौंपा गया आवंटन (रु.)
1	2000—2001	201	03.39 लाख
2	2001—2002	39	15.73 लाख
3	2002—2003	40	11.91 लाख
4	2003—2004	32	05.16 लाख
5	2004—2005	04	01.27 लाख
6	2005—2006	167	05.24 लाख
7	2006—2007	28	05.59 लाख
8	2007—2008	06	01.20 लाख
9	2008—2009	27	03.69 लाख
10	2009—2010	28	04.07 लाख
11.	2010—2011	56	00.56 लाख
12.	2011—2012	01	00.01 लाख
13.	2012—2013	30	00.30 लाख
14	2012—2013	मुरेना को अतिरिक्त बजट दिया।	00.70 लाख मुरेना को अतिरिक्त बजट दिया।
15	2013—14	—	—
16	2014—15	25	04.78 लाख
19	2015—16	78	03.49 लाख
20	2016—17	57	नई योजना अंतर्गत राशि प्राप्त न होने से।
	योग	914	67.09 लाख

मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961, के अन्तर्गत
पंजीकृत उपक्रमों की श्रम कार्यालय-वार जानकारी

(दिनांक 31.12.2016 की स्थिति में)

स.क्र.	जिला/क्षेत्रीय श्रम कार्यालय	पंजीकृत संस्थानों की संख्या	श्रमिकों / कर्मचारियों की पंजीकृत संख्या
01	इंदौर	437	880
02	धार,	293	1980
03	पीथमपुर	1	2
04	झाबुआ	116	2579
05	अलीराजपुर	34	81
06	बुरहानपुर	139	872
07	खण्डवा	129	863
08	खरगोन	155	2052
09	बडवानी	75	440
10	उज्जैन	69	815
11	देवास	63	444
12	शाजापुर	13	396
13	आगर-मालवा	3	10
14	रतलाम	106	776
15	मंदसौर	183	978
16	नीमच	68	304
17	ग्वालियर	115	1471
18	शिवपुरी	0	0
19	गुना	60	570
20	अशोक नगर	10	25
21	दतिया	0	0
22	मुरैना	0	0
23	श्यापुर	0	0
24	भिंड	7	19
25	मालनपुर	20	80
26	भोपाल	61	1797
27	सीहोर	0	0
28	मण्डीदीप	36	72
29	राजगढ़	21	295
30	विदिशा	13	401
31	होशंगाबाद	93	551
32	बैतूल	51	346
33	हरदा	134	920
34	सागर	228	1071
35	टीकमगढ़	90	392
36	दमोह	42	405
37	छतरपुर	25	127

38	पन्ना	7	53
39	जबलपुर	365	4546
40	नरसिंहपुर	46	153
41	कटनी	109	436
42	बालाघाट	93	294
43	मंडला	157	700
44	छिंदवाड़ा	3	16
45	सिवनी	138	783
46	सतना	38	134
47	रीवा	290	1206
48	सीधी	64	439
49	सिंगरोली	26	245
50	शहडोल	49	558
51	डिण्डौरी	26	117
52	अनूपपुर	06	24
53	उमरिया	0	0
	योग	4307	31718

* * *

परिशिष्ट-10.2
(देखें पद 10.3)

नगर/कस्बे जहां म.प्र. दूकान एवं स्थापना अधिनियम प्रभावशील है

क्र.	संभाग		जिला		नगर / कस्बा
1.	इन्दौर	1.	इन्दौर	1.	इन्दौर
				2.	महू
				3.	देपालपुर
				4.	सांवेर
				5.	गौतमपुरा
				6.	बेटमा
				7.	राऊ
				8.	हातौद
				9.	मानपुर
				10.	महुँगांव
		2.	खंडवा	11.	खंडवा
				12.	मुँदी
				13.	पंधाना
				14.	ओंकारेश्वर
				15.	छनैरा
		3.	बुरहानपुर	16.	बुरहानपुर
				17.	नेपा नगर
				18.	शाहपुर
		4.	धार	19.	धार
				20.	पीथमपुर
				21.	कुक्षी
				22.	मनावर
				23.	राजगढ़
				24.	बदनावर
				25.	धामनोद
				26.	धरमपुरी
				27.	सरदारपुर
				28.	माण्डव
				29.	डही
		5	झाबुआ	30.	झाबुआ
				31.	थांदला
				32.	पेटलावद
				33.	राणापुर
		6.	अलीराजपुर	34.	अलीराजपुर
				35.	जोबट
				36.	भाबरा
		7.	खरगोन	37.	खरगोन

				38.	बड़वाह
				39.	मंडलेश्वर
				40.	सनावद
				41.	भीकनगांव
				42.	कसरावद
				43.	महेश्वर
		8.	बड़वानी	44.	बड़वानी
				45.	अंजड़
				46.	सैंधवा
				47.	राजपुर
				48.	खेतिया
				49.	पानसेमल
				50.	पलसूद
2.	भोपाल	9.	भोपाल	51.	भोपाल
				52.	बेरसिया
				53.	बैरागढ़
		10.	रायसेन	54.	रायसेन
				55.	मण्डीदीप
				56.	बरेली
				57.	बेगमगंज
				58.	ओबेदुल्लागंज
				59.	सुल्तानपुर
				60.	बाडी
				61.	सांची
				62.	उदयपुरा
				63.	सिलवानी
				64.	गैरतगंज
		11.	सीहोर	65.	सीहोर
				66.	आष्टा
				67.	इच्छावर
				68.	बुधनी
				69.	जावर
				70.	नसरुल्लागंज
				71.	रहेटी
				72.	कोठरी
				73.	शाहगंज
		12.	विदिशा	74.	विदिशा
				75.	गंजबासौदा
				76.	सिरोंज
				77.	कुरवाई
				78.	लटेरी
				79.	शमशाबाद
		13.	राजगढ़	80.	राजगढ़

				81.	ब्यावरा
				82.	सारंगपुर
				83.	नरसिंहगढ़
				84.	जीरापुर
				85.	खिलचीपुर
				86.	तलैन
				87.	बौडा
				88.	खुजनेर
				89.	पचौर
				90.	सुठालिया
				91.	माचलपुर
				92.	छापीहेडा
3.	होशंगाबाद	14.	होशंगाबाद	93.	होशंगाबाद
				94.	पिपरिया
				95.	इटारसी
				96.	सिवनी बनापुरा
				97.	बाबई
				98.	सोहागपुर
		15.	हरदा	99.	हरदा
				100.	खिरकिया
				101.	टिमरनी
		16.	बैतूल	102.	बैतूल
				103.	आमला
				104.	मुलताई
				105.	सारणी
				106.	भैंसदेही
				107.	बैतूल बाजार
				108.	आठनेर
				109.	चिचौली
4.	ग्वालियर	17.	ग्वालियर	110.	ग्वालियर
				111.	डबरा
				112.	पिछोर
				113.	बिलौआ
				114.	आंतरी
				115.	भितरवार
		18.	शिवपुरी	116.	शिवपुरी
				117.	केलारस
				118.	करेरा
				119.	खनियाधाना
				120.	पिछोर
				121.	बदरवास
				122.	नरवर
		19.	गुना	123.	गुना

				124.	राघोगढ़
				125.	चाचौडाबीनागंज
				126.	आरोन
				127.	कुंभराज
		20.	अशोकनगर	128.	अशोकनगर
				129.	चंदेरी
				130.	मुगावली
				131.	ईसागढ़
		21.	दतिया	132.	दतिया
				133.	भाण्डेर
				134.	इंदरगढ़
				135.	सेवडा
				136.	बडोनी
5.	चंबल	22.	श्योपुर	137.	श्योपुर कलां
				138.	विजयपुर
				139.	बडोदा
		23.	मुरैना	140.	मुरैना
				141.	अम्बाह
				142.	जौरा
				143.	सबलगढ़
				144.	पोरसा
				145.	कैलारस
				146.	झुण्डपुरा
				147.	बामौर
		24.	भिंड	148.	भिण्ड
				149.	मालनपुर
				150.	गोहद
				151.	मेंहगांव
				152.	लहार
				153.	गोरमी
				154.	अकोडा
				155.	मिहोना
				156.	आलमपुर
				157.	दबोह
				158.	मौ
				159.	फूफकलां
6.	उज्जैन	25.	उज्जैन	160.	उज्जैन
				161.	बड़नगर
				162.	खाचरोद
				163.	महिंदपुर
				164.	नागदा
				165.	तराना
				166.	उन्हेल

				167.	माकडोन
		26.	रतलाम	168.	रतलाम
				169.	आलोट
				170.	जावरा
				171.	ताल
				172.	सैलाना
				173.	नामली
				174.	बडावदा
				175.	पिपलौदा
				176.	धामनोद
		27.	देवास	177.	देवास
				178.	सोनकच्छ
				179.	कन्नोद
				180.	खातेगांव
				181.	हाटपिपल्या
				182.	बागली
				183.	भौरांसा
				184.	करनावद
				185.	काटाफोड
				186.	लोहारदा
				187.	सतवास
				188.	टोंकखुर्द
				189.	पिपलरंवा
		28.	शाजापुर	190.	शाजापुर
				191.	शुजालपुर
				192.	आगर
				193.	नलखेडा
				194.	मक्सी
				195.	बडौद
				196.	कानड
				197.	अकोदिया
				198.	सुसनेर
				199.	सोयतकलां
				200.	बडागांव
				201.	पोलायकला
		29.	मन्दसौर	202.	मन्दसौर
				203.	श्यामगढ़
				204.	सीतामऊ
				205.	पिपल्यामंडी
				206.	नारायणगढ़
				207.	मल्हारगढ़
				208.	भानपुर
				209.	नगरी

				210.	गरोठ
				211.	सुवासरा
		30.	नीमच	212.	नीमच
				213.	मनासा
				214.	रामपुरा
				215.	जावद
				216.	जीरन
				217.	रतनगढ़
				218.	सिंगोली
				219.	डिकेन
				220.	कुकडेश्वर
7.	सागर	31	सागर	221.	सागर
				222.	बीना
				223.	गढ़ाकोटा
				224.	खुरई
				225.	देवरी
				226.	रेहली
				227.	राहतगढ़
				228.	बंडा
				229.	शाहपुर
				230.	शाहगढ़
		32.	दमोह	231.	दमोह
				232.	हटा
				233.	तेंदुखेडा
				234.	पथरिया
				235.	हिन्दोरिया
		33.	पन्ना	236.	पन्ना
				237.	अमानगंज
				238.	देवेन्द्र नगर
				239.	अजयगढ़
				240.	ककरहटी
				241.	पवई
		34.	छतरपुर	242.	छतरपुर
				243.	नौगांव
				244.	खजुराहों
				245.	लौडी
				246.	हरपालपुर
				247.	महाराजपुर
				248.	बिजावर
				249.	बड़ामल्हरा
				250.	धुवारा
				251.	सटई
				252.	बारीगढ़

				253.	गढ़ीमल्हरा
				254.	बक्सवाहा
				255.	चन्दला
				256.	राजनगर
		35.	टीकमगढ़	257.	टीकमगढ़
				258.	निवाडी
				259.	पृथ्वीपुर
				260.	देवगढ़
				261.	खरगापुर
				262.	पलेरा
				263.	जैरोनखालसा
				264.	तरीचरकलां
				265.	जतारा
				266.	लिधोराखास
				267.	बडागांव
				268.	कासी
				269.	ओरछा
8.	जबलपुर	36.	जबलपुर	270.	जबलपुर
				271.	सिहोरा
				272.	पनागर
				273.	बरेला
				274.	भेडाघाट
				275.	शाहपुरा
				276.	पाटन
				277.	मझौली
				278.	कटंगी
		37.	कटनी	279.	कटनी
				280.	कैमोर
				281.	बरही
				282.	विजयराघवगढ़
		38.	नरसिंहपुर	283.	नरसिंहपुर
				284.	गोटेगांव
				285.	करेली
				286.	गाडरवाड़ा
				287.	तेंदुखेडा
		39.	छिन्दवाड़ा	288.	छिन्दवाड़ा
				289.	परासिया
				290.	सौंसर
				291.	पांडुर्ना
				292.	जुन्नारदेव
				293.	दमुआ
				294.	चौरई
				295.	अमरवाडा

				296.	हरई
				297.	लोधीखेडा
				298.	न्यूटन चिखली
				299.	चांदामेटा बुटारिया
				300.	मोहगांव
				301.	बडकुही
				302.	पपलानारायणवार
		40.	सिवनी	303.	सिवनी
				304.	लखनादौन
				305.	बरघाट
		41	मण्डला	306.	मण्डला
				307.	नैनपुर
				308.	बम्हनीबंजर
				309.	निवास
				310.	बिछिया
		42.	डिण्डोरी	311.	डिण्डोरी
				312.	शाहपुरा
		43.	बालाघाट	313.	बालाघाट
				314.	वारासिवनी
				315.	मलाजखंड
				316.	कटंगी
				317.	बैहर
				318.	लांजी
9.	रीवा	44.	रीवा	319.	रीवा
				320.	मउगंज
				321.	त्योथर
				322.	बैकुंठपुर
				323.	हनुमना
				324.	चाकघाट
				325.	गोविन्दगढ़
				326.	नईगढ़ी
				327.	सिरमौर
				328.	मनगवां
				329.	सेमरिया
				330.	गुढ़
		45.	सीधी	331.	सीधी
				332.	चुरहट
				333.	रामपुरनेकिन
				334.	मझौली
		46.	सिंगरौली	335.	सिंगरौली
		47.	सतना	336.	सतना
				337.	नागोद
				338.	मैहर

				339.	जैतवारा
				340.	उचेहरा
				341.	अमरपाटन
				342.	नागौद
				343.	चित्रकूट
				344.	विरसिंहपुर
				345.	कोटर
				346.	कोठी
				347.	रामपुर—बघेलान
10	शहडोल	48.	शहडोल	348.	शहडोल
				349.	बुढ़ार
				350.	धनपुरी
				351.	कोतमा
				352.	ब्यौहारी
				353.	जयसिंहनगर
				354.	खाण्ड
		49.	अनूपपुर	355.	अनूपपुर
				356.	पसान
				357.	बिजूरी
				358.	जैतहरी
				359.	अमरकंटक
		50.	उमरिया	360.	उमरिया
				361.	चंदिया
				362.	नौरोजाबाद
				363.	पाली

**दूकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत
स्थापनाओं की जिले-वार जानकारी**

(दिनांक 31.12.2016 की स्थिति में)

संभाग	जिला/क्षेत्रीय कार्यालय	पंजीकृत स्थापनाओं की संख्या	श्रमिकों/ कर्मचारियों की संख्या (यथा पंजीयन प्रमाण पत्र में दर्ज)
1. इन्दौर संभाग	01. इंदौर	146534	172542
	02. धार,	9961	2379
	03. पीथमपुर (जिला धार)	3861	3173
	04. झाबुआ	2486	932
	05. अलीराजपुर	1663	535
	06. बुरहानपुर	18497	4998
	07. खण्डवा	9689	5476
	08. खरगोन	8778	3156
	09. बडवानी	4392	2892
2. उज्जैन संभाग	10. उज्जैन	69276	15196
	11. देवास	18108	8039
	12. शाजापुर	4351	1335
	13. आगर-मालवा	1089	425
	14. रतलाम	31103	10021
	15. मंदसौर	17900	6864
	16. नीमच	15448	4687
3. ग्वालियर संभाग	17. ग्वालियर	116645	55441
	18. दतिया	7233	2130
	19. गुना	11344	5035
	20. अशोक नगर	4283	2640
	21. शिवपुरी	7009	2942
4. चम्बल संभाग	22. मुरैना	8231	943
	23. श्योपुर	2906	901
	24. भिंड	7545	442
	25. मालनपुर (जिला भिण्ड)	1399	410
5. भोपाल संभाग	26. भोपाल	198165	77564
	27. सीहोर	19589	3951
	28. रायसेन (मण्डीदीप)	8910	3624
	29. राजगढ़	4865	1088
	30. विदिशा	19750	4011
6. होशंगाबाद संभाग	31. होशंगाबाद	16248	6966
	32. हरदा	7216	1913
	33. बैतूल	10710	3184
7. सागर संभाग	34. सागर	25930	7959

	35. दमोह	6187	1565
	36. छतरपुर	8670	2913
	37. टीकमगढ	4426	873
	38. पन्ना	2457	485
8. जबलपुर संभाग	39. जबलपुर	73993	25473
	40. नरसिंहपुर	8948	2804
	41. कटनी	13985	4089
	42. बालाघाट	5419	3737
	43. छिंदवाड़ा	10665	3766
	44. सिवनी	6259	1296
	45. मंडला	5603	1114
	46. डिण्डौरी	1027	519
9. रीवा संभाग	47. सतना	23520	2730
	48. रीवा	8383	7122
	49. सीधी	3679	1696
	50. सिंगरौली	4434	1124
10. शहडोल संभाग	51. शहडोल	3188	1612
	52. अनूपपुर	590	462
	53. उमरिया	1003	625
	योग	1033550	487799

**ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत पंजीकृत स्थापनाओं की
श्रम कार्यालय-वार जानकारी**

(दिनांक 31.12.2016 की स्थिति में)

स.क्र.	जिला/क्षेत्रीय श्रम कार्यालय	पंजीकृत स्थापनाओं की संख्या	अनुज्ञप्ति प्राप्त ठेकेदारों की संख्या	श्रमिकों / कर्मचारियों की पंजीकृत संख्या
01	इंदौर	574	810	657568
02	धार,	55	198	11813
03	पीथमपुर	33	717	36938
04	झाबुआ	31	165	5756
05	अलीराजपुर	26	28	778
06	बुरहानपुर	22	39	2087
07	खण्डवा	49	255	22301
08	खरगोन	84	150	7423
09	बडवानी	14	42	2291
10	उज्जैन	97	439	23208
11	देवास	153	485	21838
12	शाजापुर	49	66	2770
13	आगर-मालवा	6	5	750
14	रतलाम	25	148	10939
15	मंदसौर	51	128	8812
16	नीमच	15	55	3423
17	ग्वालियर	79	410	33759
18	दतिया	3	38	1964
19	गुना	26	301	9533
20	अशोक नगर	6	18	415
21	शिवपुरी	2	15	660
22	मुरैना	3	32	955
23	श्यामपुर	8	12	530
24	भिंड	13	13	1290
25	मालनपुर	49	161	12145
26	भोपाल	254	385	20727
27	सीहोर	10	84	5953
28	मण्डीदीप	81	574	16586
29	राजगढ़	13	66	6523
30	विदिशा	23	46	2800
31	होशंगाबाद	47	161	7379
32	हरदा	7	26	1165
33	बैतूल	43	293	13102
34	सागर	44	141	7762
35	दमोह	18	53	1298
36	छतरपुर	36	72	4599
37	टीकमगढ़	13	21	1504

38	पन्ना	6	23	1229
39	जबलपुर	145	444	13815
40	नरसिंहपुर	37	96	5085
41	कटनी	47	190	7021
42	बालाघाट	17	99	3099
43	छिंदवाड़ा	43	255	8040
44	सिवनी	126	126	7642
45	मंडला	20	221	8414
46	डिण्डौरी	1	17	745
47	सतना	38	104	4466
48	रीवा	48	186	5195
49	सीधी	21	24	1235
50	सिंगरोली	36	647	68653
51	शहडोल	82	118	2720
52	अनूपपुर	0	53	3282
53	उमरिया	2	145	6743
	योग	2731	9400	1116728

परिशिष्ट-10.5

(देखें पद 10.5)

**10.5. अंतराज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम,
1979 के अन्तर्गत पंजीकृत स्थापनाओं की श्रम कार्यालय-वार जानकारी**

(दिनांक 31.12. 2016 की स्थिति में)

स.क्र.	जिला/क्षेत्रीय श्रम कार्यालय	पंजीकृत स्थापनाओं की संख्या	अनुज्ञप्ति प्राप्त ठेकेदारों की संख्या	श्रमिकों / कर्मचारियों की पंजीकृत संख्या
01	इंदौर	0	0	0
02	धार,	0	2	120
03	पीथमपुर	0	0	0
04	झाबुआ	2	7	349
05	अलीराजपुर	0	0	0
06	बुरहानपुर	0	0	0
07	खण्डवा	1	19	1015
08	खरगोन	0	1	50
09	बडवानी	5	11	325
10	उज्जैन	2	8	315
11	देवास	0	28	653
12	शाजापुर	0	2	60
13	आगर-मालवा	0	0	0
14	रतलाम	0	1	20
15	मंदसौर	0	0	0
16	नीमच	0	0	0
17	ग्वालियर	0	7	225
18	दतिया	1	1	25

19	गुना	0	0	0
20	अशोक नगर	0	0	0
21	शिवपुरी	0	1	50
22	मुरैना	0	0	0
23	श्यापुर	1	2	100
24	भिंड	20	14	1130
25	मालनपुर	0	1	28
26	भोपाल	0	0	0
27	सीहोर	0	0	0
28	मण्डीदीप	3	0	90
29	राजगढ़	0	0	0
30	विदिशा	0	0	0
31	होशंगाबाद	0	0	0
32	हरदा	8	7	160
33	बैतूल	0	6	305
34	सागर	0	0	0
35	दमोह	0	0	0
36	छतरपुर	0	0	0
37	टीकमगढ़	0	0	0
38	पन्ना	0	0	0
39	जबलपुर	1	1	200
40	नरसिंहपुर	18	18	1330
41	कटनी	1	18	606
42	बालाघाट	0	3	135
43	छिंदवाड़ा	3	4	110
44	सिवनी	0	0	0
45	मंडला	3	8	193
46	डिण्डौरी	0	0	0
47	सतना	0	2	50
48	रीवा	4	8	270
49	सीधी	0	12	461
50	सिंगरोली	6	32	4109
51	शहडोल	0	0	0
52	अनूपपुर	31	0	1850
53	उमरिया	0	8	172
	योग	110	232	14506

कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों/औषधालयों में उपचारित मरीज

क्र.	वर्ष	चिकित्सालय						औषधालय	
		भर्ती मरीजों की संख्या		कुल भर्ती दिवस		भरे हुए पलंगों का प्रतिशत		उपचारित मरीजों की संख्या	
		सामान्य	क्षय	सामान्य	क्षय	सामान्य	क्षय	बीमित व्यक्ति	परिवार के सदस्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2014—2015	11626	320	46418	9038	34	33	829407	980394
2.	2015—2016	9586	418	41545	11056	30	40	820983	954611
3.	2016—2017 (31 दिसम्बर 2016 तक)	7635	282	25602	7988	25	39	536904	792899

परिशिष्ट 11.2
(देखें पद 11.5)

परिवार कल्याण कार्यक्रम

क्र.	विवरण	वर्ष 2014—15	वर्ष 2015—16	वर्ष 2016—17 (दिसम्बर 2016 तक)
1	कुल नसबन्दी	696	640	506
	(क) पुरुष नसबन्दी	37	35	16
	(ख) महिला नसबन्दी	659	605	490
2	कॉपर टी	480	361	202
3	निरोध वितरण	60945	43031	34550
4	गर्भ निरोधक गोलियाँ (वितरण स्ट्रिप)	6028	5849	4516

टीकाकरण

क्र.	विवरण	वर्ष 2014–15	वर्ष 2015–16	वर्ष 2016–17 (दिसम्बर 2016 तक)
1	बी0सी0जी0	1250	779	418
2	पोलियों	4487	3995	2609
3	डी0पी0टी0	4444	4136	6322
4	खसरा	1261	1062	768
5	डी0टी0	304	311	195
6	टिटनेस टाक्साईड			
	1. एन्टीनेटल कैसेस	2283	2506	1195
	2. बीमित व्यक्ति एवं उनके परिवार सदस्य	9631	2029	4441
	3. अन्य	4666	653	1304
7	हेपेटाईटिस-बी	7595	77	770
8	एम एम आर	08	----	357

कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें मध्य प्रदेश के विभिन्न केन्द्र/चिकित्सालयों में
शैक्षणिक गतिविधियों तथा शिविरों का विवरण

क्र	विवरण	वर्ष 2014–15		वर्ष 2015–16		वर्ष 2016–17 (दिसम्बर 2016 तक)	
		शिविरों की संख्या	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	शिविरों की संख्या	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	शिविरों की संख्या	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या
1	शैक्षणिक गतिविधियाँ	1308	51205	1198	44596	908	32652
2	स्वास्थ्य संबंधी शिविर	229	26031	241	30683	190	37517

कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों में किये गये ऑपरेशनों का विवरण
(दिनांक 1.4.2016 से 31.12.2016 तक)

क्र.	चिकि० का नाम	स्त्री रोग		अस्थि रोग		नेत्र रोग		सर्जरी		कान,नाक,गला रोग		डेंटल सर्जरी	
		मेजर	मायनर	मेजर	मायनर	मेजर	मायनर	मेजर	मायनर	मेजर	मायनर	ऐक्स ट्रेक्शन	फिलिंग एण्ड
												ऑफ टुथ	अदर सर्जरी
1	भोपाल	01	06	—	46	02	09	01	115	—	—	—	—
2	ग्वालियर	03	08	05	130	—	03	22	307	01	40	—	—
3	देवास	—	03	01	15	—	03	15	75	—	11	—	—
4	उज्जैन	—	—	—	—	—	—	—	08	—	—	—	—
5	नागदा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

टीप

मेजर ऑपरेशन से तात्पर्य ऐसी शल्य क्रिया जो प्रमुख रूप से ऑपरेशन थियेटर्स में जनरल/स्पाईनल एनेस्थेसिया दे कर शरीर के प्रमुख एवं संवेदनशील भागों पर सम्पन्न की जाती हो एवं जिनमें अधिक समय व जोखिम निहित हो यथा— हार्नियां, ऐपेन्डिक्स निष्कासन, उदरीय शल्य क्रियाएं, तंत्रिक तंत्र (न्यूरों सर्जरी) की शल्य क्रिया, थायरॉइड शल्य क्रिया गर्भाशय विच्छेदन,नेलिंग—प्लेटिंग अस्थि शल्य क्रिया आदि ।

मायनर ऑपरेशन कम जोखिम पूर्ण, कम समयावधि एवं स्थानिक/अल्पकालिक एनेस्थेसिया में सम्पन्न होने वाले ऑपरेशन है यथा — एम.टी.पी./एम्बेस,इनसिजन व ड्रेनेज/फ्रेक्चर रिडक्शन एवं प्लास्टर लगाना आदि ।

वर्ष 2016 में औद्योगिक न्यायालय द्वारा प्रकरणों का निराकरण

अ.क्र.	कार्यालय का नाम	वर्ष 2016 के प्रारंभ में लंबित प्रकरण	वर्ष में दायर प्रकरण	योग	वर्ष के दौरान निर्णित प्रकरण	वर्ष के अंत में शेष रहे प्रकरण
1	2	3	4	5	6	7
01.	अध्यक्ष, औ. न्यायालय, म.प्र. इन्दौर	198	242	440	180	260
02.	सदस्य, औ. न्यायालय, म.प्र. इन्दौर	176	58	234	117	117
03.	सदस्य, खण्डपीठ जबलपुर	34	31	65	47	18
04.	सदस्य, खण्डपीठ ग्वालियर	105	84	189	52	137
05.	सदस्य, खण्डपीठ भोपाल	84	42	126	24	102
06.	सदस्य, खण्डपीठ रीवा	150	286	436	349	87
योग:-		747	743	1490	769	721

परिशिष्ट 12.2
(देखें पद 12.2)

विभिन्न श्रम न्यायालयों में वर्ष 2016 के आरंभ में लंबित, वर्ष में दायर तथा वर्ष में निराकृत सिविल तथा फौजदारी प्रकरण											
क्रमांक/ संभाग	श्रम न्यायालय	वर्ष 2016 के प्रारंभ में लंबित प्रकरण		वर्ष में दायर प्रकरण		योग		वर्ष में निराकृत प्रकरणों की संख्या		वर्ष 2016 के अंत में लंबित प्रकरणों की संख्या	
		सिविल	फौजदारी	सिविल	फौजदारी	सिविल	फौजदारी	सिविल	फौजदारी	सिविल	फौजदारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 इन्दौर	1 इन्दौर	2074	739	556	2	2639	741	522	8	2117	733
	2 इन्दौर (अतिरिक्त)	714	—	81	0	795	0	370	0	425	0
	3 धार	679	82	544	4	1223	86	374	0	849	86
	4 खंडवा	485		225	0	710	0	167	0	543	0
2 उज्जैन	1 उज्जैन	1044	26	696	3	1740	29	526	0	1214	29
	2 देवास	513	89	378	13	891	102	281	9	610	93
	3 रतलाम	141	28	155	0	296	28	59	0	237	28
	4 मन्दसौर	141	37	155	0	296	37	157	0	139	37
3 भोपाल	1 भोपाल क1	1315	392	364	48	1679	440	115	144	1564	296
	2 भोपाल क2	688	336	282	2	970	338	297	46	673	292
	3 बैतुल	234	7	53	0	287	7	96	0	191	7
4 सागर	1 सागर	341	58	386	1	727	59	329	54	398	5
5 जबलपुर	1 जबलपुर	1181	959	342	0	1523	959	341	78	1182	881
	2 छिन्दवाड़ा	195	14	68	0	263	14	71	3	192	11
	3 बालाघाट	57	0	66	0	123	0	37	0	86	0
	4 नरसिंहपुर	188	17	120	0	308	17	123	1	185	16
6 रीवा	1 रीवा	569	66	476	0	1045	66	400	0	645	66
	2 सतना	310	1	226	0	536	1	107	0	429	1
	3 शहडोल	198	2	71	0	269	2	54	0	215	2
	4 सीधी	510	271	229	0	739	271	278	35	461	236
7 ग्वालियर	1 क.1 ग्वा	356	12	463	5	819	17	584	6	235	11
	2 क. 2 ग्वा	227	3	266	0	493	3	213	1	280	2
	3 क 3 ग्वा	68	4	66	0	134	4	37	0	97	4
8 होशंगाबाद	1 होशंगाबाद	341	2	196	0	537	2	138	0	399	2
	योग	12569	3145	6473	78	19042	3223	5676	385	13366	2838
